खण्ड-438, अंक-8
गुरूवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1923
(17 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1-33
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	33
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	33
जनपद जौनपुर के बदलासी क्षेत्रान्तर्गत कई नालों पर पूर्वांचल निधि राज्य सेक्टर से धन आवंटन कर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड मोहम्मदी में घमहा घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
प्रदेश के समस्त बी० एड० प्रशिक्षित नवयुवकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद कुशीनगर के रामकोला थानान्तर्गत साधन सहकारी समिति टेकुआटार में हुयी डकैती के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
श्रीमती मार्ग श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेड़त फिरोजाबाद के पक्ष में राजकोष में जमा रुपये दस लाख की दूसरी किस्त का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद देवरिया की ग्राम सभा भोपतिपुरा के चकिया कोठी में 27 एकड़ जमीन को भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	37
दिनांक 16 मई, 2001 को रात्रि में बिजली का वोल्टेज अचानक बढ़ जाने के कारण सिंचाई विभाग का बजट बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	37-39
कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन न करने से विद्यालयों की गरिमा गिरने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	39-41
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) का पच्चीसवां प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)	41
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) का छब्बीसवां प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)	41

विषय		पृष्ठ-संख्या
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें		42-63
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या 24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)		63-98
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुदानों के आय-व्यय के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...		98-126
दिनांक 18 मई, 2001 को विचारार्थ एवं मतदान हेतु कार्य सूची में सम्मिलित किये गये अनुदानों के संबंध में सूचना		126
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं		126-128
जनपद संत रविदास नगर भदोही मुख्यालय भवन के निर्माण में हो रही धांधली की जांच के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व राज्य मंत्री का वक्तव्य ...		128-129
सहारनपुर नगर में ट्रांसपोर्टनगर योजना के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु तत्काल विज्ञप्ति जारी किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...		129
वर्ष 1998-99 में नावार्ड योजना फेज–4 के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में स्वीकृत मार्गों के अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य		130
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के संबंध में श्री विजय पाल सिंह द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...		131
लखनऊ के राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में संविलीनीकृत किये जाने से प्रभावित दैनिक वेतन कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य		132-133
नगर निगम कानपुर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति, प्रोन्नति, प्राविडेन्ट फण्ड एवं वरिष्ठता आदि के निर्धारण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री उदय राज यादव व श्री सौलत अली द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य		133-134

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ महानगर में पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में व्याप्त अराजकता तथा कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध जांचों के लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री तेजभान सिंह द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	134
जनपद गाजियाबाद में लोनी नगरपालिका परिषद् का चुनाव कराये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को समय से पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	135-137
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां में स्वीकृत कस्तूरीपुर से करियावां मार्ग पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	137-138
प्रदेश के पुराने एवं प्रतिष्ठित बलरामपुर चिकित्सालय की पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाये जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	138
जनपद सीतापुर के थाना रेउसा अन्तर्गत ग्राम सुपौली के मजरा महादेवा में हुयी अग्निकाण्ड की घटना में मृतकों के आश्रितों को समुचित सहायता दिये जाने तथा रेउसा अथवा तम्बोर में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनू बाबू द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	139
मण्डल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई मानकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैक्षिक एवं व्यक्तिगत रूप में लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के संबंध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	139
वर्ष 2000-2001 में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक दिनांक 1 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा पर स्थगन ...	140
प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये नया कानून बनाये जाने विषयक दिनांक 9 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	140

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 17 मई, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
5–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
6–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
7–अमर मणि, श्री — महराजगंज
8–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
9–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
10–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
11–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
12–ओइमूवेश, स्वामी श्री — बिजनौर
13–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
14–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
15–कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
16–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
17–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
18–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
19–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
20–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
21–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
22–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
23–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
24–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
25–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
26–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
27–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
28–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
29–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
30–"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
31–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
32–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
33–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
34–वंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
35–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
36–बाबू खां, श्री — हरदोई
37–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
38–भरत सिंह, श्री — बलिया
39–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
40–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
41–मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
42–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
43–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
44–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
45–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
46–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', कुंवर — प्रतापगढ़
47–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
48–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
49–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
50–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी

51–राजा गजनफर अली खां, श्री बिजनौर
52–राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
53–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
54–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
55–राम आसरे सिंह कुशवाहा,डा० कानपुर नगर
56–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
57–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
58–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
59–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
60–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
61–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
62–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
63–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
64–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
65–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
66–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
67–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
68–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
69–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
70–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
71–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
72–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
73–शिव शंकर, श्री बांदा
74–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
75–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
76–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
77–सरदार सिंह, श्री मथुरा
78–सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
79–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
80–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
81–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
82–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
83–हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर

दिनांक 17 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली मासिक धनराशि की प्रस्तावित वृद्धि की जानकारी

**1-डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों द्वारा सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उनसे प्रीमियम के रूप में ली जाने वाली मासिक धनराशि में वृद्धि करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इसे लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों से सामूहिक बीमा योजना है इसमें आज जो किस्त उनके वेतन के हिसाब से ली जा रही है क्या उसको सरकार बढ़ाने पर विचार करेगी ? सरकार का उत्तर आया जी नहीं । यह योजना 1-3-1976 से लागू हुई थी तब प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी से 10 रुपये प्रतिमाह कटता था 1-3-79 से 28-2-85 तक समूह घ के कर्मचारियों से 10 रुपए प्रतिमाह और समूह क, ख व ग वर्ग के कर्मचारियों से 20 रुपए कटता था । 1-3-85 से 28-2-86 तक क वर्ग के कर्मचारियों से 80 रुपए प्रतिमाह कटता था । आज 2550 से 3200 व 4500 से 5400 रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों से 30 रुपए 5500 से 9000 तक वेतन पाने वालों से व 5500 से 9999 रुपए पाने वालों से 60 रुपए व 10,000 रुपए से अधिक पाने वालों से 120 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम की राशि कटती है । मैंने यह जानना चाहा था कि वेतन क्रम के आधार पर जो सामूहिक बीमा योजना होती है क्या उसमें और कटौती अधिक करने पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि इससे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के बाद उनको धनराशि अधिक मिलेगी व किसी दुर्घटना के घटित होने पर बीमित राशि अधिक मिलेगी दूसरे बात बीमा निदेशालय में जो धनराशि ज्यादा जमा होगी उससे सरकार का फ्लो बढ़ जाएगा । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रश्न नहीं उठता, तो मेरे द्वारा रखे गए तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार कर्मचारियों की बीमा राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

*श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, पांचवें वेतन आयोग ने इस मासिक प्रीमियम को बढ़ाने की संस्तुति की है लेकिन भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है । भारत सरकार के स्वीकृत करते ही उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर विचार करेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

भारत सरकार के विचाराधीन है यह विषय राज्य कर्मचारियों का है । क्या सरकार राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से वार्ता करके उनकी सहमति और विश्वास में लेकर इस किस्त की राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

अभी तक जो निर्णय किया गया है राज्य कर्मचारियों से परामर्श करके उनसे परामर्श करके उनकी सहमति से किया गया है चाहे वेतन पुनरीक्षण की बात हो या समयमान वेतनमान देने की बात हो । स्वाभाविक है जब हम विचार करने की बात कहते हैं तो राज्य कर्मचारियों से संघों से निश्चित रूप से परामर्श करेंगे । क्योंकि राज्य सरकार में अभी तक जो भी निर्णय किये हैं कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख कर किये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न है । क्या सरकार इस सदन में यह निश्चित घोषणा करेगी कि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए आगामी तीन साल के लिए केन्द्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार यदि स्वीकार कर लेगी तो विचार करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या सरकार आश्वासन देगी कि आगामी तीन वर्षों तक उत्तर प्रदेश स्तर से कोई प्रस्ताव नहीं जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपने मान लिया है कि तीन वर्ष तक सरकार चलेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मान भी लूं लेकिन जनता नहीं मानेगी ।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मैंने पहले ही निवेदन किया है । जो भी निर्णय लिया गया है वह कर्मचारियों के हित में लिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार कोई बीमा एजेन्टों की दलाल नहीं है कर्मचारियों के हित में विचार यह सरकार करें ।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, राज्य सरकार जो बीमा चला रही है उसमें हमें कोई लाभ नहीं है केवल अर्थोपाय की दृष्टि से कुछ और धन आ जाता है जबकि पूरा का पूरा कर्मचारियों को लाभ है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने तो प्रश्न की भावना को ही बक्ल दिया है । मेरा प्रश्न मासिक किस्त के बढ़ाने के सम्बन्ध में था और प्रमोद जी ने उसकी प्रकृति ही बदल दी ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में उत्पीड़न को रोकने की योजना

**2–श्री राम जग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामान्य अधिनियमों के प्राविधानों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 तथा इसके अन्तर्गत प्रख्यापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 लागू है जिनके अन्तर्गत समय-समय पर कार्यवाही की जाती है । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन को इन जातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामान्य रूप से जागरूकता बनाये रखने तथा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश हैं । समाज कल्याण विभाग के शा०सं०–3430/26-3-98-4-(71)/98, दिनांक 25-11-98 द्वारा जिलाधिकारियों को सामाजिक समरसता प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिये गये हैं । तद्नुसार वांछित कार्यवाही की जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गरीबों की मासिक आय सीमा बढ़ाने की मांग

*1–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गरीबों के लिये आय प्रमाण-पत्र पुराने समय की मजदूरी 950 रुपया प्रति माह आय के आधार पर बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये मासिक आय सीमा रु० 950 से बढ़ाकर 1500 करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

आय प्रमाण-पत्र व्यक्ति की उपलब्ध एवं ज्ञात आय स्रोतों के आधार पर बनाये जाते हैं । मात्र गरीबों के लिए आय प्रमाण-पत्र बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, आज जो मजदूरी की दर पहले से चली आ रही है उसी के आधार पर अनुसूचित जातियों के आय प्रमाण-पत्र बनाये जा रहे हैं । आज मजदूरी दर 57 रुपये प्रतिदिन दी जा रही है इस हिसाब से 1710 रुपये प्रतिमाह उनकी आमदनी होती है । 950 रुपये पर आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए लेखपाल राजी नहीं होता । मैं मांग करता हूं कि 1500 रुपये पर आय प्रमाण-पत्र बनवाने का आदेश यह सरकार दे जिससे गरीब शोषित समाज के लोगों की प्रमाण-पत्र बनाया जा सके ।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो मांग कर दी इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 950 रुपये प्रति माह रखने का क्या पैमाना है, क्यों सरकार ने रखा है और जो भीम प्रसाद सोनकर जी ने कहा है वह सही है कि न्यूनतम वेतन जो सरकार ने निश्चित किया है 47 रुपये तो मान्यवर, उससे 950 रुपये प्रतिमाह बनता है, क्या सरकार इसको कम से कम 1500 रुपये प्रतिमाह करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, किसी परटिकुलर उद्देश्य से पूछा ? कुंवर सिंह जी ने कहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अलग-अलग विभाग के लिये जैसा श्रम विभाग, खाद्य विभाग हर विभाग का अलग-अलग है । श्रम विभाग का 1508 रुपये प्रतिमाह है । जिसकी जितनी आय है, उसका प्रमाण-पत्र उतने का ही बनता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई । माननीय सदस्य का आशय यह है कि विभिन्न योजनाओं जैसे समाज कल्याण की हो, चाहे राज्य परिवार लाभ योजना हो या अनुसूचित जाति के लोगों की शादी के लिये सुविधा योजना हो । इस योजना में अभी तक सीमा रखी गई है 11 हजार रुपये की । माननीय सदस्य का आशय यह है कि 11 हजार की सीमा को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह भी आय हो तो उसको भी उन योजनाओं का लाभ मिलेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति दिन तहसीलों में यह मानकर कि 57 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, उसके हिसाब से आय प्रमाण-पत्र बनाये जाते हैं । मान्यवर, प्रतिदिन किसी को मजदूरी नहीं मिल सकती है, इस आधार पर तहसील कर्मियों को, राजस्व कर्मियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर हैं जिसके पास आय का कोई साधन और नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन की मजदूरी मानते हुए उसको आय प्रमाण-पत्र जारी करें ? प्रत्येक दिन तो मजदूर को मज़दूरी नहीं मिल पाती ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

समाज कल्याण विभाग के बारे में माननीय सदस्य जी ने कहा है । वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन की जो योजना है उसमें आय 11 हजार नहीं 12 हजार वार्षिक पहले से ही तय है । और यह जो मजदूरी की बात कही है वह 1508 रुपये प्रतिमाह पहले से ही है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न किये । एक तो यह कि जो तमाम योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के रूप में अनुसूचित जाति के लोगों को आवेदन करना होता है उसका आधार 11 हजार रुपये है, उसको बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की कृपा करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक दिन किसी दिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिल सकती । किसी दिन वह बीमार है, किसी दिन कोई अन्य कारण है, कोई परेशानी हो सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 15 दिन की मजदूरी को मानते हुए कि वह 15 दिन की रोजगार पायेगा, इस आधार पर राजस्व कर्मियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि इस आधार पर उसे आय प्रमाण-पत्र बनाकर दिये जायं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

1508 रुपये प्रतिमाह है । जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से बनाने में कोई कठिनाई नहीं है । हम निर्देश जारी कर देंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

11 हजार रुपये से अधिक आमदनी नहीं होनी चाहिए । आज जो अभी बताया कि 57 रुपये प्रति दिन मजदूरी है । उसके हिसाब से 30 दिन मजदूरी मिल रही होगी, यह मानकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । मान्यवर, प्रत्येक दिन किसी को मजदूरी नहीं मिलती है न वह इस लायक हो सकता है कि रोज मजदूरी करे इस बात को ध्यान में रखते हुए जिनके पास खेत या अन्य साधन नहीं हैं प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी है उनका प्रमाण-पत्र 10 हजार से कम बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रमाण-पत्र तहसील में बनाये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रमाण-पत्र तो आय के अनुसार देते हैं इनका यह मतलब है लाख के लिए सीमा अलग है ।

श्री लालजी वर्मा–

आय का प्रमाण-पत्र बनवाने जाते हैं मजदूर के पास कोई अन्य आय का साधन नहीं है 57/- रुपये मजदूरी सरकार ने तय की है तीस दिन के आधार पर आय प्रमाण-पत्र बनाया जाता है जबकि मजदूरों को प्रतिदिन मजदूरी नहीं मिल पाती है तो क्या मंत्री जी तहसील के कर्मचारियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे, जिनका मजदूरी का अलग कोई साधन नहीं है इनको दस हजार से अधिक का प्रमाण-पत्र न बनाया जाए ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

15 हजार 8 न्यूनतम रखा गया है तो कैसे दस हजार से कम बना देंगे ?

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी को इस बात का ज्ञान होगा कि तहसील में जो 57/- रुपया प्रतिदिन की मजदूरी तय की है तहसीलदार उससे नीचे आय प्रमाण-पत्र नहीं देता हैं जबकि एक्चुअल में मासिक, वार्षिक आय इतनी नहीं होती है । मजदूर की आय का मजदूरी ही स्रोत है उसको भी 57/- रुपये से नीचे हम आय प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते हैं आपकी आय चाहे जितनी कम हो वास्तव में जो आय है एक मजदूर

की या तो सरकार 57/- रुपया मजदूरी जिस दिन मजदूर को नहीं मिल पाती है तो वह दें नहीं देते हैं तो एक्चुअल आमदनी के आधार पर आदेश निर्गत करें ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में लिखा है कि आय प्रमाण-पत्र व्यक्ति को उपलब्ध एवं ज्ञात आय स्रोतों के आधार पर बनाये जाते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी प्रमाण-पत्र मंत्री जी नहीं दिखा सकते हैं जो एक्चुअल में आय के आधार पर बनता हो । दूसरा सवाल मान्यवर, जो आय प्रमाण-पत्र बनता है इस आय प्रमाण-पत्र के लिए दोहरी सजा व्यक्ति को मिलती है जो आय या जाति का प्रमाण-पत्र बनवाता है उसको दो काम करने पड़ते हैं एक तो लेखपाल से रिपोर्ट लगवानी पड़ती है दूसरा ऐफीडेविट बनवाना पड़ता है । एक जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए 100-150 रुपया खर्चा करना पड़ता है यदि कोई विद्यार्थी है तो उसको आय प्रमाण-पत्र देना है या जाति प्रमाण-पत्र देना है तो उसको बहुत दिक्कत होती है । या तो ऐफिडेविट लाकर दे दें । अगर गलत देते हैं तो कार्यवाही होगी । तो या तो ऐफिडेविट के तहत या जो रिपोर्ट लगती है उसके आधार पर दे दें । तो इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके चाहे ऐफिडेविट के आधार पर या रिपोर्ट के आधार पर बनाने के आदेश देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी लागू की है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी को इस प्रकार से मिले । गरीबों दलितों और मजदूरों के हितों का हम ध्यान रखते हैं । शपथ-पत्र के बारे में कहा गया कि शपथ-पत्र झूठे देते हैं तो इसीलिये दोहरी व्यवस्था हमने रखी है जिससे गरीबों, दलितों और मजदूरों का अहित न हो ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बिडम्बना है और श्रीमन्, को भी जानकारी है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनको मजदूरी नहीं मिलती है या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और वह मजदूरी करने लायक नहीं होते हैं और सरकार की तरफ से निश्चित कर दिया गया है कि आय प्रमाण-पत्र दिया जायेगा 950/- रुपये से कम नहीं दिया जायेगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि, मेरी निश्चित जानकारी है, हम क्षेत्रों में देखते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो 80, 90 साल के हैं और वे मजदूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा समय आता है कि आय प्रमाण-पत्र बनाना जरूरी पड़ता है । तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आय प्रमाण-पत्र लिया जा रहा है तो आय प्रमाण-पत्र आय के आधार पर होना चाहिए न कि प्रिजमशन के आधार पर या फिर कि शासनादेश हैं इससे कम बनेगा नहीं तो तमाम कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसमें इसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है । उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे समाज कल्याण में हैं, विधवा को पेंशन 200/- रुपया मिलती है, लेखपाल कहता है कि 950/- रुपये से कम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो शासनादेश है, 10 हजार रुपया का देना है तो वह कहां बन पायेगा । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए कि जो एक्चुअल आमदनी है, 950/- रुपये यह प्रिजमशन मानकार की रोजाना मजदूरी मिलती है, जबकि वास्तविक आधार पर होना चाहिए तो इस बंधन को समाप्त करके सार्टिफिकेट के आधार देने का काम करेंगे ? यह शासनादेश निर्गत होगा कि मौके पर जांच पड़ताल हो जाय अगर मजदूरी है तो दिया जाय या अगर नहीं है तो नहीं

दिया जाय, इस पर स्पष्ट जवाब दिलाया जाय । इस प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने एक बात तो यह कही है कि आय प्रमाण-पत्र आय के आधार पर देना चाहिए इसको सुनिश्चित करेंगे और दूसरा शासनादेश में इस बात का उल्लेख है कि 950/- रुपये से कम आय का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा तो ऐसा कोई शासनादेश है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है ? मान्यवर, जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग हैं, खाद्य और रसद विभाग है वहां ऐसे लोगों की वार्षिक आय जो प्रति व्यक्ति मानी गयी है वह 8,000 रुपये है, 8,000 से कम वार्षिक आय वाले लोग बी० पी० एल० में आते हैं, अनाज, चावल, मुफ्त अनाज व सारी सुविधायें मिलती हैं । मान्यवर, समाज कल्याण में विधवा पेंशन आदि है वहां 12,000 रुपये वार्षिक आय रखी गयी है, जो 12,000 से कम के लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अलग-अलग मानक निर्धारित किये हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो तहसील से प्रमाण-पत्र देते हैं तो जितनी उसकी आय है उतने का ही प्रमाण-पत्र मिलता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, साढ़े नौ सौ से कम वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र देने पर कहीं रोक तो नहीं है । मान्यवर, इस तरह का शासनादेश जारी करने की बावत कि पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों से 950 रुपये से कम आय वाले जो लोग हैं उसको भी प्रमाण-पत्र देंगे ? ऐसा आश्वासन मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, आय प्रमाण-पत्र व्यक्ति के उपलब्ध एवं ज्ञात आय के स्रोतों के आधार पर बनाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

उससे कम भी हो सकती है, एक्चुअल की बात कही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, गरीबों को लाभ न मिल सके केवल ढपोरशंखी. घोषणायें हो सकें 950 रुपये से कम का शासनादेश की बावत कोई आश्वासन सदन में नहीं रख रहे हैं । (व्यवधान)

मान्यवर, यह दोहरी व्यवस्था को चालू रखकर के कि लोग प्रमाण-पत्र न ले सकें यह सरकार की मंशा गरीब विरोधी है मैं और बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में सदन का त्याग करती है ।

(श्री बी० आर० वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं नियम–49 में चर्चा के लिए लिखकर देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये।

तारांकित प्रश्न

लहसुन उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकारी नीति के सम्बन्ध में जानकारी

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार लहसुन उत्पादक किसानों को लाभकारी एवं सन्तुलित मूल्य दिलाने की नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लहसुन उत्पादक कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है अक्सर यह देखा जाता है कि कभी लहसुन के भाव इतने कम हो जाते हैं कि इनको खेतों में ही फेंकना पड़ता है कभी कुछ घटते हैं और कभी कुछ आगे चले जाते हैं तो लहसुन उत्पादक बेहद परेशान होते हैं सरकार ने जवाब दे दिया कि लाभकारी मूल्य मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या ठोस नीति बनायेंगे उसका समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए ताकि मार्केट में जो लहसुन का भाव बने वह नीचे न चला जाये और जिससे किसानों को भारी परेशानी हो ? जो आपने कहा है कि लहसुन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है आपने कितने रुपये प्रति हेक्टेयर/एकड़ लागत मानी है और कितना उसमें मूल्य माना है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश सरकार नहीं करती। सारी बातों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि किन-किन फसलों का समर्थन मूल्य देना है, लहसुन उस श्रेणी में नहीं है।

मान्यवर, 2.75 रुपये प्रति किलो लागत मूल्य आता है बाजार भाव 5 रुपये, 10 रुपये किलो है। 10 रुपये किलो बिक रहा है तो 5 रुपये, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह लाभकारी मूल्य हुआ है।

श्री राम औतार शाक्य–

जैसा आपके संज्ञान में है पिछले वर्ष जितनी हालत खराब थी तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस सीजन में लहसुन का क्या भाव था ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैनपुरी में लहसुन होता है भोगांव का लहसुन बहुत प्रसिद्ध है बहुत अच्छी वैराइटी का होता है। मान्यवर, सफेद और जी० 282 भोगांव की बहुत अच्छी वैराइटियां हैं। यह बात पिछले वर्ष

की थी कि 5 रुपये से नीचे का भाव आ गया था आमतौर से महंगा बिकता रहा है अब 10 रुपये तक चल रहा है तो इसमें जो उत्पादन का मूल्य है उससे तो कम है नहीं उससे ज्यादा ही है इसलिए कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

श्री रामप्यारे सिंह–

मान्यवर, लहसुन और आलू यह दोनों फसलें ऐसी हैं हमें स्वयं अपनी जानकारी है कि कन्नौज एक बार गया था तो 50 पैसे आलू वहां था और 2 रुपये किलो पूरब के जिलों में था, इसी तरह से लहसुन वहां 2 रुपये किलो होता है तो पूरब के जिलों में 10 रुपये किलो होता है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिससे पश्चिम के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके और पूरब के किसानों को सस्ती दर पर यह लहसुन उपलब्ध कराया जा सके ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संयोग से यह लहसुन का जितना उत्पादन है यह मध्य यू० पी० में है तो यह दोनों के सेन्टर में पड़ता है न तो मुजफ्फरनगर में पैदावार है न देवरिया में है । मैनपुरी, फर्रुखाबाद में इटावा में लहसुन की पैदावार है इसलिए पश्चिम पूरब में बराबर की डिस्टेन्स पड़ती है । वैसे आपको कोई आवश्यकता होगी तो देखभाल कर लेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा सरकार से एक सुझाव है कि लहसुन की कीमत संतुलित बनी रहे और किसानों को स्थायी रूप से लाभकारी मूल्य मिलता रहे । इसलिए लहसुन पर आधारित उद्योग और उसके एक्सपोर्ट पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक्सपोर्ट तो खुला हुआ है इसमें दिक्कत नहीं है आप यह करिये काम ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, लहसुन का उपयोग खाने के रूप में और दवाओं के रूप में किया जाता है । कई बार यह देखा जाता है कि लहसुन का दाम बहुत ऊपर उठ जाता है और कई बार बहुत नीचे आ जाता है । जब बहुत नीचे चला जायेगा तो इसकी उत्पादकता पर असर पड़ेगा । काश्तकार इसको बोने में हिचक करेगा तो क्या कोई ऐसी नीति बनायेंगे कि लहसुन की पैदावार हमेशा होती रहे, मसाले के लिए कम न पड़े दवा के लिए कम न पड़े सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी, उसका न्यूनतम मूल्य घोषित किया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मार्केट पर, उत्पादन पर, मौसम पर सारी बातों पर निर्भर करता है । गत वर्ष देखें सात हजार पांच हेक्टेयर भूमि पर लहुसन बोया गया था इस बार घटकर सात हजार आया । इसलिए घटा कि भाव एकदम नीचे आ गये थे उत्पादन गत वर्ष 28160 टन हुआ और इस बार 28000 टन हुआ है । मैं आपकी बात से सहमत हूं । इस समय भाव क्या है आलू का लहसुन का, लहसुन ऐसी स्थिति में कभी नहीं आया कि उसको कभी अच्छा दाम न मिला हो तो इसमें चिन्ता करने की बात नहीं है ।

आलू की उन्नतशील किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

*2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू की उन्नतिशील किस्म के बीज किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उक्त कार्यक्रम से प्रदेश के कौन-कौन से जिले आच्छादित होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्तम कोटि के रोगरहित आधारित आलू बीज का तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में उत्पादन किया जाता है और कृषकों को बिना लाभ-हानि के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है । इस आलू बीज का उत्पादन लागत सामान्य आलू उत्पादन से काफी अधिक होता है । इसलिए किसानों के हित और आलू की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आलू बीज का मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार कम करने पर विचार किया जाता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में जानना चाहा था कि आलू के फाउन्डेशन बीज किसानों को सस्ते मूल्य पर देने के लिए सरकार विचार कर रही है । जब छोटे किसानों को फाउन्डेशन बढ़िया बीज मिलेगा तो उनके उत्पादन के स्तर में गुणात्मक सुधार आयेगा । मंत्री जी ने उत्तर दिया, जी नहीं । उत्तर के तीसरे भाग के अन्तिम पैरा में कहा गया है कि किसानों के हित और आलू की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आलू बीज का मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार कम करने पर विचार किया जाता है । अर्थात् इस प्रश्न के उत्तर के इस भाग से यह बात जाहिर है कि कम करने का निर्णय अधिकारी स्तर पर होता है और उसमें विवेक इस्तेमाल होता है । जहां विवेक इस्तेमाल होता है, वहां छोटे किसान के हित [illegible] हैं और भ्रष्टाचार पद्धति का जन्म मिलता है । प्रश्न पूछने का उद्देश्य यहां था कि समय-समय पर कम मूल्य करने पर जो विचार कर लेते हैं, तो क्या सरकार इस बढ़िया फाउन्डेशन बीज को बिना लाभ-हानि के बेचेगी ताकि यह छोटे किसान तक उपलब्ध हो सके और इसको सब्सीडाइज करके कम मूल्य पर देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक प्रश्नकर्ता की नीयत का प्रश्न है, बहुत ही नेकनीयती से प्रश्न किया है । लेकिन जो मूल प्रश्न है, उसका जवाब दिया गया है । अभी प्रश्न को थोड़ा बदला है । पहले उन्नतिशील बीज की बात थी, अब फाउन्डेशन बीज पर आ गये हैं, दोनों में अन्तर है । मैं बताना चाहता हूं कि फाउन्डेशन बीज केवल सरकारी फार्मों पर ही डेवलप किया जा रहा है और उन्नतिशील बीज किसान अपने खेत में भी विकसित कर लेता है । फाउन्डेशन सीड का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, जैसे हमें आवश्यकता 4 लाख मीट्रिक टन की है और हम केवल 25,500 मीट्रिक टन पैदा कर पा रहे हैं । यह कठिनाई है कि हर एक को फाउन्डेशन सीड नहीं मिलता और किसान अपने साधनों से उसे पूरा करता है । हमारी जो फाउन्डेशन सीड की लागत सरकारी फार्मों पर है, वह बोरी और ट्रांसपोर्टेशन के बाद

10 रुपये किलो आती है और हम उसे 10 रुपये किलो से कम पर बेचते हैं, लागत ज्यादा आती है । जहां तक मूल्य कम करने की बात है, वह नीचे के अधिकारी तय नहीं करते हैं, बल्कि लखनऊ मुख्यालय से ही यह तय होता है कि इतने पर मिलेगा । यह सही है कि बहुत से किसानों को फाउन्डेशन सीड प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसकी उपलब्धता कम है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा, आवश्यकता अधिक है, उत्पादन कम है और समय-समय पर मूल्य कम करने पर लखनऊ के स्तर से तय होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि क्या जो प्रदेश के किसानों के लिए फाउन्डेशन बीज की आवश्यकता है, उतना उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार इसकी कोई कार्ययोजना बना रही है । दूसरा प्रश्न, जब सरकार के पास आवश्यकता से कम है, तब फिर मूल्य कम करने का आधार समय-समय पर क्या होता है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, फाउन्डेशन सीड पर जो हमारा लागत मूल्य आता है, वह आधार रहता है, ज्यादा आयेगा तो बढ़ जायेगा, नहीं आयेगा तो कम हो जायेगा । बाजार भाव 5 रुपये से 10 रुपये किलो तक रहता है । यह बीज हमारा वैसे ही महंगा पड़ता है । उसमें कोई मुनाफा नहीं लेते, लागत मूल्यों के आधार पर ही दाम तय करते हैं । कठिनाई यह है कि उत्पादन बहुत कम हो रहा है और अच्छी वैराइटी का आलू बंटवाना चाहते हैं तो उसकी उत्पादकता कैसे सुनिश्चित करें, यह स्थिति थी । मान्यवर, 1993 तक तो सरकार ने बाहर से लाकर के बीज की उपलब्धता का प्रयास किया है । हमारी कठिनाई यह है कि हमारे किसान ने प्रगति तो की है लेकिन अभी प्रगति उतनी मानसिक रूप से नहीं हुई है कि उन्नतशील बीज को अलग पहचाने । बाहर से जो बीज मंगाया जाता था वह महंगा पड़ता था लेकिन 1993 के बाद में जो भी हमारे क्षेत्र हैं, फार्म हैं उसमें जितना उत्पादन सम्भव है, इस काम को करते हैं और यह जो फाउन्डेशन बीज है यह एफ-1 है, उसके बाद किसान अपने आप विकसित करता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फाउन्डेशन आलू का जो बीज है, यह सारे किसान मांगते हैं, और मंत्री जी भी बता रहे हैं कि नम्बर–1 का बीज है । मान्यवर, इसकी मांग बहुत ज्यादा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर जिले में इस तरह की व्यवस्था करा देंगे कि जो आलू उत्पादक किसान हैं, उन्हें सुगमता से यह बीज मिल सके ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था तो की गयी है । सुगमता से बीज मिल जाए प्रयास तो हमारा यही रहता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उन्नतशील किस्म के बीजों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा हो रही है, प्रश्न प्रहर में । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशों में जो आलू उत्पादन होता है, उस आलू का साइज भी बहुत बड़ा होता है और दूसरे देशों में उत्तर प्रदेश या हिन्दुस्तान का जो आलू जाता है उसको घटिया माना जाता है । इसमें जो स्टार्च की मात्रा है वह हिन्दुस्तान के आलू में ज्यादा होती है इस कारण उसका निर्यात कम हो पाता है । क्वालिटी को डेवलप

बनाने और स्टार्च की मात्रा को कम करने के लिए क्या ऐसे बीज का उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय जो हमारे यहां सबसे अच्छी किस्म है आलू की, वह है कुफरी बहार, इस आलू को 60 प्रतिशत किसान बोते हैं, दूसरे नम्बर पर कुफरी बादशाह है । यह दोनों वैराइटी खाने के काम आती हैं । जब हम बाहर से तुलना करते हैं, बाहर के आलू और हमारे यहां के आलू के साइज और उसमें स्टार्च की मात्रा में अन्तर होता है और यह अन्तर क्लाइमेट में अन्तर के कारण होता है । हमारे यहां इसके लिए बहुत कम समय मिलता है । कुफरी बहार की बात जो हम कर रहे हैं यदि हिमांचल से उसे मंगा लें तो उसमें भी अन्तर होगा, यदि कुफरी से मंगायेंगे उसमें भी अन्तर मिलेगा क्योंकि वहां उसे ठण्ड मिलती है, उसे विकसित होने के लिए समय मिल जाता है । हमारे यहां मौसम इतनी जल्दी बदलता है और गर्मी में उसका बढ़ना बन्द हो जाता है । यह जो अन्तर है यह ज्यादा क्लाइमेट के कारण है । दूसरा यह चिप्स सोना नम्बर–1 और नम्बर–2 है, यह चिप्स बनाने के लिए आता है, वैंराइटी बहुत अच्छी है लेकिन मौसम की वजह से जो हमारी लिमिटेशन्स हैं, उसकी यहां ज्यादा गुंजाइश है नहीं । लेकिन कुफरी का मुकाबला तो है नहीं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि जैसे-जैसे जो लागत आती है उसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करते हैं । इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष इसके उत्पादन की लागत बढ़ रही है । ...

और लिखित उत्तर में कहा है कि आलू बीज का मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार कम करने पर विचार किया जाता है । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि बिना लाभ हानि के बीज दिया जाता है तो फिर उसका मूल्य किस आधार पर कम करने पर विचार किया जाता है ? अध्यक्ष जी, मेरी इस जिज्ञासा को शान्त करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आलू के बीज पर 670 रुपये प्रति कुन्तल खर्च आता है और आलू का दाम 10 रुपये किलो या 1000 रुपये प्रति क्विंटल है, इसमें कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग का भी खर्च शामिल है । इस प्रकार एक पैसा लाभ नहीं लिया जा रहा है । किसी वर्ष जब उत्पादन मूल्य या कोल्ड स्टोरेज के किराये में अन्तर आता है, कमी होती है तो इस आधार पर कीमत कम या ज्यादा करते हैं । मान्यवर, एक बात मैं ठीक करना चाहता हूं बीज की मात्रा मैंने 4 लाख क्विंटल बतायी थी जबकि 12 लाख क्विंटल है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि मूल्य कम करने पर किस आधार पर विचार किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने जो उन्नतिशील बीजों का दाम निर्धारित किया गया था उस दर पर किसानों ने इनका आलू नहीं खरीदा और गोदामों में पड़ा रह गया बाद में उस आलू को काफी कम कीमत करके बेचने की कोशिश की गयी परन्तु तब तक आलू बोने का सीजन बीत चुका था । मान्यवर, ऐसी नौबत न आये कि आलू बोने के लिए कोई उठाये नहीं और वह गोदाम में पड़ा रह जाये प्रदेश का उत्पादन भी प्रभावित हो, किसान इससे वंचित न रह जायं और उन्नतिशील आलू के बीज सड़ न जायं । इसलिए क्या पहले से यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे या आलू पर कुछ सब्सिडी देकर जहां डब्लू० टी० ओ० के तहत ग्लोबलाईजेशन कर रहे हैं पूरे विश्व का सामान अपने देश में आ रहा है और हमारे देश का सामान पूरी दुनिया में जा रहा है और दुनिया में 70 फीसदी सब्सिडी तक दी जा रही है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार 10–20 प्रतिशत सब्सिडी देकर यहां के किसानों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने का काम करेगी ?

दूसरा सवाल यह है कि जहां फारेन के आलू में स्टार्च और प्रोटीन ज्यादा है, वहां पर इस तरह के खोज हुए हैं और हो रहे हैं, जीन्स के द्वारा डी० एन० ए० पर हो रहे हैं और इस तरह के बीज इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं । विशेष रूप से बीमारी को समाप्त करने के लिए, अच्छी खूबी के बीज इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं । दुनिया के देशों में इस तरह के शोध हो रहे हैं । क्या आपके वैज्ञानिक इस तरह के बीज इन्ट्रोड्यूस करें और अच्छी सब्जियों का उत्पादन हो और अच्छी क्वालिटी मेनटेन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शोध कराकर इस तरह का बीज देने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न दूसरी बात से सम्बन्धित है, माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

पहली बात अनुदान के विषय में कही है, अनुदान तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं अपने स्रोत से देती है पिछले वर्ष दिया था भले ही आलू सड़ने लगा परन्तु मार्केटिंग करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी गयी । अनुदान से सरकार पीछे नहीं हटी है । हमने आलू उत्पादकों की हमेशा सहायता की है ।

बीज के बारे में कहा कि सड़ गया हमने पहले ही चिन्ता व्यक्त किया कि मानसिकता की बात है, हमारे यहां लोग खाने के आलू और बीज में कोई अन्तर नहीं समझ रहे हैं जब दोनों में अन्तर नहीं समझेंगे तो उत्पादन की गुणवत्ता भी नहीं बढ़ेगी । दूसरी बात आपने कही जैनेटिक की तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने की यह बात नहीं है । आज वैज्ञानिकों ने पुनर्विचार करना शुरू कर दिया कि जो जेनेटिक्स में हस्तक्षेप किया जा रहा है उससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है । इंजेक्शन लगा कर 3 मीटर की लौकी ले लीजिये तो उसकी गुणवत्ता कहां रहेगी । गोलियां देकर इंजेक्शन लगाकर गाय से 10 की जगह 40 लीटर दूध ले लें तो दूध में गुणवत्ता कहां रहेगी । इसलिये जिनेटिक्स में छेड़छाड़ के बहुत ज्यादा हम पक्ष में नहीं हैं । जो प्राकृतिक बीज है उसमें बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ।

लखनऊ जनपद की जनसंख्या को देखते हुए लखनऊ देहात को जिला बनाये जाने की मांग

*3—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार जनपद लखनऊ में अनवरत रूप से बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए दूसरा जिला, लखनऊ देहात बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि जनपद सृजन के लिए निर्धारित मानक पूर्ण नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर बहुत लम्बा है इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्रामों के विवादित क्षेत्रों की चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग

*4—श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी क्रियाओं में पारदर्शिता बनाये रखने व किसानों को सुलभ न्याय दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? क्या बीहड़ एवं चकबन्दी के अयोग्य क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं में शामिल करने हेतु जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली संस्तुतियों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम धमना एवं ग्राम तिरही बीहड़ एवं विवादित क्षेत्रों की चकबन्दी क्रियायें निरस्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी जालौन से धारा 6(1) चकबन्दी अधिनियम के प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त द्वारा मांगे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों के प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने के बाद चकबन्दी क्रियायें निरस्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चकबन्दी क्रियाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 में जो प्राविधान किये गये हैं उनके अनुसार प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में सम्बन्धित अभिलेखों के उद्धरण सम्बन्धित काश्तकारों को उपलब्ध करा दिये जाते हैं । किसानों को सुलभ न्याय दिलाने हेतु चकबन्दी योजना के अन्तर्गत न्यायिक अदालतें ग्राम, कस्बा तथा तहसील स्तर पर स्थापित की जाती हैं जिससे कृषकों को अपने भूमि सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमों को निर्णीत कराने हेतु सुदूर स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है । उनके अधिकांश मुकदमें अपेक्षाकृत कम समय में समझौते आदि द्वारा निस्तारित करा दिये जाते हैं शेष विवादित मुकदमों को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा गुण-दोष के आधार पर ग्राम स्तर, कस्बा स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर निर्णीत किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

बीहड़ एवं चकबन्दी के अयोग्य क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं में शामिल करने हेतु जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली संस्तुतियों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाता है । आवश्यकतानुसार क्षेत्र निरीक्षण भी किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

जनपद जालौन के तहसील कालपी के ग्राम धमना एवं तिरही की चकबन्दी क्रियाओं को निरस्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, जालौन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परिणामस्वरूप इन ग्रामों को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार कब्जा परिवर्तन होने के उपरान्त एवं धारा–27 के अन्तर्गत अन्तिम अभिलेखों की तैयारी के बाद धारा–6(1) का प्रकाशन नहीं किया जा सकता । ग्राम तिरही में कब्जा परिवर्तन के उपरान्त धारा–27 के अन्तर्गत अन्तिम अभिलेखों की तैयारी करायी जा चुकी है साथ ही ग्राम तिरही का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है । ग्राम धमना में अभी केवल धारा–4(2) का प्रकाशन दिनांक 20-3-1996 को हुआ है और धारा–6(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, जालौन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है "क्या बीहड़ एवं चकबन्दी के अयोग्य क्षेत्र चकबन्दी प्रक्रियाओं में शामिल करने हेतु जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली संस्तुतियों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण किया जाता है । उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि बीहड़ एवं चकबन्दी के अयोग्य क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं में शामिल करने हेतु जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संस्तुतियों पर उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाता है । आवश्यकतानुसार देय निरीक्षण भी किया जाता है ।" मान्यवर, आज स्थिति यह है कि बहुत सारे जिलों में जो बीहड़ और नदी के किनारे के कटाव वाले क्षेत्र हैं और जलमग्न क्षेत्र होते हैं जबरदस्ती उनकी चकबन्दी की जा रही है । मान्यवर, जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम धमना और ग्राम तिरही की चकबंदी क्रियाओं को निरस्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी, जालौन से धारा–6(1) चकबंदी आयुक्त द्वारा प्रस्ताव मांगे गये हैं । इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है "जी हां" तो मैं जानना चाहता हूं कि बार-बार चकबंदी आयुक्त द्वारा मांगे गये प्रस्ताव को न भेजने का कारण क्या है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ, के शासनादेश संख्या 11110/जी०–152-70, दिनांक 7 दिसम्बर, 1987 तथा विज्ञप्ति 11542/जी०–70, दिनांक 20 दिसबर, 1987 द्वारा जिला जालौन की तहसील कालपी के क्रमशः व ग्राम तिरही व कानाकौड़ी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा–52(1) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को वापस किया जाता है । मान्यवर, यह सूचना उत्तर प्रदेश के 29 अगस्त, दिनांक 1998 के गजट में पृष्ठ संख्या 3236 पर प्रकाशित की गयी है । तो जब चकबंदी कार्यालय द्वारा ही अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है तो उन गांवों में चकबंदी कराये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यह बात सही है कि वहां पर बहुत पुराने समय से चकबंदी चल रही है । वहां पर धारा–4 की विज्ञप्ति 18/6/79 को हुई थी और धारा–52(1) की विज्ञप्ति 7-12-87 को हुई थी । उस गांव में दो पक्षों में पार्टी बाजी हो रही है । एक पक्ष चाहता है कि चकबंदी हो और दूसरा पक्ष चाहता है कि चकबन्दी न हो । विवाद होने पर चकबन्दी आयुक्त ने धारा–52 को वापस करने के लिए 2-6-88 को

अधिसूचना वापस लेने के आदेश कर दिया । इसके खिलाफ एक पक्ष उच्च न्यायालय में गया और रिट सं० 14577/88 प्रेम सिंह बनाम स्टेट में इसको स्टे कर दिया । 31-10-95 को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट में पारित आदेश दिनांक 31-10-95 को रिकाल कर लिया । इसके बाद 29-8-98 को धारा–52(1) के वापसी संबंधी नोटीफिकेशन दिनांक 2-6-88 के गजट में प्रकाशित हुआ । दिनांक 24-9-98 को माननीय उच्च न्यायालय में रिट अनोख लाल बनाम स्टेट आफ यू० पी० आदि दायर हुई । एक अंतरिम आदेश दिनांक 24-9-98 द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को कंसालिडेट कर दिया गया और आदेश दिया गया कि–इन द मीनटाइम एनी एक्शन टेकन इन परशुएन्स आफ नोटिफिकेशन डेटेड 2-6-1988 पब्लिशिड इन गजट आन 29-8-1998 एनैक्सर–1 टू द रिट पिटीशन शैल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन आफ दिस रिट पिटीशन ।

मान्यवर, दोनों रिट आज भी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग हैं । फिर भी जिलाधिकारी से पुनः प्रस्ताव मांगा गया है । जब तक हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल हैं पी० आर० मौर्य उन्होंने कंसीलिडेशन कमिश्नर को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन कम्प्लायन्स आफ द आर्डर डेटेड 26-9-1995 दिस इन व्यू आफ द अफोरसेड फैक्ट्स एण्ड सरकम्सटेन्सेस इन माई औपिनियन्स नाऊ यू आर फ्री टू प्रोसीड विथ फ्रेस कन्सालिडेशन आपरेशन इन द एफोरसेड विलेज ।

सरकारी वकील चकबन्दी आयुक्त को सजेशन दे रहे हैं कि चकबन्दी क्रियाओं को निरस्त करें, तो हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जहां पर बीहड़ क्षेत्र हैं, नदी नाले के किनारे की कटाव वाली जमीन है और जहां पर आज भी किसान अपनी जमीन को जोत रहे हैं वहां मौजा धमना और तिरही में चकबंदी को वापस लेकर नये सिरे से चकबंदी करायी जाय ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इस संबंध में आयुक्त झांसी मण्डल और जिलाधिकारी, जालौन को मौके पर पुलिस फोर्स के साथ जाकर कार्यवाही करने को कहा गया है । वहां पर भूमाफियाओं ने 100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है । पुलिस की मदद से जो भूमाफियाओं ने गरीबों, दलितों की जमीन पर कब्जा कर रखे हैं उनको छुड़ाया जायगा । इसके लिये कल हमने आदेश कर दिया ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, चकबंदी नये सिरे से कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष–

उच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्तिम निर्णय हाईकोर्ट के अधीन होगा "रिट पेटीशन शेल बी सब्जेक्ट टु द डिसीजन आफ दिस रिट पेटीशन" की बात कही है । उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें कहीं स्थगन आदेश की बात नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, तिरही और धमना में मौके पर अधिकारी जाकर देखेंगे और जो भूमाफिया हैं, उनसे गरीबों की जमीन छुड़ायी जायगी ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, देवकली देवाराख लोना में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है । वहां जो बीहड़ की जमीन है जो बड़े-बड़े काश्तकारों की है उसकी अधिक कीमत लगाकर सी० ओ० और ए० सी० ओ० नाप रहे हैं और जो छोटे काश्तकार हैं उनकी जमीन अच्छी है जिसकी कीमत कम लगायी जा रही है और उसको बीहड़ में दिखाया जा रहा है । बड़े काश्तकारों को छोटे काश्तकारों की जमीन बांट रहे हैं । बड़े काश्तकारों की खराब जमीन की मालियत ज्यादा लगा देते हैं और छोटे काश्तकारों की अच्छी जमीन बड़े काश्तकारों को दे देते हैं । किसानों की राय नहीं ली जा रही है । क्या जिन गांवों का मैंने उल्लेख किया है वहां पुनः नये सिरे से किसानों की परेशानी सुनकर चकबन्दी नये सिरे से करने के बारे में विचार करेंगे ? एक-एक सेक्टर में लोगों के चार-चार चक हैं जबकि एक जगह होना चाहिए । लोना देवकली देवारा की चकबंदी के बारे में जो मैंने अनुरोध किया उस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करवा लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

आप लिखकर दे दें हम परीक्षण करवा लेंगे । छोटे किसानों की बात की गई मैंने पूर्व में कहा कि दलितों व गरीब लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है । भूमाफियाओं को कब्जा नहीं करने देंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पारदर्शिता और किसानों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए क्या इस तरह का इंतजाम करेंगे कि जहां चकबंदी करना शुरू हो और धारा 52 का प्रकाशन इसके बीच में एक निश्चित समय सीमा कर दें ? तमाम जगहें ऐसी हैं जहां चकबन्दी करना शुरू हुआ और 20 साल हो गये 25 साल हो गये वहां धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो पाया जिसके तहत वह रिकार्ड न तहसील में पहुंच पाए व किसान घूम रहे हैं मैं जानना चाहता हूं क्या एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करेंगे कि चकबन्दी करना शुरू हो और धारा 52 का प्रकाशन इसके बीच एक समय सीमा निश्चित हो उस सीमा के अन्दर हो जाए ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यह बात सही है कि चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हुई और 20-20, 25-25 साल हो गये लेकिन यह 50 वर्षों की सड़ी गली व्यवस्था है । आज प्रश्न करने वाले भी कभी सत्ता में रहे हैं । हमने प्रयास किया है पहले 10 साल पुराने गांव ले रहे हैं ऐसे गांव 1600-1700 के करीब रह गये हैं जो 10 साल पुराने गांव हैं लेकिन कहीं-कहीं उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश हैं । यह पुरानी व्यवस्था है इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा । पहले हम 10 साल वाले गांव लेंगे फिर 5 साल वाले गांव लेने का प्रयास करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

स्थगन आदेश न मिल सके इसके लिए एक्ट बनाने का अधिकार मंत्री जी के माध्यम से सदन को है क्या कानून में इस तरह का परिवर्तन करके इसकी व्यवस्था करेंगे जिससे स्थगन आदेश न मिल सके न कहीं विलम्ब हो सके ? मंत्री जी की जो मंशा है 10 साल या पांच साल की इसके लिए कानूनी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हर व्यक्ति जा सकता है और उसको स्थगन देने का अधिकार है इसमें प्रदेश के कानून द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है वह तो आपके क्षेत्र से बाहर है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने अपने प्रश्न द्वारा काश्तकारों की पीड़ा उजागर की जब चकबन्दी शुरू होती है तो धारा 4 का प्रकाशन होता और जब चकबन्दी समाप्त हो तो धारा 52 का प्रकाशन होता है एक बन्दोबस्त और दूसरे बन्दोबस्त के बीच का अन्तराल 40 वर्ष हो जाए या चकबन्दी कार्य शुरू हो जाए और 25 वर्ष तक धारा 52 का प्रकाशन न हो पाए इसलिए ऐसी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी । मेरा प्रश्न यह है कि आज जो रेगुलर सूट होते हैं उसके बाद कमिश्नर फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तो मान्यवर, जो चकबन्दी प्रक्रिया के बाद एबेट होता जो एबेटमेंट की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जायगा जिससे पक्षकारी का हित हो ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

फिलहाल वर्तमान नियमों में सम्भव नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं है ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, 20-20 साल से जो चकबन्दी पड़ी है भिण्डारी सिवहॉ गांवों में खेती नहीं हो पा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है यदि कहीं जहां पर माननीय सदस्य ने बताया है लिखकर दे दें मैं दिखवा लूंगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं हमारे आजमगढ़ जिले में जो गांव ऐसे हैं 12 साल से पड़े हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जिलेवार प्रश्न करना चाहते हैं तो लिखकर दे दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसे भी गांव पड़े हैं जहां पर चकबन्दी विभाग द्वारा लिखकर दे दिया गया है धारा 52 का प्रकाशन हो गया है लेकिन वहां कब्जा परिवर्तन भी नहीं हुआ है जिससे पक्षकारों के सामने समस्या उत्पन हो गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई अभियान चलाकर धारा–52 की फर्जी रिपोर्ट जो शासन को अधिकारी ने दी है उसकी जांच करायेगी वहां पर कार्य अधूरा पड़ा है तो क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

किसी गांव विशेष के बारे में कोई शिकायत हो तो लिखकर दे दें ।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, छोटी जोतों को बूढ़ा बनाकर कि पैदावार अच्छी हो चकबन्दी 1965 से पहले की गयी थी। उसके बाद फिर प्लाट बनाकर उनकी बिक्री भी कर दी गयी और फिर चकबन्दी अभियान समाप्त हो गया। मेरा कहना है कि जो पहले की चकबन्दी है वहां पर पुनः चकबन्दी करने का विचार करेंगे ?

प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सरकारी योजना के सम्बन्ध में जानकारी

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ने सूखे से निपटने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूखे की स्थिति से निपटने हेतु जनपद स्तर पर सूखा राहत कार्य योजना तैयार की जाती है जिसका प्रारूप निम्नवत् है :–

1–मजदूरों/किसानों के जीवन यापन हेतु टेस्ट वर्क चलाया जाना।

2–भुखमरी से बचाने हेतु अन्नपूर्णा योजना एवं निराश्रित, असहाय योजना के अन्तर्गत जनपदों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

3–शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन, रिबोर एवं मरम्मत कराना।

4–तालाबों, पोखरों को पानी से लवरेज करना।

5–जिन ट्यूबवेलों का जलस्तर नहीं गिरता हैं, उन्हें चिन्हित कराकर आवश्यकतानुसार प्रयोग कराना।

6–टैंकरों से जलापूर्ति करना।

7–पांच सालों के अन्दर हुए प्लान्टेशन वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष वन क्षेत्र में पशुओं को चराने की स्वतंत्रता।

8–पशुओं हेतु भूसे/चारे की व्यवस्था।

9–मानव एवं पशु बीमारी संबंधी दवाओं का भण्डारण एवं उपचार।

10–पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल के आरक्षण एवं वितरण की व्यवस्था।

11–दूषित खाद्य पदार्थों, कटे-फटे, सड़े-गले फलों को नष्ट करना।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कुछ हिस्से सूखे की चपेट में हैं जिस कारण प्रदेश के कुछ जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। प्रदेश में सूखाग्रस्त कौन-कौन से जिलों को घोषित किया गया है। उन सूखाग्रस्त जिलों को, पेयजल संकट से निपटने के लिये कितनी सहायता निर्गत की गई है ? क्या बुलन्दशहर जनपद उसमें है ?

टिप्पणी :–यह प्रश्न नत्थी 'ग' के प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त लिया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जहां 50 प्रतिशत फसलों का नुकसान हो जाता है उनको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है । बुन्देलखण्ड, झांसी मण्डल चित्रकूट मण्डल बांदा हमीरपुर आदि क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है । 10 करोड़ नगरीय क्षेत्रों को और 5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों को इस हेतु दिया गया है पांच करोड़ रुपया अलग से दिया गया है जहां नलकूप आदि की जरुरत है उसके लिये यह दिया गया है । जिला स्तर पर योजनायें बनती हैं उसमें यह गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आपने बताया कि मानक है कि 50 प्रतिशत फसल जिनकी नष्ट हो गयी है, कार्य योजना में यह नहीं बताया कि किसानों के लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है । सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को रुपया जा रहा है । जिसमें बुलन्दशहर नहीं है इसमें भी 50 प्रतिशत फसल नष्ट हुई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी हुई उसमें निर्णय हुआ उसमें 20 जिले सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं पेयजल के संबंध में जहां नलकूप ठीक होने हैं नल ठीक होने हैं वह हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

शासनादेश में सूखा राहत के बारे में लिखा है मेरठ जिलाधिकारी ने लिखा है क्या मेरठ जिले को इसमें शामिल करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

बुलन्दशहर सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ है लेकिन पेयजल की जहां कमी है 20 जिले हैं मुख्य मंत्री जी के आदेश से डी० एम० की रिपोर्ट आई है सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं पेयजल की समस्या से निपटने के लिये नलकूप और हैण्डपंम्प के लिये 20 जिलों को चुना है । जो आगरा मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, कौशाम्बी, सोनभद्र, चन्दौली, बाराबंकी, इटावा, औरैया आदि हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

पेयजल के बारे में मेरठ के जिलाधिकारी का फैक्स आया है । जिस प्रकार अन्य जनपदों के जिला मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है उसी प्रकार मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर एक करोड़ रुपया देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, हम इसका परीक्षण करा लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद में करछना, बारा और मेजा तथा कुराव तहसील सूखे से ग्रसित है तो क्या पूरे प्रदेश में व्यवस्था करायेंगे ? एक-एक करोड़ रुपया जिलों को दे रहे हैं उसमें विधायकों की संस्तुति पर पैसा दिया जाय यह करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । जिला अधिकारियों को सौंपा गया है । वही कार्य करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है । वैसे हम दिखवा लेंगे ।

जिला पंचायत के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कर्मचारियों की रिवालविंग फण्ड की नियमावली बनाने की मांग

*6–श्री संदीप अग्रवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जिला पंचायत के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ देने हेतु स्थापित रिवालविंग फंड की नियमावली अभी तक प्रख्यापित न होने के कारण इस संवर्ग के कर्मियों को विगत दो वर्षों से पेंशन आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त रिवालविंग फंड की नियमावली तत्काल प्रख्यापित कराकर जिला पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग की पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ दिया जाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

वर्तमान नियमों के अनुसार जिला पंचायतों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान का दायित्व संबंधित जिला पंचायत का ही है । रिवालविंग फण्ड के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन विचाराधीन है । नियमावली के प्रख्यापित हो जाने के उपरान्त केवल केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कार्मिकों के सेवानैवृत्ति लाभों का भुगतान इस फण्ड से किया जा सकेगा ।

रिवालविंग फण्ड की नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल में उद्योग धन्धों के विकास हेतु योजना बनाने की मांग

*7–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद का ग्रामीण अंचल उद्योग शून्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल में उद्योग धन्धों के विकास में क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी नहीं ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल में वर्ष 1999-2000 में 1456 इकाईयां स्थापित की गई तथा 2000-2001 में 183 इकाईयां स्थापित हो चुकी है ।

जनपद फिरोजाबाद का 80 प्रतिशत भाग ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से आच्छादित है, अतः मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदूषणकारी ईंधन पर लगने वाली इकाईयों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है तथा नई औद्योगिक नीति के तहत अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर ही बल दिया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है कि 1456 और 183 इकाइयां ग्रामीण अंचल में स्थापित की गई हैं, क्या आप बतायेंगे कि यह किस प्रकार की इकाईयां हैं ? इससे किस प्रकार का काम हो रहा है ? सेवारत हैं या बन्द पड़ी हैं ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि यू० पी० एस० आई० डी० सी० के 700 एकड़ के प्लाट खाली पड़े हुए हैं, टूण्डला में मिनी इण्डस्ट्रियल इस्टेट खाली पड़ा है । आज तक उस क्षेत्र में इनका आवंटन नहीं हुआ । आपने इतनी इण्डस्ट्री स्थापित कर दीं लेकिन सरकार ने सस्ते दाम पर यह प्लाट जो उद्योग लगाने के लिये, लिये थे उनका आज तक आवंटन क्यों नहीं किया गया ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य ने जो कहा है कि यह इकाइयां काम कर रही हैं कि नहीं । मैं बता दूं कि यह सब इकाइयां काम कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगी हैं और यदि आपको विवरण चाहिये तो वह मैं आपको दे दूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो जमीन यू० पी० एस० आई० डी० सी० ने ली थी उसका आवंटन क्यों नहीं हुआ ? मैं तो फायदे की बात कर रहा था । मान्यवर, इतनी बड़ी-बड़ी भूमि उद्योग के लिये ले रखी है लेकिन आज तक वह किसी उद्योग के लिये नहीं दी, न वह किसी ने मांगी । कारण यह है कि आपका कहना है कि वह एरिया ताज ट्रेपेजियम सीमा में आता है । मेरा कहना है कि वह ताज ट्रेपेजियम सीमा में नहीं आता है । जो उद्योग धुंआधार हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं, चिमनी खड़ी हैं, आज तक नहीं जली, विभाग के अधिकारी कोयला लाकर डकार रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी आप अपने स्तर से जांच करायें और इसमें कार्यवाही करेंगे ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं इसकी जांच करा लूंगा । आप कहेंगे तो अधिकारियों के साथ आपको भी वहां पर ले चलूंगा । दूसरा प्रश्न यह है कि जमीन ली है उद्योग क्यों नहीं लगाये गये ? मान्यवर, जहां उद्यमी को सुविधा मिलेगी वह वहीं पर उद्योग लगायेगा ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले ऐसे हैं जो उद्योग शून्य हैं ? क्या वहां उद्योग लगाने के लिये प्रस्ताव है माननीय मंत्री जी के पास ।

श्री अध्यक्ष–

बता सकेंगे कि कितने जिले ऐसे हैं जो उद्योग शून्य हैं ।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

मूल्य प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन्, नत्थी–ग के प्रश्न संख्या–5 में मेरी रुचि है । यह राजस्व विभाग से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता नहीं है लेकिन नत्थी ग प्रश्न संख्या–5 में बाजपेयी जी की रुचि है इसको ले लेते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

रामजग जी नहीं आए हैं, मेरी जिज्ञासा है । यह प्रश्न ले लें ।

नोट :– नत्थी ग के ता० प्रश्न संख्या–7 के पश्चात ता० प्र० सं०–5 लिये जाने के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ तथा संबंधित प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार छपा है ।

अतारांकित प्रश्न

यमुना नदी से भू–कटान की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही की जानकारी

1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जमुना नदी में भू-कटाव के गति प्रदेश की सभी नदियों के औसत भू-कटाव से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो प्रदेश में जमुना नदी के इस भू-कटाव के क्षेत्र में

खेती योग्य भूमि को भू-कटाव से बचाने हेतु कौन-कौन योजनायें आरम्भ की गयी है और कितने क्षेत्रफल को भू-कटाव से बचाने में सफलता प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश में यमुना नदी के भू-कटाव के क्षेत्र में खेती योग्य भूमि को भू-कटाव से बचाने हेतु निम्न विवरणानुसार योजनायें संचालित कर लगभग 8.45 लाख हे० क्षेत्र उपचारित किया गया है :–

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना अवधि	उपचारित क्षेत्र हे० में
1	2	3	4
1	ई० ई० सी० सहायतित बीहड़ सुधार योजना	88-89 से 92-93 तक	58640
2	केन्द्र पुरोनिधानित दस्यु प्रभावित जनपदों में बीहड़ सुधार योजना	88-89 से 92-93 तक	25886
3	नाबार्ड सहायतित आर० आई० डी० एफ०–2 के अन्तर्गत एकीकृत जल समेत क्षेत्र विकास परियोजना	96-97 से 98-99 तक	40356
4	आर० आई० डी० एफ०–4 के अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित एकीकृत जल समेट क्षेत्र विकास परियोजना, बुन्देलखण्ड	98-99 से अभी तक	57507
5	राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम	90-91 से अभी तक	136704
6	ई० सी० सहायतित बीहड़ स्थिरीकरण परियोजना	2000-2001 से प्रारम्भ	—
7	जलागम विकास निधि (नाबार्ड) जल समेट सुधार कार्यक्रम	2000-2001 से प्रारम्भ	—
8	सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	73-74 से अभी तक	250338
9	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	96-97 से अभी तक	18986
10	डी० आर० डी० ए० द्वारा पोषित रोजगार परक दस लाख कूप, जवाहर रोजगार,सुनिश्चित रोजगार आदि योजनायें	91-92 से अभी तक	257372
	योग–		845789

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त श्री माखन लाल सहायक विकास अधिकारी फैजाबाद को पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देयकों के भुगतान की मांग

2–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री माखन लाल, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकास खण्ड–मवई, जिला–फैजाबाद दिनांक 31 जनवरी 1990 में 1200–2040 के वेतनमान में सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उक्त वेतनमान फरवरी, 1992 में 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित कर

1350-2200 कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) को उक्त वेतनमान का लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । वेतनमान में अनुमन्य लाभ दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में जिला स्टेडियम के निर्माण की जानकारी

3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद में जिला स्टेडियम निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कराकर खिलाड़ियों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां ।

बजट के उपलब्ध होने के पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उसे खिलाड़ियों को उनके क्रीड़ा उपयोगार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

जनपद बस्ती के ग्राम सभा रिधौरा में कराये गये कार्यों की जांच की मांग

4–श्री सीताराम निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रिधौरा क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर जनपद बस्ती को वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के मध्य किन-किन मदों से आवंटित धनराशि कितनी-कितनी किस परियोजना हेतु दी गयी है तथा क्या-क्या कार्य सम्पादित कराये गये हैं ? क्या कार्य सम्पादन की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड में जिला पंचायत विभाग द्वारा कराये गये नालीकरण एवं मिट्टी के कार्यों की जांच की मांग

5–श्री श्याम सुन्दर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरिका वार्ड बल्देव बिहार तेलीबाग, लखनऊ में उ० प्र० जिला पंचायत विभाग द्वारा नालीकरण एवं मिट्टी का कार्य मानक के अनुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव पंचायती राज तथा मुख्य मंत्री को सम्बोधित बल्देव बिहार तेलीबाग के निवासियों का दिनांक 27-7-2000 का शिकायती-पत्र एवं लोक शिकायत का पत्र सं०–2005/लोक शि०–2/2001, दिनांक 12-2-2001 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार खरिका वार्ड बल्देव बिहार, तेलीबाग, लखनऊ में जिला पंचायत, लखनऊ द्वारा नालीकरण का कार्य कराया गया

है, जो मानक तथा खड़ण्जा के लेबिल को देखते हुए भविष्य में किये जाने वाले निर्माण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम पिपरा में चौथी प्रसाद एवं राजेन्द्र प्रसाद को आबंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

6–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पिपरा, तहसील सहजनवां, जनपद–गोरखपुर की भूमि गाटा सं०–23/3 में रकबा 05–05 जो भारतीय शस्त्र सेना में कार्यरत चौथी प्रसाद व राजेन्द्र प्रसाद को आवंटित है उक्त भूमि पर आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा० मंत्री रेशम एवं वस्त्रोद्योग का पत्र दिनांक 31-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संयुक्त कृषि निदेशक प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो लखनऊ के अधीन चतुर्थ श्रेणी दैनिक श्रमिक कर्मचारियों में से वरिष्ठतम कर्मचारियों को सेवा में रखने की मांग

7–श्री श्याम किशोर यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री भीम प्रसाद सोनकर सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–58 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चतुर्थ श्रेणी दैनिक श्रमिकों की पारस्परिक सूची के क्रमांक–50 से 66 तक अंकित कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखते हुए ब्यूरो अनुभाग में कार्यरत वरिष्ठतम को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान की कार्यवाही

8–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-11-98 जो नवसृजित तहसील शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में कराये गये कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में था और जो उनके पत्रांक बी/858 दिनांक 26-11-98 द्वारा जिलाधिकारी बुलन्दशहर को भेजा गया था, उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरकार द्वारा नवसृजित जिलों एवं तहसीलों के लिये भवन निर्माण

9–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में नये जिलों एवं तहसीलों के सृजन की घोषणायें की गयी थी ? क्या नवसृजित समस्त जिलों व तहसीलों के लिये भवन निर्माण करा दिये गये

हैं ? यदि नहीं, तो उक्त जिलों व तहसीलों के भवनों का निर्माण कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के ग्राम मोतीपुर इड़ाहवा में घाटे में चल रहे सरकारी कृषि फार्म को लीज पर देने की मांग

10–श्री बिन्दु लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम मोतीपुर इड़ाहवा में सरकारी कृषि फार्म पिछले पांच वर्षों से घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त फार्म को लीज पर देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत फार्म सहित कतिपय कृषि प्रक्षेत्रों की उपयोगिता के प्रकरण पर माननीय मंत्रिपरिषद् की उप समिति विचार कर रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर के ग्राम सलेमपुर में पशु चिकित्सालय के निर्माण की मांग

11–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर के ग्राम–सलेमपुर में जिला योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव दो बार शासन को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां ।

नवीन पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु विगत दो वर्षों से कोई बजट व्यवस्था न होने के कारण कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था न होने तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 में केवल अधूरे निर्माण के लिये ही बजट व्यवस्था उपलब्ध थी ।

जनपद हाथरस के ग्राम सभा नगला बिहारी ग्राम पंचायत गठित कराने की मांग

12–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद–हाथरस के ब्लाक सहायक की ग्राम सभा नगला बिहारी का सीमांकन गलत करके ग्राम नगला मौजी से जोड़ दिया गया था ? क्या यह सच है कि ग्राम सभा मौजी खास की अपेक्षा ग्राम नगला बिहारी की जनसंख्या अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः नगला मौजी के स्थान पर नगला बिहारी के नाम सही गांव पंचायत गठित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील हरैया के ग्राम परवरपारा में मानचित्र के अनुसार भूखण्डों का पैमाईश कराकर सीमांकन कराने की मांग

13–श्री सीता राम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–110 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बन्दोबस्त सन् 1323 के ग्राम मानचित्र ग्राम परवरपारा त० हरैया के अनुरूप ही चकबन्दी का बन्दोबस्ती ग्राम मानचित्र बना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 23-12-1999 को तहसीलदार, नायब तहसीलदार हरैया लेखपाल पुलिस बल के साथ जाकर ग्राम परवरपारा के कई एक भूखण्डों की पैमाईश करवाये हैं ? क्या पैमाईश करवाये गये खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से पृथक पाये गये ? यदि हां, तो क्या मानचित्र के अनुसार पैमाईश कराकर भूखण्डों का सीमांकन सही किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति यदि भू-राजस्व अधिनियम की धारा–41 के अन्तर्गत कोई वाद सक्षम न्यायालय में योजित करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा के ग्राम फतपुरवा में ग्राम समाज की भूमि व सार्वजनिक रास्ते के अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

14–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-9-2000 जो जिलाधिकारी बांदा को सम्बोधित था और जो तहसील सदर थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम फतपुरवा में ग्राम समाज की भूमि व सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर अनु० जा० बस्ती का रास्ता बन्द करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर ग्राम समाज की भूमि व रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

मा० विधायक श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद जी के पत्र दिनांक 29-9-2000 के सम्बन्ध में जांच कराई गई । स्थानीय निरीक्षण एवं ग्रामवासियों से पूछतांछ के पश्चात् ग्राम समाज एवं सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अनु०जाति की बस्ती का रास्ता बन्द होने का कोई प्रकरण नहीं प्राया गया ।

लागू नहीं होता है ।

जनपद उन्नाव में सरकार द्वारा महुआ समुदाय के प्रार्थियों को मकान निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध जानकारी

15–श्री राम कुमार एडवोकेट–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–145 के उत्तर के संदर्भ में क्या मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 64 आवासों के निर्माण की

प्रार्थियों की मांग में से 20 प्रार्थियों को वर्ष 2000-2001 में धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या शेष 44 प्रार्थियों को वित्तीय वर्ष 2001-2002 में धन अवमुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जनपद उन्नाव में मछुवा समुदाय के कल्याणकारी जनपदों के अन्तर्गत 20 प्रार्थियों को वर्ष 2000-2001 में 20 मछुवा आवास तथा एक इंडिया मार्क II हैन्डपम्प के निर्माण हेतु रु० 4.15 लाख की धनराशि मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उन्नाव को आवंटित की जा चुकी है । इस योजना के अन्तर्गत जैसे-जैसे भारत सरकार से धन प्राप्त होगा वैसे-वैसे प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा मेसर्स इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज वाराणसी व ए० आर० के० इण्टर प्राइजेज कानपुर को दिये गये ऋण पर ब्याज मांफी की मांग

16–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज एण्ड मशीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि० फैक्ट्री, वाराणसी द्वारा उ० प्र० वित्तीय निगम के डेफेन्स ओरियन्टेड स्कीम के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर पैनल एवं कम्पाउण्ड ब्याज के माफी और बकाया रकम एक मुश्त जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-3-2001 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मेसर्स इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज वाराणसी तथा ए० आर० के० इण्टर प्राइजेज कानपुर को दी गयी छूट को आधार मानते हुए प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

जी नहीं ।

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 23-2-2001 प्राप्त हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री, विधायक कोष्ठक द्वारा समुचित कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर को भेजा गया है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1993 में इकाई के ऋण माफी से सम्बन्धित प्रस्ताव के प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त इकाई की स्थिति को देखते हुए ऋण माफी का औचित्य नहीं पाया गया । तद्नुसार ऋण माफी के प्रस्ताव का पत्र दिनांक 13-9-93 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । इकाई द्वारा पुनः पत्र के माध्यम से अनुरोध किये जाने पर पुनर्विचार कर शासन के आदेश दिनांक 19-8-2000 द्वारा इकाई के ऋण माफी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इकाई से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग की सन् 1380 व 1381 फसली की खतौनी राजकीय अभिलेखागार बहेड़ी से गायब कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

17–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रश्नगत प्रकरण पर सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम सैदपुर बुजुर्ग परगना चौमहला, तहसील बहेड़ी की खतौनी नान जेड० ए० सन् 1380 फसली की खतौनी तहसील अभिलेखागार से खो गयी है तथा 1381 फसली से 1383 तक तत्कालीन लेखपाल द्वारा अभिलेखागार में दाखिल नहीं की गयी है । सन् 1380 फसली की खतौनी के लिए श्री जगदीश प्रसाद तत्कालीन स०र०का० को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी । सन् 1381 फसली से 1383 फसली तक की खतौनी नान जेड०ए० तहसील अभिलेखागार में क्रमशः तत्कालीन लेखपाल श्री श्याम लाल व श्री ईश्वरी प्रसाद द्वारा दाखिल नहीं की गयी है । उक्त दोनों लेखपाल क्रमशः 8 वर्ष व 18 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

श्री श्याम लाल लेखपाल दिनांक 30-6-92 व श्री ईश्वरी प्रसाद लेखपाल दिनांक 31-7-82 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

नियमानुसार एक वर्ष की खतौनी तैयार कर लेने के बाद ही गत वर्ष की खतौनी तहसील अभिलेखागार में दाखिल की जाती है । सन् 1380 फ० की खतौनी तहसील अभिलेखागार में जमा होने के बाद ही खो गयी है, इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन लेखपाल द्वारा 1381 फ० की खतौनी तैयार करने के उपरान्त ही दाखिल की गयी और 1381 से 1382 फ०, 1382 से 1383 फ०, 1383 से 1384 फ० तथा 1384 से 1385 फ० की खतौनी तैयार की गयी होगी परन्तु लेखपाल द्वारा 1381 फ० से 1385 फ० की खतौनियां तहसील अभिलेखागार में दाखिल नहीं की गयी ।

तहसील अभिलेखागार में 1377, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 एवं 1391 फ० की 13 नान जेड०ए०खतौनियां जमा होना नहीं पायी जाती हैं । यह खतौनियां तत्कालीन लेखपालों द्वारा जमा नहीं की गयी हैं । वर्ष 1380 फ० की खोयी हुई नान जेड०ए० खतौनी राजस्व परिषद् के आदेशानुसार वर्ष 1376 फ० के आधार पर नवनिर्मित करा ली गयी हैं । जांच करायी जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम सहापुर में ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री "पर्यटन" का पत्र संख्या–2752, दिनांक 30-7-99 जो जनपद लखनऊ के ग्राम सहापुर थाना चिनहट में ग्राम सभा की सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत पत्र संख्या–2752 प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र का दिनांक 31-7-99 है । प्रश्न के तथ्यों के सम्बन्ध में स्थलीय जांच करायी गयी, आख्या निम्नवत् है :–

ग्राम सहापुर परगना व तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी 1404-1409 फ० में भूमि संख्या–125 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा 7 विस्वांसी गांव सभा की भूमि नहीं है । बल्कि यह भूमि महेश प्रसाद, छत्रपाल, राम सिंह पुत्रगण महादेव निवासीगण ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है ।

भूमि संख्या 140 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 8 विस्वांसी गांव सभा की भूमि नहीं है । बल्कि चन्द्रजीत सिंह, इन्द्रजीत सिंह, इन्द्रेश सिंह पुत्रगण रघुनाथ व रघुनाथ पुत्र दयादीन के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है ।

उपरोक्त अंकित भूमि पर खातेदारों का ही कब्जा है । भूमि संख्या–56 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा राजस्व अभिलेखों में बंजर की श्रेणी में दर्ज है । इस भूमि में 8 बिस्वा पर जगदीश पुत्र औतार व निर्मल पुत्र गरीबे व पुष्पेन्द्र पुत्र पुरुषोत्तम निवासी ग्राम द्वारा अवैध कब्जा फसल बो कर किया गया है तथा इस

भूमि पर शीशम, आम के पेड़ लगे हैं । शेष भूमि खाली पड़ी है । उक्त अनाधिकृत अध्यावासियों के विरुद्ध वाद संख्या–249 गांव सभा बनाम जगदीश प्रसाद वाद संख्या–252 गांव सभा बनाम निर्मल तथा वाद संख्या–251 गांव सभा बनाम पुष्पेन्द्र दायर किया गया है जो न्यायालय अपर तहसीलदार लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

भूमि संख्या–160 रकबा 3 बिस्वा 14 विस्वांसी राजस्व अभिलेखों में खलिहान दर्ज है इस भूमि के एक बिस्वा 15 विस्वांसी पर रघुनाथ पुत्र दशादीन निवासी ग्राम का मकान अनाधिकृत रूप से बना है । जिस सम्बन्ध में न्यायालय अपर तहसीलदार के समक्ष वाद संख्या–250 अन्तर्गत 122 बी उ० प्र० ज०वि० एवं भू व्यवस्था अधिनियम विचाराधीन है ।

भूमि संख्या 150 रकबा 6 बिस्वा 14 विस्वांसी राजस्व अभिलेखों में आबादी दर्ज है । इस भूमि के एक विस्वांसी पर मकान पुश्तैनी राम शरण पुत्र गुन्ने व धर्मपाल पुत्र धनीराम निवासी ग्राम का बना है । शेष आबादी की भूमि पर ग्रामवासी जानवर आदि बांधते हैं ।

जनपद मिर्जापुर में क्षेत्र पंचायत लालगंज में पंचायत निधि से कराये गये अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने की मांग

19–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायतीराज मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील दिवस के अवसर पर दिनांक 7 सितम्बर, 1999 को क्षेत्र पंचायत लालगंज में क्षेत्र पंचायत निधि से कराये गये अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अधूरे कार्यों को पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के ग्राम औरंगाबाद में वोटरों की लिस्ट में नाम न होने की जांच की मांग

20–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बसन्त लाल गुप्ता आदि ग्राम व पो०–औरंगाबाद जिला मथुरा के वोटरों की लिस्ट में नाम न होने की जांच कराकर कार्यवाही करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम०–/35829/मथुरा/2000, दिनांक 21-7-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद सन्त कबीरनगर के ग्राम सभा गोन्दौरा में स्वीकृत कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

21–श्री राम शंकर पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर विकास खण्ड नाथ नगर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोन्दौरा की बैठक में पारित कौन-कौन सी कार्य योजनायें स्वीकृति हेतु डी०पी०आर०ओ० सन्तकबीर नगर को वर्ष 2000-2001 में प्राप्त हुई है ? क्या उक्त कार्य योजनाओं की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

कोई कार्य योजना नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव व फतेहपुर की जमीन के सीमांकन के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान सैदपुर जिला उन्नाव के पत्र पर कार्यवाही की मांग

22–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-8-97 जो ग्राम प्रधान सैदपुर, विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव व फतेहपुर की जमीन के सीमांकन के संबंध में था और जो उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2637, दिनांक 14-8-97 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, उन्नाव तथा फतेहपुर से पृथक-पृथक जांच करायी गयी । जिलाधिकारी, उन्नाव की जांच आख्या के अनुसार ग्राम सैदपुर की पैमाइश लेखपालों की टीम द्वारा करायी गयी । ग्राम सैदपुर की सीमा जनपद फतेहपुर से कहीं भी नहीं मिलती है । अन्य ग्रामों की सीमायें मौके की स्थिति के अनुसार जनपद फतेहपुर से मिलती हैं । जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर व फतेहपुर का सीमा विवाद अर्से से चल रहा है । गांवों की सीमायें एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करती हैं, नक्शा भी ओवरलैप है । अन्तर्जनपदीय सीमांकन हेतु जनपद उन्नाव-फतेहपुर के सक्षम राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाकर कार्य योजना बनाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों को करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में परसपुर गनेशपुर मार्ग पर ईंट सोलिंग के कार्य की जानकारी

23–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा परसपुर गनेशपुर मार्ग जिसकी लम्बाई–2 कि०मी० पर ईंट सोलिंग लगाने के लिये पंचायती राज विभाग से लगभग 7.40 लाख रुपया आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो क्या वह कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

परसपुर नन्दापुरवा गनेशपुर मार्ग हेतु रुपये 7,3984 लाख स्वीकृत हुआ था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में पर्यावरण से सम्बन्धित बिना होर्डिंग बोर्ड लगाने एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज को किये गये भुगतान की जांच की मांग

24–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायत उद्योग सरोजनी नगर लखनऊ एवं पंचायत उद्योग चिनहट लखनऊ द्वारा वर्ष 1992 से अब तक पर्यावरण की सुरक्षा एवं जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए होर्डिंग बोर्ड की स्थापना पर वर्षवार कितना धन किस दर से खर्च किया गया है ? उसमें से कितना एवरेस्ट ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि बिना बोर्ड लगे ही एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज लखनऊ को भुगतान ऊंची दरों पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर के ग्राम प्रधानों द्वारा बैठकें पंचायत भवन में सम्पादित कराने की मांग

25–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठकें पंचायत भवनों में न करके अपने घरों पर सम्पादित करायी जा रही है जिससे ग्रामवासियों को अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों का सम्पादन पंचायत भवन में ही सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी शासनादेश तत्काल निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं । पंचायतों की बैठक पंचायत भवन/सार्वजनिक स्थलों पर की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मीना एक्सपोर्टर्स तिलहर के फर्म का भुगतान जिला पंचायत बलिया और जिला पंचायत गाजीपुर से कराये जाने की मांग

26–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मीना एक्सपोर्टर्स तिलहर का रजि० पत्र दिनांक 06-09-99 या इसके आस-पास जो जिला पंचायत बलिया और जिला पंचायत गाजीपुर में लम्बित पड़े फर्म के भुगतान के संबंध में था, उन्हें तथा सचिव पंचायती राज को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जिलाधिकारी, गाजीपुर एवं बलिया से आख्या/अभिमत प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की जिला व क्षेत्र पंचायतों द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच तकनीकी सेल से कराने की मांग

27–श्री श्रीराम पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना से जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धनराशि से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन हेतु पृथक से तकनीकी आडिट सेल गठित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन की जिला व क्षेत्र पंचायतों द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के सभी कार्यों का मूल्यांकन एवं तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

क्योंकि सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका में पृथक से तकनीकी आडिट सेल गठित किये जाने की व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं । टेस्ट चेकिंग करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, प्रश्नों से सम्बन्धित मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे यह नियम है । यह सरकार सदन के प्रति गम्भीर नहीं है । इन्होंने प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त किया । आज सिर्फ सात तारांकित प्रश्न आये जबकि 20 प्रश्न होने चाहिए थे । यह नियम है कि अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य प्रश्नों में से प्राप्ति के क्रमानुसार प्रथम 20 सदस्यों के एक-एक तारांकित प्रश्न निर्धारित दिन के प्रश्नों की कार्य सूची में रखे जायेंगे । लेकिन आज सात ही प्रश्न आये । यह सरकार गम्भीर नहीं है सदन के प्रति । यह अपने दिन पार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी भी एक प्रक्रिया है । विभाग के अनुसार वार निर्धारित होता है । उस वार से सम्बन्धित कभी प्रश्न ज्यादा हो सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं कुछ स्थगित भी होते हैं । तो यह प्रक्रिया है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी । इसमें पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की दूसरी सूचना श्री अरविन्द गिरी की है, तीसरी सूचना डा० बकार अहमद शाह की है, चौथी सूचना श्री राधेश्याम सिंह की है पांचवीं सूचना श्री रामवीर सिंह की है, छठी सूचना श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर की है और सातवीं सूचना श्री ओंकार सिंह यादव जी की है । शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं जो कि श्री कैलाश यादव, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री दिलीप वर्मा व श्री राम चन्द्र यादव की है, को अस्वीकार किया जाता है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कई नालों पर पूर्वांचल निधि राज्य सेक्टर से धन आवंटन पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के विधान सभा बयालसी क्षेत्र में कई नाले हैं जिन पर जिला स्तर से धन देकर कार्य नहीं कराया जा सकता है इनमें प्रमुख रूप से–

1–उतरगांवा महमदपुर मार्ग पर,

2–मुफ्तीगंज वेलाव मार्ग पर,

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–कबूलपुर चौहान बस्ती नाले पर पुल,

4–धनेजा विशुनपुर मार्ग नाले पर पुल,

5–इटैली नाले पर पुल,

6–सरेय नाले पर चमार बस्ती व मौर्या बस्ती पर पुल,

7–जफराबाद से काटीपुर नाले पर पुल,

इनका बनना अति आवश्यक है । इससे जन जीवन प्रभावित होता है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय नियोजन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये पूर्वांचल निधि राज्य सेक्टर से धन के आवंटन की मांग करता हूं ।]

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड मोहम्मदी में घमहा घाट पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द गिरि–

[मान्यवर, अनुरोध है कि जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत घमहा घाट का पुल आजादी के बाद से निर्माण हेतु अपेक्षित है समय-समय पर ग्रामीणों द्वारा इस पुल के निर्माण हेतु आन्दोलन कराये गये निवर्तमान सरकारों द्वारा आश्वासन भी दिये गये । किन्तु जनहित में अति महत्वपूर्ण पुल का निर्माण नहीं हो सका । 96-97 व 97-98 को जिला योजना बैठक में घमहा घाट के पुल के निर्माण हेतु स्वीकृत एवं धन आवंटित किया गया किन्तु राजनैतिक द्वेष वश उक्त पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है जबकि इस पुल के माध्यम से हजारों-हजार किसानों का आवागमन सुनिश्चित होता है और लगभग बरसात के बाद 4–5 महीने पूर्णतः आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अति महत्वपूर्ण स्वीकृत पुल का आवश्यक कार्यवाही के साथ अति शीघ्र बनना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । साथ ही मोहम्मदी लखीमपुर मार्ग जो कि मोहम्मदी तहसील व जनपद मुख्यालय को जोड़ता है और जनपद का यह प्रमुख सम्पर्क मार्ग है इस पर आंवला पुल आजादी से पूर्व लकड़ी के द्वारा निर्माण हुआ पुल था वह लकड़ी पुल से भी विख्यात है इस पुल के टूट जाने से कृषकों के लिए आवागमन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है जिला प्रशासन ने रपटा का निर्माण किया था किन्तु पिछली बरसात में वह भी बह गया । अतः उस मार्ग पर आंवला पुल का निर्माण अति आवश्यक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाते हुए उक्त कार्य को कराने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के समस्त बी०एड० प्रशिक्षित नवयुवकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बकार अहमद शाह–

[मान्यवर, इस समय प्रदेश में हजारों बी०एड० की डिग्री प्राप्त कर बेरोजगार नवयुवक घूम रहे हैं इनको प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने की नीति वर्ष 1999 में सरकार ने बनाई थी । परन्तु कुछ अध्यापकों को ही नियुक्ति दी गयी और बाकी को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया । तब से आज तक इनकी नियुक्तियां नहीं की जा सकी है । प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में हजारों अध्यापकों के पद भी रिक्त हैं । अकेले बहराइच जनपद में 2700 ऐसे लागों की सूची तैयार की गयी थी और उनमें से मेरिट के आधार पर केवल 88 अध्यापकों को नियुक्ति मिल पाई शेष सभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं ।

इससे पूरे प्रदेश में हजारों बी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त किए नवयुवक प्रतीक्षा सूची में दर्ज होकर बेकार घूम रहे हैं जबकि स्थान खाली है ।

अतः मैं अपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि समस्त बी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त किए नवयुवकों को तत्काल प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किए जायं ।]

जनपद कुशीनगर के राम कोला थाना अन्तर्गत साधन सहकारी समिति टेकुआटार में हुयी डकैती के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह–

[महोदय, मैं सरकार का ध्यान जनपद कुशीनगर के रामकोला थाना अन्तर्गत साधन सहकारी समिति टेकुआटार में दिनांक 15-2-2001 को पड़ी डकैती की तरफ दिलाना चाहता हूं । दिनांक 15-2-2001 को सुबह 3 बजे भीषण डकैती पड़ी, लालता मल, अरब, जियाउलहक को गम्भीर चोट लगी अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है जनता में रोष व्याप्त है और भय और आतंक से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं । दहशत व्याप्त है । तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और गम्भीर रूप से घायल लोगों का इलाज भी सही ढंग से नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

श्रीमती मार्गश्री कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय पेडत फिरोजाबाद के पक्ष में राजकोष में जमा रुपये दस लाख की दूसरी किस्त का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह–

[महोदय, असेवित विकास खण्ड योजनान्तर्गत श्रीमती मार्गश्री कन्या उच्चत्तर मा० वि० पेड़त फिरोजाबाद को मिली दूसरी किस्त को भूलवत 30-3-99 को राजकोष में जमा करा दिया गया यह बात जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र में स्वीकार की है । तब से लेकर आज तक जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है, परन्तु उक्त 10 लाख रुपये निरीक्षक ने अपने पत्र में स्वीकार की है । तब से लेकर आज तक जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों के बीच लिखा पढ़ी चल रही हैं, परन्तु उक्त 10 लाख रुपये की जमा किश्त को अवमुक्त नहीं किया जा सका है । इससे विद्यालय के भवन आदि आवश्यक खर्चों को नहीं कराया जा सका है । इतने दिन तक धनराशि का प्रदान न किया जाना चिन्ता का विषय है इससे विद्यार्थियों को भारी सुविधा हो रही है ।

अतः मैं इस विषय को सदन में प्रस्तुत करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि राजकोष में जमा उक्त विद्यालय की 10 लाख रुपये की दूसरी किस्त का तत्काल भुगतान कराया जाय ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद देवरिया की ग्राम सभा भोपतिपुरा के चकिया कोठी के 27 एकड़ जमीन को भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

[महोदय, आपका ध्यान देवरिया जनपद के ग्राम सभा भोपतिपुरा तहसील भाटपार रानी के अन्तर्गत चकिया कोठी में स्थित 27 एकड़ जमीन जो आबादी तथा सीलिंग की है वहां पर कुछ भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है । इसके बार में मैं उ० प्र० शासन, जिलाधिकारी एवं राजस्व मंत्री को बार-बार पत्र के माध्यम से अवगत कराये तथा उपरोक्त भूमि खाली कराने से रोकने के लिए मांग किया लेकिन आज़ तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । राजेन्द्र पुत्र डोया ग्राम जगदीशपुर तथा इन्द्रदेव पुत्र हीरा तथा वीरनपुर रघुनन्दन ग्राम राजपुर थाना खामपार आदि लोग कब्जा किये जा रहे हैं । इन्द्रदेव पुत्र हीरा चकिया के भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं । अपने कार्यकाल में 20 एकड़ जमीन अपने रिश्तेदार जय किशुन पुत्र उच्छादी निवासी बिहार रमाकान्त पुत्र सरोपन्न निवासी जिला देवरिया आदि नामों से फर्जी पट्टा कराकर स्वयं कब्जा किये है । भू-माफियाओं को कुछ असामाजिक तथा राजनैतिक व्यक्तियों का खुला समर्थन है । ग्रामवासियों द्वारा विरोध करने पर उनको फर्जी मुकदमें में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है इस घटना में खामपार थाने का नायब दरोगा राधेश्याम शर्मा का भी पूरा समर्थन है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि तत्काल समुचित कार्यवाही कराकर भू-माफियाओं से जमीन को कब्जा से मुक्त कराया जाय ।]

जनपद बदायूं के सहवासन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओंकार सिंह यादव–

[महोदय, आपके संज्ञान में अपने क्षेत्र 42 सहसवान, जनपद बदायूं के ज्वलंत समस्याओं की तरफ आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई निम्नलिखित मार्ग अति दयनीय दशा में है जिससे जनता का जीना मुश्किल हो गया है ।

1–सहसवान से भवानीपुर से नदायल मार्ग ।

2–जुनावई से मिठनपुर मार्ग ।

3–सहसवान इस्लामनगर नाधा मार्ग ।

4–बैरपुर से घोंसली मार्ग ।

5–शादीपुर से बिचौला मार्ग ।

मान्यवर, उपरोक्त सभी सम्पर्क मार्ग जिनसे क्षेत्र की 4 लाख आबादी का आवागमन का सीधा सम्पर्क है । बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है । किसी वाहन का चलना मुश्किल है । पिछले तीन वर्षों से उपरोक्त मार्गों पर कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है । जहां-जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन क्षेत्रों में काम कराया जाता है विरोधी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में कोई काम विभाग द्वारा नहीं कराया गया है । इस विषय को आपके संज्ञान में लाना जरूरी है क्योंकि यह 4 लाख जनता के जीवन से जुड़ा प्रश्न है । आपके माध्यम से उपरोक्त पर मरम्मत कार्य शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं । सभी सूचनाएं नियमों की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण अस्वीकृत हुईं ।

दिनांक 16 मई, 2001 को रात्रि में बिजली का वोल्टेज अचानक बढ़ जाने के कारण सिंचाई विभाग का बजट बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

इसमें पहली सूचना जो कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेई व श्री प्रमोद कुमार की जो कि दिनांक 16-5-2001 को बिना किसी पूर्व सूचना के सिंचाई विभाग का बजट स्थगित किये जाने के संबंध में है, मेरी इस संबंध में जो लोक निर्माण विभाग, विद्युत के मेन्टीनेंस इंचार्ज हैं उनसे बात हुई थी । वे देखने भी आये थे और उन्होंने बताया था कि 560 वोल्टेज आ रहा है इससे ध्वनि विस्तारण यंत्र जल जायेगा और बल्ब भी टूटकर गिर सकते हैं । क्योंकि सारे शहर की बिजली बन्द है यहां का कार्य बाधित न हो, इसलिये उन्होंने अनुरोध किया था सदन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दें । हम वोल्टेज को कम कर देंगे आप फिर से चला लीजियेगा । माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण रखने को तैयार थे लेकिन कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया कि अन्य दिन प्रस्तुत करा दिया जाय । इसलिये पीठ से यह निर्देश दिया गया था कि यह शुक्रवार को प्रस्तुत होगा । माननीय मंत्री जी तैयार थे लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए क्योंकि लोक निर्माण विभाग के बजट में काफी समय लग गया था, इसलिये इस बजट को स्थगित किया गया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि मंत्री जी की इच्छा नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई है विद्युत आपूर्ति के संबंध में एक बैठक अगले सप्ताह हम बुलाने जा रहे हैं जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अधिकारीगण, विद्युत विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण बैठक में सम्मिलित होंगे । परिसर के बगल में सब स्टेशन बनाने की बात है वह विचाराधीन है उसमें निर्णय लेने की बात है माननीय सदस्यों को फिर कठिनाई नहीं होगी ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

माननीय तिवारी जी, मैंने तीनों सूचनाओं को पढ़ लिया है अब इसमें आवश्यकता नहीं है । कार्य मंत्रणा समिति सब निर्धारित करती है यह सदन अपने कार्य को विनियमित करने के लिये सर्वाधिकार रखता है । कार्य मंत्रणा समिति दिन निर्धारित करती है कि इतने दिनों में अनुदान मांगें ली जायें ।

(श्री प्रमोद कुमार के पुनः खड़े होने पर)

अब पीठ द्वारा दिये गये निर्देश के मामले में और कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के संबंध में कोई बात उठती है तो वह उचित नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति सब निर्णय लेती है और माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल की सहमति से किस दिन कौन से विषय का बजट लिया जायेगा यह निर्धारित करता है। इसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक दिन में 2-2, 3-3 बजट आते हैं उसके कारण सदन को रात्रि में देर तक बैठना पड़ता है अब कल दैवीय आपदा के कारण वोल्टेज बढ़ गया। क्या मान्यवर, यह सदन सुरक्षित भी नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये यहां के लिये एक अलग से सब स्टेशन होता।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया कि बैठक बुला रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

जब प्रतिरोधक क्षमता होती तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर के माध्यम से कार्य कर सकते थे। क्या हमारे पास जेनरेटर नहीं है जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित न करनी पड़ती। इससे आप भी सहमत होंगे कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है कि जहां बिजली की अनुपलब्धता से सम्भवतः इतिहास में पहली बार सदन से बजट को हटाया गया है मुझे तो यह लगता है कि सम्भवतः कल सत्तारूढ़ सदस्यों की संख्या बहुत कम थी।

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

सत्तारूढ़ दल में बजट पास कराने में सरकार हार जायेगी यह सम्भावना भी थी यह विद्युत फ्लेक्चुवेसन माननीय ऊर्जा मंत्री जी की कहीं साजिश से तो नहीं हुआ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप पाक कौशल के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

यह अनावश्यक समय नष्ट करने का परिणाम यह होता है कम से कम सदन के अन्दर तो जिम्मेदाराना बात होनी चाहिये।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपके नियम 300 अर्थात औचित्य के प्रश्नों के संदर्भ में व्यवस्था देने के पश्चात् छपास के रोग से ग्रसित होकर कि किसी तरह से जो भी मैं कह रहा हूं वह छप जाना चाहिये। मैं व्यवस्था के

[xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये, नियंत्रित करने के लिये जो व्यवस्था देने के पश्चात् बात कही गयी है उसको कार्यवाही में अंकित न किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

विचार कर लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं बोला हूं और न जाने क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है । यह 12 साढ़े 12 बजे के बीच में कुछ न कुछ ऐसी बात कह देते है ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री बी० आर० वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री लालजी वर्मा और श्री राम ललित चौधरी की है ।

माननीय वर्मा जी यह नियम 300 में नहीं आती है मैंने इसे निरस्त कर दिया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो गया है यह नियम 300 में नहीं आती है ।

अगली सूचना श्री चौधरी बाबू लाल की है । जनपद आगरा के गांव किरावली में स्टेडियम के निर्माण को पूरा न किये जाने के संबंध में यह नियम 300 में नहीं आती है इससे विधान सभा का कार्य कहां विनियमित होता है । इसे मैं निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री राम चन्द्र यादव जी की है यह नियम 300 में नहीं आती, इसे मैं निरस्त करता हूं ।

कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन न करने से विधायकों की गरिमा गिरने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन करने से है, शाक्य जी आपने प्रोटोकाल की बात की है । यह नियम 300 में कहां आती है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

उसकी आवश्यकता नहीं है मैंने निरस्त कर दिया है । आप देख रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं सुना है ।

कुछ लिखा नहीं जायेगा । यह नियम 300 में नहीं आता है इससे सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है ।

[x x x] (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कोई भी माननीय सदस्य का न नाम लिखा जायेगा न उनकी बात लिखी जायेगी । धर्मज्ञ मिश्र जी यह लिखा नहीं जा रहा है आप अनावश्यक समय बरबाद कर रहे हैं । मैंने शाक्य जी को बुला लिया है ।

[x x x]

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह आवश्यक नहीं है । कुछ लिखा नहीं जायेगा । शाक्य जी को मैंने बुलाया है ।

यह न लिखा जायेगा न प्रेस में छपेगा । अंसारी जी, कृपया बैठ जाइये । मैंने अनुमति नहीं दी है । मैं अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने नहीं दूंगा । यह प्रेस में भी नहीं छपेगा, न लिखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

सदन का समय अनावश्यक बरबाद करने नहीं दूंगा । मैंने आपकी सूचना का परीक्षण कर लिया है और उसे निरस्त कर दिया है । जहां आवश्यक होता है, मैं सुन लेता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मुझे कुछ और कार्यवाही करनी पड़ेगी । प्रेस में न आपका नाम छपेगा और न कोई बात छपेगी । मैं मजबूर होकर संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि यह प्रस्ताव ले आयें कि शेष अवधि के लिये आपको निलम्बित कर दिया जाये । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इनको ग्राह्यता पर सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

हम कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते हैं । जो पूर्णतः अनावश्यक है, उसे नहीं सुनूंगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

हम कोई संवेदनशील विषय प्रस्तुत करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहते । विधायिका का अस्तित्व बना रहे, यदि कार्यपालिका हावी हो जायेगी, ब्यूरोक्रेट्स हावी हो जायेंगे, माननीय सदस्यों को रोज अपमानित करेंगे चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों यदि इस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स द्वारा विधायकों को अपमानित किया जायेगा तो यह पूरे सदन की गरिमा का सवाल है ।

नोट :– [xx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कोई विशेष घटना हमारे सामने आती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री राम औतार शाक्य–

जिलाधिकारी, एस० पी० निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं । विधायिका का सम्मान बना रहे, इसके लिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सूचना नियम 300 में तो नहीं आती, लेकिन शाक्य जी ने जो विषय उठाया है, इस पर ध्यान दे दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) का पच्चीसवां प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) †

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) उक्त समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1979-80, 1981-82, 1985-86, 1986-87 एव 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) का छब्बीसवां प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) †

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) उक्त समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1977-78, 1980-81, 1983-84,1986-87 एवं 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, 7 व 8 में कुछ नहीं है ।

---

† छापे नहीं गये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 मई, 2001 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गईं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना एक ही विषय से सम्बन्धित है । यह सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी और कुंवर रेवती रमण सिंह की है । दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री बिजेन्द्र आर्य, श्री आर्य राम शरन की है । तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र यादव और श्री राम स्वरूप जी की है । चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की तथा पांचवी सूचना श्री गोपाल कृष्ण की है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना को वक्तव्य के लिए दिया था, मान्यवर, हमारी सूचना को नियम–56 में सुन लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना शलाका में नहीं आयी है । पहली सूचना पर कोई तीन सदस्य विचार व्यक्त कर लें ।

* कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह विषय महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में करीब-करीब यह कृत्रिम दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है । मान्यवर, यह सही है कि पिछली विधान सभा में इस बात को कई बार माननीय विद्वान सदस्यों ने यहां उठाया था लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई यह सरकार कर नहीं पायी और नतीजा यह है कि जब आज उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पूरे भारत में नम्बर–1 पर है, तब मान्यवर, यह लोग हमारे दूध में क्या-क्या मिला रहे हैं, उसमें कैमिकल, साबुन, डिटर्जेंट, सभी मिला रहे हैं, स्टेम्पर को भी मिला रहे हैं और ऐसा दूध खासतौर से जितने स्टेशन हैं, अगर यह सरकार छापा डलवा ले तो पता लग जायेगा । जो स्टेशन पर चाय दी जाती है, वह सब कृत्रिम दूध की चाय दी जाती है । अफसोस की बात है कि इतने दिन के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया और धड़ल्ले से टैंकर का टैंकर यह दूध पूरे प्रदेश में बेचने का काम हो रहा है । मैं आपसे चाहूंगा कि इसे नियम–56 में कबूल करें और इस पर चर्चा करायें और इसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश भी दें कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री प्रमोद कुमार–

: मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, खुलेआम पूरे समाज को स्लो प्वाइजन दिया जा रहा है। यह इस प्रकार से दिया जा रहा है कि यह इस प्रदेश के नागरिकों को अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहा है। मान्यवर, एक सर्वेक्षण के अनुसार यह सिन्थेटिक दूध यूरिया और एल्यूमिनियम पेन्ट को मिला करके तैयार हो रहा है, इसका परिणाम यह हो रहा है, जो लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं उनके शरीर में जब जाता है तो शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यूरिया से यूरिक एसिड बन जाता है और एल्यूमिनियम पेन्ट धीरे-धीरे जमने लगता है, इससे गेस्ट्रो इन्टाइटिस फैल रहा है। एक और सर्वेक्षण के अनुसार जो यह सिन्थेटिक दूध है, इसको नियमित रूप से पीने वालों को कैंसर के लक्षण देखने में आ रहे हैं। मान्यवर, इससे विनाशकारी और क्या हो सकता है कि दूध के नाम पर स्लो प्वाइजन पिलाया जा रहा है। जो यूरिया है, यूरिक एसिड है और जो एल्यूमिनियम पेन्ट है इससे गैस्ट्रो इन्टाइटिस हो रही है और कैंसर फैलता जा रहा है। यह छोटे पैमाने पर नहीं हो रहा है, यह बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका सीधा परिणाम भी सामने आ रहा है जो ईमानदार दूध विक्रेता हैं वह उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनका नुकसान होता है क्योंकि उनकी लागत ज्यादा आती है।

मान्यवर, सेन्थेटिक दूध बनाने और बेंचने वाले समाज के उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने कि ड्रग माफिया। ये लोग युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इस दूध को पीने के बाद बहुत से बच्चे तत्काल गैस्ट्रो इन्टाइटिस से प्रभावित हो जाते हैं। कहा जा रहा था कि इस राज्य में दूध की नदियां बहेंगी लेकिन आज दूध के नाम पर यूरिया पिलाया जा रहा है। किसानों को खाद के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है जबकि इन्सान को यूरिया पिलाया जा रहा है। यह घृणित कृत्य है, सरकार का इस पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितना सर्वेक्षण कराया ? मैं सीधे-सीधे यह कह सकता हूं कि दूध के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सके करें। दूध के नाम पर मीठा जहर दिया जा रहा है। मान्यवर, यह लगातार चल रहा है इसलिए तात्कालिक है और अविलम्बनीय है, लोक महत्व का इसलिए है कि इससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, सरकार इस पर तत्काल कार्यवाई करे, इससे पहले सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, प्रश्न बहुत अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है जिसे अभी सम्मानित सदस्य कुंवर रेवती रमण सिंह एवं प्रमोद तिवारी जी ने उठाया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरे बड़े शहरों में कृत्रिम दूध धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विशेष रूप से बच्चों को जो यह दूध पिलाया जा रहा है उससे डायरिया और विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं और बच्चों का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। दूसरी तरफ डेयरी उद्योग जिसको बढ़ावा देने का दावा सरकार करती है और जिसकी आवश्यकता भी है उस डेयरी उद्योग पर भी कृत्रिम दूध से करारा आंघात पहुंच रहा है। डेयरी उद्योग में लाखों-लाख लोग लगे हुए हैं उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। यह प्रदेश के लिए दुःखद और चिन्तनीय विषय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि डेयरी उद्योग की रक्षा करने के लिए और जो दूध के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है उससे लोगों को बचाने के लिए सरकार आवश्यक प्रभावी कदम उठाये और सदन को आश्वस्त करे कि भविष्य में इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाई होगी, यही मेरा निवेदन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है । बनावटी दूध कैमिकल और यूरिया के आधार पर बनाया जाता है । जो बड़े दूध वाले डेरीवाले हैं वह अच्छे दूध की छाया में नकली दूध बनाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं । जहां नकली दूध का उत्पादन होता है उन जगहों पर क्या सरकार ने छापा मारने की कोई कार्यवाई की, क्या कोई पकड़ा गया ? यह नकली दूध रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और गरीब बस्तियों में ज्यादा बिक्री कर उपयोग में लाया जा रहा है । गरीब लोग सस्ते के नाम पर ले लेते हैं और उससे इनके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कई तरह की बीमारियों के जन्म होने की आशंकायें पैदा हो गयी हैं । मान्यवर, यह दूध नहीं है बल्कि दूध के रंग का घोल पावडर है । मान्यवर, यह धन्धा क्यों चल गया है वह इसलिए कि मिलावट की जो 3/7 धारा थी वह शिथिल कर दी गयी है और लोगों को मालूम हो गया है कि मिलावट की धारा में कोई कार्यवाई नहीं होगी । उसका नतीजा यह है कि खाद्य निरीक्षक यदि किसी को पकड़ भी लें तों उन्हें कहां ले जायं ? मान्यवर, इस पर सख्त कार्यवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह का काम न हो । इस पर सख्त कानून और कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है । यह दूध मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और गरीब लोगों की बस्तियों में जा रहा है । मान्यवर, जब कभी इस दूध का दही जमा दिया जाता है तो यूरिया खाद के स्पष्ट लक्षण दिखाये देते हैं परन्तु गरीब लोग खा लेते हैं उसका शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । मान्यवर, तो वर्तमान सभ्यता और संस्कृति के युग में दूध के स्थान पर नकली दूध बिक रहा है । बहुत ही कलंक की बात है अभिशाप है मैं अनुरोध करूंगा कि सख्त कानून बने और कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाये और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है हजारों साल से उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है । पौराणिक काल से हमारे देश के किसान का दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है । मान्यवर, आज सिन्थेटिक दूध के द्वारा बच्चों को दूध नहीं, बल्कि जहर पिलाया जा रहा है । यह काम चोरी-छिपे नहीं हो रहा है, मान्यवर, खुलेआम हो रहा है । सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है । मान्यवर, इस राष्ट्र के बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है ? मान्यवर, वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण से पता चला कि सिन्थेटिक दूध से कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लोग शिकार हो रहे हैं । मान्यवर, दूध उत्पादन में देश में इस प्रदेश का पहला स्थान है ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

दूध उपादक किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसानों को व्रित्तीय रूप से कमजोर करने का प्रयास हो रहा है । मान्यवर, इस व्यवसाय में इस सरकार के बहुत से लोगों का हाथ है । मैं चाहूंगा कि ऐसे जमाखोंरों, मुनाफाखोरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाये जिससे इस धंधे को बन्द किया जा सके ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील कार्यस्थगन प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं ।

मान्यवर, यह जन-जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है । भारतीय जन-जीवन में दूध का अपना एक महत्व रहा है ।

मान्यवर, आज जिस तरह सिन्थेटिक मिल्क, नकली दूध का प्रयोग खुलेआम हो रहा है, यह प्रदेश के लिए एक गम्भीर चिन्ता का विषय है । अभी सरकार ने इस पर एक लम्बा चौड़ा आश्वासन दिया है

कि जो नकली दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, जो कारखाने नकली दूध की सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाई की जायेगी । लेकिन अभी तक उन पर किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं की गयी । जो व्यवसायी सिन्थेटिक दूध बेचकर प्रदेश की जनता के साथ, उनके जनजीवन से खुला खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । इसके लिए सरकार के द्वारा जो फूड एण्ड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया है व नाकाफी है । प्रदेश की जनता को, उसके जन-जीवन और स्वास्थ्य को बचाने के लिए चाहे सरकार को नियमों और कानूनों में संशोधन करना पड़े या अपराध संहिता में प्राविधान करना पड़े, जो इस सिन्थेटिक दूध के व्यवसाय में लिप्त हैं उनको इस अपराध के लिए कम से कम 10 साल की सजा दिये जाने का प्राविधान करना चाहिए । मान्यवर, महानगर कानपुर में यह दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है इससे तमाम उदर रोग और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं, यह बड़ी चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, एक तरफ तो हम जनता को अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिन्थेटिक दूध वाले सिन्थेटिक दूध का निर्माण करके प्रदेश की जनता के जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहें, इस सम्बन्ध में सरकार को कोई कठोर नीति अपनानी चाहिए । जो सिन्थेटिक दूध का निर्माण करते हैं, उन पर एन० एस० ए० लगाकर उन्हें 10 साल की सजा का प्राविधान किया जाना चाहिए । जब तक ऐसी कठोर सजा नहीं दी जायेगी तब तक इस अपराध को रोका नहीं जा सकता है । इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा और सरकारी संरक्षण में यह कार्य हो रहा है । नोयडा, गाजियाबाद से सटी जो आबादी हैं वहां खुलेआम सिन्थेटिक दूध का कारोबार हो रहा है । जो लोग इस कारोबार को कर रहे हैं, वह कोई गांव के गरीब लोग नहीं है, जो भैसों और गायों को पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं, यह कार्य बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है । मैं आप जैसे विद्वान पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में ऐसे निर्देश दें कि सरकार इस कारोबार को बन्द कराये ।

* संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरे विचार में आपकी पीठ को विद्वता का प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है । सिन्थेटिक दूध का कारोबार बड़ा गम्भीर अपराध, पाप है, और समाज के लिए अभिशाप है । सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं । गोरखपुर और आगरा में जो विश्लेषक प्रयोगशालाएं हैं उनके अलावा मेरठ और वाराणसी की प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं । इसके अलावा जो कानुन है 3/7 के बारे में वर्मा जी ने कहा कि इससे काम चलने वाला नहीं है, नमूने जो लिये जाते हैं, वह फेल होकर आ जाते हैं, इस संबंध में घपले भी होते थे । हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और सारी समस्याओं पर विचार करने के बाद उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि वर्ष 1954 का जो एक्ट है उसमें कुछ संशोधन करने हेतु एक नये अध्यादेश के प्रारूप की व्यवस्था की जाय ताकि इसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जा सके । लेकिन इस विषय पर प्रदेश सरकार अध्यादेश बनाने के बावजूद प्रख्यापित नहीं कर सकती है, केन्द्र सरकार महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी । हमने अध्यादेश भेजा है उस पर विचार चल रहा है । हम प्रयत्नशील हैं कि जल्दी अध्यादेश लागू हो जाय । ताकि यह अपराध जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाई हो सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें कितनी सजा का प्राविधान किया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कठोर सजा का प्राविधान करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

कठोर तो कोई चीज दुनियां में नहीं होगी । कितने साल–3 साल, 5 साल ?

श्री रेवती रमण सिंह–

आप जब इस पर विचार कर रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम 10 साल की सजा का प्राविधान करें ।

श्री हुकुम सिंह–

कठोर शब्द की परिभाषा क्या है आपने नहीं जाना है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अवधि क्या होगी । 3, 5, 10 साल कितनी होगी ? आपने प्रस्ताव भेजा है जो लम्बित है पता नहीं कब स्वीकृति मिलेगी ? तब तक लोगों को करने देंगे ? इनको समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती । सरकार गैंगेस्टर गुण्डा एक्ट, तथा एन०एस०ए० केश इन पर क्यों नहीं लगा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनका दो चक्र का भाषण हो चुका है, तीसरा चक्र करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप शासन की बात सुन लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 27-6-2000, 12-2-2001, 19-3-2001 को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों और सी०एम०ओ को निर्देशित किया गया है कि इसकी जानकारी करें और सघन छापे मारें और जो इसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, निर्माण कर रहा उसको पकड़ने के लिये कहा गया है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, शासन इसको बहुत हल्के रूप से ले रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसको सामूहिक हत्या की संज्ञा दी जाय और यह जो कर्म हो रहा है इससे सारे समाज की हत्या की जा रही है इसके लिये कोई नयी विधि निकालनी होगी । तथा ऐसे लोगों को आजीवन कारावास और प्राणदण्ड जैसे सजा दी जाय और तत्काल यह व्यवस्था की जाय कि इन पर एन०एस०ए० और गैंगेस्टर एक्ट तो लगा ही सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं । आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर यह बनावटी दूध बनता है उस पर रोकथाम लगाई जाये, इसके लिए प्रोत्साहन के लिए हम 10,000 रुपये उस व्यक्ति को ईनाम देंगे जो शासन और प्रशासन को इसकी सूचना देगा । इसके अलावा जो मेरे पास जानकारी है 31 व्यक्तियों को एन०एस०ए० के अन्तर्गत जेल भेजा गया है और आई०पी०सी० की धारा 272/273 की कार्यवाई की गई है, 8097 नमूने लिये गये हैं और जांच से 4236 नमूने फेल पाये गये हैं । 2218 वाद ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध योजित किये गये हैं । हमारे पास जो 1954 का एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट

है, उसकी धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाई नहीं हो रही है, इसलिए एक अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया है । चूंकि यह सेण्ट्रल एक्ट है, अध्यादेश के लिए महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है । इसको भेजा गया है, वहां से कुछ आपत्तियां लगी थी, हमारा पत्राचार चल रहा है । जैसे ही यह मंजूर हो जायेगा लागू करेंगे । सरकार इस विषय पर गम्भीर है और कठोर से कठोर कार्यवाई करेगी ।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक अभियान के रूप में एक कार्यक्रम चलाया गया था, हमने प्रयास किया था कि जितने विक्रय केन्द्र हैं, वहां पर नमूने लिये जायं । लेकिन एक राजनीति हमारे सामने आ जाती है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम दूध बेचेंगे नहीं दूध को गोमती में बहा दिया । जब समाज को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाये जाते हैं, तो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये कार्यक्रम में अड़चने डालते हैं । अगर तमाम जनता और सदन संकल्प करे कि ऐसे भ्रष्ट पापियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा अभियान नहीं चलायेंगे शासन कार्यवाई करेगा तो स्वीकार करेंगे । अतः अनुरोध है कि कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा करें ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह–

मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत संसदीय कार्यमंत्री पर फिट बैठती है अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था ।

श्री हुकुम सिंह–

इसी बारे में स्पष्टीकरण आप चाह रहे थे इसलिए मेरा ऐसा सोचना स्वाभाविक है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

संसदीय कार्यमंत्री जी ज्योतिषी हैं पहले से समझ लेते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने स्टेशन पर छापे मारे, कितने ट्रेन में छापे मारे, कितने दूध के सैम्पल लिए अगर अभी तक कार्यवाई हुई होती तो यह रुक गया होता । यह न करके आप निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि टैंकर का टैंकर दूध गाजियाबाद से नोयडा से गौतमबुद्ध नगर से व इन तमाम जिलों से टैंकर द्वारा दिल्ली जाता है । दिल्ली में प्रदूषित दूध बेचा जाता है । आपने कोई कार्यवाई नहीं की । अगर यह सवाल राजनीति प्रेरित होता तो हम लोग सवाल क्यों उठाते । यह पूरे प्रदेश की चिन्ता है । लेकिन जितने भी लोग हैं यह कोई नहीं चाहता कि निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा जाए व उनको प्रताड़ित करने का काम करें । मैं सरकार से चाहूंगा कि स्टेशन पर छापे डलवायें, ट्रेन पर छापे डलवाएं तब पता लगेगा कि कितनी जगह इस तरह का कृत्रिम दूध मिलेगा । यह संसदीय कार्यमंत्री जी बतायेंगे ?

डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज से बड़े पैमाने पर दूध आयात हो रहा है इस पर मैंने चिन्ता व्यक्त की थी इस आयातित दूध में सिन्थेटिक दूध का कारोबार हो रहा है इसको गम्भीरता से लिया जाये । हमारे यहां दूग्ध उत्पादन की कमी नहीं है हमें आयातित दूग्ध की आवश्यकता नहीं है । हम प्रदेश के अन्दर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें । इस आयातित दूग्ध के नाम पर सिंथेटिक दूग्ध का कारोबार हो रहा है । मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि

इस सिंथेटिक दुग्ध के विरुद्ध आप अभियान चलाएं तो वास्तविकता सामने आएगी । लेकिन अगर विद्वेषवश उन गरीब दूधियों के एक वर्ग विशेष को राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित किया जायेगा तो कोई भी उसका विरोध करेगा अगर सिंथेटिक दुग्ध के विरुद्ध कोई अभियान चलायेंगे तो हम पूरी तरह से आपके साथ होंगे । हम किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो इस पर राजनीतिक रोटी सेंकने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता ।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० अधिष्ठाता महोदय, जब हम नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव लाये थे तो मैंने यह महसूस किया था कि सरकार इस विषय की गम्भीरता को समझेगी । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है संसदीय कार्यमंत्री का उत्तर सुनने के बाद कि सरकार इस पर गम्भीर नहीं है । एक तरफ पूरे समाज को दूध के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, एल्यूमिनियम पेन्ट यूरिया पिलाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह सरकार कह रही है गोमती में दूध डाला गया । यह सब चोरी छिपे नहीं हो रहा है बाकायदा एक संगठन यह कार्य कर रहा है और इसमें आपका हाथ है यह इतना बड़ा काम तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त न हो । मुझे इस सरकार पर यह आरोप लगाना पड़ रहा है इस सरकार पर कि इन्हीं के उच्चाधिकारी भी इसमें शामिल हैं सरकार का संरक्षण है । सरकार की मुझे नियत अच्छी नहीं लगती जिस हल्के ढंग से समस्या का निदान करने की कोशिश की गई । कहा जा रहा है एक्ट बनाकर भेज दिया है तो बता दें कि सजा के तौर पर क्या लिखा गया है । एक्ट में मतलब यह कि इन्होंने एक्ट पढ़ा ही नहीं है । अरे इतना तो बता दें कि नौ, दस, ग्यारह, चौदह, कितने वर्ष के कारावास की सजा का प्राविधान किया है आपने दण्ड का क्या प्राविधान किया है । मैं आपके माध्यम से याचना करता हूं कि यह प्रश्न किसी दल का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का है । मंत्री जी बतायें कि एक्ट में क्या प्राविधान किया गया है ऐसे देशद्रोहियों को जो नकली दूध बेंच रहे हैं और उन जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों जिनके क्षेत्र में यह सब हो रहा है वे रोकने में अक्षम हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की जायगी ? क्या सरकार में बैठे मंत्री जी जो लालबत्ती में घूम रहे हैं त्याग-पत्र देंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा और गाजियाबाद में छापे मारे गये उनके यहां जिनके यहां नकली दूध का उत्पादन होता है यह बयान संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग पकड़े गये क्या कार्यवाई की गई ? सरकार बताये सरकार के संज्ञान फिर भी बिक्री नकली दूध की जोरो पर है सरकार ने स्वीकार भी किया है तो क्या यह सरकार अपने पद से त्याग-पत्र देगी ? दूध जो नकली रूप में बेचते हैं उनके सामने यह सरकार बौनी बड़ गई है और ये अपराधी सरकार से ऊपर हो गये हैं आज जरूरत है इनके खिलाफ कार्यवाई की ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

यह सब गलत है । सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है । अब तो नकली दूध आता ही नहीं है शुद्ध दूध सप्लाई होता है.....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए । एक [xxx] के साथ बात करवा रहे हैं एक [× × ×] को खड़ा कर दिया सदन में और खुद सामने आने से कतरा रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो-तीन बिन्दु इसमें उठाये गये और कुछ बनावटी आक्रोश का भी प्रदर्शन किया गया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । गलत काम करेंगे, गलत खायेंगे तो मानसिकता गलत बनेगी ही । इसलिये हमारी सलाह है जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब से इनका साथ छूटा है, थोड़ा-थोड़ा सुधर रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें सरकार के बारे में मैं थोड़ा आश्वस्त करता हूं कि अगर सरकार इसमें सजग न होती तो 8097 नमूने न लिये होते । प्रभावी कार्य करने का तरीका है कि सैम्पिलिंग करें, नूमनें भरें और जांच करायें । परीक्षण में दोष पाये जाने पर दोषी लोगों को पकड़ा गया और दंडित भी किया । मैं एक-एक साल के आंकड़े देने के लिये तैयार हूं । मेरे साथ में कठिनाई यह है कि जिस बात का एक फाइनल मामला न हो जाय, उसको बताने की स्थिति में नहीं हूं । इतना बताने की स्थिति में हूं कि भारत सरकार से वार्ता चल रही है, पत्राचार चल रहा है । आप कह सकते हैं कि इसमें इतने का प्रस्ताव था आपने इतना कैसे कर दिया । इसलिये जब तक वह अन्तिम रूप में नहीं आ जायेगी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा । वर्मा जी, रेवती रमण जी, अशोक बाजपेई जी ने चिन्ता व्यक्त की है । मैं पुनः इस पर बल देता हूं कि आपका भी सहयोग रहेगा तो जो लोग इस तरह के मिलावट का काम करते हैं किसी भी चीज में उनको मैं देशद्रोही की संज्ञा देता हूं । ऐसे लोगों को समाज में रहने नहीं दिया जायेगा । आपने आयातित दूध की बात कही । मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार के दूध में यदि मिलावट पाई जायेगी तो बेचने वाला, स्टाक करने वाला जो भी होगा दोषी, उसको बख्शा नहीं जायेगा इस विषय को उठाकर आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, हमने भी अपना पक्ष रख दिया । इसको निरस्त किया जाना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है । जो रोज इस तरह से मिलावटी दूध बेचा जा रहा है, इन देशद्रोहियों के साथ सरकार की साजिश है । मैं और मेरा दल सरकार के इस रवैये के विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार, श्री अशोक बाजपेई जी, श्री राम नरेश यादव जी, श्री रघुबर दयाल जी, श्री अखिलेश जी और संसदीय कार्य-मंत्री जी को मैंने सुना । इसमें दो राय नहीं है कि समाज के साथ इस तरह का जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं इसमें कुछ दुर्दान्त लोग इन्वाल्व हैं । अब प्रश्न उठता है कि

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

जो नियम और कानून अभी विद्यमान हैं उसके अधीन शासन कितनी गम्भीरतम कार्यवाई कर सकता है . इसमें शासन की तरफ से अपनी गम्भीरता दिखाई गई है । ऐसा करने वालों को रेखांकित करने के लिये जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 10 हजार रुपये तक का ईनाम का प्राविधान किया गया है जो इसकी सूचना देंगे । एन०एस०ए० की कार्यवाई की भी जानकारी है उन्होंने दी है । इस दिशा में और गम्भीरतम कार्यवाई करने की दृष्टि से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है । माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि इस विषय में भारत सरकार से पत्राचार किया गया है शासन द्वारा जो सूचना है गम्भीरतम दण्ड देने की मंशा व्यक्त की गई है आयातित दूध के बारे में मंत्री जी ने कहा है उसकी और इसकी एक स्थिति है जो करेगा उसके साथ भी वही कार्यवाई की जाएगी यह पक्ष आ गया, मैं अपने स्तर से शासन से अपेक्षा करता हूं कि जब तक भारत सरकार से इस पर निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं तब तक जो भी नियम कानून विद्यमान हैं उनके अन्तर्गत कठोरतम् कार्यवाई, दिखाई पड़ने वाली कार्यवाई की जाएगी ।

(मेजें थपथपाई गई)

जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी हो जाए और वह कानून के आतंक से भयभीत हों और ऐसा कार्य न करें । मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है उनसे शासन अपेक्षा करेगा कि तब तक कोई कार्यदल छोटा सा बनाकर इस पर विशेष ध्यान दें और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाई निश्चित करें इसी के साथ मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है इतना महत्वपूर्ण मामला है इस पर पीठ की तरफ से निर्देश दिया गया लेकिन शासन की तरफ से किसी ने यह बात नोट नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

शासन की तरफ से खड़े होकर क्या कहा जाए पालन करेंगे बाजपेयी जी ने कहा पीठ के निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं उसका पालन किया जाता है बाजपेयी जी ज्ञान कर लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह संयुक्त दायित्व होता है । संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं इसको दिखवा लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

बाजपेयी जी कभी-कभी सही बात बोलते हैं आज सही बात बोल गये, यह पीठ के सम्मान की बात होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कौकब जी को बुला लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कायदे से संसदीय कार्य मंत्री जी ने जबाव दिया और इनको खड़े होकर कहना चाहिये था कि निर्देश का पालन करेंगे लेकिन यह बिगड़ैल बच्चे की तरह उठकर चले गये थे, अब आ गये हैं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, बागपत मेरठ जनपद में किसान बहुत परेशान है राजकीय नलकूप अनेक संख्या में खराब पड़े हैं । खासतौर से बागपत जिले के अन्दर, क्योंकि वहां सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं, जो नहरें थीं वह सूख चुकी हैं । शासन से बहुत कहने के बाद भी शासन के कान पर जूं नहीं रेंगी है कोई कार्यवाई नहीं की गई है निजी नलकूप हैं वह ओवरलोडेड हैं कम चल पाते हैं । शासन ने पिछले साल निर्देश किया था नलकूप जो थे इनको ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया बहुकर्मी अधिकारी ठीक कराते हैं, वह ठीक नहीं हुए हैं उनके पास पैसा नहीं है । अब इसको फिर वापस नलकूप विभाग को दे दिया गया है । इनके पास पैसा नहीं है । किसी की मोटर खराब है किसी में तार नहीं है कहीं स्विच गेयर खराब हो गया है इसलिये राजकीय नलकूप खराब हैं । मान्यवर, आप निर्देशित करें सरकार को जो नलकूप मान्यवर, राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं तुरन्त उनको ठीक कराया जाए । यही चलेंगे तो कैसे होगा, सिंचाई का वहां कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं है वहां हाहाकार मच जाएगा । मैं चाहूंगा कि बाकायदा आश्वासन दें कि यह कब तक ठीक करा देंगे । पहले मान्यवर, सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग होती थी । सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग इनके शासन काल में बन्द हो गई है । तहसील दिवस पर राजस्व मंत्री जी ने दो दिन पहले कहा था कि 99 फीसदी जितने आए थे सबका प्रबन्ध करा दिया । जो शिकायतें आयी थीं तो वह शिकायतें कौन सी हैं । अनेकों बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मीटिंग में, तहसील दिवस पर कई बार आ चुका है, प्रभारी मंत्री के सामने आ चुका है लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई । जो सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं वह बहुत छोटी वजह से खराब पड़े हैं मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि इसको जल्दी ठीक करायें ।

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही लोक महत्व का और हजारों किसानों से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है । मान्यवर, बागपत और मेरठ के अन्दर 290 राजकीय नलकूप हैं जिसमें से 203 खराब पड़े हैं । हालत वहां यह हो गयी है कि सिंचाई में दिक्कत हो रही है । इस सदन का सत्र चल रहा है कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब हमने यहां पर विद्युत के प्रति चिन्ता न व्यक्त की हो, नहरों की सिंचाई के प्रति चिन्ता न व्यक्त की हो, जो नहरों के टेल तक पानी नहीं जा रहा है उसके प्रति चिन्ता व्यक्त न की हो और सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि नहरों में पानी कम आ रहा है । दो वर्षों से यमुना नहर में एक बूंद पानी नहीं आया है । यह सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं तो क्या यही संवेदनशीलता है, जहां किसानों को राजकीय नलकूप नहीं हैं उनके लिये वह क्या सोच रही है ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो पूर्वी यमुना नहर है ताजवाले से पानी न छोड़े जाने के कारण रेग्यूलेटर में एक बूंद पानी नहीं आया । वहां पर और कोई दूसरी नहर है नहीं । मान्यवर, सारे खेत सूखे पड़े हैं । अगली फसल तैयार होने की संभावना नहीं है । मान्यवर, मेरठ में जो अपर गंगा कैनाल है उसमें पानी नहीं आया । कम पानी होने से राजबहे और माइनर में पानी कम छोड़ा गया है । 203 राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं । इसमें बहुत से काम इतने छोटे हैं कि वह हो सकते हैं लेकिन लापरवाही के कारण वह खराब पड़े हैं । इसके लिये बहुत बड़े राजकोष की आवश्यकता नहीं है । उनके मोटर खराब है उनकी बाइन्डिंग होनी है, स्टार्टर खराब है उसको बदलवाना है । 6 महीने से मोटर खराब पड़ी है लेकिन उसकी बाइन्डिंग नहीं हो रही है । यह संवेदनहीन सरकार है किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहती है इसलिये सरकार ने उन किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है । इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत कुछ कहने की जरुरत नहीं है । मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल इसको ठीक कराने की व्यवस्था करें । एक समयबद्ध योजना बनायें । अगर किसी ट्यूबवेल की मोटर खराब हो जाय तो 6 दिन, 7 दिन या 10 दिन के अन्दर उसकी बाइन्डिंग करके ठीक किया जाय । अगर स्टार्टर खराब हो गया है या तार टूट गये हैं तो 48 घंटे के अन्दर लगाये जायें । इसमें कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय । यह तात्कालिक इसलिये है कि वहां की जमीन सूख रही है, गन्ने की फसल बोने को है, गेहूं की फसल कट चुकी है और किसान गन्ने की फसल बोना चाहता है इसलिये अनुरोध करूंगा कि तत्काल उन राजकीय नलकूपों को ठीक कराने का सरकार को निर्देश दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह नलकूपों की समस्या विशेष रूप से जो व्यवस्था बदली कि नलकूप का रख-रखाव, नलकूप की सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी गयी यह शिकायतें आयी हैं कि ग्राम प्रधानों के पास साधन नहीं है उनके पास उपयुक्त व्यक्ति नहीं है ये इनका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं साधन के अभाव में । सरकार ने इस बारे में गहराई से विचार किया कुछ व्यवस्थायें की हैं 3-4 दिन के अन्दर वह बातें आ जायेगी । एक तो यह स्थिति आयी थी कि ट्यूबवेल आपरेटर सारे के सारे बहुउद्देश्यीय कर्मचारी के रूप में या ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में नहीं रहे । हमने उस पर पुनर्विचार किया कुछ हद तक एक निर्धारित संख्या में नलकूप चालकों की संख्या को वापस करने का जा रहे हैं तो नलकूप संचालन और छोटी-मोटी देख-रेख में व्यवस्था हो जायेगी । ब्लाक स्तर पर एक व्यवस्था करने जा रहे हैं जिला स्तर पर नलकूप के रख-रखाव के लिये खण्ड तो है क्योंकि नलकूप चले गये थे ग्राम पंचायत में तो उनको कठिनाई होती थी । नलकूप रहेगा ग्राम पंचायत की सम्पत्ति और देख-रेख वहीं होगी । उनकी देखरेख के लिये हर ब्लाक में जूनियर इंजीनियर स्तर का अधिकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं ताकि ग्राम प्रधान को या आपरेटर को कोई कठिनाई न हो ।

मान्यवर, जहां तक बागपत क्षेत्र का सवाल है मैं समझता हूं कि वहां इतनी विस्फोटक स्थिति नहीं हो सकती है निजी नलकूपों की संख्या बहुत है वहां का किसाना समरपाल सिंह जी और कौकब हमीद जी के नेतृत्व में जागरूक हो गया है । अपनी फसल की देख-रेख के लिये देखभाल करता है सक्षम भी है वहां बड़ी भारी संख्या में नलकूप हैं आहिस्ता-आहिस्ता और बढ़ रहे हैं । कुछ डार्क ब्लाक घोषित हो गये थे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था ।

श्री समरपाल सिंह–

आज भी डार्क ब्लाक हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

कनेक्शन खोल दिया है जहां मैं इंगित कर रहा हूं मैं साफ कर देता हूं कि कनेक्शन खोल दिया गया है नलकूप का कोटा बिजली विभाग से जाना चाहिये था और वह कोटा नहीं गया तो उसमें उपभोक्ता को अपने खर्चे पर लेना होगा । मान्यवर, उस दिशा में भी हम कार्यवाई करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, वहां की आवश्यकता को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए उसकी उपलब्धता करायी जाये यह व्यवस्था है यथाशीघ्र और प्रगति होगी । कार्य स्थगन का यह मामला नहीं बनता कृपया इसे निरस्त करने का कष्ट करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, समरपाल सिंह जी ने संख्या बता दी 203 वह उसमें कार्यवाई करके ठीक करवा दिया जाये । मान्यवर, यह कहना कि वहां पर सम्पन्नता है हम स्वयं कर लेंगे तो आप भी तो सम्पन्न हैं आप उन नलकूपों को ठीक करवा दीजिये ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, इस गम्भीर समस्या पर मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वह इन नलकूपों को ठीक कराने का आश्वासन दें अधिकारियों को निर्देश दें । आपने कहा कि निजी नलकूप हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि जिस क्षेत्र की बात कही जा रही है वहां जल स्तर नीचा है आम आदमी निजी नलकूप लगाने की बात नहीं सोच सकता है । मान्यवर, 290 नलकूप हैं यह तो गरीब किसानों की कल्याणकारी सरकार है आप सरकारी खर्चे पर उन नलकूपों को ठीक कराने का निर्देश दें ।

श्री हुकुम सिंह–

जो खराब नलकूप हैं मान्यवर, उनको दिखवा लेंगे और व्यवस्था भी करवा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम–56 के तहत निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री राजेन्द्र यादव जी की है ।

* श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद में जिला प्रशासन व भू-माफियाओं के गठजोड़ से भयंकर घोटाला हो रहा है । हजारों बीघा राजकीय आस्थान वर्ग–6 कृषि कार्य के पट्टों का भू-उपयोग परिवर्तन बिना सरकारी आदेश के आवासीय नजूल भूमि बनाकर माफिया परस्त फ्री होल्ड नीति से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति कौड़ियों के मोल जिलाधिकारी के निजी स्वार्थवश कार्यवाहियों से हड़पी जा रही है । बेली उपहार भूमि संख्या 353 जो राजकीय आस्थान की कृषि कार्य की 23 हजार 6 सौ वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये बिना ही नजूल बनाकर उस पर व्यवसायिक आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी जबकि शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टा निरस्त करके इस राज्य में निहित करके गरीब और मध्यम वर्ग को आवंटित करना चाहिये । इसी प्रकार अराजी संख्या–5 मसीबपुर बख्यितयारा, अशोक नगर की लगभग 4 एकड़ नजूल भूमि जिसका कब्जा इस समय ए० डी० ए० के पास है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र जी, जो विषय आपकी जानकारी में है उसको रख दीजिये ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, विधायक राम कृपाल जनपद इलाहाबाद में भूमि माफियाओं के खिलाफ लगातार दो वर्षों से मुख्य मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायती पत्र दिये हैं उस पर कार्यवाई न होने से जो जमीन गरीबों को मिलनी चाहिये वह उन्हें न मिलकर फैक्ट्री मालिक उस पर कब्जा कर रहे हैं । स्थानीय विधायक द्वारा शिकायती-पत्र दिया गया तो उस पर कार्यवाई तो हुई नहीं उल्टे इसके बदले उन्हें धमकाया, डराया जा रहा है । विधायक जी की जान को खतरा है, बाध्य होकर अध्यक्ष जी के चैम्बर के सामने वह भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उनको मार्शल द्वारा बाहर कर दिया गया है । इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में भू-माफियाओं का कब्जा है । मान्यवर, कोई कार्यवाई न होने के कारण बाध्य होकर वहां के विधायक को यहां पर भूख-हड़ताल पर बैठना पड़ा । मैं समस्त नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं । सी० बी० आई० की जांच की मांग करता हूं और राम कृपाल जी की जो जान का खतरा है उनकी सुरक्षा की मांग करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, इसमें विधायक मेजा, इलाहाबाद को अनशन अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बैठना पड़ा । यह एक शर्म की बात है । यह वर्षों से प्रयास कर रहे हैं । जिलाधीश को इन्होंने शिकायतें दीं उसके बाद मुख्य मंत्री को शिकायतें दीं, राजस्व मंत्री को शिकायत की और विधान सभा में पिछले साल उठाया, विधान सभा के अध्यक्ष के माध्यम से उसकी जांच के आदेश हुए और जांच राजस्व परिषद् के सदस्य से कराई गयी लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई । उल्टे जांच कराने के बजाय, दोषियों को दण्ड देने के बजाय राम कृपाल को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है । जब वह डी० एम० के पास जनता के हित के लिये जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो उनको डांटा जाता है, अपमानित किया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है । जनता के प्रतिनिधि, विधायक को जिलाधिकारी डांटे, अपमान करे उसके यहां विकास का कोई काम न करें, तरह-तरह से उनका उत्पीड़न और परेशान करने की सारी चीजें जारी हैं । आज वह मजबूर होकर अध्यक्ष विधान सभा के चैम्बर के सामने बैठ गये तो मार्शल द्वारा जबरदस्ती उन्हें हटाकर बाहर फिकवा दिया गया । जब दुबारा प्रयास किया गया तो मार्शल द्वारा बैठने नहीं दिया गया । ये विधान सभा में आये हैं ये सारी चीजें बतलायेंगे । यह डी एम 4 साल से वहां बैठा हुआ है क्यों बैठा रखा है जांच क्यों नहीं हो रही है, जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है क्योंकि इस सरकार का बर्दहस्त उसके ऊपर है । इसलिये मैं इस प्रश्न के माध्यम से अपील करता हूं कि इसकी सी०बी०आई० द्वारा जांच करायी जाय और यह समयबद्ध हो तीन महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये और दोषियों को दण्ड मिलना चाहिये । यह मेरी अपील है । यह विधायक के सम्मान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर चर्चा कराई जाये ।

(श्री राम कृपाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जिन लोगों के नोटिस में नाम थे, उनको मैंने सुन लिया ।

श्री राम कृपाल–

इलाहाबाद जिले के अन्दर जिलाधिकारी [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामकृपाल जी कृपया मेरी बात सुनें । यह नियम–56 की सूचना है, इस पर जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, उनको मैंने सुन लिया । प्रकरण आपसे जुड़ा है, यह बात सही है, लेकिन अगर चर्चा शुरू हो जाती तो आपकी बात भी आती ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को सुन लें, उनसे संबंधित मामला है, उनके क्षेत्र का मामला है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा आशय केवल इतना था । ठीक है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है । लेकिन कुछ नियम परम्पराओं का पालन करना हमारा दायित्व है । हमें किसी के प्रति कितनी बड़ी शिकायत हो, लेकिन नियमों के बाहर जाकर उल्लेख नहीं करेंगे । किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आरोप लगायेंगे, उसको यहां अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा, तो यह नियमों के अनुकूल नहीं नियमों के प्रतिकूल है । जिस अधिकारी का नाम यहां लिया गया है और आरोप लगाये गये हैं, उसे कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्देशित करता हूं, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री राम कृपाल–

मान्यवर, जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जितने भी जमीन संबंधी घपले किये गये हैं, मैंने तथ्यों के साथ इस सदन को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष महोदय को लगातार समय-समय पर अवगत कराता रहा हूं । मैंने यही मांग की है कि निश्चित रूप से इसकी जांच करा ली जाय, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई । देवरी-बरहा वाले मामले में जांच नहीं हुई । जिलाधिकारी ने भू-माफियाओं से मिलकर करोड़ों रुपये की जमीन का घपला किया है । मैं पूरे प्रमाण सहित, तथ्यों सहित दे रहा हूं । मैं चाहता हूं इसकी जांच हो जाय, दूध का दूध पानी का पानी हो जाय । मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन हम लोगों को परेशान किया जा रहा है । हम जनता के काम से उनके पास जाते हैं तो अपमानित किया जाता है । यदि हमारी बात गलत निकल जाये तो हमको सदन में दुबारा कहने का अधिकार नहीं है, मेरे कहने का कोई औचित्य नहीं है । जिलाधिकारी, इलाहाबाद के खिलाफ में तथ्य सहित मांग-पत्र दे रहा हूं । इसकी जांच हो जानी चाहिए । समयबद्ध होनी चाहिये, यही मेरा कहना है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि इसके पूर्व भी उन्होंने शिकायतें की हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को भी शिकायत की है, माननीय अध्यक्ष महोदय को भी शिकायत की है और सदन में भी इससे पहले उठाया है । मैं जानकारी प्राप्त कर लूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां से क्या कार्यवाई हुई है, माननीय अध्यक्ष जी के यहां क्या कार्यवाही हुई है । मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जांच हुई होगी । सारी कार्यवाही का संकलन करने के बाद, यदि आवश्यक होगा, आज जो कागज यह देने वाले हैं, प्रमाण देने वाले हैं, तो उस जिले से नहीं, यहां से किसी टीम से जांच करा लूंगा और आपको अवगत करा दूंगा ।

(श्री राम कृपाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई, शासन की भी बात आ गई ।

श्री राम कृपाल–

कुछ समय निश्चित करा दें, कब तक जांच हो जायेगी ? जांच किससे करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यहां से जांच करा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी है और शासन की भी आ गई है ।

श्री राम कृपाल–

मान्यवर, समय सीमा बता दें, कुछ समय निश्चित करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी तो कहते हैं कि आवश्यक होगा तो यहां से जांच करा लेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि इससे पूर्व जो भी शिकायतें माननीय सदस्य ने की है और जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, इन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री जी को, अध्यक्ष जी को और सदन में भी सूचना दी है तो मेरा दायित्व पहला यह होगा कि हम देखें कि उसमें क्या कार्यवाई हुई ? निश्चित रूप से कार्यवाई हुई होगी ।

(श्री प्रमोद कुमार और कुं० रेवती रमण सिंह "मणि जी" के आपस में कुछ बात करने पर और उनकी तरफ श्री हुकुम सिंह द्वारा इशारा करने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यह कह रहा था कि हुकुम सिंह जी स्मार्ट लग रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं इन्कार भी नहीं कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं जानकारी कर लूं यदि जांच नहीं हुई है, सारी बात देखने के बाद में, मैंने कहा कि यदि आवश्यक होगा तो हम यहां से टीम भेज करके जांच करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय सदस्यों को और सरकार का पक्ष सुन लिया और नियम–56 में, मैं इसको निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है ।

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होने पर)

(श्री अखिलेश कुमार सिंह और श्री राम कृपाल के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री अखिलेश जी आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य स्वयं सक्षम हैं, इस नोटिस पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो आप बोल रहे हैं यह अंकित भी नहीं किया जायेगा ।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर "श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम कृपाल, श्री राम स्वरूप सिंह एवं श्री राजेन्द्र यादव वेल में आ गयें)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अखिलेश जी, आप स्थान ग्रहण करें, आप की पूरी बात आ गयी है । शासन ने आपकी बात सुनी और विचार किया । अगर पहले शिकायत आई है उनका संज्ञान लेते हुए कि उन पर क्या कार्यवाई हुई, यह देखने की बात मंत्री जी ने कही है, बिना देखे तो कोई आश्वासन नहीं दे सकते । मंत्री जी कह भी रहे हैं कि देखने के बाद आवश्यक हुआ तो यहां से जांच करा देंगे ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आश्वासन देने के पश्चात् भूख तो नहीं चली जायेगी, पापी पेट का सवाल है, लंच का समय हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरदार जी के पेट में क्या समस्या है, कोई समस्या हो तो किसी डाक्टर को बुलायें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ लोगों के पेट में भोजन की समस्या होती है कुछ लोगों के पेट में कुछ और समस्या होती है, हो सकता है कि यह कुछ और समस्या से ग्रस्त हों ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी के पेट में कुछ फंसा न होता तो वह खड़े न होते ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, देखकर तो नहीं लग रहा हैं कि हुकुम सिंह जी की कोई समस्या होगी लेकिन जब सरदार कोई बात कहें तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

वेल में बैठे माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में आये हुये सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं परन्तु आज तक जांच नहीं हुई बल्कि माननीय सदस्य का उत्पीड़न हो रहा है । हम यह चाहते हैं कि सी०बी०आई० से इसकी जांच करायी जाय और जांच के दौरान डी० एम० को हटाया जाये, नहीं तो जांच प्रभावित होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के संज्ञान में अब यह प्रकरण आया है । माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि सारी शिकायतें, जिनका उल्लेख हुआ है, परीक्षण करा लेंगे । कोई कार्यवाही हुई या नहीं हुई, कोई कारगर परिणाम नहीं आया है तो कह रहे हैं कि यहां से इसकी जांच करवा लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण तो सन्तुष्ट हो गये लेकिन एक जमालो–बी सदन में हैं वह सन्तुष्ट नहीं हुई हैं । वह मुस्कराने लगी हैं, असन्तुष्ट पैदा हुई हैं और इनको सन्तुष्टि केवल सरदार से ही मिलती है । जमालो–बी आग लगाना बन्द कर दें ।

(श्री प्रमोद कुमार जी के खड़े होने पर)

मान्यवर, देखिये जमालो–बी खड़ी हो गयीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब यह 11.00 बजे सदन में मिलते हैं तो ठीक-ठीक रहते हैं परन्तु जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, (मैं 12.00 बजे की बात नहीं कर रहा हूं ।) कुछ गड़बड़ हो जाते हैं परन्तु 2.00 बजे आते-आते ठीक हो जाया करते हैं, लेकिन आज कुछ गड़बड़ हैं । मैं तो चिर असन्तुष्ट हूं लेकिन वह आर० एस० एस० में रहते हुये कुछ गड़बड़ हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने नियम–56 के अन्तर्गत सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऊर्जा विभाग में बहुत भारी अनियमिततायें, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार व्याप्त है क्योंकि इस प्रदेश में करोड़ों रुपये की परिसम्पत्तियों को निजी हाथों में बेंचा जा रहा है और इस तरह से बेचा जा रहा है कि उनकी कीमतें बहुत हैं लेकिन औने-पौने और सस्ते दरों पर और कमीशनखोरी के माध्यम से बेंचा जा रहा है ।.....

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस क्रय के नाम से वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 4 करोड़ की परिसम्पत्ति बेची गई । जो परिसम्पत्ति बेची गई कम से कम उनकी कीमत एक अरब की होनी चाहिए । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष में जो परिसम्पत्ति बेची गई है, इतनी ऊंची कीमत की परिसम्पत्ति थी और इतनी कम में, निजी हाथ में बेची गई है, बहुत चिन्ता का विषय है । लेसा कानपुर, लेसा लखनऊ को उसी चक्र में बेचा जा रहा है, लेकिन अभी कोई गिरोह हाथ में लगे नहीं जिसके हाथों में बेचें । यह तो बिड की कार्यवाही की जा रही है । लेकिन ऐसा कोई सौदा नहीं कर पाये हैं जिसकी पूर्ति करें । अभी अपने भाषण में कहेंगे कि टाटा के एन०टी०पी०सी० के हाथ में बेच दिया । सरकार का उपक्रम है भले ही सस्ते में बेच दिया मुझे कुछ नहीं कहना नुकसान आप का हुआ, केन्द्र सरकार या सरकारी उपक्रम का फायदा, नुकसान हुआ । आपने इतने सस्ती कीमत पंर जो परिसम्पत्तियां बेंची हैं । एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि जनपद–मैनपुरी में एक हाईडिल का पावर-हाउस था, लेकिन उसमें भी करोड़ों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है उनको भी बेंच दिया है या बेचने जा रहे हैं । जहां तक मुझे जानकारी है वाराणसी के पावर हाउस को बेचने जा रहे हैं और उससे संबंधित तमाम शहरों में करोड़ों रुपये की जमीनें हैं, बेचने जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज निजीकरण के रूप में प्रकोष्ठ का गठन किया गया है उस प्रकोष्ठ के गठन के माध्यम से और आपकी सांठ-गांठ से इस तरह प्रदेश सरकार की अरबों रुपये की संपत्ति बेचने का काम न करें और कम कीमत पर न बेचें । इसके लिए सदन के सदस्यों की एक समिति का गठन कर दिया जाए, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है । क्या सरकार बोनाफाइडी तरीके से बेचना चाहती है ? मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है । मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, शाक्य जी चुनाव से लौटे हैं, धांधली शब्द उनकी जबान पर है । शायद इसी फोवयावस से उन्होंने अपनी बात कही । कुछ का उन्हें ज्ञान है, कुछ को संज्ञान में लाना चाहते हैं । मान्यवर, एम०एम०टी० भारत सरकार का उपक्रम है । पावर कार्पोरेशन और विद्युत परिषद् का स्क्रेप्ट बेचने का यह काम करता है । प्रतिवर्ष 4 करोड़ से अधिक स्क्रेप्ट की नीलामी नहीं हुई है । यह कोई सरकारी एजेन्सी तो नहीं लेगी । पारदर्शिता के आधार पर स्क्रेप्ट बेचे जाते हैं । इसके लिए विज्ञापन होता है और निजी क्षेत्र के लोग आते हैं । जो हमारी बड़े-बड़े शहरों में भूमि खाली पड़ी है उस पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं आवास आयुक्त और डेवलपमेन्ट अथार्टी ने रुचि दिखाई थी यदि आवास के लिए वह जमीन लेने में रुचि रखते हैं तो उनको जमीन दी जायेगी । मान्यवर, इसका भी एक प्रासेस है, समिति है, जो हमारे सचिव ऊर्जा हैं और प्रमुख सचिव नगर विकास हैं यह बैठकर वार्ता करके नेगोसियेशन के माध्यम से कर रहे हैं । इसका एक प्रोसेस है शायद आपको इसका ज्ञान नहीं है । आपने जो कानपुर की बात कही है । अभी कानपुर में बेचने की बात कहां है अभी पार्टियां चयनित नहीं हुई हैं । हमने उसके लिए

दोबारा एडवरटाइज किया है । पहले सात पार्टियां आई थीं, अब और आयेंगी । लीड बैंक के फाइनेन्शियल एडवाइजर से आंकड़े लेकर ही तब निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है । शाक्य जी ने शायद अखबारों में पढ़ लिया इसीलिए सदन में उठाया है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की हर चीज पारदर्शी है, हम पूर्व की सरकारों की तरह कार्य नहीं करते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

तहलका की तरह पारदर्शी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

चाहे यूरिया काण्ड हो, या बोफोर्स काण्ड हो हमारी नीति उस तरह की पारदर्शी नहीं है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार रहेगी, पारदर्शिता रहेगी कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज छिपाई जाय । मान्यवर, इनकी सूचना ऐसी नहीं है कि कहीं माहौल खराब हो रहा हो या बड़ा घोटाला हो रहा हो । इसलिए इसको निरस्त किया जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय, ऊर्जा मंत्री ने बड़ी सफाई से अपनी बात कह दी मैं अखबार की सूचना पर कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं, जब तक मेरे पास तथ्य नहीं होते हैं तब तक मैं किसी सूचना को नहीं उठाता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । उसमें कितना सत्य है और कितना नहीं है, यह जांच का विषय है इसलिए मैंने जांच की मांग की है ।

मान्यवर, मैं जांच की बात इसलिये कह रहा हूं कि अभी पिछले बजट में ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि विधायकों के क्षेत्र के 5–5 गांव का विद्युतीकरण किया जायगा लेकिन उस घोषणा से मुकर गये । मान्यवर, परम्परा यह है कि सदन में यदि कोई घोषणा की जाय तो उसका पालन होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी अगर कोई घोषणा सदन में हुयी है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो आप जैसे विद्वान सदस्य उसको किसी सम्यक् नियम के अधीन उठा सकते हैं । ऊर्जा मंत्री ने कानपुर के बारे में बताया कि वहां कार्यवाही अभी प्रारम्भ हुयी है और जो कुछ होगा वह पारदर्शिता के साथ होगा । अभी ऊर्जा विभाग का बजट आयेगा । यदि कोई विषय हो तो आपको उठाने का अवसर मिलेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य लेकिन ऊर्जा मंत्री ने जो कहा है उससे एक प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है इसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जिस विषय की चर्चा की वह अभी सिद्ध नहीं है, जब सिद्ध हो जायगा उसके बाद आप उल्लेख करें तो उचित रहेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

हमारी मंशा यह थी कि आपके संज्ञान में लाया जाय और आप सरकार को निर्देश दें । उन्होंने बिड लगाई नहीं और मैनपुरी का बेच दिया । इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैनपुरी का अभी नहीं हुआ है । इसलिये जांच का प्रश्न कहां उठता है । हमारे ऊपर एक आरोप लगाकर आप जांच की मांग करते हैं कि जांच हो जाय उधर कितने आरोप लग रहे हैं लेकिन जांच की बात कभी नहीं की जाती ? अगर आप लिखकर दे देंगे तो फिर जांच करवा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय राम औतार शाक्य और माननीय ऊर्जा मंत्री को सुना । इस सूचना को ग्राह्य करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं नियम 56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने उठाना चाहता हूँ । शारदा नदी की बाढ़ से पूरनपुर जनपद पीलीभीत में बड़े पैमाने पर विनाश लीला हुयी है । नदी के पार बसने वाले परिवार तबाह हो गये हैं । आज वहां की हजारों एकड़ भूमि शारदा नदी में कट कर समा गयी है । जो बड़े-बड़े किसान थे उनकी हालत यह है उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है । अगर इस समय इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर से शारदा नदी से कटाव होगा । यह केवल पूरनपुर तहसील की बात नहीं है । यह लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा की बात है । नेपाल में शारदा नदी पर बांध बनाया गया है । नेपाल का पानी और बरसाती नदियों का पानी वह इसमें जमा करते हैं वह आकर हमारे इलाके को तहस नहस कर देता हैं । आज सैकड़ों परिवार सड़कों के किनारे पड़े हैं । उनका कोई पुरसाहाल नहीं है । शासन की ओर से उनको मदद नहीं दी गयी है । मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की जाय और नियम 56 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करायी जाय । शारदा नदी की बाढ़ से वहां की जमीन कट जाएगी मान्यवर, इसे नियम 56 में स्वीकार कर इस पर चर्चा कराएं ।

श्री हुकुम सिंह–

इस सम्बन्ध में संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों और जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि वह इस पर सतर्क रहें स्थिति की देखभाल रखें व स्थिति की जानकारी शासन को देते रहें । इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं है इसलिए इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री गोपाल कृष्ण–

संसदीय कार्यमंत्री जी इसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं । यह जिलाधिकारी के वश की बात है, ठोकरों को रोकने के लिए शासन को व्यवस्था करनी होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बात कही कि वह बराबर सतर्क रहें । आप शायद सो रहे थे व अधिकारी शासन को बराबर अवगत कराते रहे ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, वहां हजारों एकड़ जमीन कट गई किनारे के गांव के गांव बह गए । पूरा शहर तबाही के कगार पर हो गया जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये हैं । यह कोई बात नहीं हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी ने केवल जिलाधिकारी को निर्देश देने की ही बात नहीं कही उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को भी निर्देश दे दिया गया क्योंकि इसमें विषय सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है वही इसमें कार्यवाही करेंगे ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, दैनिक जागरण में स्पष्ट लिखा है यह मेरे पास दैनिक जागरण है कि पैन्टून पुल बह गए हैं, मुख्यालय से सम्पर्क टूट गए हैं । कार्यवाही आप करेंगे जब लोग मर जाएगें पूरा इलाका मिट जाएगा । हम चार साल से बराबर कह रहे हैं कोई कार्यवाही नहीं हुई । यह जनता का सवाल है उनके रोजी रोटी का सवाल है ।

श्री अरविन्द गिरि–

वहां सिंचाई विभाग व जिलाधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं हैं । जब तक शासन हस्तक्षेप नहीं करता है । एक जनपद ही नहीं बल्कि पीलीभीत, लखीमपुर, गोण्डा, बहराइच इससे प्रभावित हैं । नेपाल से यह व्यवस्था की गई है कि वहां पूरे नेपाल के पानी को यहां डायवर्ट कर दिया गया और नदी की क्षमता से 10 गुना अधिक पानी उसमें पहुंच रहा है । लखीमपुर जनपद के 100 से अधिक गांव बह गए हैं । इसमें जब तक आपके निर्देश नहीं होंगे जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक भला होने वाला नहीं है ।

श्री गोपाल कृष्ण–

यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मामला नहीं है । नेपाल से नदी आ रही है उस नदी में प्रलयकारी बाढ़ से लोगों के खेत मकान बह जाते । मेरे सामने मस्जिद, शारदा नदी के अन्दर अपने आप चली गई । गुरूद्वारा रामनगरिया, गुरूद्वारा, खेत, खलिहान सब डूब गये हैं लोग पलायन करके वहां पड़े हुए हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारे विधायक जी के क्षेत्र में आजकल में कोई उच्च स्तरीय टीम भेज दी जाए उस क्षेत्र का गम्भीरतापूर्वक निरीक्षण कराने के बाद निर्णय लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी चिन्ता से माननीय सिंचाई मंत्री जी को अवगत करा दूंगा ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, यह देश की सुरक्षा का मामला है वहां पर लोगों के घर डूब गये हैं । बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । इसको चर्चा में परिवर्तित मत कीजिए । हमने आपकी पूरी बात सुन ली है उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं । आपके निवेदन पर समिति बनकर जायेगी ऐसा नहीं है ।

श्री गोपाल कृष्ण–

आज का पेपर दैनिक जागरण देख लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में पेपर का संज्ञान नहीं लिया जाता । मैं तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहा हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मेरी पीड़ा को समझिये । बहुत गम्भीर मामला है । आपकी पीठ से समिति का निर्देश आना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा आपसे निवेदन है कि आपको ग्राह्यता पर सुन लिया गया है अब इसको चर्चा में मत बदलिये । आपकी बात आ गई सरकार की बात आ गई अब हमारी बात भी आ जाने दीजिये । सरकार ने कह दिया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा गया है, जिलाधिकारियों से कहा गया है जानकारी शासन को दें और फिर इसी विभाग का बजट है उस समय कह लीजिएगा । मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं । संसदीय कार्य मंत्री ने गम्भीरता से आपके विषय को सुना है । पहले भी इस पर जो कार्यवाही हुई उसको बताया । आगे के लिये आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि कल सिंचाई विभाग का बजट है, आपको अवसर मिलेगा, आप विस्तार मे अपनी बात रख सकते हैं । यह नियम-56 में नहीं आती है ।

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुन लें । आपकी बात को गम्भीरता से सुना गया । कह रहें हैं कि कल सिंचाई विभाग का बजट है आपको अवसर मिल गया है कल फिर अपनी बात रखने का यदि सिंचाई विभाग का बजट कल ही पास हो गया होता तो आपको अवसर मिलता । कल सिंचाई मंत्री भी रखेंगे । यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वह इसरे सिंचाइ मंत्री को भी अवगत करा देंगे और इस पर जो भी प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री गोपाल कृष्ण--

मान्यवर, जैसे औरों में होता है । आप इसमें भी स्पष्ट निर्देश दें कि एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करा लें । मेरे हेम का मामला है । हम 4 लाल से बराबर चिल्ला रहे हैं । उच्च स्तरीय कमेटी जाकर जांच कर ले ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कह दिया है संसदीय कार्य मंत्री सिंचाई मंत्री से बात करके इसमें जो कार्यवाही होनी होगी उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत ही परेशान हैं । दिक्कत की बात है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है, घर टूट गये हैं । आपने कहा कि प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । कल तक या आज तक मैं चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी विशेष रूचि लेकर जो वहां अच्छे परिणाम लाने के लिए कार्यवाही हो सकती हो विधायक जी के साथ भी अधिकारियों की बैठक करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता--

विधायक जी से सिंचाई मंत्री जी बात करा दीजियेगा और अपनी तरफ से भी उनको जानकारी दे दीजियेगा ।

श्री हुकुम सिंह--

ठीक है ।

(श्री कौशल किशोर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इसको 56 में अग्राह्य घोषित कर दिया है । अगली सूचना बुला रहा हूं । कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं इस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । पांच सूचनाओं पर सुना गया । अगली सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी में लगे कारीगरों द्वारा निर्यात हेतु बनाये जाने वाले

सामान में प्रयुक्त होने वाली छोटी बैंडसा को चलाने के लिए अनुमन्य तीन हार्स पावर को बढ़ाकर पांच हार्स पावर क्षमता न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में मेरी अध्यक्ष जी से भी बात हुई.....

श्री अधिष्ठाता–

संजय जी आप बड़े जानकार सदस्य हैं। आपको मालूम है शलाका के आधार पर पांच सूचनाओं पर सुना जाता है शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। अगली सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत अर्द्धनिर्मित पावर हाउस 132 के०बी० कुमारगंज व 33 के०वी०ए० पावर हाउस अमानीगंज को ऊर्जीकृत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री लालमणि प्रसाद की सूचना जनपद संत कबीर नगर एवं अन्य नव सृजित जिलों को यथास्थिति बरकरार रखने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गई। अतः अस्वीकृत हुईं–श्री उदयराज यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री रामप्यारे सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री तौफीक अहमद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री अरविन्द गिरि, श्री रामपाल, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री विजयपाल सिंह एवं श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री संजय गर्ग–

मा० दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था है उसके अनुकूल कार्यवाही की है। पांच सूचनाओं की ग्राह्यता पर चर्चा हो गई, हर सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है। पांच सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुन लिया गया। छठी, सातवीं और आठवीं सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर दिया गया।

श्री संजय गर्ग–

मा० एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

जो नियम है उसके अनुसार कार्यवाही चलेगी दबाव न डालें।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,48,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,09,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं गन्ना विभाग का बजट प्रस्तुत करने के पहले दो कोटेशन कहना चाहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा कि–"हिन्दुस्तान में किसान राष्ट्र की आत्मा है" । सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा कि "धरती पर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार है तो धरती पर धन-धान्य पैदा करने वाले किसान का है" ।

श्रीमन् हमारा देश और प्रदेश कृषि पर आधारित है । उत्तर प्रदेश के अन्दर 34 लाख किसान हैं 30 लाख गन्ना समितियों के सदस्य हैं । 27 लाख गन्ना किसान गन्ना आपूर्ति गन्ना मिलों को करते हैं । मैं गन्ने के इतिहास से अवगत कराना चाहूंगा गन्ने को भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम् फसलों में माना जाता है । प्राचीन भारतीय साहित्य अर्थवेद, रामायण भागवत्गीता, मनुस्मृति, आर्युविज्ञान, चरकसंहिता, बौद्ध साहित्य में गन्ने का वर्णन मिलता है । भारत में अनेक देशी जातियां एक लम्बे समय से उगायी जा रही थीं । न्यूगिनी में आठ हजार वर्ष पहले से मोटे गन्नों के गार्डन केन्स के रूप में विद्मान होने के प्रमाण उपलब्ध हैं । भारत में भारतीय गन्ने की विद्मानता का ज्ञान ग्रीकों को 327 ई०पू० में भारत पर सिकन्दर महान के आक्रमण से हुआ । उसने गन्ने को शहद के बांस के नाम से सम्बोधित किया और गन्ने को यूरोप ले जाया गया । जब मोटा गन्ना (ट्रापिकल केन) अपने जन्म स्थान न्यूगिनी से जावा, वेस्टइंडीज आदि में पहुंच रहा था उसी समय भारतीय गन्ना अरब व्यापारियों द्वारा बेबीलान (फारस) सीरिया क्रीट, साइप्रस माल्टा सीसीली दीपों आदि में पहुंचा । पांचवी सदी में भारतवर्ष से गन्ने की मिठास ईरान पहुंची और सातवीं सदी में मिश्र तथा स्पेन ने भारतीय गन्ने का स्वाद लिया ।

16वीं सदी में नयी दुनिया अर्थात् अमेरिका को इस भारतीय गन्ने का आभास मिला संभवतः गन्ना हवाई दीप समूल के रास्ते होकर आस्ट्रेलिया पहुंचा । विश्व में गन्ने की जाति को किसी एक देश से दूसरे देश में विधिवत ले जाने के सफल प्रयास का श्रेय सम्भवतः बोगेनविले को है जिसने 1766-68 के बीच समुद्री मार्गों से विश्व का चक्कर लगाया और ओटाहिट दीप पहुंचकर वहां की ओटाहिट किस्म को मारीशन एवं बोरबोन दीपों में ले गया । डा० हुस्ज ने अपने मोनोग्राम "शुगरकेन कल्टीवेशन एण्ड फर्टिलाइजेशन" में इसका विस्तृत वर्णन किया है । 327 ई०पू० सिकन्दर महान द्वारा भारतवर्ष पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप ग्रीक भारत में गन्ने की विद्यमानता से प्रथम बार अवगत हुये । 250 इ०पू० में भारतीय गन्ना चीन पहुंचा । (ई० पूर्वी भारतीय दीपों इण्डोनेशिया में पहुंचा 600 ई० सीलोन पहुंचा, 64 ई० मिश्र पहुंचा, 680 ई० सीरिया पहुंचा, 700 ई० कम्बोडिया, 714 ई० स्पेन, 750 ई० प्रोवेन्स 827 ई० सीसीली, 850 ई० मेडागास्कर, अण्डमान निकोबार दीप समूह, 900 ई० ड्रिपोली, 1420 ई० पूर्व मेडिरा, 1493 ई० पूर्व सेंट डोमिगो, 1524 ई०, काबुल अफगानिस्तान पहुंचा । यहां यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 700 वर्ष पहले जिन देशों के अन्दर गन्ने को विशेष रूप से डैवलंप किया गया । अपनी उच्च शकर्रायुक्त जातियों एवं उत्तम रिकवरी के लिए विख्यात आस्ट्रलिया में तो गन्ने का प्रवेशन लगभग 150 वर्ष पहले हुआ । 1300 ई० हवाई, 1520 ई० मेक्सिको 1532 ई० ब्राजील, 1620ई० अर्जेन्टाइना, 1441 ई० बारबाडोज, 1673 ई० लुसियाना 1712 मारीशस 1850 ई० आस्ट्रेलिया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित देशों में शुगरकेन ब्रीडिंग स्टेशन स्थापित हुए । मारीशस–1843, जावा–1886, बाराबाडोज–1887, रीयूनियन–1889, ब्रिटिश गायना (डेमीरेरा)–1889 आस्ट्रलिया (क्वीन्सलैण्ड)–1890, हवाई–1904 तथा भारत (कोयम्बटूर)–1012, फिजी–1913, प्यूरटोरिको–1914, तुकामन–1916, फ्लोरिडा–1921, दक्षिण अफ्रीका (नेटाल)–1929, मिश्र–1931, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान–1975 ।

मान्यवर, इसके बाद मैं सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विश्व में गन्ना उत्पादन, 14982 लाख टन था, भारत में 2990.27 लाख टन था जो कि 20 प्रतिशत है । जहां तक चीनी उत्पादन की बात है तो विश्व में चीनी उत्पादन 1363 लाख टन तथा भारत में 174 लाख टन है । भारत का योगदान 12.8 प्रतिशत है । मान्यवर, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि देश में कुल 460 चीनी मिलें हैं जिसमें से 423 कार्यरत हैं । उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें हैं उसमें से 100 कार्यरत हैं । देश में गन्ना का क्षेत्रफल सम्पूर्ण भारत में 42.25 लाख हेक्टेयर है, उत्तर प्रदेश में 21.40 लाख हेक्टेयर है । इसमें प्रदेश का योगदान 50.65 प्रतिशत है । गन्ना उत्पादन में भारत का 292.27 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 1232.40 लाख तथा प्रदेश का 41.19 प्रतिशत योगदान है । चीनी मिलों द्वारा पेराई भारत में 1785 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 487.88 लाख टन तथा प्रदेश का योगदान 27.33 प्रतिशत है ।

मान्यवर, चीनी उत्पादन संपूर्ण भारत में 182.00 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश में 45.56 लाख टन तथा प्रदेश का योगदान 25.03 प्रतिशत है । चीनी परता सम्पूर्ण भारत में 10.20 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 9.34 प्रतिशत है । मान्यवर, मैं यहां पर यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि गन्ने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि गन्ना उत्पादकता अच्छी हो और चीनी की रिकवरी हो, तो भारत में गन्ने की औसत उपज 70.8 टन/हेक्टेयर है तथा चीनी परता 10.20 है । उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की उत्पादकता है वह 57.60 टन प्रति हेक्टेयर है और चीनी का परता 9.34 प्रतिशत है ।

मान्यवर, हम गन्ना शोध संस्थान के माध्यम से गन्ने की अच्छी वैरायटी देने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, 1980-81 से 1999-2000 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर पर गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है । गन्ना क्षेत्रफल 2.3 प्रतिशत गन्ने की औसत उपज 1.6 प्रतिशत, गन्ना उत्पादन–4.3 प्रतिशत तथा चीनी उत्पादन 5.9 प्रतिशत हुआ है । तो इस तरह से चीनी में वृद्धि हुई है । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गन्ना उत्पादन है पिछले वर्ष गन्ना उत्पादन हुआ । 1232.40 लाख टन उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को मिलाकर के हुआ 1203.00 लाख टन ।

मान्यवर, लेकिन गन्ने की व्यवस्था मेंटीनेन्स अच्छा रहा इस कारण गन्ना पेराई 487.88 लाख टन हुई थी । 99-2000 में इस वर्ष उत्तरांचल को मिलाकर 489.14 लाख टन गन्ना पेरा गया है । मान्यवर, जहां तक चीनी के उत्पादन की बात है रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ था । 45.56 लाख मीट्रिक टन । मान्यवर, आपकी शुभकामनाओं से मैं आपके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि चीनी मिलों की कार्य शैली में सुधार किया गया । पिछले साल के मुकाबले इस साल 47.49 लाख टन उत्पादन किया गया । मान्यवर, चीनी का परता का प्रतिशत 99-2000 में 9.34 था इस वर्ष इनमें काफी सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल को मिलाकर 9.71 प्रतिशत हुआ है । इस तरह से .37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह बहुत बड़ा सुधार सुगर सेक्टर में हुआ है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत चीनी मिलों की संख्या और स्थापित पेराई क्षमता में 99-2000 में 3.58 ला०टी०सी०डी० और 2000-2001 में 3.92 ला० टी०सी०डी० पेराई क्षमता उत्तर प्रदेश में हुई है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार ने अपनी प्राथमिकता में किसानों के हित में निर्णय लिये हैं मान्यवर, सहकारी गन्ना समितियों द्वारा रुपये 95.53 करोड़ का उर्वरक ऋण के रूप में वितरण किया गया तथा बीज संवर्द्धन, प्रक्षेत्र प्रदर्शन तथा कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराने हेतु 3.88 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना का कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया । मान्यवर, यह भी बताना चाहता हूं कि किसान प्रशिक्षण के संदर्भ में गन्ना किसान संस्थान द्वारा 1,01,352 कृषकों को वर्ष 2000-2001 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कृषि यंत्र वितरण में वर्ष 2000-2001 में बैल/मानव चालित 15135, ट्रेक्टर चालित 242 और यंत्र वितरित किये गये । मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में 5 ताप शोध यंत्र लगाये गये यह यंत्र बिजनौर, पीलीभीत, बलरामपुर, बस्ती तथा मुरादाबाद में स्थापित किये गये । मान्यवर, प्रदेश

में प्रक्षेत्र प्रदर्शन (फील्ड प्रदर्शन) के अन्तर्गत 1403 फील्ड प्रदर्शन आयोजित किये गये । मान्यवर, हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को निवेश उपलब्ध करायें । वर्ष 2000-2001 के लिए 152441 कृषकों को रुपये 91.45 करोड़ ऋण हेतु क्रेडिट कार्ड हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया । मान्यवर, प्रेस मड किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और शासनादेश जारी कराया गया ।

मान्यवर, कृषकों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने की 5 वर्षीय योजना उपलब्ध करायी गयी । मान्यवर, हम लोगों का प्रयास रहा है कि गन्ने की अच्छी वैरायटी मिलनी चाहिए । मान्यवर, जो पौधा गन्ना क्षेत्रफल है उसका वर्तमान स्तर 815354 हेक्टेयर है कुल आच्छादन 124510 है यह शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत है और इसका प्रतिशत 14.8 है । मान्यवर, जब तक प्रक्षेत्र नहीं बढ़ेगा तब तक पेराई नहीं कर पायेंगे उसके कारण शुगर इण्डस्ट्री का जो हित संरक्षण होना चाहिए वह नहीं हो पायेगा इसलिए इसमें योजना बनायी गयी है 5 वर्ष की और उसको 32 प्रतिशत तक ले जाने की बात है जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां है जिससे हमारे मिलों को भी हित संवर्द्धन हो सके । मान्यवर, 2000-2001 में मध्य से पकने वाली जो प्रजातियां हैं वह 80.4 प्रतिशत है यह ज्यादा है इसको थोड़ा कम करने की योजना है । मान्यवर, 2004-05 में इसको 58 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जायेगा । मान्यवर, जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं उनका 2000-01 में इसका प्रतिशत 1.2 है यह प्रजातियां नहीं मिलती हैं इसके लिए हम लोगों ने योजनायें बनायी हैं और 2004-05 तक इसका प्रतिशत 10 तक ले जाने का प्रयास होगा ।

इस प्रकार से मान्यवर, इस तरह की गन्ना वैरायटी को डेवलप किया जायेगा जिससे जो चीनी मिले हैं प्रथम से लेकर अन्त तक उनको गन्ना उपलब्ध हो सके । मिल चलेगी तो इसका सीधा लाभ गन्ना किसानों को मिलेगा । औसत उपज कम होने के कई कारण हैं । पेड़ी प्रबन्धन का अभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की देर से बुवाई पूर्वी उ० प्र० में अधिक जल भराव तथा जल निकास का अभाव है । गन्ने की आय दक्षिण भारत से कम है गन्ना शोध परिषद् से इसको सुधार करने का प्रयास हो रहा है । उपज बढ़ाने के लिए शासन ने अपनी योजनाएं बनाई हैं पांच वर्षीय बीज बदलाव कार्यक्रम जैसा माननीय सदस्यों को अवगत कराया है पांच वर्षीय कार्यक्रम उ० प्र० में लागू कर रहे हैं । जिससे अर्ली, मध्य, अन्त में गन्ने की वैरायटी मिलेगी । प्रदेश में गन्ना उत्पादक कृषकों को सुगमता से कृषि निवेश हेतु पांच वर्षों का विभागीय लक्ष्य निर्धारण करते हुए योजना तैयार की गई है । वर्ष 2001-2002 में लाभार्थी 152441 और ऋण 91.45, 2002-03 में लाभार्थी 228662 और ऋण 137.18,2003-04 में लाभार्थी 304882 होंगे और ऋण 182.91 करोड़, 2004-05 में लाभार्थी होंगे 381103 ऋण 228.63 और 2005-06 में लाभार्थी 457623 और ऋण 274.36 दिलाया जायेगा ।

इसी तरह से उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना है इसलिए एक 5 वर्षीय योजना बनाई गयी है । मान्यवर, इसलिए हमारी सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड द्वारा 2000-01 में 104.97 करोड़ का उर्वरक वितरण, 2001-02 में 128.81 करोड़ का, उर्वरक वितरण किया जायेगा । 2002-2003 में 157.54 करोड़ रुपये का उर्वरक वितरण किया जायेगा तथा 2004-05 में 221.90 करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा ।

यह बहुत आवश्यक है कि चीनी मिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाय । गन्ना किसान संस्थान गन्ना शोध परिषद तथा चीनी मिलों के सम्मिलित प्रयासों से प्रशिक्षण की व्यवस्था है । राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से, वर्कशाप से जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित कराया गया । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे गन्ने की अच्छी वरायटी है जिससे गन्ने की उपयोगिता भी है । गन्ना शोध परिषद् द्वारा रिसर्च किया गया है कि गन्ने की प्रजातियां को०शा० 95255, को०शा० 88230, को०शा० 96268, को०से० 95436 व को०से० 98231 शीघ्र पकने वाली, को०शा० 97264 मध्य देर से पकने

वाली इससे उपयोगिता बढ़ेगी और चीनी की रिकवरी बढ़ेगी । इस तरह से गन्ना किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । इसके साथ-साथ सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न तरीकों से बदलाव गन्ना प्रजातियों में लाये इसके लिए गोष्ठियां की जाती हैं ।

यह चयनित जातियां हैं शीघ्र पकने वाली को०शा० 8436, को०शा० 88230, को०शा० 95255, को०शा० 96258, को०से 95436, को०शा० 96268 इसी तरह से मध्य देर से पकने वाली पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश हेतु को०शा० 8432, को०शा० 94257, को०शा० 95222, को०से० 92423, को० पन्त 84212, को०शा० 97264 इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु को०शा० 8432, को०से० 92423, को०से० 93232, को०से० 96436 है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु यू०पी० 9529, यू०पी० 9530, को०से० 96436 एवं बी०उ० 128 है ।

एक हाईलेबिल कमेटी बनी थी, जिसमें ऐसी प्रजातियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिनसे चीनी का परता कम आ रहा है, ऐसी प्रजातियां समय से समाप्त की जा रही हैं ॥ उत्तर प्रदेश के अन्दर यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सह फसल प्रबन्धन हो ॥ इसके लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के अन्दर, पचिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जायं । जिससे सह फसल प्रबन्धन् का लाभ मिल सके ।

मान्यवर, किसी क्षेत्र के अन्दर मृदा कैसी है, उसमें कौन सी वैराइटी पैदा की जाय, कौन सा फर्टीलाइजर उपयोग किया जाय, इस संबंध में गन्ना शोध परिषद् द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी के तहत पिछले 15 वर्षों में 28 चीनी मिलों के क्षेत्र में मृदा परीक्षण का कार्य किया गया है, इसमें किसानों को बताया जाता है कि कौन सा आर्गेनिक इस्तेमाल करें, कौन सा फर्टीलाइजर इस्तेमाल करें, ऐसा करने से गन्ना उत्पादन में जो चीनी का परता है, उसमें सुधार आ रहा है । मान्यवर, गन्ने की फसल में तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं, रोग लग जाते हैं, हालांकि इस बार फसल में कोई विशेष रोग नहीं लगा, इसके लिये भी कीट प्रबन्धन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से बीमारियों का उपचार किया जाता है और शासन से प्रयास किया जाता है ।

मान्यवर, यह भी आवश्यक है कि गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना विकास के लिये शोध होना चाहिये । इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैनेटिक इंजीनियरिंग, बायो टेक्नालाजी, बायो फर्टीलाइजर/वर्मी कम्पोनेन्ट, बायोलांजिकल कन्ट्रोल, आर्गेनिक फार्मिंग और एकीकृत कीट/रोग प्रबन्धन इन सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिल सके, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ।

मान्यवर, अक्सर माननीय विधायकगण आग्रह करते हैं कि गन्ना मूल्य में वृद्धि होनी चाहिये ॥ उत्तर प्रदेश के अन्दर जब से हम लोगों की सरकार है, पिछले 4 वर्षों से प्रतिवर्ष हमने 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य में वृद्धि की है । साथ ही गन्ने का मूल्य किसानों को मिले, यह सुनिश्चित कराया है । वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 का 100 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है ॥ इस साल भी सरकार का प्रयास है कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय से हो । कई बार यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि हरियाणा में गन्ना मूल्य अधिक दिया जाता है । यह प्रश्न अभी आयेगा, उसका उत्तर मैं पहले ही दे रहा हूं । हरियाणा में कुल 13 चीनी मिलें हैं जिसमें 10 सहकारी क्षेत्र की हैं तथा 3 निजी क्षेत्र की हैं ॥ हरियाणा में वर्ष 99-2000 में राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 36.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी है । यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि पंजाब तथा हरियाणा में गत वर्ष का ही गन्ना मूल्य इस साल है । वहां भी गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है ॥ जबकि हमने 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि पिछले 4 वर्षों से लगातार की है ।

इस समय उत्तर प्रदेश में 100 चीनी मिलें हैं जिसमें चीनी निगम की 22 मिलें हैं, सहकारी चीनी मिलों की संख्या–27 है और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की संख्या–51 है । उत्तर प्रदेश के अन्दर इन 100 चीनी मिलों द्वारा इस वर्ष रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ है । लेकिन यहां यह भी विचारणीय है कि चीनी निगम की मिलों की जो पेराई क्षमता है, वह मात्र 1580 टी०सी०डी० है । जबकि सहकारी चीनी मिलों की पेराई क्षमता 2469 टी०सी०डी० है और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 4675 टी०सी०डी० है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी प्रकार की चीनी मिलों की औसत पेराई क्षमता 3269 टी०सी०डी० है । आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन चीनी मिलों की क्षमता 5000 टी०सी०डी० हो, वहीं वायेबिल हो सकती है । लेकिन वास्तविकता यह है कि चीनी निगम और सहकारी चीनी मिलों की पेराई क्षमता बहुत कम है लेकिन वहां भी प्रयास करके गन्ना पेराई क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और चीनी परता में सुधार किया जा रहा है ।

मान्यवर, हमारे चीनी उद्योग की कुछ प्रमुख समस्यायें भी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 22 चीनी मिलें पुरानी व न्यूनतम आर्थिक क्षमता से कम की हैं, उनके आधुनिकीकरण के लिये प्रयास किया जा रहा है । इस समय अर्न्तराष्ट्रीय लाभकारी मानक क्षमता 7000 टी०सी०डी० है, जबकि हमारे देश में यह क्षमता 2500 टी०सी०डी० से कम क्षमता की है । पूरे देश के अन्दर जितना चीनी परता का औसत होना चाहिये, वह भी हम नहीं दे पा रहे हैं, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, यह भी बहुत आवश्यक है कि चीनी उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए उसके सह उत्पादों पर आधारित उद्योग विकसित हो । इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है । एक और समस्या है वित्तीय संस्थाओं द्वारा चीनी उद्योग को जोखिम वाला उद्योग माना जाता है जिसके कारण उनसे सुविधाएं प्राप्त करने, कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने में कठिनाई होती है । यह बात मैंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री शांता कुमार जी से भी उठायी है कि वह इसमें मदद करें । जिससे चीनी मिलों को धन प्राप्त करने और गन्ना मूल्य के भुगतान में भी सुविधा हो सके । उत्तर प्रदेश में डेढ़ वर्ष से मेरे पास यह विभाग है, जब मैं मंत्री बना था तो कहा था कि मेरा प्रयास होगा कि कोई भी चीनी मिल बन्द न हो । मैं बताना चाहता हूं डेढ़ साल में कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई । लेकिन इसके पहले 11 चीनी मिलें बन्द हो गयी थीं लेकिन उसमें वी०आर०एस० लागू है इसके लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है । हमारा प्रयास है कि इन चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में चलाने के लिए जो इच्छुक होगा उसे प्राथमिकता मिलेगी । जिससे कुछ और चीनी मिलें प्रारम्भ हो सकेंगी ।

मान्यवर, यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर डेढ़ दो सालों में कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई है बल्कि 5 नई चीनी मिलें निजी क्षेत्र में प्रारम्भ हुई हैं । इसमें अगवानपुर–मुरादाबाद, टिकौला–मुजफ्फर नगर, कमलापुर–सीतापुर, गांगलहेड़ी–सहारनपुर और लिब्बरहेड़ी–हरिद्वार हैं । इस तरह से 5 नई चीनी मिलें पिछले दो वर्षों में प्रारम्भ हुई हैं । मान्यवर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, जब कोई चीनी मिल बन्द हो जाती हैं और उस पर किसानों का बकाया रहता है तो ऐसी चीनी मिलों को चलाना बड़ा कठिन होता है । कप्तानगंज कुशीनगर की चीनी मिल पर 15 करोड़ बकाया था, उसमें से 11 करोड़ 30 लाख का भुगतान कर दिया गया है हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, आप अवगत होंगे कि भारत सरकार ने चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेन्स/आशय-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है । अब अगर कोई चीनी मिल लगाना चाहता है तो उसे लाइसेन्स/आशय-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी । मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार की आवश्यकता है इसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया है इससे सुधार हुआ है ।

मान्यवर, चीनी मिलों की क्षमता का उपयोग करना सबसे बड़ा फैक्टर होता है । 99-2000 में हमारी चीनी निगम की जो क्षमता थी 88.80, 2000-2001 में वह 90.50 हो गयी । आप अवगत हैं कि हमारी चीनी मिलें पुरानी हैं, उसमें चीनी परता में सुधार हो इसके लिए प्रयास किए गए हैं । चीनी परता

चीनी निगम की मिलों का 99-2000 में जो 8.8 प्रतिशत था, 2000-2001 में 9.20 प्रतिशत हो गया है। इसमें 0.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से मान्यवर, चीनी उत्पादन 99-2000 में 65.85 लाख कुन्तल हुआ था, यह उत्पादन 2000-2001 में 68.75 लाख कुन्तल हुआ इसमें 2.90 लाख कु० की वृद्धि हुई। मान्यवर, यह कड़े अनुशासन की वजह से ही संभव हुआ है। इसी प्रकार से मशीनों के रख-रखाव में 99-2000 में 23.82 करोड़ व्यय हुआ था जबकि 2000-2001 में 23.07 करोड़ रुपया व्यय हुआ। इस प्रकार 2000-2001 में 0.75 करोड़ कम व्यय हुआ।

इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करें तो चीनी निगम द्वारा 21.68 करोड़ रुपये की बचत या लाभ हुआ है। इसी तरह से सहकारी चीनी मिलों द्वारा रिकवरी प्रतिशत में काफी अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में 8.82 प्रतिशत थी वह वर्ष 2000-2001 में 9.22 प्रतिशत हो गयी, इस प्रकार 0.40 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। मान्यवर, चीनी का उत्पादन वर्ष 1999-2000 में 65.85 लाख कुन्तल हुआ था, वर्ष 2000-2001 में 68.75 लाख कुन्तल हो गया इस प्रकार 2.90 लाख कुन्तल चीनी का अधिक उत्पादन हुआ। अल्कोहल उत्पादन में वर्ष 1999-2000 में 235.04 लाख बी०एल० था वह वर्ष 2000-01 में 278.77 लाख बी०एल० हो गया, इस प्रकार काफी सुधार हुआ है। क्षमता उपयोग में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 1999-2000 में 85 प्रतिशत था, वर्ष 2000-01 में 91 प्रतिशत हो गया। मान्यवर, इसमें भी काफी सुधार हुआ है। विद्युत एवं ईंधन पर व्यय 1999-2000 में 9.29 करोड़ था वह वर्ष 2000-01 में 8.21 करोड़ रुपया हो गया है, इस प्रकार 1.08 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी तरह से अन्य प्रशासनिक व्यय में जहां 1999-2000 में मात्र 6.08 करोड़ रुपया था, वह 2000-01 में 5.12 करोड़ रुपया हो गया, इस प्रकार 0.96 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो वित्तीय अनुशासन के कारण 48.94 करोड़ रुपये की बचत या लाभ हुआ है। सहकारी चीनी मिल संघ या चीनी निगम में सुधार हुआ है। सहकारी चीनी मिल में एक नई योजना लागू की गयी है, जो अधिकारी/कर्मचारी मेहनत करके अच्छा गन्ने की पेराई करते हैं और चीनी का उत्पादन करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारी चीनी मिलों में "मासिक उत्पादन प्रोत्साहन की योजना" लागू की गयी है। जो अधिकारी/कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही भी किया है। मान्यवर, जो काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने इस वर्ष दक्षता वृद्धि हेतु दक्षता पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। दक्षता आंकलन के लिए 3 अलग-अलग श्रेणियों में विभक्त किया है, तकनीकी दक्षता पुरस्कार, गन्ना विकास व विपणन दक्षता पुरस्कार व वित्तीय प्रबन्धन दक्षता पुरस्कार। इन तीनों के अलावा एक समग्र दक्षता पुरस्कार भी दिया जायेगा। इस प्रकार कुल 4 पुरस्कारों को निर्धारण किया गया है। समग्र दक्षता पुरस्कार पर 5,00000 रु० व शील्ड तथा प्रत्येक दक्षता क्षेत्र में सर्वोत्तम चीनी मिल रु० 3,00000 तथा शील्ड प्रदान की जायेगी। इसी तरह से गन्ना विकास विभाग ने इन्सेंटिव देने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने गन्ना किसानों के हित में निर्णय लिया है, अभी डेढ़ साल पहले यह चिन्ता व्यक्त की जा रही थी कि जब देश में अधिक चीनी का उत्पादन हो रहा था तो उसकी इम्पोर्ट क्यों हो रही थी ? चूंकि पहले का निर्णय था इसलिए आयात किया गया। भारत सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क पर पहले 27.5 प्रतिशत की वृद्धि की उसके बाद उसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया फिर 60 प्रतिशत किया गया। इसके बाद चीनी आना बिल्कुल बन्द हो गया है। इससे शुगर इण्डस्ट्री को फायदा होगा। भारत सरकार के निर्णय से ही जो लेवी का प्रतिशत 30 था उसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। चीनी का चूंकि अधिक उत्पादन देश में हुआ है। इसलिए इस वर्ष भारत सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात का निर्णय लिया है।

मान्यवर, मैं इस बजट के माध्यम से भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि किसानों के हित में, चीनी उद्योग के हित में जो निर्णय लिये गये हैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अन्दर

उससे लाभ मिला है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसका प्रयास किया जा रहा है । हमने शीरा को डिकन्ट्रोल करने का निर्णय लिया है । छनित मैली से जैविक खाद बनाने तथा उसको उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है । उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी पार्टियां सत्ता में रही हैं । मान्यवर, अभी मैं पश्चिम में गया था मुजफ्फर नगर, सहारनपुर तो वहां के किसानों ने कहा कि डा० साहब हम गन्ना उत्पादन करते हैं, हमारे गन्ने से चीनी बनती है लेकिन हमें एक किलो चीनी नहीं मिलती ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पेट्रोल में 5 प्रतिशत तक एनहाइड्रस अल्कोहल मिलाकर उसके मोटर वाहनों में प्रयोग हेतु पाइलट बेसिस पर दो परियोजनायें प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है । यह परियोजना महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है । उत्तर प्रदेश में आंवला जनपद बरेली परियोजना प्रारम्भ की जा रही है ।

यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की परियोजना के लिये उत्तर प्रदेश की तीन निजी क्षेत्र की आसवनियों आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है । यह आसवनियां गोला (खीरी), हरगांव (सीतापुर), सेवहारा (बिजनौर) है ।

आंवला (बरेली) में अल्कोहल की आपूर्ति निम्नलिखित आवसनियों से किये जाने की संभावना है :–

1–सम्पूर्णा नगर (खीरी)

2–ननौता (सहारनपुर)

3–अनूप शहर (बुलन्दशहर)

4–नानपारा (बहराइच)

इस आसवनियों में डीहाईड्रेशन/बेंजीन प्लान्ट स्थापित करने का निर्णय चीनी मिल संघ स्तर पर किया जा चुका है ।

इस संबंध में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, उसके लिये राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये । भारत सरकार मा० पेट्रोलियम मंत्री जी को दिनांक 21-6-2000 को पत्र लिखा गया, मा० राज्य मंत्री पेट्रोलियम को दिनांक 21-6-2000 को पत्र लिखा गया । पुनः दिनांक 8-12-2000 को मा० पेट्रोलियम मंत्री जी को पत्र लिखा गया मा० मुख्य मंत्री जी की ओर से दिनांक 26-12-2000 को पत्र लिखा गया । परिणाम स्वरूप इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई ।

<u>विद्युत सह उत्पादन–</u>

प्रदेश में विद्युत सह उत्पादन का कार्यक्रम चीनी मिलों द्वारा उत्पादित बेगास (खोई) पर आधारित है । राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2004-05 तक कुल विद्युत उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन गैर पारस्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाय ।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में एक हजार मेगावाट सह विद्युत उत्पादन क्षमता का आंकलन किया गया है । प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा 62.00 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा रही है एवं 40.00 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित की जा रही है । विद्युत उत्पादन करने में प्रमुख चीनी मिले निम्नवत् हैं :–

1–डी०एस०एम० शुगर रोजागांव	15 मेगावाट
2–मलकपुर चीनी मिल (बागपत)	05 मेगावाट

3–जे०के० शुगर मीरगंज	05 मेगावाट
4–सिम्भावली चीनी मिल	05 मेगावाट
5–डी०एस०एम० चीनी मिल	05 मेगावाट
6–डी०एस०एम० चीनी मिल	05 मेगावाट

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है । विभिन्न समस्याओं को मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 3-5-2001 को आहूत बैठक में दिये गये निर्णयों द्वारा समाधान किया जा चुका है ।

<u>दीर्घकालीन गन्ना एवं चीनी उद्योग विकास नीति–</u>

प्रदेश में दीर्घकालीन नीति संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सरकार ने शासनादेश संख्या–4309 दिनांक 26-12-2000 द्वारा 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है । समिति का संयोजक गन्ना आयुक्त को बनाया गया है ।

मान्यवर, मैं गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में बताना चाहता हूं । 2000-2001 में 16 मई तक 3978.39 लाख रुपये गन्ना मूल्य का बकाया था जिसमें से 3306.6 लाख का भुगतान किया गया है, यह 83 प्रतिशत है । इसी तरह से 1999-2000 में 16 मई तक 3604.44 लाख रुपये बकाया था जिसमें से 2899.51 लाख का भुगतान किया गया है यह 80.44 प्रतिशत है । लगभग 3 प्रतिशत ज्यादा भुगतान किया गया । मान्यवर, 1998-99 में 16 मई तक 2920.52 लाख रुपयों का बकाया था जिसमें से 2377.32 लाख का भुगतान किया गया जो 81.44 प्रतिशत है । इसी तरह से 1997-98 में 3306.67 लाख रुपया बकाया था जिसमें से 2899.51 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है । पिछले वर्ष 407.16 लाख एवं 1998-99 में 29.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया है । जो गन्ना मूल्य का भुगतान है उसके लिये एक टाइम फ्रेम बनाया गया है और समय के अनुसार भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, कई बार शिकायतें मिलती हैं कि घटतौली की जाती है या इसी तरह की अन्य शिकायतें आती हैं । मैंने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया था । पूरे प्रदेश के कई केन्द्रों पर चेकिंग की गयी और अनियमिततायें मिलने पर कार्यवाही की गयी है । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 10213 तौल कांटों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 556 मिल तौल लिपिकों के लाइसेन्स जब्त किये गये हैं । 1673 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं और 265 लोगों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से पारदर्शिता लाने के लिये और विभाग में ईमानदारी के साथ कार्य करने की दिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया गया है । इस वर्ष दो वरिष्ठतम अधिकारियों, जिला गन्ना अधिकारी एवं प्रधान प्रबन्धक की सेवा समाप्ति की गयी है । विभाग में 186 कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं । मान्यवर, 428 लोगों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है। इसी तरह से 46 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा 22 कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगायी है तथा 9 कर्मचारियों को सचेत किया गया एवं भर्त्सना प्रविष्टि की गयी है ।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सहकारी गन्ना समितियों के पिछले 5-6 साल से चुनाव नहीं हुये थे । गन्ना समितियों किसानों की सेवा का काम करती है । इनके डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों के हमने चुनाव कराये हैं । मान्यवर, चुनाव कराकर हमने इन समितियों को सक्रिय किया है ।

अंतिम बात कहकर मैं अपना बजट भाषण बन्द करना चाहूंगा । चीनी मिल क्षेत्र का जब रिजर्वेशन करते हैं तो उसके लिये निर्णय लिया है कि 95 प्रतिशत वह क्षेत्र जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उस क्षेत्र

में 5 वर्ष में चीनी मिल गन्ना क्षेत्र डेवलप कर देंगी और इससे गन्ना किसान का हित होगा । इसी के साथ मैं अपना बजट भाषण समाप्त करता हूं । आप माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उनको हम स्वीकार करेंगे धन्यवाद ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय–कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय गन्ना मंत्री जी ने अपना भाषण बड़ी खूबसूरती के साथ इस सम्मानित सदन में दिया और यह बताने का प्रयास किया है प्रदेश में चीनी उद्योग अच्छी तरह से फल-फूल रहा है । उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया । मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । गन्ने की फसल किसान के लिये कैश क्राप के रूप में है । सारे प्रदेश में गन्ना बोया जाता है । चाहे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर हो या पूवी उत्तर प्रदेश में महराजगंज, पडरौना, गोरखपुर, देवरिया हो या मध्य उत्तर प्रदेश के जिले हों वहां गन्ना मुख्य कैश क्राप है । पूरे देश का 56 परसेन्ट गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है । मान्यवर, 36 लाख किसान गन्ने के उत्पादन से जुड़े हुये हैं । 119 चीनी मिलें हैं और खांडसारी उद्योग हैं जिसमें खेतिहर मजदूर, श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत हैं । इनका भविष्य गन्ने पर निर्भर है । इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । इसके विकास के लिये जो प्रयत्न सरकार को करने चाहिये वह सरकार ने नहीं किया जिसका नतीजा यह है कि किसानों की हालत बदतर होती जा रही है । गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है और वह भुखमरी के कगार पर हैं । सबसे बड़ी समस्या गन्ना मूल्य के भुगतान की है । मंत्री जी ने अभी इसके आंकड़े बताये हैं कि हमने इतना भुगतान कर दिया । 3 सालों का उन्होंने कंपरेटिव स्टेटमेन्ट दिया । लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया कि कितना भुगतान अभी गन्ना मूल्य का बाकी है । किसान मेहनत से गन्ना पैदा करता है और मिलों को देता है उसके बाद वह टकटकी लगाकर देखा करता है कि कब उसकी परची का भुगतान हो और वह अपना खर्च चलाये । उसको अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, कपड़े खरीदने हैं, शादी व्याह करने हैं, बच्चों की किताबें खरीदनी हैं आगामी फसल की तैयारी करनी है और खाद बीज का इंतजाम करना है लेकिन जब 5, 6 महीने उसका भुगतान नहीं होता है तो वह अपना खर्च कैसे चलाये । पैसा न मिलने पर वह कहीं से कर्ज लेता है और आज वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । आपका बजट करोड़ों रुपयों का हो सकता है लेकिन गरीब किसान की तो केवल 20-25 हजार रुपये ही साल भर की कमाई है । जब उसे पैसा नहीं मिलेगा तो वह कैसे अपना जीवन-यापन कर सकता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं । सरकार इस समस्या से उदासीन है वह इसका समाधान नहीं करना चाहती है इस साल मंत्री जी ने बताया नहीं कि कितना भुगतान शेष है मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 765 करोड़ का भुगतान शेष है यह 16-5-2001 तक की स्थिति है । कारपोरेशन सेक्टर में 116 करोड़ 58 लाख रुपए बकाया हैं, कोआपरेटिव सेक्टर की चीनी मिलों पर 133.60 करोड़ रुपए बकाया हैं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 474 करोड़ 85 लाख रुपए बकाया हैं इस प्रकार टोटल 778 करोड़ रुपए बैठ रहे हैं । इसमें वह चीनी मिलें नहीं जुड़ी हैं जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तरांचल में भी चली गई हैं उनके ऊपर अगर बकाया को जोड़ दिया जाए तो 37.47 करोड़ रुपए वहां स्थिति 10 चीनी मिलों पर बकाया है । यह सरकार निजी चीनी मिलों पर अधिक मेहरबान है इन चीनी मिलों पर करोड़ों रुपए बकाया है । यह गरीब किसानों का पैसा सालों से बकाया है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है । इस सदन में इस सम्बन्ध में कई बार चिन्ता व्यक्त की गई । अगर किसी किसान के ऊपर किसी संस्था का 10 हजार या पांच हजार बकाया हो तो उसकी आर०सी० काट ली जाती है उसके घर की कुर्की कर दी जाती है उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है लेकिन किसानों का करोड़ों रुपए इन चीनी मिलों पर बकाया है सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है 16 करोड़ रुपए देव बिन्द चीनी मिल पर बकाया है उन चीनी मिल पर 22 करोड़ रुपए बकाया है मलकपुर चीनी मिल पर 21 करोड़ रुपए बकाया है मोदीनगर चीनी मिल पर 22 करोड़ रुपए बकाया है, सिधौली चीनी मिल पर 29 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है वहां पर सरकार ने किसानों का पैसा नहीं दिलवाया उल्टे उन पर गोली चलवा दी जिससे एक किसान मारा गया यह इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ धामपुर चीनी मिल पर 21 करोड़ रुपए बकाया है, सैराव चीनी मिल पर 17 करोड़ रुपए बकाया हैं, बहेड़ी चीनी मिल पर 20 करोड़ रुपए बकाया हैं । पूरे प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों पर किसानों का 760 करोड़ बकाया है । इतना पैसा इन प्राइवेट, कोआपरेटिव कारपोरेशन सेक्टर की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । अभी मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसान राष्ट्र की आत्मा है सरकार आत्मा को झकझोरने का काम कर रही है राष्ट्र की आत्मा को पीड़ा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, उस किसान की कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है जो चीनी मिल मालिक हैं जो पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है उन पर कोई दबाव नहीं बना रही है अगर किसान पर कोई पैसा किसी संस्था का है तो किसान के विरुद्ध आर०सी० काट दी जाएगी, कुर्की कर दी जाएगी उसे बन्द कर दिया जायेगा लेकिन किसान का करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर पड़ा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी चीनी मिल मालिक के खिलाफ कभी कोई आरसी कटी है, क्या किसी चीनी मिल मालिक को जेल भेजा गया है उसकी कुर्की करके किसानों का भुगतान कराया गया है ? यह सरकार तो पूंजीपतियों पर मेहरबान है । कानून तो यह है कि 14 दिन के अन्दर किसानों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए और यदि 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो चीनी मिल मालिक को किसानों को 15 प्रतिशत की दर से उसके भुगतान की धनराशि पर ब्याज देना होगा । शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1966 के 3(ए) में यह प्राविधानित किया गया है कि व्हेयर ए प्रोड्यूसर आफ सुगर आर हिज एजेन्ट फेल्स टू मेक पेमेन्ट फार दी शुगर केन परचेज वीथ इन 14 डेज आफ द डेट आफ डीलिवरी ही शैल पे इन्ट्रेस्ट एन द एमाउन्ट इ्यू ऐट द रेट आफ 15 परसेंट पर एनम फार द पीरियड आफ सच डिलेवरी बीआन्ड 14 डेज अगर 14 दिन के अन्दर भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है तो किसानों को 15 प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा । दो साल पहले इस ब्याज की धनराशि का मूल्य 200 करोड़ था इससे पहले 165 करोड़ तो मान्यवर, यह सरकार क्या कर रही है । सरकार कहती है कि ब्याज न सही उसका मूल धन ही वापस कर दिया जाय । तो क्या सरकार उनकी ब्याज नहीं दिलाना चाहती है । यह सरकार किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा उन चीनी मिल मालिकों को देना चाहती है । जो चीनी मिल मालिक समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जबकि उनको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी । सरकार का काम है कि जो कानून का पालन न करे उसे दण्डित करे, पालन करवाये लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि यह सरकार तो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है । अगर इतनी ही मेहरबान है यह सरकार उनके ऊपर तो क्यों नहीं अपने कोष में से किसानों का ब्याज दे देती है । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो पूंजीपति हैं जो मिल मालिक हैं उनके ऊपर क्या अभी ब्याज माफ किया गया है हमेशा किया जाता है लेकिन किसानों पर ब्याज यदि लगता है बीज के लिए खाद के लिए जोताई के लिए यदि किसान पैसा लेता है और समय से नहीं चुका पाता है

पर्ची कटते ही उसके ऊपर ब्याज लगना प्रारम्भ हो जाता है तो उसके ऊपर तो आपने कभी ब्याज माफ नहीं किया फिर चीनी मिल मालिकों से आपका क्या रिश्ता है जो उनके ऊपर ब्याज आपने माफ कर दिया और ऊपर से मंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के हितैशी हैं हमने किसानों को रिकार्ड मूल्य दिलाया है । मैं कहता हूं किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है । मंत्री जी ने कहा पांच रुपये प्रतिकुन्तल दाम बढ़ा दिया है तो अपने स्वीकार किया कि हरियाणा में इनसे ज्यादा मिल रहा है । हमसे महाराष्ट्र गुजरात से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वे बहुत दूर के प्रदेश हैं । महाराष्ट्र में 95 प्रतिशत गन्ने की सप्लाई होती है और हमारे यहां 65 प्रतिशत हरियाणा के बारे में देखिये वहां की भौगोलिक आर्थिक सामाजिक हर स्थिति हमारी जैसी है माना कि महाराष्ट्र का अलग है लेकिन भिन्नता हमारे और हरियाणा के बीच है तो केवल इतनी कि हम जमुना के इस पार और वे उस पार हमारे यहां गन्ने के ऊपर लागत ज्यादा आती है उनके यहां लागत कम आती है । हम किसानों को बिजली कम दे पाते हैं और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बिजली मिलती है । हमारे यहां चीनी का प्रतिशत ज्यादा है, हरियाणा में कम है । इसका कारण यह है कि हमारे यहां रिकवरी ज्यादा है । हमारे यहां साढ़े नौ प्रतिशत के आस पास रिकवरी है । दौराला चीनी मिल में तो 11 प्रतिशत या 11.7 प्रतिशत है । औसत चीनी की रिकवरी 9.7 हमारे यहां है और हरियाणा में 8.75% से ज्यादा कहीं नहीं है । हमारे यहां गन्ने की लागत ज्यादा है, उनके यहां कम है, बिजली हमारे यहां कम मिलती है, उनके यहां ज्यादा । खाद हमारे यहां महंगी है उनके यहां सस्ती । उनको गन्ने का दाम ज्यादा मिल रहा है और हमारे यहां कम है । आप 95 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दे रहे हैं और हरियाणा में 125 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है । अगर आप सही मायने में किसानों के समर्थक हैं तो यह 30 रुपये प्रति क्विंटल कम क्यों दे रहे हैं ? किसानों का पेट काट रहे हैं और कहते हैं कि हम किसान के समर्थक हैं । इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती है । एक जैसी परिस्थितियां हैं हमारी और उनकी ।

आपने कहा कि उनके यहां सहकारी मिले हैं । सहकारी मिलें तो हमारे यहां भी हैं । हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार नहीं है । उनकी सरकार कल्याणकारी है । हमारी सरकार को चिन्ता नहीं है । यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है । किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रही है इसलिये किसानों को 30 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम दे रही है । 95 रुपये प्रति क्विंटल इन्होंने हमको दिया और 4 रुपया प्रति क्विंटल वापस ले रहे हैं ढुलाई के नाम पर । माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरी दुनिया के अन्दर कोई दूसरा उद्योग ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति आकर अपना रा मैटीरियल फैक्ट्री वालों को आकर बेचे और फैक्ट्री वाले उसको खरीदें, उसकी कीमत दे दें और उसके बाद कहें कि इसको हमारी फैक्ट्री तक पहुंचा दें और उसकी ढुलाई का भी पैसा उससे लें । गन्ना किसान, गन्ना क्रय केन्द्र तक गन्ना लेकर पहुंचाता है अपने साधन से उसके बाद आप उसको अपनी चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए उससे कहते हैं कि वह गन्ना को मिल तक पहुंचाये और उसकी ढुलाई का भी पैसा ले लेते हैं । इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं है लेकिन आप उससे पैसा ले रहे हैं । इस ढुलाई को आपने 4 रुपये कर दिया है । अगर आपने गन्ना मूल्य पांच रुपया बढ़ाया तो उधर से 4 रुपये ढुलाई के नाम पर वापस लेकर चीनी मिल को ही फायदा पहुंचा दिया । यह कहीं नहीं होता है । महाराष्ट्र में तो गन्ना का दाम कम है, ढुलाई नहीं ली जाती है । चीनी मिल वाले खुद खेत से काटकर ले जाते हैं । न कटाई का पैसा, न ढुलाई का पैसा किसान को देना पड़ता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उनको किसानों से जरा भी सहानुभूति है तो यह जो ढुलाई 4 रुपये प्रति क्विन्टल किसानों से ली जा रही है, इसको आज ही समाप्त करने की घोषणा सदन में करें तो इसके लिये मैं उन्हें बधाई दूंगा और ये बधाई के पात्र होंगे । 1996-97 में सरकार ने गन्ना मूल्य 72 रुपये 76 पैसे घोषित किया था, शायद माननीय मंत्री जी को याद होगा । जो सरकारी चीनी मिलें थीं उन्होंने इस रेट से किसानों को दिया था लेकिन प्राइवेट चीनी मिलें हैं

उन्होंने केवल 70 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया था । तमाम धरना प्रदर्शन, आन्दोलन हुए, सदन में चिन्ता व्यक्त की गई, सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम किया लेकिन सरकार इन प्राइवेट चीनी मिल वालों से दो रुपये 76 पैसे प्रति क्विंटल का भुगतान आज 4-5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं करा पाई । 2 रुपये 76 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से बकाया थोड़ा नहीं 160 करोड़ रुपये का बकाया है जो कि चीनी मिल मालिकों की जेब में है । वे इसको हजम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि हज़म कर चुके हैं । उच्च न्यायालय में लोगों ने रिट किया और यह आदेश वहां से सरकार को हुआ कि भुगतान किया जाये लेकिन आज तक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ । एक बात और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहां 119 चीनी मिलें हैं जिसमें से 100 ही काम कर रही हैं । पूरे प्रदेश के अन्दर जितना गन्ना उत्पादन हो रहा है उसका 68 प्रतिशत गन्ना इन चीनी मिलों के माध्यम से लगभग पिराई की जा रही है । शेष 32 प्रतिशत गन्ना थ्रेशर में खांडसारी के माध्यम से पेराई हो रहा है । चीनी मिल मालिक 90-95 प्रतिशत ले रहे हैं यह कहा गया लेकिन खांडसारी वाले कितना गन्ना ले रहे हैं इसको देखा जाए क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है । सरकार बैठी देखती रहे और कोई बनिया व्यापारी सब लूट करते रहें सरकार टैक्स वसूलती रहे क्या यही जिम्मेदारी सरकार की है सरकार का खांडसारी के लिए कानून बना है टैक्स वसूलने का, वह टैक्स वसूलते रहें, सरकार कहती है कि नियंत्रण रखते हैं लेकिन वह किसानों को कितना लूट रहे हैं सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है । जो गन्ना 125 रुपये कुन्तल जाना चाहिए वह मात्र 25-30 रुपये कुन्तल प्रेशर वाले लेते हैं ।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की मजबूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई गन्ना काटकर की जाती है । 95 परसेन्ट बुआई इसी तरह होती है राज्य मंत्री जी जानते हैं, जिस कारण किसान 25-30 रुपये कुन्टल गन्ना को देता है । जो साहित्य दिया है माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 40 रुपया प्रति कुन्तल तक खांडसारी किसान का गन्ना लेते हैं जब मालूम है 40 रुपया कुन्तल ले रहे हैं तो 95 रुपया कुन्तल गन्ने का दाम मिलना चाहिए । यह आप स्वीकार करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को गन्ने का दाम मिले सरकार कहती है कि नियंत्रण है इतना लाइसेंस दे दिया इतनी टैक्स वसूली, इतनी सुविधा दे दी, लेकिन जो लोग चीनी उद्योग को लूटते चले जा रहे हैं उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है और जो मेहनत कर रहे हैं उस किसान को यह सरकार प्रोत्साहन देने का काम क्यों नहीं कर रही है ।

मान्यवर, इसके अलावा घटतौली की बात कही गई यह सबसे बड़ा अभिशाप है अधिकारी जानते है ऊपर से नीचे तक पैसा पहुंचाया जाता है चेकिंग होती है, शर्म करनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डुब मरना चाहिए सरकार के अधिकारी सेन्टर पर चेक करने जाते हैं और 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये लेकर चले जाते हैं कहते हैं सही है इसको आपने अपने आंकड़ों में भी स्वीकार किया है । जो आंकड़े दिए है 4,120 का आपने निरीक्षण किया इस वर्ष, उसमें आपने कहा कि एक हजार में अनियमिततायें पाई गई यह एकदम हास्यास्पद बात है । आपने तमाम निरीक्षण किए है । शत-प्रतिशत अनियमिततायें पाई गई होंगी । मंत्री जी आपने तमाम निरीक्षण किए होंगे 4000 में 1000 अनियमिततायें पाई जाएं यह हो ही नहीं सकता है । 278 चीनी मिल के लिपिक, तौल लिपिक में 36 को निलम्बित किया है । 278 और 36 तो वह निलम्बित किये हैं और आपने कहा कि 65 मामले न्यायालय में विचाराधीन है और 44 मामलों का जिलाधिकारियों द्वारा निस्तारित कर दिया है इन सबकों जोड़कर बनते हैं 397 और जो शेष बचे हैं 656 उसमें क्या कार्यवाही हुई । उनको आपने माफ कर दिया । उन 656 से क्या समझौता हुआ । जो उनकी अनियमितता पकड़ी गयी थीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ? उनको माफ किया जब इसका जवाब दें तो इसे भी बतायें ।

मान्यवर, सहकारी समितियां-हमारे यहां 174 गन्ना सोसाइटी हैं और वह किसान और चीनी मिल मालिकों के बीच में किसानों का इन्टरेस्ट वाच करने का काम करती हैं । इसमें से 95 सोसाइटी घाटे में

चल रही है और यह सरकार की नीति भी है । हो सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सोसाइटियों को माफ कर दिया जाय । मिल मालिकों को खुली छूट दे दी जाय । अगर सोसाइटियों में घोटाला है तो आवश्यकता इस बात की है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह सरकार सोसाइटियों का कमीशन कम करने जा रही है और प्रयास कर रही है कि यह महत्वहीन हो जायें और इनको समाप्त कर दिया जाय । यह उचित नहीं है ।

आपने कहा कि सड़कों का निर्माण हम कराते हैं । गन्ने की पैदावार को सुगमता से पहुंचाने के लिए नये ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाता है । इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग है । आपने यह बताया कि 1996 से 2000 तक चार हजार किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करा दिया है लेकिन यह नहीं बताया कि इस वर्ष कितने किलोमीटर का निर्माण कराया जायेगा गत वर्ष कितने किलोमीटर का निर्माण कराया । हकीकत यह है कि इस वर्ष एक किलोमीटर भी सड़क का निर्माण नहीं किया है । बागपत और मेरठ में एक, कि०मी० नहीं किया गया है । जबकि 50 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार देती है और 50 प्रतिशत गन्ना परिषद् आदि के माध्यम से दिया जाता है । हालत यह है कि दस-बीस वर्ष पहले जो सड़क और सम्पर्क मार्ग बनाये गये थे आज वह सड़क और सम्पर्क मार्ग जर्जर हालत में हैं । उन पर यातायात चल नहीं पाता है । सेन्टर वहां से उखाड़े जा रहे हैं क्योंकि ट्रक वहां आ नहीं पाता है । गन्ना विभाग के पास पैसा मरम्मत के लिए है नहीं । मेरठ जनपद में 60 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो कि जर्जर हालत में है वह पैसा कहां गया ? चार साल से जब से वह सरकार आयी है सड़क निर्माण के लिए पैसा देना बन्द कर दिया है किसकी शह पर ? पहले सड़क निर्माण पर देते थे वह फण्ड आपने बन्द कर दिया तो आखिर क्यों किया ? यह सरकार प्राइवेट मिल मालिकों की शह पर ऐसा कर रही है और एक नया पैसा भी नहीं दे रही है । दूसरा जो चीनी मिलें है वहां पर तीन रुपया प्रति कुन्तल कटता था आपने उसे 1.08 पैसा कर दिया है । हालत यह है कि किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन वह आपके पास नहीं ला पाता है ।

दूसरी बात आपने कही कि फसल अच्छी पैदा हो, गन्ने की सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध करायेंगे और भूगर्भ जल की सम्भावनाओं पर भी गन्ना विभाग काम करेगा लेकिन मान्यवर, एक पैसा कम नहीं हुआ है तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की दिक्कत है गन्ना पैदावार में जिस कारण गन्ने की फसल किसान उतनी नहीं पैदा कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए मान्यवर, हमारे यहां बागपत में चौगामा क्षेत्र है जहां जल स्तर नीचे गया है भूगर्भ का जल नीचे है बिजली 3-4 घंटे आती है हमने यह कहा था कि गन्ना विभाग द्वारा जनरेटर दिया जाये ताकि पानी किसान निकाल सके और ट्रैक्टर द्वारा चला सकें । मान्यवर, यह भी गन्ना विभाग से अपेक्षा की थी कि जल स्तर बढ़ाने के लिए हिंडन और कृष्णा नदी में रेगुलेटर के लिए धनराशि उपलब्ध कराये और भू-गर्भ जल स्तर के लिए भी उसको बढ़ाने के लिए कार्यवाही करें ताकि गन्ने की पैदावार के लिए जल स्तर बना रहे ।

मान्यवर, लेकिन सरकार की जो घोषणायें हैं वह थोथी घोषणायें हैं खोखली घोषणायें हैं विभाग कोई प्रयास नहीं कर रहा है आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी चीनी मिलें हैं सहकारी क्षेत्र की खासतौर से और निगम की उनकी क्षमता बहुत कम है आवश्यकता इस बात की है कि उनकी क्षमता बढ़ायी जाये । जब उनकी क्षमता बढ़ेगी तो एपिशियेंसी भी बढ़ेगी और खपत ज्यादा होगी तो गन्ने का दाम भी ज्यादा मिलेगा और जो मजबूरी में गन्ना कृषकों को क्रेशर पर कम दाम में गन्ना देना पड़ता है वह स्थिति भी नहीं आयेगी लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनायी गयी है । आप का केवल मझौली

चीनी मिल का प्रस्ताव है और किसी का नहीं है मान्यवर, आपकी सहकारी बैंक में 27 फैक्ट्री हैं जो 66.625 लाख टन गन्ने की पैदाई कर रहे हैं 24 चीनी मिल जो हैं वह 4411536 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की क्षमता है जो बहुत ही शर्मनाक है और इसकी एपीसेंसी भी कम हो रही है । आपकी मलियाना की चीनी मिल बन्द हो गयी पौने तीन करोड़ का घाटा उस मिल का था आपने पैसा देकर उसका सुदृढ़ीकरण भी किया था आप उस घाटे से उबर भी सकते थे वह आपके लिए मुश्किल नहीं था । मान्यवर, आप चाय पर लाखों रुपया खर्च करते हैं अगर 4 महीने चाय न पीते तो मलियाना चीनी मिल का पौने 3 करोड़ का घाटा बराबर हो जाता लेकिन उसको बन्द कर दिया और बन्द भी साजिश के तहत किया गया । यह इसलिए कि मलियाना शहर के बीच में आ गयी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की जमीन का करोड़ों का भाव लगाया गया था । तो एक साजिश के तहत यह मिल बन्द की गयी सरकार ने कोई कार्यवाही उसको चलाने के लिए नहीं की सरकार इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है मान्यवर, क्रय केन्द्र खोलने की बात थी मान्यवर, प्रति वर्ष कैन डिवीजन कमेटी की मीटिंग होती है गन्ना आयुक्त हर क्षेत्र में आते हैं वहां मीटिंग लेते हैं मिल के अधिकारी और प्रतिनिधिगण और दूसरे आम किसान वहां रहते हैं वहां वे सबसे विचार-विमर्श करने के बाद गन्ने की उपलब्धता, चीनी मिलों की क्षमता देखने के बाद इस बात का निर्णय करते है कि अमुक स्थान पर गन्ने के क्रय केन्द्र खोले जाने चाहिए वे लखनऊ आकर आप से कहते हैं कि इसमें क्रय केन्द्र खोले जायें । मान्यवर, यह चीनी मिल मालिक उस आदेश को कूड़े की टोकरी में फेंक देते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले साल कितने क्रय केन्द्र खोलने के आदेश हुए थे और कितने खोले गये हैं । आप आदेश करते हैं, गन्ने की उपलब्धता है जरूरत है और दूसरी तरफ चीनी मिल मालिक मानने से इन्कार करते हैं क्या मजाल है कि वह आपकी बात को न माने, लेकिन आपसे उनकी मिली भगत है इसलिए वह आपके कहने से एक क्रयकेन्द्र नहीं खोलते हैं वहां उनका मन है वहीं खोलते हैं उसके अलावा नहीं खोलते हैं । यह जो मीटिंग होती है उसकी सार्थकता समाप्त हो रही है प्रति वर्ष मीटिंग हुआ करती थी गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, शाहजहांपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, आजमगढ में इस तरह की मीटिंग होती थी लेकिन अब यह अधिकारी उस मीटिंग को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा उसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया कि मेरठ गाजियाबाद में मीटिंग करनी ही नहीं, केन रिजर्वेशन की मीटिंग हरिद्वार में की तो बिजनौर के मेरठ के, मुरादाबाद के, गौतमबुद्ध नगर के, बागपत के, मुजफ्फरनगर के लोग हरिद्वार के लोग सब लोग हरिद्वार जाने लगे दो साल तक चक्कर हरिद्वार में लगाते रहे उनको, अधिकारियों को लगा कि हरिद्वार में भी समस्याओं का बखान कर रहे है दो साल शाहजहांपुर के केन रिजर्वेशन की बैठक की गई वहां इसका क्या औचित्य है । इससे अच्छा लखनऊ में करिए । मण्डल मुख्यालय पर सारी मीटिंग होनी चाहिए केन रिजर्वेशन की मीटिंग मण्डल मुख्यालय पर हो जिससे आम किसान अपनी समस्याएं अधिकारियों को बता सकें और अधिकारी छोटे अधिकारियों से जवाब तलब कर सकें । जो प्रथा है उसकी सार्थकता हो सके ।

मान्यवर, सिर्फ एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आपने सट्टा नीति घोषित कर दी आपने कहा सितम्बर में कलैंडर प्रकाशित कर दिया जायेगा और आपके कलैन्डर के हिसाब सें कहीं भी गन्ने की आपूर्ति नहीं हो रही है । यह मैं बताना चाहता हूं । किसी-किसी सेन्टर पर 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक तौल नहीं होती है और उसके बाद 5-5 सौ हजार-हजार ट्रैक्टर गन्ना एक दिन में तौल देते हैं अब वह क्या तौलते हैं यह देखने की बात है । बिना तौले किसान मजबूर होकर अपना गन्ना फेंककर

चला जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि कलैण्डर का शत-प्रतिशत पालन हो, प्रत्येक साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर, प्रत्येक केन्द्र पर प्रति दिन तौल हो । अगर किसी केन्द्र पर साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर तौल नहीं होती है तो वह लिखित रूप से उसका कारण बतायें कि गन्ने की तौल क्यों नहीं हो सकी तब तो इस कलैण्डर का मतलब है । आपने इस बात का प्राविधान कर रखा है कि जो चीनी मिलें किसानों के बेसिक कोटा का गन्ना नहीं लेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक कोटा नहीं लेते हैं किसानों को शुरू में पर्ची नहीं दी जाती है 15 दिन में एक पर्ची भेजेंगे और आखिर में जब चीनी मिल बन्द करनी होगी तो एक-एक दिन में 50-50 पर्ची भेजकर तीन दिन में डेढ़ सौ पर्ची भेजते हैं । तो एक दिन में किसान इतना गन्ना कैसे दे सकेगा । उसके बाद चीनी मिल बन्द कर देंगे और कहेंगे कि पर्ची भेजी थी गन्ना नहीं दे पाये ऐसे चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

मान्यवर, जैसे हमारे यहां आम का उत्पादन बहुत ज्यादा है तो उसे मैगों बेल्ट घोषित कर दिया, आंवला में आंवला बेल्ट घोषित कर दिया, मेरी मांग है कि प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां गन्ना बहुतायत से पैदा होता है वहां जमीन के ऊपर 00-90-95 प्रतिशत गन्ना पैदा होता है उसको गन्ना बेल्ट घोषित किया जाए और उस बेल्ट को सारी सुविधाएं दी जाए पानी खाद कीटनाशक दवाएं सारी सुविधाएं दी जाएं । जब हम छोटे थे तो देखा था कि गन्ना खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव सरकार द्वारा किया जाता था । लेकिन आज बीमारियां लगी रहती हैं, कोई चीनी मिल वाला छिड़काव नहीं कराता है । मेरे क्षेत्र में दीमक लगी है, किसान अपने पैसे से दवाई खरीद रहा है, यहां नहीं मिल रही तो दूसरे प्रदेशों से खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन इस सरकार का, किसी चीनी मिल का ध्यान इस समस्या की तरफ नहीं है । आज गन्ना किसान कमरतोड़ मेहनत करके, साल भर अपना पसीना बहाकर रिकार्ड उत्पादन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह आर्थिक समस्या से जूझ रहा है । पहले तो कभी यह होता था कि अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उससे किसान भुखमरी के कगार पर आ गया लेकिन आज तो इस सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों से गन्ना किसान रिकार्ड उत्पादन गन्ने का कर रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इस सरकार की गलत नीतियों के कारण बिगड़ती चली जा रही है । यह सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है । इसी के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री शिव बहादुर सक्सेना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गन्ना विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की मुख्य फसल है । सम्पूर्ण भारत में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता था और अब चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के लगभग निकट है । गन्ना वास्तव में किसान जब बोता है, तब से लेकर जब तक उसका गन्ना मिल तक पहुंचता नहीं है, उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । लेकिन इस सरकार ने इस वर्ष 8 मिलें बन्द होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का सभी गन्ना खरीद लिया जबकि 6 मिलें उत्तरांचल प्रदेश में चली गयी और 8 मिलें बन्द हो गई हैं । उसके बावजूद कहीं से यह शिकायत सुनने को नहीं मिली कि किसान ने शिकायत की हो कि उसका गन्ना तुलने से रह गया । जहां तक हमारे सामने बैठे हुए साथी ने भुगतान की बात कहीं,तो वास्तव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो यह कर्जा हमें विरासत में मिला था । विरासत में 8 बीमार मिलें मिलीं और विरासत में करोड़ों रुपये का कर्जा मिला । आज इस सरकार नें उस कर्जे को निपटाया और जो बीमार मिलें थीं, उन बीमार मिलों को उसका बी० आर० एस० का पैसा निपटाने की पूरी योजना बनाई और जहां तक चीनी मिल चलाने का सवाल है, आप पिछला इतिहास उठाकर देखें, मेरी जानकारी के अनुसार कई मिलें पहले ऐसी भी चली हैं जहां 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत रिकवरी रही है । लेकिन सरकार के प्रयास से पिछले वर्षों में यह रिकवरी 9, 10 प्रतिशत तक आयी है । जहां तक बिचौलियों से किसानों को बचाने का सवाल है, यह सभी जानते हैं कि जिस तरह से किसानों का शोषण पहले हुआ करता था हमारी सरकार ने किसान का भुगतान बैंक के माध्यम से करा कर उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया है । आज पूरे प्रदेश में किसानों के मन में यह बात है कि जब से बैंक से भुगतान होने लगा है, बिचौलियों से राहत मिली है और उन्हें सीधे मिल में गन्ना डालने का मौका मिला है ।

मान्यवर, गन्ना मुख्य फसल है । हर बार इसका रेट बढ़ाया जाता है और गन्ने का मूल्य भरपूर जब किसान को मिलता है, मैं भी एक किसान हूं मैं जानता हूं कि गन्ने का मूल्य जब किसान को मिलता है तो वह खुशहाल हो जाता है, लेकिन भुगतान में देरी के बहुत से कारण हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी और शीघ्र ही जिन किसानों को भुगतान नहीं हुआ है उन्हें शीघ्र भुगतान करा देगी । जहां तक निजी क्षेत्र के मिलों के भुगतान का सवाल है, मेरा आग्रह है और सुझाव भी है कि ऐसे मिल मालिक जिन पर किसानों का पैसा बकाया है, उन पर दबाव बनाकर चाहे उनकी रिकवरी भेजी ...ए, किसी भी तरह से उनसे पैसा किसानों को दिलवाया जाए जिससे किसानों के मन में जो टीस है वह समाप्त हो सके । मान्यवर, एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, किसान का पैसा है, किसान का गन्ना है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो 8 मिलें बन्द हुई हैं उन मिलों की यह जानकारी करा ली जाए कि उन मिलों से अधिकारी तत्कालीन समय में रहे हैं जिनके समय में इन मिलों की रिकवरी कम होती चली गयी जिसके कारण ये मिलें बन्द होने की कगार पर पहुंच गयीं । जो ऐसे अधिकारी थे जिनके रहते हुए रिकवरी कम हुई है । ऐसे अधिकारियों को इंगित किया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती कार्यवाई की जानी चाहिए । दूसरी बात मैं अपने जिले की कहकर बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद में एक चीनी मिल थी जो बन्द हो गयी है, दुर्भाग्य से इसके पहले भी वहां पर एक टेक्सटाइल मिल थी वह बन्द हो गयी थी, उसमें 4 हजार कर्मचारी काम करते थे । मान्यवर, मेरा कहना है कि मेरे जिले की जो चीनी मिल बन्द हो गयी है, उसकी 200 करोड़ की प्रापर्टी है, अगर वहां एक नई चीनी मिल लगा दी जाए जिसके लिए 50,60,70 करोड़ काफी होंगे । रामपुर में जो उस चीनी मिल की 200 करोड़ की प्रापर्टी है उसको बेंचकर उसी जिले में एक नई चीनी मिल लगवा दे, यह मैं चाहता हूं । यदि यह पैसा और कहीं लगा दिया गया तो यह मेरे जिले के लोगों के साथ अन्याय होगा ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, आपने सभी वेदों की, रामायण की ओर बहुत पुरानी-पुरानी चीजों का वर्णन किया है ।

---

* वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 4 बजे ,अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

गन्ना आप कहां से लेकर चले, वेद और पुराण की बात कर लीजिये, रामायण और राम की बात न करो । दिल्ली के राष्ट्रीय एजेण्डे में राम बन्द हो गये और यहां धोखाधड़ी में चले गये । डा० साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का दाम आपने 4 रुपये प्रति कुन्तल बढ़ाया और उसे 90 से 94 कर दिया 4 रुपया तुलाई लगा दिया । यह बात सच है कि कोई करोबार या व्यापार करता है तो सीधे सामान लेता है लेकिन गन्ना किसान तैयारी करता है, उसको आपने पकड़ लिया है वह पहले गन्ना काटेगा, फिर लादेगा उसके बाद आपके क्रय केन्द्रों पर ले जायेगा और जाड़े की दिन में उसे आप दो-तीन रात खड़ा रखेंगे । अगर बीमार हो गया तो दवा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है । क्रय केन्द्रों पर अंधेरगर्दी मची हुई है, सब किसान का शोषण कर रहे हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी ने 119 चीनी मिलों का जिक्र किया तो प्रत्येक चीनी मिल के बारे में बता देते यह अमुक तिथि को चली और आज तक किसानों का इतना भुगतान हो गया और किस तिथि से बाकी है उसका भी जिक्र कर देते । केवल आंकड़े देने से कोई फायदा नहीं है । मेरे क्षेत्र में जरवल रोड़ शुगर फैक्ट्री है, गन्ना किसानों का काफी पैसा उस पर बकाया है । आपने एक बैंक निश्चित कर दिया है पूरे मिल का पैसा वहां जाता है । जो छोटे-छोटे बैंक हैं उनमें एक में भी पैसा नहीं जा रहा है, किसान परेशान है । किसान का पैसा दबा रहे हैं और उसका ब्याज भी नहीं देते । अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपको उसका ब्याज देना पड़ता है । आपने सारी चीजों का जिक्र किया, एक चीज का जिक्र नहीं किया । मान्यवर, जो हमारा हिस्सा जमा हो रहा है उस हिस्से के पैसे से सड़कों का निर्माण नहीं करा रहे हैं । सड़कें बहुत खराब हो जाती हैं आपने कहीं यह जिक्र नहीं किया कि पूरे प्रदेश में इतने किलोमीटर सड़क का निर्माण करा दिया । जो आप खाद देते हैं किसानों को उसका भी पैसा और सूद ले लेते हैं । आप खुईया भी किसान को देने के लिए तैयार नहीं हैं । कुछ तो आप दिमाग बनाइये जिससे किसान समझे कि सरकार मेरी है । अगर आप खाद देंगे तो उससे अच्छी पैदावार होगी । मान्यवर, आपने विस्तृत आंकड़े दिये हैं, उसमें नहीं जाना चाहता जब से आपने गन्ना किसानों का भुगतान बैंक से शुरू करा दिया है तब से बड़ी धांधली मची हुई है जो पैन्ट-बुशर्ट वाले हैं, टाई वाले हैं वह जाते हैं उनको ही भुगतान मिल पाता है, जो गरीब किसान हैं, जिसकी चप्पल टूटी है, शरीर से पसीने की बू आ रही है उससे बैंक का मैनेजर कह देता है कि आपका यहां एकाउन्ट व लेजर ही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करिये ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, बैंक के अधिकारी उस गरीब किसान को पसन्द नहीं करते । पहले सोसाइटी में पैसा जाता था, बड़ी आसानी से भुगतान मिल जाता था । जब से आपने सोसाइटी तोड़ दी इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि बैंकों में मिल से पैसा जाता है तो उसे 4 महीने रख लेते हैं मान्यवर, आप इसको देखें कि वह कौन से अधिकारी हैं जो किसान का पैसा 4 महीने रख लें । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 146 के अन्दर जांच करवा लें । 4 साल से, 5 साल से पैसा नहीं मिला है । आप मेरे साथ चलें बैंक दिखा दूं । स्थिति देखेंगे । बैंक वाले सीधे न कर देते हैं, लेजर आया नहीं है, पर्चियां आती हैं, डाकूमेन्ट्स आता है, लेकिन भेजा नहीं है । चीनी उत्पादन अगर अच्छी किस्म की है तो उस मूल्य को लगाना चाहिए लेकिन कम क्यों लगा रहे हैं । रिकवरी कर लिया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अव्यवस्था है माननीय मंत्री जी को दूर करना चाहिएं । किसानों को कोई अच्छी बीज संशोधित बीज किसान को आपके द्वारा नहीं दिया जाता है । कम्प्यूटर खुले हैं किसान की पर्ची फिट होती है । कम्प्यूटर बन्द क्यों रहता है ।

मान्यवर, हमारे यहां प्रबन्धक के पास पांच कुत्ते हैं। एक भी किसान उन कुत्तों के डर से जाता नहीं है और वह कहता है इस मौजूदा सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री हमारे रिश्ते-नाते में हैं, हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं। मान्यवर, इतना अव्यवहार करता है गन्ना किसानों के साथ आप इसकी जांच करवा लीजिये या मेरे साथ चलिये मैं दिखा दूं। मान्यवर, चीनी मिल में एक गेस्ट हाउस है, इतना खराब स्थिति में आ गया है कि बाहर के कुत्ते पड़े रहते हैं। अगर कभी कोई वी०आई०पी० या किसान ही जायेंगे वहां रह नहीं सकते हैं। मान्यवर, चौतरफा एक तो इतना पैसा है किसान फण्ड में काट-काट कर आता है। जिला स्तर पर जमा होता है, निकाल कर सड़कें बनवा दी जाती हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं हमारा ही गन्ना गया है। कम से कम 40-50 हजार का जाता है, लेकिन एक पर्ची मिली है एक भी भुगतान हुआ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप कुछ करना चाहते हैं, आप हिम्मत बनाओ करो, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं इसको दूर करिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वर्तमान सरकार की जो गन्ना नीति है इससे गन्ना किसानों को काफी राहत मिली है। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने बीज उपचार के लिए, भूमि उपचार के लिए, खाद यूरिया के लिए, कीटनाशक दवाइयां, सड़क मरम्मत आदि के 281.600 लाख की धनराशि स्वीकृत करके बजट का प्राविधान किया। यह सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र प्रजाति के बीज बोने के लिए एक हेक्टेयर में एक कुन्तल यूरिया अनुदान के रूप में देने का काम किया और 5 ट्राली खाद प्रेसमेड ताकि किसान के गन्ने का उपज बढ़ सके। मान्यवर, भुगतान के सम्बन्ध में जो एडवाईज बैंकों द्वारा भेजी जाती है उस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि बैंक में एडवाईज पहुंचने के 15 दिन के भीतर उसका भुगतान हो जाये जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा। मान्यवर, इस सरकार के द्वारा एक नयी व्यवस्था किसानों को लाभान्वित करने हेतु चलायी गयी है। गांवों में पहले शादी ब्याह के दिनों में चीनी की समस्या जो होती थी जिसके कारण किसान परेशान रहता था उसको इस सरकार के द्वारा दूर किया गया है। इस सरकार ने यह व्यवस्था की है कि वह चीनी मिलों से एक कुन्तल चीनी थोक भाव में प्राप्त कर सकता है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर, 1984 में 35 चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था। मान्यवर, हमारे यहां घुघली चीनी मिल है यह चीनी मिल 1926 में स्थापित हुई थी, 1998 में जो परचेज नीति का ऐलान किया गया था उसमें यह कहा गया था कि चीनी मिलों को बंद नहीं किया जायेगा लेकिन मान्यवर, घुघली चीनी मिल को बन्द कर दिया गया जिससे वहां के कार्यरत श्रमिक और उनके परिवार के काम के अभाव में बेकार हो गये हैं, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दी जाये जिससे वह चीनी मिल चलाई जा सके और उसमें श्रमिक थे वह तथा उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो सके। मान्यवर, सभी चीनी मिलों को किसान सरकार के आदेशानुसार मिल को गन्ना देते हैं ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी भुगतान कराने की भी होती है। उनमें से कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों का विगत तीन वर्षों से कुल 13 करोड़ रुपये बाकी था, जिसका भुगतान अभी तक शेष रह गया है और मान्यवर, इस वर्ष का भी लगभग 5 करोड़ रुपये कप्तानगंज की चीनी मिल पर बाकी है, जिसका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। मान्यवर, इस मिल के मालिक ने सरकार के साथ एक बाण्ड भरा था कि वह किसानों के गन्ने का जो भुगतान होगा उसे किस्तों में करेंगे लेकिन अभी तक किसानों को उसका भुगतान नहीं किया गया है। अब आगामी सत्र भी आने वाला है 3-4 माह बचे हैं लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से समितियों पर

किसानों का गन्ना मूल्य अभी तक बकाया है, कर्मचारियों ने पैसे को अपने वेतन में बांट लिया है। माननीय मंत्री जी ने समितियों के लिए बजट में भी कुछ प्राविधान किया है तो मान्यवर, जो समितियों के ऊपर पैसा अवशेष है मैं चाहूंगा उसका भुगतान करवा दिया जाय, ताकि किसानों का बकाया पैसा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने कितना गन्ना पैदा हुआ कितना भुगतान हुआ आदि चीजों के बारे में बड़ी चुनौती के साथ कहा। माननीय समरपाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए, बहुत अच्छी तरह से बोले जिससे समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सेवरही में 1975 में गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोला गया लेकिन आप देखें कि वहां पर कोई नयी चीज या नया बीज नहीं तैयार किया गया है। मंत्री जी इस पर विचार करें। मंत्री जी ने गन्ने की किस्म 92423 का जिक्र किया लेकिन यह जो गन्ना है इसमें रोग लग गया है। उसकी जांच व अनुसंधान होना चाहिए। मंत्री जी ने समितियों के बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूं कि समितियों में कोई सुपरवाइजर नहीं है। बहुत कमी है इसलिए सर्वे का काम नहीं हो रहा है।

आज समितियों से कोई दवा, कीटनाशक खाद या बीज नहीं दिये जाते हैं ऐसी परिस्थिति में गन्ना विकास कैसे होगा। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है वह शादी व्याह और अपने खर्च कैसे चलायेंगे। आपने चिलरिया के पेमेंट के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में भाटपाररानी में भटनी चीनी मिलें हैं इनके पेमेंट के बारे में आपने जिक्र नहीं किया है। भटनी, बेतालपुर, देवरिया, लक्ष्मीगंज, रामकोला यह जो सरकारी फैक्टरियां हैं उन पर किसानों का 50 से लेकर 80 प्रतिशत मूल्य बाकी है। हमारे जिले के जो आंकड़े आपने बताये हैं वह बिल्कुल गलत हैं। मेरे जिले के किसानों का जो गन्ना मूल्य बकाया है उसका भुगतान किया जाय। गौरी बाजार जो फैक्ट्री बेची गई वह आपके मंत्री द्वारा खरीदी गई और वह पेमेंट नहीं हो रहा है गौरी बाजार चीनी मिल का किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है आपने गौरीबाजार में समितियों का गठन किया इसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह अच्छी शुरुआत है गौरीबाजार का कोई बाप नहीं है जो नया पैदा हुआ उसके लिये बधाई अब आप इसको डेवलप करके फैक्ट्री चलाएं व किसानों का पेमेंट दिलाएं। समितियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनमें पेमेंट में काफी घपला हुआ है वहां कर्मचारियों ने लूटा है इस संबंध में जो बैंकों से भुगतान की नीति बनाई है यह नीति तो अच्छी है लेकिन आपका कंट्रोल इन बैंकों पर नहीं है आपके आदेशों को वह मानते नहीं हैं हमारे यहां ग्रामीण बैंक हैं वहां मण्डलायुक्त बैठे सारे डी० एम० बैठे लेकिन ग्रामीण बैंक का चेयरमैन आपकी बात नहीं माने मैं बधाई देता हूं गन्ना आयुक्त को उन्होंने वहीं भुगतान का आदेश दिया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

हमारे यहां गौरीबाजार, देवरिया, भटनी शुगर फैक्ट्री, बैतालपुर की मिलों का जो किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है इससे किसान मर रहे हैं उनको पेमेंट दिलाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं श्री समरपाल सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

मान्यवर, एक बात और रह गई कि समर पाल सिंह जी ने कहा कि जो पैसा किसानों का पेमेंट नहीं होता है उसका सूद मिल मालिकों से नहीं लिया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 13 लाख

20 हजार रुपये किसानों के सूद के वसूले हैं । इस सूद को दिलाने की व्यवस्था करें इसमें बड़ी भारी उपलब्धि होगी ।

मेजर जे० पी० सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे गन्ना विभाग पर मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने का अवसर दिया । मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह किसानों के हित का प्रस्तुत किया है । हमारा प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक केन्द्र है देश में 55.56 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र है जिसका हमारे प्रदेश में 47.52 प्रतिशत गन्ना (उत्तर प्रदेश) में उत्पादित होता है । यहां 36 लाख कृषक हैं 119 चीनी मिलें हैं । जिसमें 162 सहकारी समितियों के माध्यम से गन्ने की आपूर्ति की जाती है। विभाग द्वारा गन्ने की गुणवत्ता, उपज बढ़ाने, उर्वरकों के प्रयोग, कीट नाशकों व बीज प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त गन्ना विकास हेतु अन्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण गन्ना विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे कि सड़कों द्वारा गन्ना आसानी से मिलों तक लाया जा सके । सहकारी गन्ना विकास समितियां 174 हैं जिसमें से 27 गन्ना समितियां 10 लाख से कम लाभ में हैं 95 समितियां घाटे में चल रही है दो समितियों नई बनी हैं । मान्यवर, भुगतान की स्थिति जैसी कि कटौती प्रस्ताव रख रहे समरपाल जी ने बताई उतनी खराब नहीं है मैं अपने जिले की बात कहता हूं जनवरी, फरवरी का भुगतान किया जा चुका है किसान संतुष्ट है । अब तो किसानों को सीधे-सीधे चेक द्वारा भुगतान दिया जाता है तथा 10% भुगतान के समय लेने वाले दलालों से मुक्ति मिली है । 2001 तक निजी क्षेत्र पर देय था 2209.6 अब शेष 10.97 बचा है, सहकारी क्षेत्र में देय था 641.43 जो पूरा पेमेंट हो चुका है । निगम के माध्यम से देय था 408.9 जिसमें केवल 3.68 बचा है । मैं मुरादाबाद की बात करता हूं वहां पर बिलारी चीनी मिल पर किसानों की सात करोड़ बकाया है और मिल बन्द होने से बकाया भी नहीं मिल सका और मजदूर भी परेशान है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसको फिर से चालू कराया जाय अथवा किसानों का पेमेन्ट कराया जाय । हमारे मुरादाबाद जनपद में प्राइवेट चीनी मिले हैं जिससे किसानों को ज्यादा परेशानी होती है वहां पर सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाय । एक बात और कि जो धामपुर चीनी मिल है उसका प्रदूषित पानी नदी के जरिये मुरादाबाद में आता है कृपया इसकी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करायें । इसी के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन करते हुए बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं श्री समरपाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । अभी गन्ना मंत्री ने कहा कि सीना तान कर चलने वाला व्यक्ति किसान होगा और मुख्य मंत्री जी कहते हैं प्रदेश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलिहानों से होकर गुजरता है लेकिन किसान के इसी सीने पर गोली भी आप ही चलवाते हैं चाहे वह रामकोला या पडरौना कांड हो । मैं गोरखपुर मण्डल के किसानों के दर्द को सदन में रखना चाहता हूं । कुसी नगर पडरौना जिले में नौ चीनी मिल हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य निगम की पिपराइच, लक्ष्मीगंज, रामकोला खेतान, रामकोला (पी), पडरौना, कठकुइयां छितौनी, खड्डा, गड़ौडा निजी क्षेत्र कप्तानगंज सरदारनगर की हैं । उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मण्डल में 21 चीनी मिलें हैं । इनमें से 8 इस समय बन्द पड़ी हैं । 13 बाकी जो बची हैं उनमें से 7 उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चीनी निगम की मिलें हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि जब से आप गन्ना मंत्री हुए हैं आपने घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश में निगम की कोई चीनी मिल बन्द नहीं होगी । इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं लेकिन आपके अधीनस्थ कर्मचारी जानबूझकर मिलों को बन्द करवा रहे हैं । पूर्व गन्ना आयुक्त जो उत्तर प्रदेश के थे, लक्ष्मीगंज के सुरक्षित गन्ने को जो कि 12 लाख क्विंटल औफर किया गया था उसको काटकर कप्तानगंज रामकोला कर दिया । रामकोला खेतान को

प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया । इस तरह से निगम के चीनी मिलों का गन्ना काट दिया गया । खड्डा चीनी निगम की एक ही मिल है जो कि अच्छी मिलों में गिनी जाती है । उसका भी गन्ना गडौडा चीनी मिल का छितौनी का गन्ना भी दे दिया गया । निजी चीनी मिलों के साथ सांठ-गांठ करके निगम की मिलों को बन्द करने का काम आपके पूर्व गन्ना आयुक्त व कर्मचारी कर रहे हैं ।

आप कहते हैं कि निगम की चीनी मिल बन्द नहीं होने दी जायेंगी लेकिन 12 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करने वाली मिल 5 लाख क्विंटल गन्ना पेरकर बन्द कर दी जाती है । वहां का किसान पैसे के अभाव में अपना गन्ना उन प्राइवेट मिलों में ले जाता है । यह आरोप नहीं है, हम सुझाव देना चाहते हैं कि इस पर गम्भीरता से जांच करा लें । इन्हीं कारणों से पूर्व गन्ना आयुक्त हटाये गये हैं क्योंकि चीनी मिल मालिकों से सांठ-गांठ करके निगम की चीनी मिलों पर हमला बोलकर इनको बन्द कराने का उन्होंने काम किया था । हम ऐसे जनपद से चुनकर आये हैं जिसमें इस प्रदेश की 9 चीनी मिलें हैं । गन्ना के सवाल पर रामकोला की जनता ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है और तत्कालीन गन्ना राज्य मंत्री की जमानत भी जब्त हो गयी है । मान्यवर, कप्तानगंज चीनी मिल पर गन्ना का 97-98 का 5 करोड़ 68 लाख रुपये बकाया है । 2000-2001 का 2 करोड़ 88 लाख रुपये बकाया है । लक्ष्मीगंज का 3 करोड़, रामकोला खेतान का 3 करोड़, 45 लाख, पडरौना बन्द है इसका 12 करोड़ 40 लाख, कटकुइया का 5 करोड़, 70 लाख और सरदारनगर का 25 करोड़ बाकी है । कुशीनगर में ही अकेले 58 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस जिले की 80 प्रतिशत जनता गन्ने की खेती पर आधारित है । किसान अपना गन्ना बेचकर बेटे की बेटी की शादी करता है, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई करता है । जब उसको उसका मूल्य नहीं मिलता है तो वह बेबस होकर आन्दोलन करता है और यह सरकार उस पर गोली चलाने का काम करती है । किसानों के हमदर्द बनने के लिए माननीय मंत्री जी चाहे सरकार किसान पंचायत कर लो, किसानों का भला नहीं कर सकती है ।

अभी हमारे साथी समरपाल जी ने कहा कि केन कमीशन कम कर दिया गया है । अब भुगतान बैंक से हो रहा है । बैंक से भुगतान होने पर गन्ना समिति को अपने कमीशन से कलेक्शन चार्ज एवं बैंक ड्राफ्ट का अतिरिक्त पैसा बैंक द्वारा लिया जा रहा है समितियों ने कलेक्शन चार्ज से 2.8 लाख रुपये दिया है इसी कारण समिति घाटे में गई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समिति को पहले 3 प्रतिशत कमीशन मिलता था जो कि 1 रुपये 80 पैसे प्रति क्विंटल आता था । सरकार ने 2 वर्षों में उसको घटाकर 1 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है ।

श्री राधेश्याम सिंह–

समिति घाटे में पहुंच गई है । किसान भुखमरी के कगार पर है । कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है मैं मांग करना चाहता हूं कि कमीशन पांच परसेन्ट किया जाए यह गन्ना क्रय मूल्य पर आधारित हो ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम सिंह–

समिति से गन्ना मूल्य का भुगतान करायें या तो चीनी मिल स्वयं करें, बैंक जो कलेक्शन लेता है उसे न देना पड़े ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें काफी समय दे दिया गया है ।

श्री राधेश्याम सिंह–

कुशीनगर में 13 गन्ना समितियां हैं जो घाटे में हैं पूरा घाटा 6 करोड़ गन्ना समितियों का है । पूरे उत्तर प्रदेश में 728 करोड़ रुपया बकाया है जिसमें कुशीनगर में 58 करोड़ बाकी है । किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है किसानों से राजस्व की वसूली की जाती है किसान को जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाता है और चीनी मिल मालिकों पर जो बकाया है उनको जेल में नहीं डाला जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम सिंह–

चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं व कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता 'महोदय मैं कटौती के प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री समरपाल जी, श्री रामतेज जी को गम्भीरता से सुन रहा था । हमारी सरकार के जो अच्छे कदम हैं पिछले दो वर्षों में लगातार हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5–5 रुपये की बढ़ोत्तरी की यह अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं दे रही है कुछ तो आपको सराहना करनी चाहिए थी । मान्यवर, जिसकी जैसी भावना रहती है वह वैसा ही होता है एक कहावत आपने सुनी होगी–

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, मैं योगेन्द्र सिंह और श्री राधेश्याम जी को धन्यवाद दूंगा कि एक मुद्दे पर उन्होंने बधाई भी दी है । उत्तर प्रदेश का 82 प्रतिशत गन्ना मिलों का बकाया दिया जा चुका है यह सच है कुछ प्राइवेट मिलों पर गन्ना का बकाया अधिक है प्राइवेट गन्ना मिलों द्वारा बकाए का भुगतान हो गया होता–भुगतान 90 से बढ़कर 95 प्रतिशत हो जाता । किसानों का जो बकाया है वह पिछली सरकार का है । 1996 के पहले की सरकार का बकाया है । देवरिया, कुशीनगर जनपद दमें पुराने बकाये का बैकलाग चल आ रहा है जिसकी दुहाई बार-बार दे रहे हैं । हमारी सरकार जबसे आई है उसकी कोशिश रही है कि गन्ना किसान का भुगतान किया जाए ।

माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर उनकी कोशिश से प्रदेश गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है, इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देना चाहिए । चीनी को उत्पादन में सारे देश में प्रथम स्थान पर रहा है । अपने प्रदेश के अन्दर इस तरह की प्रजातियां पैदा करने का प्रयास किया गया है जिसमें अर्ली तथा लेट वेराइटी दोनों हैं तथा जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है अगर चीनी अधिक होगी तो निश्चित रूप से ऐसी प्रजातियां पहुंचेंगी तो उत्पादन अच्छा होगा और घाटे में चलने वाली मिलों को लाभ पहुंचेगा । मंत्री जी ने बिचौलियों के माध्यम से गन्ना पर्ची जो बनती थी उस पर अंकुश लगाया है और कम्प्यूटर के माध्यम से अब पर्चियां बन रही हैं । बैंक से भुगतान हो रहा है । श्री रामतेज जी को अच्छा नहीं लगा ।...

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि कुछ अच्छाइयां हैं तो उसके लिए धन्यवाद दें । अंत में मैं अपने जनपद की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । हमारे यहां सहकारी चीनी मिल सठियांव है वह घाटे पर चल रही है । मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में पल्हना, देवगांव, महनाजपुर और जिवली में खराब गन्ना ढुलाई–व्यवस्था होने के कारण गन्ना बोने के प्रति लोगों का उत्साह कम हुआ । तो, मेरा आपसे निवेदन है कि सार्थक प्रयास करें जिससे लोगों के मन

में गन्ना बोने के प्रति उत्साह जागे और जो सठियांव चीनी मिल घाटें में चल रही है वह लाभ की दिशा में बढ़े । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे श्री समरपाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं और मैं प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए गन्ना एक नगद फसल है जिसे बेचकर गन्ना किसान अपने पूरे वर्ष का खर्चा चलाता है । लेकिन खेद की बात यह है कि सरकार की मंशा गन्ना किसानों के प्रति अच्छी नहीं है । अगर इनकी नीयत साफ हो जाय और गन्ना किसानों की समस्याओं का निराकरण कर दे तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा उसकी तकदीर बदल जायेगी और उत्तर प्रदेश की क्या कहें पूरा देश चीनी के मामलें में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

आज सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों की स्थिति एक दम जर्जर हो गयी है । गांव आधार है, प्रदेश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है "यह नारा खोखला होता जा रहा है ।" प्रदेश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है वह नारा जब दिया गया था और जिहोंने दिया तो उन्होंने गन्ने का मूल्य जब 6/- रुपया प्रति कुंतल था तो उसको 12/- रुपया किया था । आपने क्या किया, पांच रुपया बढ़ा दिया यह तो ऊंट के मुंह में जीरा । आज गन्ना किसानों के सामने अनेकों समस्याएं हैं ? पहली समस्या यह है कि गन्ना मूल्य । वैसे तो गन्ना मूल्य का फिक्सेशन केन्द्र सरकार करती है लेकिन राज्य सरकार कम्पेन्सेटरी प्राइस देकर गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य देने का काम करती है । आज जिस अनुपात में अन्य चीजों के दाम बढ़े खाद, बीज, बिजली, डीजल, कीटनाशक दवाएं उस अनुपात में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है । अगर उस अनुपात में बढ़ा होता तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 125/-रुपया प्रति कुन्तल होता । आपने पांच रुपया बढ़ाया इसका आधार क्या है ? आपने किसानों का पैसा घुमाकर किसानों को देने का काम किया है । जब आपने पांच रुपया बढ़ाया तो सभी चीनी मिल मालिकों ने धमकी दी कि हम कोर्ट में चले जायेंगे । इस पर सरकार डरी और मिल मालिकों से सांठ-गांठ करके कि आप कोर्ट में न जाओ इसका तरीका निकालते हैं ? आपने सीधे-सीधे दो रुपया परचेज टैक्स माफ किया.....

मान्यवर, करोड़ों रुपये परचेज टैक्स माफ किया गय है जो सरकारी खजाने में 1 रुपये राजस्व के रूप में जाता था और 1 रुपये शक्कर निधि में जाता था तो आपने करोड़ों रुपये का राजस्व अपना गंवा दिया शक्कर निधि का भी आपने अंत कर दिया । आप निगम की मिलों को किस प्रकार से फायदा पहुंचायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षिप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

1.78 रुपये आपने समितियों को कमीशन देने की बात की 70 पैसे घटा दिया गया । मिल मालिकों की जेब में डालने का काम आपने किया यह इस प्रकार 2 रुपये 70 पैसे हो गया । सेंटरों पर 3 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज था उसको बढ़ाकर किसानों के ऊपर । रुपये का लोड दिया है 4 रुपये हो गया गन्ने का मूल्य 90 रुपये और 4 रुपये काट दीजिए तो 86 रुपये मिला मान्यवर, इस तरह से आपने 3 रुपये 70 पैसे यह किसानों का पैसा घुमाकर देने का काम किया है और मिल मालिकों पर केवल 1 रुपये 30 पैसे लोड डालने का काम किया है ।

मान्यवर, दूसरी समस्या गन्ना मूल्य तय करने की है । कोई ठोस फार्मूला न केन्द्र सरकार के पास है और यहां तो निश्चय ही नहीं होगा अगर गन्ने मूल्य का कोई ठोस फार्मूला तय हो जाये तो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है, डीजल का दाम बढ़ता है उसी अनुपात में गन्ने का मूल्य बढ़ेगा तो गन्ना किसानों की समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी आपके पास ठोस फार्मूला है लेकिन वह किसानों के लिए नहीं है कर्मचारियों के लिए है जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी ऐसे ही उनकी भी महंगाई बढ़ती जायेगी । अगर कर्मचारियों के ऊपर जो ठोस फार्मूला तय करते हैं वही किसानों के ऊपर फार्मूला तय कर दें तो किसानों की बहुत सारी समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी । कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो फार्म चलाये जा रहे हैं उनके लागत मूल्य को आप ले लें और उतने ही आप गन्ना किसानों को दे दें तो गन्ना किसान खुशहाल हो जायेंगे जबकि कृषि फार्मों, विश्वविद्यालय के फार्मों पर, उन पर वेतन आदि जोड़ दिया जाये तो लागत मूल्य और अधिक बढ़ जायेगा । तो आज़ यह समस्या है आप अच्छे किस्म का बीज और अच्छे किस्म की गन्ने की प्रजातियां कम हैं आपने कहा कि हमने अन्वेषण किया है और उसको बढ़ाने का काम करेंगे । मान्यवर, किसान अच्छे किस्म की प्रजातियों को जल्दी नहीं अपनायेंगे चूंकि वह लगभग 2 सीजन ले लेती है अच्छी प्रजातियों को फैलाने के लिए आपको प्रोत्साहन मनी देना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जब भी आप नयी प्रजाति निकालें उस पर प्रोत्साहन दें ताकि किसान उसको अपनाने का काम करे । मान्यवर, घटतौली की समस्या है कहा गया है कि 4,000 सेन्टरों को चेक किया गया । मान्यवर, जब गन्ना लेकर किसान जाता है तो जो कांटा की मड़ई होती है वह इतनी नीची होती है कि किसान नहीं देख सकता है कि कितनी तौल हो रही है जितना तौल बाबू ने कर दिया उतना लिख दिया दूसरे कांटे छोटे-छोटे लगाये जाते हैं जिस पर डनलप नहीं आता है, गाड़ियां नहीं आती है बड़ी आसानी से घटतौली की जाती है । मान्यवर, सेन्टर मिल गेट पर घटतौली की जाती है मिल गेट और कांटे की दूरी बहुत कम होती है उस पर घटतौली की जाती है और वह पकड़ में नहीं आती है । बस्ती जनपद में, बस्ती शुगर मिल और बभनान शुगर मिल घटतौली के माफिया हैं दिसम्बर के अन्त में अन्तिम सप्ताह में एक दिन 11 बजे रात को किसानों ने दोनों कांटों पर बैठे हुए कांटा बाबुओं को निकालकर बाहर कर दिया । हम पहुंचे डी० सी० ओ० और केन सचिव उन तीनों के सामने तौल हुई तो 1 कुन्टल का बट्टा रखा जाता था तो 75 किलो बताता था एक कांटे पर 25 किलो घटतौली और दूसरे पर साढ़े 27 किलो की घटतौली हो रही थी यह बड़ी गम्भीर समस्या है इसकी रिकवरी जब तक बड़ी मिल से नहीं होगी तब तक यह घटतौली नहीं रुकेगी । आपने कहा कि हमने 0.37 की रिकवरी बढ़ायी है तो मिल कांटों पर घटतौली हुई है रिकवरी नहीं बढ़ी है । घटतौली हुई है तब रिकवरी बढ़ी है । गन्ना इस वर्ष 32 लाख मीट्रिक टन कम हुआ तो 2 लाख टन चीनी कैसे बढ़ गयी ।

मान्यवर, आज करोड़ों रुपये गन्ने का बकाया है जबकि उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद अधिनियम, 1953 की धारा 17 के अनुसार यह नियम है कि गन्ना खरीद के 15 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर मिलों को ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा । लेकिन जब ब्याज की बात आती है तो सरकार का जवाब हमेशा होता है, मिल की दशा के बारे में सरकार की तरफ से बात कही जाती है कि मिल की दशा खराब है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों की दशा बड़ी अच्छी है आपका कहना है कि हमने 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया । हम मानते हैं इस बात को, 735.34 करोड़ रुपया बकाया है आप कहते हैं मात्र, यह आपके लिये मात्र है लेकिन किसानों से पूछिए जिसकी जेब में अठन्नी नहीं है उसकी क्या पोजीशन है । बंद चीनी मिलों का जो बकाया है वह सरदार

नगर का 22.91 करोड़, खलीलाबाद का 5.42 करोड़, बेलारी मुरादाबाद का 4.68 करोड़, कप्तानगंज कुशीनगर का 5.70 करोड़ कुल टोटल 38.71 करोड़ रुपया इन मिलों का बकाया है केन्द्र सरकार की 3-4 मिलें हैं गौरी बाजार का 1.65 करोड़, पडरौना का 12.33 करोड़ और कटकुइयां का 5.60 करोड़ कुल 19.58 करोड़ और सबको मिलाकर 59 करोड़ रुपया बकाया है और आपने जिक्र किया 7.37 करोड़ तो यह 59 करोड़ का बकाया कौन देगा इन बन्द मिलों का बकाया यह किसान वसूल पायेगा सरकार का दायित्व बनता है कि इस पैसे की वसूली करके किसानों को दिलाने का काम करें। गन्ना सहकारी समिति को भुगतान के लिए आपने साढ़े 7 करोड़ रुपये दिया लेकिन गन्ना सहकारी समितियों के ऊपर लगभग 34 करोड़ रुपये का बकाया है और इसमें से साढ़े 7 करोड़ रुपये दिया है, वह नहीं के बराबर है इसको विचार करके पूरा-पूरा सरकारी खजाने से देने का काम करें जैसा कि मिलों का परचेज टैक्स माफ करने का काम किया है। इसके साथ ही मैं माननीय समरपाल सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कमलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने अपनी गलत नीति और नियोजन के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार ने जो नियोजित तरीके से सुधार लाने का साहसिक प्रयास किया है, उस वजह से यह लोग हताश हो रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, विगत वर्षों में गन्ना मूल्य में बराबर वृद्धि होती जा रही है और माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा किसानों को सुविधायें दी गई हैं जैसे नई सट्टा नीति बनाकर छोटे कृषकों को भी भरपूर मात्रा में पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे गन्ना माफियाओं का जो पर्ची और गन्ना भुगतान में बर्चस्व था, उस चंगुल से किसानों को छूट हुई है और अब सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा किसानों को यह भी छूट दी गई है कि जिन किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, यदि उनके ऊपर किसी तरह का देय बकाया है तो उनको हवालात में बंद नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त किसानों को इस वर्ष चीनी मिलों द्वारा एक क्विंटल चीनी थोक मूल्य पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि विगत तीन वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक आदि के परिवारों को प्राथमिकता देकर गन्ना विक्रय कराया जा रहा है। आज उपज का लाभ अधिक से अधिक कृषकों को कैसे मिले, इस हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना लागू की गयी है, इसके अन्तर्गत बीज बदलाव कार्यक्रम का समावेश किया गया है, जिससे किसानों को इस क्षेत्रफल में रिकार्ड उत्पादन हुआ है और हर तरह से लाभ हुआ है।

मान्यवर, गन्ना विकास विभाग द्वारा अन्तर्ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का काम किया जाता है, उसमें गन्ना विकास परिषद् का भी धन लगता है, इस काम को भी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सह उत्पादों जैसे केमिकल प्लान्ट, गैसोहल, जैविक खाद बनाने का काम भी शासन द्वारा शुरू किया गया था। हमारे तरफ की चीनी मिलों ने इस दिशा में काफी अच्छा कार्य किया है और किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। वहां भूमशक्ति के नाम से एक अच्छी जैविक खाद बनाई गई है और काफी मात्रा में वितरित भी की गयी है, इस दिशा में हमारे देवीपाटन मण्डल ने काफी अच्छा प्रयास किया है। मान्यवर, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे यहां निजी क्षेत्र में बोरिंग लगाने वाले कृषकों को 1500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी को 2-3 सुझाव भी देना चाहता हूं कि नेपाल जा रहे गन्ने को रोकने का काम करें, इस वजह से देवीपाटन मण्डल की चीनी मिलों को गन्ना कम मिला जबकि हमारी मिलें बहुत क्षमतावान हैं, समय से भुगतान भी कर रही हैं, वहां गन्ने की मात्रा कम पढ़ जाती है, इसलिये 10 मार्च को ही मिलें बन्द हो गईं। इस वर्ष शासन ने निजी क्षेत्र में 5 नई चीनी मिलों को संचालित किया है, इन मिलों ने पेराई सत्र प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं। बार्डर एरिया डेवलपमेंट के अन्तर्गत हमारे बलरामपुर जनपद को छोड़ दिया गया है, कृपया उसे भी शामिल कर लिया जाय। हमारे यहां बलरामपुर चीनी मिल पावर प्लान्ट लगाने का प्रयास कर रही है तथा केमिकल प्लान्ट में पी० डी०-2 के लाइसेन्स लेने के लिए प्रयास कर रही है। इसमें उनको सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग के बजट का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, गन्ना विकास के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभारी हूं। तमाम कटौती प्रस्ताव पर बोलने वाले वक्ताओं ने लगभग हर कोने को छू दिया है। मान्यवर, जहां से हम आते हैं कुशी नगर जिले से, वहां गन्ना खेती का प्रमुख हिस्सा है। बरतानिया हुकूमत से वहां गन्ने की स्थापित मिलें हैं, सरकार द्वारा इस जिले में कोई स्थापित मिल नहीं है वहां का गन्ना किसान पूरी तरह से गन्ने पर आधारित है। लेकिन गन्ने की हालत यह है कि 5 सालों से, 4 सालों से गन्ने का बकाया है। अभी समरपाल जी ने और श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर ने कहा कि हमने 10 लाख रुपये सूत के दिलाये हैं लेकिन मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि वे 5 सालों का गन्ने का बकाया ही भुगतान करा दें तो उन्हें हम साधुवाद देंगे। 5 साल, साढ़े 5 साल में पैसा दुगुना हो जाता है लेकिन आप का बैंक ऐसा है, आपका शासन प्रशासन ऐसा है कि उसकी कीमत मांगने पर गोली खानी पड़ती है, मौत के घाटन उतरना पड़ता है। मंत्री जी आप इन किसानों पर रहम कीजिये। मंत्री जी मैं चाहता हूं आप दो काम कीजिए, गन्ना मूल्य का भुगतान कराइये और गन्ना मिलों को संचालित कराइये। जिससे गन्ना मिल के कर्मचारी जो तड़प रहे हैं, एक दर्जन से ऊपर मौत के शिकार हो गये हैं उनका पूरा परिवार भिखमंगों की तरह भीख मांग रहा है। मान्यवर, अगर यह आपने किया तो मैं धन्यवाद दूंगा।

मान्यवर, कठकुइयां और पडरौना चीनी मिल जो हैं, पडरौना मिल आधुनिक ढंग की मिल है यदि आप उसे संचालित करा दें तो कठकुइयां और पडरौना दोनों मिलों का जो घाटा है वह पूरा हो जायेगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं करते। मैं कहूंगा कि आप हिम्मत बढ़ायें और अपने कबीना मंत्रियों को मिल देने से परहेज करें और स्वयं लेकर उन्हें संचालित करायें।

मान्यवर, मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं, 172 गन्ना समितियां जो हैं उनमें से 64 की हालत ही जाने की है, बाकी मरी हुई हालत में हैं। इन गन्ना समितियों को कायम रखना चाहते हैं तो 5 प्रतिशत से कम की कटौती आप करेंगे तो यह जियेंगी नहीं यह मर जायेंगी। या तो इन्हें समाप्त करने की घोषणा कर दीजिए नहीं तो उनके जीने और रहने की व्यवस्था करिए। मान्यवर, लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जनतांत्रिक संस्थाएं जियें और मजबूत रहें।

मान्यवर, मैं कुछ लोगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा–श्री महेन्द्र चौबे, उप गन्ना आयुक्त, फैजाबाद, श्री रंग लाल उपाध्याय, उप गन्ना आयुक्त, देवरिया, श्री वी० के० मिश्र, सहायक सांख्यिक अधिकारी–फैजाबाद, डा० एस० एन० राय, प्र० नि० गन्ना संघ/संयुक्त गन्ना आयुक्त एवं श्री राम दुलारे, उप गन्ना आयुक्त क्रय (मुख्यालय) इन तमाम लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी की मांग की गयी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, आपने कार्यवाही नहीं की। मैंने खुद ही मुख्य मंत्री जी को जानकारी दी है। तथ्यात्मक शिकायत दी थी और इन्क्वायरी की मांग की थी, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है कोई

कार्यवाही नहीं हुई । चाहे घटतौली हो, चाहे घपला हो, चाहे शक्ति के अधिकारी का दुरुपयोग हो, चाहे लूट हो, इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए । इनके विरुद्ध कार्यवाही शीघ्रता से होनी चाहिए, इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय अधिष्ठाता जी आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बिन्दु लाल–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं । मान्यवर, गन्ना किसानों की 3-4 समस्यायें थी । पहला था सट्टा । भा०ज०पा० सरकार के आने से पहले सट्टे में इतनी गड़बड़ियां होती थी कि जो गरीब किसान, छोटे किसान थे वह परेशान रहते थे यहां तक कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम भी सट्टा बनवा लेते थे और नाजायज फायदा उठाते थे ।

दूसरा माफिया द्वारा गन्ना खरीदा जाता था, गरीब किसान पर्ची नहीं पाता था और सारा गन्ना माफिया द्वारा खरीदकर लाभ कमाया जाता था ।

तीसरी बात भुगतान की थी । जब से भा०ज०पा० सरकार आयी है इन तीनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास हुए । आज न सट्टे की परेशानी है, न कोई कहता है कि पर्ची नहीं मिल रही है, बैंक पेमेण्ट हो जाने से माफिया भी खत्म हो गये हैं । अब जिसके नाम गन्ने की पर्ची कटती है उसी के नाम बैंक में पैसा जाता है । जहां तक भुगतान की बात है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि 82-83 प्रतिशत भुगतान भी हो जाता है । कुछ बकाया पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, गन्ने की राजनीति के कारण रहा है । जो पूंजीपति थे इन लोगों ने लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रीकरण की तलवार उठाना चाह रहे थे, मजबूर होकर पूंजीपति फैक्ट्री छोड़कर चले गये । आज वह शासन के लिए सिरदर्द है । करोड़ों रुपया शासन को उनके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है और उन्हीं मिलों का बकाया रह जाता है । वह किसानों का गन्ना नहीं पेर पाते हैं । माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह लोग अगर फैक्ट्री चलाने को तैयार हैं तो उनको पुनः देकर, उनकी सहायता कराकर यह फैक्ट्रियां चलायी जायं तो जो करोड़ों-अरबों रुपये का हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है वह नहीं उठाना पड़ेगा ।

भा०ज०पा० सरकार ने 4 साल में 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया है, किसानों को गन्ने का अच्छा पैसा मिले यह आवश्यक है, इसके साथ-साथ फैक्ट्रियां भी चलें । इसमें तालमेल होना चाहिए, अगर यह नहीं होगा तो न देश के किसानों, मजदूरों का हित होगा, किसानों को अच्छा पैसा मिले और पूंजीपति ने जो पैसा लगा रखा है उसका भी सही लाभ मिले तभी देश और किसानों का हित होगा । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फैक्ट्रियां इस साल जल्दी चलाने का काम करें जिससे किसान अपना गन्ना काटकर गेहूं बोने का काम कर सके । जो आप नवम्बर में मिलों को चलाते हैं उसे अक्टूबर में चलाया जाये ।'मान्यवर, सहकारी समितियों के बारे में कहना चाहूंगा अगर सहकारी समितियां ठीक ढंग से काम करें मान्यवर, जो गड़बड़ियां की गई हैं उसके बारे में सुधार करने का प्रयास किया जाये और हो सके तो किसानों का बकिया जो बकाया है ब्याज माफ कर दें तो उनका पैसा मिल जायेगा उससे सहकारी समितियां ठीक ढंग से चलेगी और बकाया भी मिल जायेगा । मैं अपनी ओर से मा० मंत्री जी द्वारा रखे गये गन्ने के बजट का समर्थन करता हूं ।

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, गन्ना मंत्री जी ने गन्ने का इतिहास धार्मिक ग्रंथ के द्वारा बताया । मैं धार्मिक ग्रंथों पर नहीं जाना चाहता,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन गन्ना का असली इतिहास जरूर बताऊंगा । मान्यवर, जब इंसान ने देखा कि नरकुल जैसे पेड़ को जानवर चूस रहे हैं तो इंसान ने भी उसे चूस कर देखा, तो उसमें मिठास थी । उसको ताड़ा और उसको पत्थर से कूंचकर रस निकाला और उसे कढ़ाई में डालकर गरम किया तो एक ठोस पदार्थ गुड़ के रूप में बदल गया । इसको देखकर इंसान ने उसकी खेती शुरू कर दी और शुरुआती दौर में इसे चूसा व पत्थर से कूटकर गुड़ बनाया और कुछ दिनों बाद बैलों से चलाकर कोल्हू बनाया और उससे रस बनाकर गुड़ का निर्माण हुआ ।

कालान्तर में मिलों का निर्माण हुआ साथ ही में मिलों द्वारा कृषकों का शोषण भी शुरू कर दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि उस समय की सरकारों ने गन्ना समितियों का निर्माण किया जो गन्ना काश्तकार भी मिल के बीच मीडिएटर होती थी और कृषकों के हितों का ख्याल रखती थी । गन्ने का सर्वे, सट्टा व कलेन्डर बनाती थी तथा मिल के मानक के अनुसार पर्चियां निकालती थी । काश्तकारों को बेचती थी । काश्तकार प्रोग्राम के अनुसार गन्ना क्रय केन्द्र पर ले जाता था वहां पर समिति के कर्मचारी, मिल के कर्मचारी के साथ गन्ना तौलता था जिससे कृषक शोषण से बचता था । अब इस सरकार ने समितियों को समाप्त कर षडयंत्र रचा है । यह सरकार मिलों से मिल गई है और अब समितियों का कमीशन कम करके समिति कर्मचारियों को भूखों मारने के लिए मजबूर कर दिया है । अगर यही हालत चलती रही तो समिति कर्मचारियों के बच्चे निरीह हो जायेंगे । अब इस सरकार ने गन्ना का सर्वे और सट्टा मिलों द्वारा शुरू करवा दिया गया है । अब मिल काश्तकारों का वृहद शोषण कर रहे हैं । नये माफिया तंत्र तैयार हो गये हैं जो कृषकों का गन्ना कम भाव पर खरीद लेता है और मिलों से जबरन अपने नाम की पर्ची लेकर दिलवा देता था । इस माफिया तंत्र की वजह से असली गन्ना काश्तकार का गन्ना बिकता ही नहीं था ।

मान्यवर, इस सरकार ने डेवलपमेंट फण्ड का पैसा कम कर दिया है जिससे जो गन्ना परिषदों द्वारा विकास कार्य होते थे । वह पूर्णतः ठप्प हो गये हैं । यह सरकार मिलों की कठपुतली बनकर रह गई है । मान्यवर, एक कृषक से जब एक कपड़े के व्यापारी ने पूछा कि गन्ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वह बोला खाद, पास, पानी, खाद, पास, पानी, खाद, पास, पानी तो व्यापारी बोला रुको तो काश्तकार बोला कि रुकेंगे तो गन्ना सूख जायेगा । व्यापारी बोला क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती है । काश्तकार बोला हां, उसके बाद व्यापारी ने फिर पूछा आपको गन्ने से अच्छी नफा होती है, आप लोग माला-माल हो रहे हैं । काश्तकार बोला कि मैंने गन्ने को जोता है, बोया है, बीज डाला है, खाद पानी दिया है, गुड़ाई की है अब काटने लायक तैयार है तुम चाहो तो मेरे पूरा गन्ना कटवा लो और पूरा दाम तुम रख लो, चाहे मुझे एक पैसा न देना । यदि तुम्हें नफा नजर आये तो पूरा गन्ना कटवा लेना । व्यापारी बोला इसमें दिक्कत क्या है । तो कृषक बोला 15 कुन्टल की पर्ची 1290 रुपये की होती है इसमें से 5 रुपया भाड़ा और 8 रुपया छिलाई निकालकर 1095 रुपया 2 रोज में मिलेगा और 2 सेट के कपड़े में इतना पैसा ले लेते हो । इसमें जाड़े में धूप में रखवाली, बिकवाली के लिए खड़ा रहना पड़ेगा । व्यापारी ने कहा बात सही है मैं द्वन्द नहीं कर पाऊंगा ।

मान्यवर, गन्ना मंत्री जी और पक्ष के लोगों ने गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी करके अपनी पीठ थपथपाई है । इनकी नीति और नियति में अन्तर है । पहले जब आपकी सरकार आयी थी तो आपने केल 2 रुपया बढ़ाया था 1 रुपया भाड़े के नाम पर काट लिया था और केवल 1 रुपया बढ़ोत्तरी, इस वर्ष आपने 5 रुपया बढ़ाया जिसमें से 1 रुपया भाड़े का कटवा दिया, 3 भाड़े का कटता था, 4 रुपया कटवा दिया इस प्रकार काश्तकार को केवल 4 रुपया मिला । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जब-जब सपा की सरकार आती थी तो भाड़ा 2 रुपया कटता था और जब सपा की सरकार नहीं रही तब भाड़ा 3-4 रुपया प्रति कुन्तल काटा । मान्यवर, हमारे नेता मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री बने थे 4 रुपया जो कांग्रेस का रेट बढ़ा था उसमें से 1 रुपया भाड़े के नाम पर 1 रुपया पेनाल्टी के नाम पर कटवा लिया था केवल 2

रुपया दिलवा रहे थे । मान्यवर, हमारी सरकार आयी तो माननीय नेता जी ने जो भाड़ा 4 रुपया और मिलों से कहा 4 होता है और 4 पहले का पूरा 8 दो और डिफर्ट भी बनाकर दो और मुलायम सिंह की सरकार आयी तो उन्होंने एक वर्ष में 11 रुपया बढ़ा था और पेनाल्टी का कटवाया 12 दिलवाया । मान्यवर, शुगर मिलों की परिकल्पना अब गलत हो गई है । अब शुगर काम्पलेक्स रखने होंगे । जहां-जहां शुगर मिल हो वहां एल्कोहल बने कनाइड बोर्ड और वह हाठबोर्ड की फैक्ट्री बने तो रंग, खाद, मोम बनाने की फैक्ट्री व खोई से फरफ्यूम निकालने की फैक्ट्री बनाये । मान्यवर, शीरे से अल्कोहल बनकर 27 टन खाद से ऊपर परफ्यूम निकलेगा । इसके के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका पुनः आभारी हूं । मान्यवर, अभी हमारे माननीय साथी ने यह बताया कि किस प्रकार से ईसा पूर्व से गन्ना प्रयोग किया जा रहा है और वह हमारे देश से दूसरे देशों में गया । मान्यवर, गन्ने की सबसे पहली मिल हमारे प्रदेश में ही लगायी गई थी, और उसके बाद अन्य प्रदेशों में लगी थी । लेकिन मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि अन्य प्रदेशों में तो इसके विकास हेतु अनेकों कार्य किये गये और विकास हुआ लेकिन मान्यवर, आज हमारे प्रदेश के अन्दर कहीं पर भी इसका विकास नहीं हो रहा है । आज हमारे प्रदेश की चीनी मिलें तड़प रही हैं । दूसरी और तीसरी चीनी मिल भी हमारे ही प्रदेश में लगायी गयी लेकिन मान्यवर, वह बड़े दुख की बात है कि अन्य जगहों पर तो चीनी मिलें फल-फूल रही हैं लेकिन हमारे प्रदेश की यह स्थिति नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी जगहों की जो चीनी मिलें हैं उनमें 90–95 प्रतिशत गन्ना जा रहा है लेकिन क्या कारण है कि हमारे प्रदेश की चीनी मिलों में 60–65 प्रतिशत से अधिक गन्ना नहीं जा पाता है । इसका मतलब यह है कि हमारी जो चीनी मिलें हैं उनकी कार्यक्षमता कम है । मान्यवर, सरकार, हमारी जो चीनी मिलें हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, इस तरफ सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है । मान्यवर, सरकार ने 5 नयी चीनी मिलों की स्थापना की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने नयी चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है । यह जो 5 चीनी मिलें हैं चौधरी अजीत सिंह जी जब केन्द्रीय खाद्य मंत्री थे उन्होंने शुरू की थीं । लेकिन इस सरकार ने तमाम व्यवधान उनके लगाने में लगाया और अड़चनें डालीं और बड़ी मुश्किल से मिलें लगीं । परन्तु सरकार ने इनको चलाने का प्रयास नहीं किया । आपने कहा कि हमने मिल लगाने के लिए लाइसेंस से मुक्त कर दिया है आप बतायें कि लाइसेंस मुक्त किये जाने के बाद प्रदेश में कितनी चीनी मिलें लगी हैं ? एक भी मिल प्रदेश में नहीं लगी है ।

आज गन्ने की दुर्गति यह है कि गन्ना खाण्डसारी में 40 रुपये क्विंटल पर बिक रहा है । सरकार को गन्ने के सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालना चाहिए । ब्रजील में गन्ने के रस से पेट्रोल बनता है जो डीजल और पेट्रोल के रूप में वाहनों में प्रयोग किया जा रहा है । आपको ऐसी टेक्नालाजी विकसित करनी चाहिए कि गन्ने के रस से पेट्रोल बनाया जाय जो डीजल और पेट्रोल के रूप में प्रयोग किया जाय । इससे हमारे देश को जो पेट्रोलियम प्राडक्ट बाहर से मंगाने पड़ते हैं उन पर हमारी निर्भरता कम होगी और अपने देश में गन्ने के रस से पेट्रोल बनने पर गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा । आपने बताया कि गन्ना किसानों को सस्ती दर पर चीनी मिलेगी । आपने थोक भाव पर किसानों को 1 क्विंटल चीनी देने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात कही । इससे किसान का तो कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि बाजार में किसान को थोक भाव पर चीनी उपलब्ध है ।

आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किसान को मिल से चीनी लेवी रेट पर मिले तब तो किसान का फायदा होता । चौधरी अजीत सिंह ने किसान को लेवी दर पर चीनी देने की व्यवस्था की लेकिन आपकी सरकार ने उसको बन्द कर दिया । जब बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी तो आपने किसान को थोक दर पर चीनी देने की बात कही । मिल वाले जो किसान को चीनी देते हैं वह वैसे ही थर्ड ग्रेड की होती है । माननीय अधिष्ठाता जी आपने बकाये भुगतान की बात बड़े जोर से कही । इस वर्ष का लगभग 760 कारोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है और पिछले वर्षों का भी बकाया है । 5 चीनी मिलें जो बन्द हो गयीं हैं उन पर भी लगभग 59 करोड़ रुपया बकाया है । विभाग में भ्रष्टाचार के कारण समितियों ने चीनी मिलों से पेमेन्ट ले लिया और समिति के सचिवों, कर्मचारियों ने उसको मिलकर खा लिया और किसानों का भुगतान नहीं किया । आप समितियों से इस बकाये को वसूल करें और किसानों का भुगतान करें । यह आपका दायित्व बनता है । कुल मिलाकर लगभग साढ़े 8 सौ करोड़ रुपया बाकी है जो बहुत ही चिन्ताजनक बात है । मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार भुगतान करने की घोषणा करे ।

अभी मंत्री जी ने अर्ली वैरायटीज की बात कही है । यह सही बात है कि अर्ली वैरायटीज होनी चाहिए । इससे चीनी मिलों और किसानों दोनों का फायदा होता है । हमारे यहां मवाना, मलकपुर, मोदीनगर मिलों के क्षेत्र में अर्ली वैरायटीज होती हैं । लगभग 20 प्रतिशत अर्ली वैरायटीज हैं । जब मिलें चलती हैं तो शुरू में अर्ली वैरायटीज की खरीद की जाती है । अर्ली प्रजातियों की खरीद तब तक चलती रहती है जब तक इन प्रजातियों का गन्ना मिलता रहता है । बहुत से क्षेत्रों में अर्ली प्रजाति 40 प्रतिशत तक होती व कई क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक अर्ली प्रजाति का गन्ना होता है । बहुत जगह नवम्बर, दिसम्बर व फरवरी तक अर्ली प्रजाति की खरीद होती रहती है सामान्य प्रजाति का गन्ना नहीं खरीदा जाता अर्ली प्रजाति के गन्ना किसानों के यहां पर्ची भेज दी जाती है सामान्य प्रजाति के गन्ने का किसान इन्तजार करता रहता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित कराएं केवल एक माह व अधिकतम पहली दिसम्बर तक अर्ली प्रजाति का गन्ना खरीदा जाए उसके बाद सामान्य प्रजाति का गन्ना भी खरीदा जाए ताकि उन किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सके जो सामान्य प्रजाति का गन्ना बोते हैं । एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि आप अपने को किसानों का मसीहा कहेंगे तो मैं आभार व्यक्त करूंगा यदि आप इस बात की घोषणा करें कि हरियाणा की तरह 125 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य किसानों को दिया जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अधिष्ठाता महोदय, श्री समरपाल सिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से कुछ बातें रखीं कुछ सुझाव भी दिए अनेक माननीय सदस्यों ने गन्ना विकास के बजट पर अपने सुझाव दिये, प्रशंसा की कुछ बातें चर्चा में आयीं । श्री समर पाल सिंह जी ने 16 मार्च तक आंकड़े दिये विपक्ष के सदस्य होने के कारण वहां की तरफ से जो सुझाव आते हैं वह माइनस हो सकते हैं व सत्तापक्ष के जो विचार आते वह प्लस हो सकते हैं । 16 मई तक की स्थिति मैंने आपको बताई मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मेरे पास स्टेटमेंट है यह 16-5-2001 तक की स्थिति है इसमें कारपोरेशन सेक्टर पर 116 करोड़ रुपया बकाया है अन्य सेक्टरों की मिलों के बकाया की भी स्थिति है । अधिष्ठाता महोदय, यह मैं पटल पर भिजवाए देता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं पुनः बताना चाहूंगा कि 3978.39 करोड़ का भुगतान करना था जिसके अगेंस्ट 3306.67 करोड़ का भुगतान किया गया 83.12 प्रतिशत का भुगतान किया गया और 16.85 प्रतिशत यानी 671.72 करोड़ रुपये बाकी रह गये हैं । चीनी निगम कोआपरेटिव सेक्टर में तुलनात्मक प्रतिशत ज्यादा बकाया है । लेकिन अगर आप कंपरीजन करेंगे पिछले वर्षों से तो परफार्मेंस हमारी ज्यादा अच्छी होगी । पिछले वर्ष से 407.16 करोड़ व 929.35 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ है मेरे पास 100 चीनी मिलों की बकाए की जानकारी है अगर उसको पढ़ेंगे तो समय अधिक लगेगा । जो सदस्य चाहें वह मुझ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जहां तक चीनी निगम और सहकारी चीनी निगम के ऊपर गन्ना मूल्य जो बाकी है हमारे सभी सदस्य अवगत हैं कि सरकारी चीनी मिलों और निगम इस पर गन्ना मूल्य बकाया रहता है तो सरकार का दायित्व है वह देती है । 1996-97 में 121 करोड़ शासन से दिया गया, 97-98 में 128 करोड, 98-99 में 62.873 करोड़, 99-2000 में 101करोड़ और पिछले वर्ष भी 58.02 करोड़ दिया गया । इस वर्ष शासन से कोई गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया । फिर भी तुलनात्मक रूप से अच्छा है और गन्ना भुगतान सुनिश्चित हो इसके लिये सरकार वचनबद्ध है । यह भी बात उठाई गई कि जो गन्ना मूल्य बकाया है उस पर ब्याज मिलना चाहिए तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पर उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है इसी कारण ब्याज हम नहीं दे पा रहे हैं । एक सदस्य ने कहा वहां पर ब्याज दिलाया गया तो जो चीनी मिलें ब्याज देना चाहें तो अच्छी बात है लेकिन यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । यह भी कहा गया गन्ना मूल्य हरियाणा में 125 रुपये प्रति कुन्तल है तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां 110 रुपये होगा और उन्होंने इस वर्ष एक रुपये गन्ना मूल्य में वृद्धि की है । आप स्वयं सोचे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर यदि कोई उद्योग बचा है तो वह है चीनी उद्योग हमारे यहां 100 चीनी मिलें कार्य कर रही हैं । यदि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा होता तो हम और आप क्षेत्र में घुस नहीं पाते तो हमें मिलकर एक सामंजस्य, समन्वय बनाना चाहिए कि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो ।

मैं पूर्व की स्थिति बताना चाहता हूं तबकी जबकि हमारी सरकार नहीं थी । गन्ना मूल्य 1995-96 में दो रुपये बढ़े, 96-97 में तीन रुपये और हमारी सरकार ने आते ही यह वृद्धि पांच रुपये कर दी । गन्ना किसानों के हित में । घटतौली की बात आई मैं इसे स्वीकार करता हूं । हमने पिछले वर्ष भी कहा था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वे चीनी मिलों पर जायें और वहां देखें कि क्या हो रहा है कोई अनियमितता होती है तो हमें सूचित करें । कितने सदस्यों ने किसी अनियमितता के लिए हमें सूचित किया किसने नहीं । हमें बताइये हम कार्यवाही करेंगे । अभी एक बात आई गन्ना समितियों को जीवित करने की तो मैंने पहले ही कह दिया था कि गन्ना समितियां किसानों और मिलों के बीच एक सेतु का काम करती हैं । शासन का स्पष्ट मत है कि गन्ना समितियों को सुदृढ़ किया जाय । इस पर हम आप सबके सुझाव चाहते हैं कि कैसे यह गन्ना समितियां मजबूत हों और उनसे लाभ मिल सके । सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी चाही थी । पहले गन्ना विकास विभाग में इसके लिये बहुत पैसा रहता था लेकिन अब इतना नहीं रहता है । 2000-2001 में जिला योजना में 87.64 लाख रुपये से 11.48 किमी० सड़क का निर्माण कराया जा रहा है । अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग योजना में 2 करोड़ 67 लाख रुपये से 38 किमी० सड़क के निर्माण का कार्य और बार्डर डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 27 लाख रुपये से 11.70 किमी० सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है । मैं मानता हूं कि यह काफी कम है । यहां पर यह बात आई थी कि चीनी मिलों, सहकारी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाना चाहिए । मैंने कहा था आपने भी कहा । मैंने केन्द्र सरकार से इस विषय में वार्ता की है । आप सब अवगत होंगे कि शुगर डेवलपमेंट फण्ड से मार्डनाइजेशन,पैन एक्सपेंशन के लिए धन देने की बात थी । मैंने स्वयं केन्द्रीय मंत्री जी से मिलकर बात की है । जो पुरानी जर्जर मिलें हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के कोई कोई लोन देने की

जो प्रक्रिया है, उसमें जितना कन्सेशन हमको मिल सके, उसके हिसाब से प्रस्ताव हमने भेजा है । निश्चित रूप से शासन का मन्तव्य है कि चीनी मिलों का रिहैबिलिटेशन हो, और यह अच्छी तरह से काम कर सकें । मडियाणा चीनी मिल बन्द करने की बात आई थी । यह कहा गया कि कुछ लोग इसको खरीद रहे हैं इसलिए इसको बन्द कर दिया है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी चीनी मिलें बन्द हुई हैं हमने उसके लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो इसको देखेगी कि यह क्यों बन्द हुई है । इस मिल पर धन संचय 53.8 करोड़ 2000 तक हो गया था इसलिये निर्णय लेकर इसको बन्द कर देना पड़ा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप बलिया वाली मिल का जिक्र कर रहे थे । पूरी बात तो बता दीजिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कई माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है कि कम्प्यूटर के माध्यम से कैलेन्डर और पर्चियां दी जा रही हैं । मैंने काफी जगह स्वयं जाकर देखा है कि कैलेन्डर समय से नहीं दिये गये, पर्चियां समय से नहीं दी गई । जब कोई नई व्यवस्था हम बनाते हैं तो उससे 100 प्रतिशत सुधार तो नहीं हो सकता है । कई चीनी मिलों में हमने यह नई व्यवस्था की है । इससे काफी सुधार देखने को मिला है । कम्प्यूटर के माध्यम से पहले कलैण्डर मिले फिर पर्चियां मिलीं । जहां भी मैं गया मैंने मीटिंग की दबाव भी डाला कि हर जगह यह व्यवस्था अच्छी तरह से लागू हो । जहां तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य के बकाये की बात है । मैंने स्वयं मंत्री के रूप में इसकी समीक्षा की है और सचिव से भी समीक्षा कराई है । अधिकांश चीनी मिलों पर बकाया है, मैं सहमत हूं । हमने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि जून के अन्त तक नहीं तो जुलाई तक गन्ना मूल्य का भुगतान यह चीनी मिलें कर देंगी । मैं समझता हूं, आपकी बात से सहमत हूं । हर छोटे-बड़े किसान को 4-5 महीने तक गन्ना मूल्य का भुगतान न मिले तो उसको बड़ी दिक्कत होती है । उसको अपने बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है । सारे काम उसके इसी पैसे से होते हैं । इसके लिये सरकार चिन्तित है और प्रयास कर रही है कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराया जाय । जहां तक अच्छे बीज उपलब्ध कराने की बात है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे गन्ना शोध संस्थान द्वारा 2000-2001 में 95,155 क्विंटल गन्ना बीज की व्यवस्था की जा रही है जिससे हमको अच्छी प्रजाति का गन्ना उपलब्ध हो सके और उसका इस प्रदेश को लाभ मिल सके । इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने बैंक से गन्ना मूल्य भुगतान का स्वागत किया है । कुछ दो-एक माननीय सदस्यों ने जरूर इसका विरोध किया है । मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों को बैंक से जब से भुगतान किया गया है तब से अनियमितताएं समाप्त हो गईं, एक दो अनियमिततायें होंगी उसमें अवगत करायेंगे तो उसको देखा जाएगा । घुघली चीनी मिल पर 2000 तक 44.29 करोड़ रुपया हो गया था जो बकाया था इसी कारण चीनी मिल को बन्द किया गया । कई चीनी मिलों के बारे में बात आई जिन पर गन्ना मूल्य बकाया है । सात चीनी मिलें ऐसी हैं जिसमें 3 निजी क्षेत्र की हैं । चार गवर्नमेंट आफ इण्डिया की हैं । यह किसके शासनकाल का बकाया है यह बताना चाहता हूं । 1994-95 में 4-12-93 से 2-6-95 तक सपा की सरकार मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब गौरी बाजार में 1 करोड़ 40 लाख बकाया था । 1995-96, 1996-97 में बसपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन उस समय था, 1995-96 में सरदार नगर में 2 करोड़ 53 लाख, गौरीबाजार में 24.85 लाख, 1996-97 में सरदारनगर पर 17 करोड़ 38 लाख, पडरौना पर एक करोड़ 29 लाख, कठकुइया पर एक करोड़ 79 लाख खलीलाबाद पर 1 करोड़ 83 लाख बकाया था । 1997-98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मायावती से गठबंधन की 21-9-97 से 12-11-99 तक इस बीच कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे । पडरौना में 11.03 करोड़, कठकुइया में 3.81 करोड़, खलीलाबाद में 3.25 करोड़ बकाया था

इसमें से मान्यवर, 22 करोड़ 31 लाख अन्य पार्टियों की सरकारों का था भुगतान किया गया । हमारी सरकार के आने के बाद आर० सी० जारी हुई वरना कोर्ट से स्टे हो जाए तब तो लाचार हो जाते हैं, तो सरकार प्रयत्नशील है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप कर दें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की चीनी मिलें है उसमें स्वयं भारत सरकार को पत्र लिखा है मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है । चिलपरिया चीनी मिल पर पुराना बकाया था 5 करोड़ 84 लाख का भुगतान कर दिया है । कप्तानगंज में 15 करोड़ बकाया था किसानों से समझौता हुआ उसके माध्यम से 5 करोड़ में से 9 करोड़ 30 लाख का भुगतान हो गया है । माननीय सदस्यों ने कहा है तो सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित करा लेगी अगली पेराई के पहले सौ फीसदी भुगतान का प्रयास किया जायेगा । धामपुर चीनी मिल में प्रदूषण की बात आई । निश्चित रूप से मैं इसमें निर्देशित करूंगा वहां जो प्रदूषण हो रहा है इसको समाप्त किया जाए । इस चीनी मिल के लिए कार्यवाही के लिए तत्काल लिखा जाएगा ।

अभी कुछ सदस्यों ने कहा गन्ना किसानों के प्रति मंशा साफ नहीं है । हमारी सरकार गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि मानती है इसलिए गन्ना मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है । गन्ना मूल्य में वृद्धि कर दी गयी लेकिन चीनी मिलों को काफी छूट दी गयी । पांच रुपया वृद्धि की है क्रय कर में एक रुपया पिछले वर्ष छूट दी गयी । गन्ना विकास कमीशन एक रुपया प्रति कुन्तल फिक्स किया गया हर वर्ष गन्ना मूल्य में वृद्धि होती है । प्राइवेट चीनी मिलें हैं कई बार स्टे आ गया और इस पर कई बार मीटिंग की, सहमति बनी और गन्ना मूल्य पांच रुपया कुन्तल बढ़ाया है । इसलिए क्रय कर में एक रुपये से बढ़ाकर दो रुपया तथा कमीशन में 70 पैसे की छूट दी है । तो इस तरह से छूट दी गयी लेकिन इसके पीछे तथ्य यह थे कि गन्ना किसान के मूल्य का भुगतान हो सके ।

मान्यवर, अभी हमारे समरपाल सिंह जी ने कहा कि पांच नयी चीनी मिलें प्रारम्भ हो गयी हैं वह इस सरकार के सहयोग से नहीं बनी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सहयोग से ही यह चीनी मिलें जो दो हैं एक तो कमालपुर और एक दया है, अगर शासन का सहयोग नहीं होता तो यह चल नहीं पातीं । सरकार की स्पष्ट नीति है निजी क्षेत्र के उद्योगपति चीनी मिल चलाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से हर तरह का सहयोग देंगे जिससे शुगर इण्डस्ट्री में वृद्धि हो सके । गन्ना समितियों की बात आयी । यह 18 साल पहले का है उस समय जब हम सत्ता में नहीं थे । यह 18, 19 करोड़ का है । वह उन्होंने डाइवर्ट करके वेतन आदि पर खर्च कर दिया तो किसी ने चिन्ता व्यक्त नहीं की । हमारी सरकार ने इसके लिए 7.24 करोड़ रु० की व्यवस्था की है । जितना शेष है उस पर विचार करेंगे ।

आज गैसोहल के उत्पादन की शुरुआत भी हमने कर दी है । जो क्रूड आयल बाहर से इम्पोर्ट होता था घड़ियां चलाने के लिए इससे पांच प्रतिशत क्रूड आयल कम इम्पोर्ट होगा इससे करोड़ों रुपया की बचत होगी और गन्ना किसानों को इससे लाभ मिलेगा । मान्यवर, गन्ना किसानों का हित तभी सुरक्षित होगा जब उसे अच्छी वैरायटी मिले, बीज अच्छा उपलब्ध हो इसके लिए गन्ना शोध संस्थान से हम लोग प्रयास कर रहे हैं । अरली वैरायटी, मध्यम वैरायटी और अन्त इसमें संतुलन बने और उस संतुलन से शुरू हो । अरली वैरायटी का मूल्य ज्यादा होगा और इससे किसानों को लाभ मिलेगा । मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप अपने क्षेत्र में जायें तो अरली वैरायटी के लिए किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करें । इससे आप को भी लाभ मिलेगा और उद्योग को भी लाभ मिलेगा । मान्यवर,

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि समरपाल सिंह जी एक बहुत बड़े किसान हैं किसानों के हितैषी हैं आपने यह कहा कि हम गन्ना विभाग 1 रुपये में चला देंगे तो कहां गन्ना विभाग होगा । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव को वह वापस ले लें और हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अपने उत्तर भाषण में आपने मलियाना चीनी मिल का जिक्र किया मान्यवर, ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि उसे कोई कालोनाइजर खरीदेगा मान्यवर, आपने स्पष्ट शंका का समाधान न करते हुए कहा कि उसके लिए समिति बना दी है । मान्यवर, समिति कालोनाइजर के हाथ में बेच देंगे । मान्यवर, मेरठ में यह स्पष्ट समाचार है कि एक असरदार कालोनाइजर उसको खरीदने के लिए षड़यंत्र में लगा है । करोड़ों की भूमि वह कौड़ियों के दाम खरीदेगा मान्यवर, आवास विकास परिषद् या मेरठ विकास प्राधिकरण इनको सरकार बेचे तो सरकार के पास पैसा रहेगा और उससे बने हुए आवास जनता को मिलेंगे । तो मान्यवर, उस मिल को बन्द करने की आवश्यकता क्यों आ गयी मान्यवर, नंदगंज की चीनी मिल बन्द कर दी गयी है उसके उपकरण यदि स्थानान्तरित कर देते हैं मलियान चीनी मिल वायबल होने जायेगी जो बंद करने के अगर पूर्वाग्रह पर कायम है तो कृपया इस बात पर मंत्री जी जरूर विचार कर लें । कर्मचारियों का प्रतिवेदन आया था । उसको विचार कर लें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, जब शक्कर तैयार होती है और शक्कर तैयार होने के बाद वितरण करने की बात जब आती है तो उसे ईनाम के तौर पर कम दी जाती है या सजा के तौर पर सिर्फ 200 ग्राम दी जाती है प्रति यूनिट जबकि शहर वालों को एक किलोग्राम दी जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह पता है कि यह विभाग वितरण का इनके अन्तर्गत नहीं है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जो आशंका व्यक्त की है सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी चीनी निगम की चीनी मिलें बन्द हैं उसको बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत देते हैं फिर जो सेल की बात है हाईएस्ट लेबिल की शासन की कमेटी है शासन पूरी तरह से देखेगा क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया और भी है माननीय बाजपेई जी से आग्रह करना चाहूंगा कि शासन वहां की चिन्ता करेगा कोई कालोनाइजर या कोई और उसको नहीं ले सकता ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय समरपाल जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा फलां भुगतान उस सरकार के कार्यकाल का है माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि सरकार निरन्तरता के सिद्धान्त पर चलती है और अगर पिछली सरकार ने कोई घोषणा कर रखी है तो आप इंकार नहीं कर सकते कि आप घोषणा का पालन करेंगे क्योंकि उस समय वह मंत्री जी थे । मान्यवर, कोई भी ठोस बात किसानों के लिए माननीय मंत्री जी ने नहीं की 94-95, 95-96, 96-97 मान्यवर, किसानों का पैसा जो बकाया है सरकार को अपने कोष से भुगतान करना चाहिए बाद में सरकार उसको लेती रहे चीनी मिल मालिकों के ऊपर जो बाकी है सरकार उसको दिलाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है आप कह रहे हैं कि एक-एक पैसे का भुगतान करेंगे । मान्यवर, "का वर्षा

जब कृषि सुखाने'' मैं वापस लेता अगर माननीय मंत्री जी घोषणा करते कि 125 रुपये प्रति कुन्टल गन्ने का दाम हम हरियाणा की भांति भुगतान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,48,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त सोने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,64,09,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान सख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,24,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनीनी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,43,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जहां एक तरफ हम चिकित्सा की भी व्यवस्था करते हैं वहीं चिकित्सा शिक्षा द्वारा डाक्टर्स को शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी चिकित्सा आती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे 6 मेडिकल कालेज है इसके अतिरिक्त एक के० जी० मेडिकल कालेज है। निजी क्षेत्र के 4 मेडिकल कालेज तथा 12 डेन्टल कालेज कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त 4 संस्थान भी हैं एक कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ में है, दूसरा नर्सिंग कालेज कानपुर, तीसरा लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर तथा जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 3 मेडिकल कालेज थे उनको 1998 में आटोनामस बनाने के लिए, स्वायत्तता देने के लिए उनको सोसाइटी के अन्तर्गत लाया गया, 8-7-99 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश निरस्त कर दिया गया लेकिन 16-10-2000 को मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया गया और सोसाइटी के स्वरूप को पुनः बहाल कर दिया गया। केवल 6 मेडिकल कालेजों के अन्दर सोसाइटी बहाल हो गयी है। सोसाइटी की व्यवस्था कराने के पीछे यह मंतव्य था कि मेडिकल कालेज की व्यवस्था ठीक हो, वहां की शिक्षा ठीक हो। क्योंकि सोसाइटी इम्पलीमेन्ट कर दी गयी है इसलिए इन 6 मेडिकल कालेजों के शिक्षा चिकित्सा शिक्षकों को टिक्कू समिति का लाभ मिला है। इनकी रिटायरमेन्ट एज 60 वर्ष हो जायेगी, सोसाइटी का विकल्प देने वालों को राज्य सरकार की भांति अन्य सारी सुविधाएं पूर्ववत् मिलती रहेंगी। मान्यवर, इसके साथ ही अब सोसाइटी बना दी गयी है, जिसके अन्तर्गत 6 मेडिकल कालेज आते हैं, इससे इनके प्रिंसिपल को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह कितना खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा क्रय समिति है, जिसके माध्यम से व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यदि उससे अधिक क्रय करने की आवश्यकता है तो डी० जी० से परमीशन लेकर, और उससे भी अधिक की आवश्यकता है तो शासन की अनुमति लेकर व्यय किया जा सकेगा।

मान्यवर, हमारे मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी थी। इसके लिए हाल ही में निर्णय लिया गया कि जो टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, उनको संविदा के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। मान्यवर, मेडिकल कालेजों के सोसाइटी के अन्तर्गत आ जाने से उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अभी तक यूजर्स चार्जेज जो लिया जाता था उसका गवर्नमेंट के कालेजेज में 50 प्रतिशत ट्रेजरी में तथा 50 प्रतिशत मेडिकल कालेज को मिलता था। अब सोसाइटी के अन्तर्गत आने से पूरा 100 प्रतिशत मेडिकल कालेज को उपलब्ध हो सकेगा। उससे मेडिकल कालेज की व्यवस्था ठीक हो सकेगी। पिछले वर्ष यूजर्स चार्जेज के रूप में मेडिकल कालेजों को 3.55 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है जिससे इन मेडिकल कालेजों की व्यवस्था आदि को सुधारा जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में अनुमान है कि इस मद में 8 करोड़ रुपये की आय होगी, जिससे निश्चित रूप से मरीजों को तमाम सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो कर्मचारी या शिक्षकों की सोसाइटी का विकल्प आप्ट नहीं किया है, उनका स्टेट्स गवर्नमेंट का बना रहेगा और सारे लाभ पूर्ववत उनको मिलते रहेंगे। जितने हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेज हैं, उसमें कुल शिक्षकों के 760 पद हैं, जिसमें 483 पद भरे हैं और 272 पद रिक्त हैं, उनको भरने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी प्रका जी० मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षकों के 313 पदों के विपरीत 199 पद भरे हैं और 114 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विज्ञापन 3 अप्रैल, 2001 को निकाला जा चुका है, इन पदों को भी शीघ्र भर लिया जायेगा।

मान्यवर, हमारे जो मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें रोगियों के समुचित उपचार हेतु 5902 शैय्यायें उपलब्ध हैं । इसी प्रकार मेडिकल कालेजों में बिजली और पानी की समस्या रहती थी । कई बार ऐसा होता था कि मेडिकल कालेजों की बिजली पानी काट दी जाती थी । इसके लिये गत वर्ष विशेष प्रयास करके वित्तमंत्री जी के सहयोग से बिजली पानी की आपूर्ति के लिए 602 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है । मैं अपने माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मेला लगा था, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर उद्घाटन किया था । यह मेला 31 जनवरी से 4 फरवरी तक लगा था । इस स्वास्थ्य मेले के पीछे मंतव्य यह था कि कोई भी गरीब होगा या अन्य कोई भी होगा, उसको चिकित्सा सुविधा मुहैया हो । इस स्वास्थ्य मेले में सारा उपचार, सारे टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराये गये और इस मेले के माध्यम से लगभग 1.41 लाख लोगों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया । यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है । इस मेले में एलोपैथिक चिकित्सा से 1,20,000 लोगों का इलाज किया गया । इसी प्रकार यूनानी पद्धति से 7847 लोगों का, आयुर्वेदिक पद्धति से 6618 लोगों का और होम्योपैथी पद्धति से 6746 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त इस मेले में टांका व चीरा रहित पुरुष नसबन्दी के 115 आपरेशन भी किये गये जबकि प्रदेश में पिछले साल मात्र 33 आपरेशन हुए थे, यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है । इसी प्रकार इस मेले की अवधि में 700 से अधिक महिलाओं ने नसबन्दी करवाई । 788 लोगों का नेत्र लेंस का प्रत्यारोपण किया गया और 650 से अधिक बच्चों को हेपीटाइटिस बी का टीका लगाया गया । 18000 से अधिक पैथालाजी परीक्षण, 1150 ई० सी० जी० और 1870 अल्ट्रासाउन्ड किये गये ।

मान्यवर, अभी पिछले दिनों हमारे प्रदेश में महाकुम्भ का भी आयोजन किया गया था, उसमें भी हमारे एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान रहा मान्यवर, इस कुम्भ मेले में एलोपैथिक से 186000, होम्योपैथिक से 371791 और आयुर्वेद से 262000 मरीजों का उपचार किया गया । मान्यवर, मैं माननीय नगर विकास मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन्होंने अपनी विधायक निधि से के०जी०एम०सी० के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा एक्सरे मशीन के लिए धनराशि उपलब्ध करायी है और यह मशीन शीघ्र ही स्थापित हो जायेगी । मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि उनके क्षेत्र में जो भी मेडिकल कालेज हों या अन्य इस प्रकार के कालेज हों वह भी वहां सहयोग करें जिससे व्यवस्था को ठीक करने में मदद मिल सके । प्रधान मंत्री जी द्वारा ट्रामा की व्यवस्था के लिए हमें धनराशि रु० 1.50 करोड़ सुविधा दी गयी है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । यहां के लिए उपकरणों के हेतु 42.14 लाख की व्यवस्था की गयी और अन्य मेडिकल कालेजों में उपकरणों के लिए गत वर्ष में बजट के अतिरिक्त 55.87 लाख स्वीकृत किये गये और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । मान्यवर, 2001-2002 के बजट में इस वर्ष जो प्रमुख निर्णय विचाराधीन हैं ।

मान्यवर, मेडिकल कालेज में जहां सीटी स्केन की सुविधा नहीं है, सीटी स्केन प्रस्थापित नहीं है, शासन के पास इतना धन नहीं है कि हम वहां सीटी स्केन के लिए पैसा दे सकें लेकिन हम वेट लिस्ट के आधार पर समस्त मेडिकल कालेजों में इसकी व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं और इसमें 15 करोड़ रुपये निजी निवेश से प्राप्त होंगे और इसके लग जाने से वहां पर मरीज आधे दर पर सीटी स्केन का टेस्ट करा सकेंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं । के०जी० मेडिकल कालेज में इस वित्तीय वर्ष में अधूरे भवनों के 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है । बिजली, पानी की समस्या के निदान के लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव है मान्यवर, मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा रहा है । हमारे मेडिकल कालेज में अच्छे उपकरण स्थापित हों इसके लिए एक करोड़ रुपया देने पर विचार किया जा रहा है । मान्यवर, इसके साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, यह प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का

एक गौरवपूर्ण संस्थान हैं । मान्यवर, इस संस्थान के उद्देश्य हैं चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, चिकित्सा क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध कार्य करना और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना । मान्यवर, संस्थान के द्वितीय चरण के विकास हेतु चयनित 6 नये अतिविशिष्ट क्षेत्र में ट्रामा एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन–विभिन्न प्रकार की आकस्मिकता एवं गहन स्थिति में रोगी का उपचार । आंकोलाजी, पल्मोनरी मेडिसिन, मैटर्नल एवं चाईल्ड हेल्थ, बेसिक साइसेंस कोशिकाओं तथा जीन्स सम्बन्धी शोध कार्य के लिए और बायो मेडिकल अभियांन्त्रिकी–रोगों की डायग्नोसिस एवं उपचार में प्रयोग उपकरणों के रख-रखाव सम्बन्धी अभियान्त्रिका ।

माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि एस०जी०पी०जी०आई० में साइंस एण्ड टेक्नालजी विभाग भारत सरकार की सहायता में "न्यूक्लियर मैग्नेटिक रीजोनन्स" की शोध इकाई स्थापित की गयी है । इसमें न्यूक्लियर विज्ञान विभाग फ्रांस सरकार द्वारा एक गामा कैमरा उपकरण दिया गया है, जो आणविक विभाग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है । इस उपकरण की लागत रु० 2.27 करोड़ है । संस्थान को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए वाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत "इण्डोफ्रेंच प्रोटोकाल" के तहत चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रु० 21.06 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है । जिसके माध्यम से फिल्मलेस कैथ लैब, सी०ओ० फार्म, एनेस्थिसिया मशीन, एनजीओ सिस्टम वेंटीलेटर आदि की व्यवस्था किया जायेगा । जापान सरकार की सहायता से इस वित्तीय वर्ष में 277.69 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है जिससे एस०जी०पी०जी०आई० को और डेवलप किया जायेगा ।

आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि एस०जी०पी०आई० में टेलीमिडिसिन का सफल प्रयोग किया गया है । इसके द्वारा टेलीफोन व सेटेलाइट ट्रांसमीशन के द्वारा किसी बीमारी के सम्बन्ध में संस्थान से परामर्श लिया जा सकता है । इसके अन्तर्गत डिस्टेन्स सर्जिकल एजूकेशन, टेली कंसल्टेशन, टेलीहेल्थ केयर, टेलीरेडियोलाजी कंसल्टेशन तथा जिला अस्पतालों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है । गत वर्ष 40 मरीजों के उपचार में टेली मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया । महाकुम्भ के अवसर पर इसका विस्तार किया गया और टेली मेडिसिन के माध्यम से 323 गम्भीर मरीजों का विशेष परामर्श एस०जी०पी०जी०आई० संस्थान द्वारा दिया गया । संस्थान में गत वर्ष जो प्रमुख संयंत्र स्थापित किये गये हैं उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं–बोनडेन्सिटोमीटर संयंत्र, स्टैम सेल सेपरेटर संयंत्र, स्पायरल सी० टी० स्केलन मशीन तथा नई लिथोट्रिप्सी मशीन है । संस्थान में गत वर्ष उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं में वोभमैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा, लीवर ट्रांसप्लांट, न्यूक्लियर कार्डियोलाजी की स्थापना शामिल है ।

मान्यवर, गत वर्ष 2000-2001 में नये मरीजों का पंजीकरण 32,745 तथा पुराने मरीजों को परामर्श 90,566 को दिया गया, भर्ती किये गये मरीज 17,353, आपरेशन 4046, रीनल ट्रांसप्लान्ट 100, डायलेसिस 6656, लीवर ट्रांसप्लान्ट 2 किये गये । मान्यवर, चूंकि यह स्पेशलाइजेशन इन्स्टीट्यूट है इसलिए 3 लोगों ने पी०एच०डी०, 8 लोगों ने एम० डी०, 3 छात्र विदेश भेजे गये, छात्र विदेश से यहां आया, प्रकाशित शोध पत्र 8 तथा 8 सेमिनार आयोजित किये गये । वित्तीय वर्ष 2001-2002 में संस्थान की प्राथमिकता एवं प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं–लैब साइंसेज, नये वार्डों का बनाया जाना, ट्रामा सेन्टर, लेक्चर हाल, लाइब्रेरी आपरेशन थियेटर का विस्तार आदि शामिल हैं । लैब साइंसेज के लिए 300 लाख, नये वार्डों को बनाये जाने के लिए 1500 लाख रुपया, ट्रामा सेन्टर के लिए 1100 लाख, लेक्चर हाल के लिए 319.09 लाख, लाइब्रेरी के लिए 619.03 लाख एवं आपरेशन थियेटर के विस्तार के लिए 450 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । चिकित्सा उपकरणों की स्थापना हेतु लेप्रोस्किक्रोपिक सर्जरी उपकरण, इकोकार्डियोग्राम डिजिटल इमेजिंग, सी०सी०यू० मानिटरिंग सिस्टम, यकृत प्रत्यारोपण की नई विधि स्थापित करने के लिए संस्थान की शासी निकाय ने 30 लाख का प्राविधान किया है ।

मान्यवर, आयुर्वेद और यूनानी विभाग का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल 2231 आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय कार्यरत हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर 8 आयुर्वेदिक कालेज हैं, 2 यूनानी कालेज हैं । मान्यवर, आयुर्वेद के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है औषधि का निर्माण । लखनऊ एवं पीलीभीत में औषधि निर्माणशालायें हैं । लखनऊ राजकीय औषधि निर्माणशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु 70 लाख रुपये का अनुदान भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है । मान्यवर, विभाग में 3000 वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं, जो कि बहुत ही चिन्तनीय बात है इसके लिए प्रयास किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष बेंच गठित कर दी गयी है विगत सुनवाई 30-4-2001 को हुई थी, अगली सुनवाई 30-7-2001 को है जिसके माध्यम से वादों का जल्दी निस्तारण हो जायेगा । रिप्रोडेक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम में एलोपैथिक विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है । उत्तर प्रदेश उसमें से एक है । उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम में 2-2.5 करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा है ।

उत्तरांचल राज्य अलग हो गया है । आयुर्वेद के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है । चूंकि जड़ी-बूटी उत्पादित करने वाला क्षेत्र उत्तरांचल में चला गया है । अतः प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप जड़ी-बूटी के समन्वित विकास के लिए "हाई पावर कमेटी आन मेडिसिनल प्लाण्ट" गठित की गयी है और 10 मई, 2001 को इसकी बैठक भी हो चुकी है । उसमें सीमैप एवं एन०बी०आर०आई० के अधिकारी भी उपस्थित थे । प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उपलब्ध औषधियों की पहचान करके दो माह के अन्दर उन क्षेत्रों को बताने का कहा गया है । उसकी जो रिपोर्ट आयेगी उस पर विचार करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के अन्दर जड़ी-बूटियां सही ढंग से उपलब्ध हो सकें । मान्यवर, औषधियों की व्यवस्था राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी लखनऊ एवं पीलीभीत के माध्यम से तथा सहकारी ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत एवं भारत सरकार की इकाई आई०एम०पी०सी०एल० मोहान के माध्यम से की गयी है । गतवर्ष औषधि मद में रु० 1.70 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी । चालू वित्तीय वर्ष में रु० 2.06 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है । उक्त के अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत रु० 3.50 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में की गयी है । इस प्रकार औषधि मद में गतवर्ष की अपेक्षा लगभग तीन गुना प्राविधान किया गया है । शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2000 से आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में कार्यरत लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्य के वेतनमानों को शासन द्वारा संशोधित कर दिया गया है । शासन द्वारा चिकित्सकों की चिकित्सालय में समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कड़े कदम उठाये गये हैं । आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने वाले 20 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तथा वेतन रोकने की कार्यवाही की गयी है । इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क में प्राप्त आधी धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जायेगा । वर्ष 2001-2002 में अनुमानतः रु० 32.00 लाख पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त होने की आंशा है । गत वर्ष आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में लगभग 2.50 करोड़ रोगियों का उपचार किया गया है ।

मान्यवर, पदोन्नति एवं लोक सेवा आयोग के अधियाचन द्वारा विभाग के महत्वपूर्ण पदों हेतु डी०पी०सी० करायी जाय प्रयास किया जा रहा है । आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में शिक्षा स्तर के उन्नयन हेतु विभाग के रिक्त पदों को भरना । औषधि निर्माणशाला तथा ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का सुदृढ़ीकरण भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि से किया जा रहा है । चिकित्सालयों के लिए अधिक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना । चिकित्सालयों पर चिकित्सकों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, भारत सरकार के सहयोग से आर०सी०एच० कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेद/यूनानी विभाग की सहभागिता, औषधि पौधों के विकास हेतु विशेष प्रयास, राजकीय यूनानी महाविद्यालय लखनऊ के भवन निर्माण हेतु सक्रिय कार्यवाही किया जा रहा है । सी लेक्चरर का पद सी०सी०आई०एच० मानक में है किन्तु डिमान्सट्रेटर पद नहीं है । इसी प्रकार शासन के स्वीकृत पदों में

डिमांस्ट्रेटर पद हैं किन्तु सी० लेक्चरर पदनाम नहीं है । अतः डिमांस्ट्रेटर पद को स्वीकृति योग्य पदों से घटा दिया गया है । गत वर्ष से इस वर्ष बजट में वृद्धि की गयी है और जो पद रिक्त हैं शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार का प्रयास है कि हमारे जो भी चिकित्सालय हैं उसमें डाक्टर समय से पहुंचें इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और हमारे माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे हम उस पर जरूर सोचेंगे विचार करेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने इतनी त्वरित गति और अपने प्रभावशाली ढंग से चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट रखा है कि मानो कहीं पर आग लग गयी हो और उससे निकलकर कहीं भाग जाना बहुत जरूरी हो । मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा । मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथिक चिकित्सा पर माननीय मंत्री जी ने बजट अनुदान रखे हैं और कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका पुस्तिका में शिक्षा की कई मदों में आंकड़े देने का काम किया है । लेकिन मान्यवर, इनका एक आंकड़ा हमारी समझ में नहीं आता है । आपने जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट रखा है वह बड़ा भ्रामक है । मान्यवर, 2000-2001 के पुनरीक्षित अनुमान जो आपने बताये हैं वह 24451.59 लाख रुपये है । इस साल का जो आपने अनुमान प्रस्तुत किया है उसमें कम प्राविधान किया है । 24-25 करोड़ रुपये का कम प्राविधान किया है चिकित्सा शिक्षा के बजट पर तो इस प्रकार कैसे काम चलेगा । यह जो आपने पुनरीक्षित अनुमान बनाये हैं यह उत्तरांचल के गठन के बाद के हैं । आप जो चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं वह आप नहीं कर पायेंगे । हां आप तिलस्म जरूर कर सकते हैं । लेकिन आपकी जो पिछली परफारमेंस रही है वह ऐसी नहीं रही है कि आप पर विश्वास कर लिया जाय कि आप तिलस्म भी कर सकते हैं । आप जादूगर हैं नहीं । आपने जो आंकड़े दिये हैं, चिकित्सा शिक्षा के बजट में वह दूसरे तरीके से हैं, आयुर्वेदिक में दूसरे तरीके के हैं और यूनानी में फीगर तीसरे तरीके के हैं । आप कहेंगे तो मैं इनको उद्धरित कर दूंगा नहीं तो आप खुद देख कर समझ लें । आपकी जो लाल और पीली पुस्तिकायें हैं उनमें आप देख लें । पेज 13 और पेज 3 पर देख लें । आपने होम्योपैथिक का बजट बढ़ाया है और आयुर्वेदिक का घटा दिया है । आयुर्वेदिक पर आपने 20 प्रतिशत बजट घटाया है यह मैं पुनरीक्षित अनुमानों की बात कर रहा हूं । इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं भ्रम हुआ है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

छपाई की त्रुटि हो सकती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप जैसे मित्र का मंत्री जी ने सहयोग क्यों नहीं लिया ? अगर उन्होंने आपका सहयोग पहले लिया होता तो यह स्थिति शायद न आती ।

मान्यवर, यह जो पीली पुस्तिका है समीक्षा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की इसमें प्रगति विवरण दिया गया है । इसके पृष्ठ 20 पर देख लें । वर्ष 98-99 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु 28.46 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है तथा राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु० 31.66 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 1999-2000 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की गयी । जो आलोच्य वर्ष है उसके भी आपने आंकड़े दिये हैं । वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में 65 तथा शहरी क्षेत्रों में 20 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित की गयी ,परन्तु शासन द्वारा धन अवमुक्त न किये जाने से उपलब्धि शून्य रही है । दूसरा है राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु० 50 लाख का बजट प्राविधानित किया गया लेकिन शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने से कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सका । वर्ष 2000-2001 में दो उपलब्धि हैं बजट में जिन चीजों का प्राविधान किया गया इस सदन में बजट अनुदान मांगी गयी सदन ने पारित किया लेकिन शासन ने जो प्राविधानित था उसको अवमुक्त नहीं किया । इसलिए मैंने कटौती रखी कि अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए क्योंकि जो राशि बजट में स्वीकृत थी उसको आप अवमुक्त नहीं करा सके तो धन दिये जाने की आवश्यकता क्या है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अम्बिका चौधरी जी अपनी जेब से एक रुपया निकालकर इधर दे दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने सुझाव दिया उसके लिए धन्यवाद । लेकिन मेरे हाथ इतने लम्बे नहीं हैं कि इनकी जेबों तक जो पैसा जा रहा है उसको निकाल सकें जनता का पैसा तेजी से इनकी जेबों में जा रहा है लेकिन मेरे हाथ छोटे हैं और मैं उसे निकाल नहीं सकता । इसलिए क्षमा करें । बजट साहित्य में 9 पृष्ठ पर दिया है चिकित्सालयों के निर्माण एवं प्रशिक्षण के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण उत्तरांचल राज्य की स्थापना हो चुकी है अगर राज्य शामिल रहता है तो यह तर्क दिया जा सकता था ,वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है लेकिन उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया उसके बावजूद पिछड़े वर्गों के लिए जो 27 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सम्पूर्ण उत्तरांचल की आबादी को शामिल कर दिया जाए यह कहां का औचित्य है यह तर्कसंगत नहीं है । उत्तरांचल को आज पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उसमें सम्पूर्ण उत्तरांचल की आबादी को शामिल करना एक प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों पर डाका डालना है । इससे ज्यादा बेईमानी दूसरी नहीं हो सकती है । मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप पर है । उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो इसकी जिम्मेदारी आप पर है । मेडिकल कालेज की बेहतरी और यहां की जनता की भागीदारी इनमें किस प्रकार से हो सके इसको सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर किसी बहाने से सम्पूर्ण प्रदेश की आबादी को पिछड़ी जाति की आबादी में शामिल करेंगे तो यह पिछड़ों के अधिकार पर एक हमला है यह उचित नहीं है । आप इस पर विचार करेंगे । मेरा आग्रह होगा कि आप आगामी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश सीमा से बाहर के लोगों को आरक्षण न दिये जाने के निर्देश जारी कर सकेंगे । हालांकि जब हम कह रहे हैं सी पी एम टी परीक्षायें होने वाली हैं इसी लखनऊ में

पी एम टी परीक्षाओं का हशर कैसा हुआ किस तरह से पर्चे आउट किये गये किस तरह से प्रतिभावान छात्रों के साथ मजाक किया गया । मंत्री जी इस बात की पड़ताल करवा लीजिएगा कि लाभ उठाने वाले छात्रों में कितने आपके अफसरों के लड़के और कितने मंत्रि-परिषद् के, उद्योगपतियों के लड़के थे जिनको 20 छात्रों को पुलिस ने इतनी आसानी से छोड़ दिया । सवाल यह नहीं है कि लड़के किसके थे सवाल यह है कि प्रतिभावान छात्रों पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा । जिस तिथि पर परीक्षायें आयोजित होनी थी नही हो पाई । इसी सदन में एक मंत्री जी का भाषण था मैं दोहराये देता हूं कि यह ''परीक्षा रुड़की विश्वविद्यालय से इसलिए कराना चाहता हूं कि दूसरी जगहों पर नकल अनियमितता की सम्भावना है'' तो फिर आज रुड़की की विश्वसनीयता पर आपको संदेह क्यों हो गया ? लखनऊ विश्वविद्यालय पर विश्वास ज्यादा क्यों हो गया ? यदि कोई मंत्री दावे के साथ कुछ कहता है तो उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको । मंत्री जी कोई भी चमत्कार कर दीजिए इस वर्ष परीक्षायें समय से प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है । अभी मंत्री जी ने सूचित किया कि वित्त मंत्री जी ने 6 करोड़ का इंतजाम कर दिया है तो मैं बताना चाहता हूं कि बिजली पानी का मेडिकल कालेजों पर 6.02 करोड़ पिछला बकाया दिया जो कि आठ करोड़ था यानी लगभग दो करोड़ बकाया अभी भी रह गया है । पिछले बकाये का 25 फीसदी और उसके बाद तीन करोड़ और बकाया रह गया कैसे चलेगा इस वर्ष के लिए कोई इंतजाम नहीं है । आपने बजट प्रोविजन 25 करोड़ कम कर दिया । पिछले बकाये में 25 प्रतिशत बिजली पानी का बकाया हो गया । सिर्फ आंकड़ों के मायाजाल को बिछा देने से इन चिकित्सा संस्थानों का भला होने वाला नहीं है । अभी आयुर्वेदिक अस्पतालों की बात हो रही थी । आयुर्वेदिक अस्पतालों की हालत ऐसी है कि आदमी वहां जाना गंवारा नहीं करता । वहां खिड़कियां ऐसी है जिनसे हवा नहीं आती मुकम्मल इन्सान कूदकर अन्दर आ सकता है । ऐसी खिड़कियां हैं वहां भवनों की । आप निकाल कर देख लें आवश्यकता होगी तो मैं उद्धरित कर दूंगा । इसके लिए कोई प्रस्ताव आपने नहीं किया है बजट के अन्दर । किस बात के लिए यह बजट का प्रोवीजन ला रहे हैं । इन भवनों की बेहतरी के लिए कोई जिक्र नहीं किया । इतना लम्बा भाषण और साहित्य मैंने देखा उसमें इन भवनों की बेहतरी के लिए कोई इंतजाम नहीं है । बिजली पानी के पुख्ता इंतजाम करने वाली मदें नहीं हैं । मेडिकल कालेज की दशा सुधारने के लिये केन्द्र से मदद मांगने की बात कही है । मदद तो आपने प्रधान मंत्री से भी मांगी थी । अगर मिल गई होती तो जैसा आपने के० जी० एम० सी० के बारे में उदाहरण दिया है कि प्रधान मंत्री ने दे दिया, धन्यवाद । विल्ल मंत्री जी ने 6 करोड़ दे दिया, धन्यवाद ।

आपके माननीय राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से जो मांगा था आयुर्वेद कालेज के लिए 89 लाख रुपये, यही बताया था मिल जाता तो उनको धन्यवाद देते । ऐसे केन्द्र में आपके नायाब मंत्री हैं आयुर्वेद कालेज के लिये मांगा, प्रधान मंत्री किसी तरह से कोई राशि नहीं देते हैं और आप प्रधान मंत्री को एकतरफा बधाई दिये चले जा रहे हैं । इस तरह के पक्षपात का क्या कारण है ? जब आप उत्तर भांषण दीजियेगा तो इसको भी बताने की कृपा करियेगा । लम्बे-लम्बे दावे किये जा रहे हैं । लखनऊ में के० जी० एम० सी० मेडिकल कालेज की हालत देखिये उसकी बिल्डिंग 100 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है इसकी हालत बहुत जर्जर हो गई है । अनेकों बार मुख्य मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है । चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने स्वीकार किया है । निदेशक, महानिदेशक आपके जो भी होते हैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इसकी हालत बहुत जर्जर है । उसको सुधारने के लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया है । 34 लाख रुपये का प्राविधान, जैसा आपने बताया । आप जितनी तेजी से आंकड़े बता रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था । कदाचित् 34 लाख रुपये का उल्लेख किया है । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी धनराशि में आयुर्वेद विभाग का एक अस्पताल ही पूरी तरह से नहीं बन सकता है तो के० जी० एम० सी० के नवीनीकरण के लिए इतनी धनराशि से क्या होगा ? मेरे आंकड़े गड़बड़ हो सकते हैं, आप ठीक कर लीजियेगा । आपके पढ़ने की गति ज्यादा तेज थी मेरी

रिसीविंग इतनी फास्ट नहीं है । इसलिये इसको आप देख लेंगे । यह राशि इतनी अपर्याप्त है कि इससे यह काम नहीं हो सकता है । तात्पर्य कहने का यह है कि संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिये । वित्तीय स्थिति नाजुक है । प्रदेश को कंगालीपन और दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया है एक विभाग के लिए वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जायेगी । जो प्राथमिकता है, स्वास्थ्य की, उसके संबंध में लम्बी चौड़ी भूमिका बनाकर जिस तरीके से इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है । इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बजट को देख लीजिये । वित्त मंत्री ने पूरे प्रदेश के बारे में कहा है और जो आपको दिया है, आप तुलना कर लीजिये तो पता चल जायेगा । आपके दावे और जरूरतों में कितनी भिन्नता है । एक-एक वर्ष में यह काम नहीं हो सकता पता नहीं कब जाकर पूरा होगा । उपकरण आपके पास है नहीं । जो उपकरण हैं, सी० टी० स्कैन की मशीन मेडिकल कालेज में थी । कितने वर्षों से बन्द पड़ी है आप पता लगा लीजिये मान्यवर, लेजर मशीन सात वर्षों से डिब्बे में बन्द पड़ी है यह आपके प्रबन्धन का करिश्मा है । आपके जो मेडिकल कालेजेज हैं उनकी स्थिति बता दूं । बिल्डिंग और हास्पिटल की स्थिति बहुत खराब है लखनऊ और राजधानी में बैठकर जिसको कि विशिष्ट दर्जा प्राप्त है किंग जार्ज मेडिकल कालेज उसकी दुर्गति है, यह एक सच्चाई है और इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए । सारी औपचारिकताएं पूरी हो जातीं अगर आप यह स्वीकार करते । आप बहुमत के बल पर, संख्या के बल पर इसको पास कराना चाहते हैं लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध श्रेणी के मंत्री को, वैसे आपके यहां बड़े चमत्कारिक मंत्री हैं । आप जो बजट पेश कर रहे हैं यह आप लीक पीट रहे हैं आप इसको ढंग से रखते तो हम स्वीकार करते । आंकड़ों पर समर्थन मांगने की बात नहीं है । विद्वान मंत्री होने के नाते आप सारी चीजों को जानते हैं और प्रदेश की जनता को हक है प्रदेश के हर व्यक्ति को हक है उत्तर प्रदेश की जानिब से, बजट की सीमायें हो सकती हैं लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं सिर्फ नीतिसंगत बातें कह रहा हूं । थोड़ा समय दे दें मेरे आक्षेप भी ऐसे नहीं हैं । अधिष्ठाता जी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं आशा इस बात की थी कि बजट भाषण में हम अपेक्षा करते थे अब उत्तर भाषण में अपेक्षा करेंगे, आंकड़ों को दोहराने का रिवाज मुनासिब नहीं है । अगर कोई कठिनाई है तो उसको सबके सम्मुख रखना चाहिए था आपकी कठिनाइयों में हम आपका सहयोग करते आपको सही और पूरी तस्वीर प्रदेश के सामने रखनी चाहिए थी । किन जगहों पर इलाज महंगा हो गया है उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा शुल्क बढ़ाया जाता है लेकिन वह आनुपातिक होना चाहिए । मेडिकल कालेज में भारी गड़बड़ी हुई है उनको भी उसी सूची में शामिल कर लिया यह अच्छा नहीं था । आज घोटाला और भ्रष्टाचार तो सामान्य बात हो गई है । इसका नाम लीजिए तो लोग बोर होते हैं यह तो रोज बात चलती है । इशारा करना चाहता हूं बहुत छोटा सा विभाग है बजट का, लेकिन प्रदेश की आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है घोटाले और भ्रष्टाचार की दृष्टि से छोटा विभाग नहीं है एक दूसरे पर आक्षेप करें तो सही नहीं होगा जो अनियमिततायें विभाग में हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है । मुझे कई लोगों ने लिखकर दिया है कि अमुक निदेशक गड़बड़ी करता है एक बात कहना चाहता हूं प्रशासनिक तंत्र जो नियुक्ति करने का काम करता है तो वह इसका ध्यान रखे कि अतीत उसका कैसा है छोटे पदों पर रहते हुए आचरण कैसा रहा है बड़े पद दे दिये तो आचरण बदल जाएगा । छोटे तालाब में रहेगा तो छोटा काम करेगा लेकिन समन्दर में रहेगा तो पूरा पानी पी जायेगा तो इन चीजों पर नियंत्रण करें सहयोग चाहिए तो सहयोग लें । मान्यवर, मैं बिन्दुवार नहीं जाना चाहूंगा कि कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ है । सोसाइटी का जिक्र किया है । इसके गुण दोष पर नहीं जाऊंगा । एक बात

कहना चाहूंगा अगर किसी योजना को आप लागू करना चाहते हैं तो उससे जो संबंधित लोग हैं, खास तौर से विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं अगर उनकी सहमति ले ली जाय, उन्हें विश्वास में ले लिया जाय और तब किसी योजना को क्रियान्वित करने का काम करें तो ज्यादा आसानी होगी और उसकी सफलता की सम्भावना होती है । अन्यथा विश्वास में लिये बिना अपने दिमाग से लागू करने का काम करते हैं तो कठिनाई हो रही है । अगर आपने सम्यक् रूप से विशेषज्ञों की राय ली होती फैसला लिया होता तो उसकी कमियों को शुरू की स्टेज में नियंत्रण कर पाते ।

मान्यवर, जो सोसाइटी, उच्चतम न्यायालय के बावजूद, मान्यवर, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं एडाप्ट करने क़ा काम किया है उसमें बड़ी कमी है । अगर विशेषज्ञों को विश्वास में लिया होता, अगर व्यतिक्रम है तो कनविंस कराने का काम किया होता तो ज्यादा मुनासिब होता । इन सोसाइटियों के अधीन जब सारी संस्थाएं हो जायेंगी तो आपका नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा और आपका नियंत्रण समाप्त हो जायेगा तो दूधारी तलवार हो जायेगी । एक तो प्रभाव यह हो सकता है कि अगर सोसाइटी ने बड़ी ईमानदारी से प्रभावशाली ढंग से काम किया तो जैसी आपकी कल्पना है, और जैसी आपकी योजना है उसके अनुसार बेहतर हो सकती है लेकिन सोसाइटी के स्तर पर गड़बड़ी हो गयी, तो और आपका नियंत्रण नहीं रहा तो इस बात की सम्भावना है जैसे छोटे खाज खुजली के मरीज को इन्टरोड्यूस किया और यह कैंसर में तब्दील हो जाय । इसलिए सम्यक् रूप से विचार करने की आवश्यकता है । इस पर विचार कर लें । एक बात और कही गयी है, जानकारी मेरी कम है इसलिए जानना चाहूंगा । दो चीजें जानना चाहूंगा । मान्यवर, मेडिकल विश्वविद्यालय की बात कही गयी थी और बड़े दावे के साथ कही गयी थी । 98-99 में इसको स्थापित कर दिया जायेगा और यह इसलिए कर दिया जायेगा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बिना प्रदेश के मेडिकल कालेजेज जो हैं–एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी इन सारों से चिकित्सा बेहतर हो जायेगी । क्या हुआ इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा का ? अचानक इतनी बड़ी चुप्पी क्यों हो गयी ? एक इतनी बड़ी चीज की घोषणा वह भी दावे के साथ कि मेडिकल की हालत कमजोर है अचानक उस दावे का क्या हुआ ? वह कपूर की तरह हवा में क्यों उड़ गया ? आज आपका बजट है, आपने उसमें एस० जी० पी० जी० आई० का जिक्र किया आप इसको भी मूर्त रूप देने का काम करते । यह कहते कि 80 प्रतिशत हो गया है और 20 प्रतिशत का हम प्राविधान कर रहे हैं । क्या हो गया है, इसको जब आप उत्तर भाषण दें तो उसमें बताने का काम करें । आपकी सरकार ने घोषणा किया है, बड़े दंभ के साथ, तो यह बताने का काम करें । दूसरी बात इस सदन के बाहर और अन्दर योग पर लम्बा-लम्बा भाषण देने का काम आपने किया एक शब्द भी मान्यवर, आपके साहित्य में आपके बजट भाषण में योग चिकित्सा के सम्बन्ध में एक वाक्य भी आपने नहीं कहा । आप कितना इस योग चिकित्सा का महत्व समझते हैं जब हम ऋषियों के नाम लेना शुरू करते हैं, मान्यवर, आज योग के माध्यम से अमेरिका में बड़ी-बड़ी चिकित्सा हो रही है सारी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है और उसके सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है कंजूसी इतनी है कि उसके लिए बजट में एक रुपये का भी प्राविधान नहीं है साहित्य में शब्द नहीं है चिकित्सा शिक्षा मंत्री के भाषण में एक वाक्य नहीं है । आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। योग के माध्यम से लोगों की चिकित्सा की जा सके वह सबसे ज्यादा सुलभ सबसे ज्यादा सस्ता और हमारी परिस्थितियों के अनुरूप और इतनी बड़ी आबादी है जिसके लिए बहुत बड़े संसाधन बहुत बड़ी चिकित्सा हम दे नहीं सकते हैं । इसकी सर्वाधिक आवश्यकता हमारे हिन्दुस्तान में है और विशेषकर जो 17 करोड़ की हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में उसको । हम इन चीजों को क्यों नहीं आगे करना चाहते हैं नेचुरोपैथी की चिकित्सा शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, योग चिकित्सा शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपके जो मेडिकल कालेज हैं जो वहां पाठ्यक्रम है वह आज निरर्थक हो गया है उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है ? मेडिकल एजूकेशन में बहुत फेरबदल की जरूरत है वह सारा सिस्टम चेंज हो गया है । 20 साल पहले जो अध्यापक पढ़ाया करते थे सारी दुनिया के मुकाबले आज हम कहीं पीछे जा रहे हैं । यूरोप में आज जेनिटिक्स की पढ़ाई होती है । उसमें सब कुछ परिवर्तित हो गया है । आज आवश्यकता के अनुरूप विज्ञान आज जहां पहुंच गया है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

अब मान्यवर, आप कृपया समाप्त करें तो हम बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

और आज हमारे मेडिकल कालेज में जो टेक्स्ट बुक हैं, आज कितना क्षरण हो गया है । मेटिजी की किताबें वहां पढ़ाने लगे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस वहां पढ़ाने लगे हैं आपकी दृष्टि वहां जानी चाहिए । आपने रिक्तियों के बारे में फीगर दे दी है । रिक्तियां एक तिहाई से ज्यादा पद रिक्त हैं विशेषज्ञों के पद 2/3 रिक्त हैं एक व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में है उसका न कोई सहयोगी है न कोई वरिष्ठ है । इस प्रकार की आज स्थिति बहुत दुखद है । उसमें मान्यवर, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री का जिक्र करूं वह ठीक नहीं है यह कहा गया कि वह योग्य मुख्य मंत्री नहीं थे दूसरे लाये गये हैं । आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिक्वीजेशन भेजा लेकिन बाद में वह गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वीजेशन वापस ले लिया गया । आयुर्वेदिक में रिक्तियों को आज भरे जाने की आवश्यकता थी ।

मान्यवर, गोरखपुर का जिक्र नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जायेगा । इण्डियन मेडिकल काउंसिल की जो शर्तें हैं उन शर्तों के अधीन हमारे मेडिकल कालेजों की स्थिति गम्भीर होती चली जा रही है और सरकार की अनदेखी करने के कारण, इसकी लापरवाही के कारण हमारे यह मेडिकल कालेज अपनी मान्यता खोने की कगार पर चले जा रहे हैं । गोरखपुर मेडिकल कालेज ऐसी स्थिति पर चला गया है, जहां एक तरफ प्राइवेट मेडिकल कालेज को बढ़ावा दिये जाने का प्रश्न है 1994 में यही एक सरकार थी, कल्याणकारी सरकार थी उसका आपने जिक्र किया है, आपने दूसरे की उपलब्धियों का जिक्र अपने साहित्य में किया है यह अच्छी बात है । 1994 में जो सरकार थी उस सरकार ने सीमित संसाधनों को देखते हुए चिकित्सालय की आवश्यकताओं को देखते हुए मेडिकल कालेज की आवश्यकता जहां सरकारी क्षेत्र में नहीं हो सकती थी, मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज खोलने की इस नीति को जारी करने का काम किया था लेकिन उसमें गड़बड़ी यह हो रही है कि जो 6 मेडिकल कालेज सरकारी मेडिकल कालेज हैं वह धीरे-धीरे उनका मानक बिगड़ते-बिगड़ते वहां आ चुका है जहां इण्डियन मेडिकल काउंसिल द्वारा उनकी मान्यता खत्म हो जायेगी उससे न सिर्फ उन छात्रों का भविष्य अधंकार में है उनकी स्थिति भी खराब है इस तरफ आपकी दृष्टि जाये ।

मान्यवर, प्राइवेट मेडिकल कालेज् में जो गड़बड़ी हो रही है 10-10 लाख रुपया डोनेशन देकर जहां छात्रों का एडमीशन हुआ आज उनका भविष्य अंधकार में है आप द्वारा नियंत्रित परीक्षा के द्वारा जब एडमीशन हुआ आपके द्वारा काउंसिलिंग हुई उसके द्वारा विद्यालय का एलाटमेंट हुआ उसके बाद उनका भविष्य अंधकार में चला जाये जो इसको देखने की बात है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। इसी तरह मुल्तानसिंह डेंटल कालेज, टुंडला में उन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबन्ध करेंगे। रामपुर आयुर्वेद कालेज, मुजफ्फरनगर की जो स्थिति है उससे आप अवगत है इसके साथ ही मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब उत्तर भाषण के लिए मंत्री जी खड़े होंगे तो इन सारी गड़बड़ियों को साफ मन से स्वीकार करने का काम करेंगे और जो वास्तविक स्थिति है उसको इस सदन में रखने का काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दलीय नेताओं से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं उनकी सूची भेज दें। समय सीमा निश्चित कर लेते हैं 3 मिनट में अपनी बात रखनी है।

डा० इन्द्र देव सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट में मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया, चिकित्सा के उपकरणों की व्यवस्था पर एक लाख रुपया दिया गया, इसी प्रकार होम्योपैथी मेडिकल कालेज के सुदृढ़ीकरण के लिए 5.61 करोड़ रुपया दिया गया, आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये दिये गये, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि मेडिकल कालेजों और चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधरे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो चिकित्सा सुविधा का इसलिये मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ कुछ नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्राविधानों की बात सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। मान्यवर, 150 साल बीत गये एलोपैथी और आयुर्वेद के मेडिकल कालेज को चलते हुए इस देश प्रदेश के अन्दर लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अन्दर हम चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाये हैं इसके कारण के बारे में सोचना पड़ेगा। जो हम चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाये इसके कारण आज गांव के अन्दर झोलाछाप, डाक्टर बनते जा रहे हैं उनका कोई भी कारण नहीं मिलेगा। गांव के अन्दर अर्ध रात्रि को अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से ग्रस्त होती है, कोई बूढ़ा बीमार होता है, बच्चा बीमार होता है, रास्ता ठीक नहीं होता है, आस-पास कोई नहीं होता तो कहां ले जायं तो मैं समझता हूं कि इन झोलाछाप डाक्टरों के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हम उन झोलाछाप डाक्टरों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी अल्टरनेट व्यवस्था हो, हम यह चाहते हैं। अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकती है ? मैं कहना चाहूंगा कि हम 4 साल के डिप्लोमा कोर्स चलायें, आयुर्वेदिक और यूनानी के। इससे जहां एक ओर गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मान्यवर, शहर के लोगों को जितना चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, उतना ही गांव के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। इन 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस के चलाये जाने से और डाक्टरों को तैयार किये जाने से चिकित्सा सुविधा भी सस्ती होगी। मान्यवर, जैसे आप कई सदस्यों का समय बड़े नेता को दे देते हैं, उसी प्रकार मुझे 10 मिनट का समय दे दें, क्योंकि मैं कल भी नहीं बोला था और कल भी नहीं बोलूंगा। केवल आज ही बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यह संभव नहीं है ।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, इससे सस्ती चिकित्सा सुविधा गांव के लोगों को प्राप्त होगी । जहां सरकार ने एलोपैथी के मेडिकल कालेज प्राइवेट सेक्टर में खोलने की अनुमति दी है उन्हें एन०ओ०सी० दी है, जैसा इन आंकड़ों से स्पष्ट है, 28 एलोपैथी मेड़िकल कालेज और 34 डेन्टल कालेजों को सरकार ने एन०ओ०सी० दी है, जिसमें से 3 मेडिकल कालेज और 12 डेन्टल कालेज स्थापित भी हो चुके हैं ।

मान्यवर, यूनानी के जो मेडिकल कालेज हैं, उसके लिये हमारे संविधान में व्यवस्था है कि बिना किसी अनुमति के चला सकते हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उसको चलाया जा सकता है, उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । लेकिन आयुर्वेद के एक भी मेडिकल कालेज को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है । इसका कारण नहीं बताया गया । यदि हम दूसरे प्रदेशों के साथ तुलना करें तो आप पायेंगे, आंकड़े मेरे पास हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र में 50 आयुर्वेद, के मेडिकल कालेज हैं । कर्नाटक में लगभग 60 आयुर्वेद के मेडिकल कालेज हैं और इसी प्रकार गुजरात में 50 लाख की आबादी के ऊपर एक मेडिकल कालेज हैं, आयुर्वेद यूनानी का । लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद सिर्फ 8 आयुर्वेद के मेडिकल कालेज हैं और इस प्रकार 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या पर सिर्फ एक मेडिकल कालेज है । इसके साथ-साथ ही हम यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहां कितनी आबादी पर कितने बेड हैं । केरल के अन्दर प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 245 बेड हैं, इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक लाख की जनसंख्या पर 146 बेड की व्यवस्था है, गुजरात में इतनी जनसंख्या पर 124 बेड हैं, पंजाब में 104 बेड हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर मात्र 38 बेड की व्यवस्था है । मैं चाहूंगा कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर में आयुर्वेद के मेडिकल कालेज खोले जायें ।

मान्यवर, सूचीबद्धता के संबंध में एक सुझाव देना चाहूंगा । हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पिता, दादा पुरातनकाल से अपने यहां आयुर्वेद की चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा करते चले आ रहे हैं, उनके पास रहकर लोग 10 से 15 साल सीखकर पैतृक व्यवसाय को आगे चला रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमति नहीं है, पुलिस उनको परेशान कर रही है । मैं पूछना चाहूंगा कि जब इस देश के अन्दर एक सड़क पर बैठा हुआ मदारी ताकत की दवाइयों के साथ-साथ अन्य दवाइयां बेच सकता है तो पुलिस उसको परेशान नहीं करती । इसी तरह बस के अन्दर एक अनपढ़ आदमी दांतों का मन्जन से लेकर आंखों का अंजन और तमाम तरह की दवाइयां बेचता है, पुलिस उसको परेशान नहीं करती । टेलीविजन के ऊपर प्रचार के द्वारा तमाम आयुर्वेद की दवाइयां झन्डू पंचारिष्ट, च्यवनप्राश, केसरी जीवन बिकती है, और तो और हमारे यहां घर के अन्दर बूढ़ी माता, बूढ़ी दादी तमाम दवाइयां बीमार होने पर जैसे कालीमिर्च, लौंग,अदरक, नीम आदि बता देती है, पुलिस उनको परेशान नहीं करती । इसी तरह जो लोग 10-15 साल से अपने बाप-दादा से सीखकर इलाज कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है । वर्ष 1964 में हमारे यहां सूचीबद्धता का कार्यकाल चला था जिसमें अनुभव के आधार पर चिकित्सा का दुर्व्यवसाय करते चले आ रहे लोगों को सूचीबद्ध किया गया था, उनको सर्टीफिकेट दिया गया था, अनुमति दी गई थी कि वह चिकित्सा का व्यवसाय करें । इस सूचीबद्धता को फिर से अनुमति दी जाए । मान्यवर, इसके साथ एक बिन्दु मैं रखना चाहता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सी०पी०एम०टी० जिसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एम०बी०बी०एस० की संयुक्त परीक्षा ली जाती है, मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आयुर्वेदिक की परीक्षा अलग से हो । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में एम०बी०बी०एस० की जो 919 सीटें थी वह 2-3 दिन के अन्दर भर गयीं, बीडीएस के 230 सीटें थी वह भी 2-3 दिन में भर गयीं । आयुर्वेदिक की 850 सीटें थी उसमें से 125 खाली रह गयीं,

होम्योपैथी की 295 सीटें थी उसमें से 225 भरी गयी और शेष खाली रह गयीं और यूनानी की 80 में से केवल एक सीट भरी गयी और 79 खाली रह गयीं । यह स्थिति है ।

मान्यवर, जब हम संयुक्त परीक्षा लेते हैं तो अधिक लड़कों की रुचि यही होती है कि वह एम०बी०बी०एस० में ही दाखिला लें लेकिन नम्बर कम रहने के कारण जब उनका एडमिशन के लिए चयन होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में हो जाता है तो वह उसमें जाना नहीं चाहते अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो भी वे उसके बाद एलोपैथिक दवा ही करना चाहते हैं । इसलिए आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की परीक्षा अलग-अलग होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । बहुत योग्य हैं आप अपने पदचिन्ह इस विभाग के अन्दर स्थापित करें और सरकारों ने आयुर्वेद प्रेमियों को निराश किया है । उनकी इच्छा के अनुसार कुछ किया जाना चाहिए । हमारी आशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है क्योंकि यह सरकार भारतीयता का अलम्बरदार होने का दावा करती है अगर इस सरकार से भी यह आशा टूटी तो हम कभी भी आयुर्वेदिक के प्रति कोई मांग नहीं उठा सकेंगे । मान्यवर, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । इसके साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, डा० इन्द्रदेव सिंह जी अभी बोल रहे थे उनके अन्तिम वाक्य ने हमें बहुत प्रभावित किया वह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भारतीयता, संस्कृति और इन सबका द्योतक मानी जाती है, मात्र यह शब्द इस पार्टी के नारे के उपयोग में आते हैं इस तरह का आचरण और चरित्र कहीं दिखायी नहीं पड़ता । डा० इन्द्रदेव जी की मांग जायज है । हमारी चिकित्सा पद्धति जिस प्रकार से तिरोहित और कमजोर हुई है उसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी ही कम है । आज भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रयोग पश्चिमी देशों में बढ़ रहा है वे भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं । वहीं यह भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है, चिन्ता की बात है । आज तमाम अस्पताल जहां दवाओं के अभाव में, अधिकारियों, चिकित्सकों और जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं उनके अभाव में बन्द पड़े हैं । एक घटना उत्तर प्रदेश में घटी उसकी जांच के नाम पर पिछले 6 साल से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एक दम कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 8 आयुर्वेदिक कालेज हैं उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि सरकार इन महाविद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए धन मुहैया नहीं करा पा रही है । धीरे-धीरे स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है । जितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय इस प्रदेश में हैं उनकी स्थिति यह है कि वर्ष में दवा के नाम कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है न ही दवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं । हमारे प्रदेश के अन्दर कई बड़े-बड़े आयुर्वेदिक औषधिशालायें हैं जो दवाओं का निर्माण करती हैं उनमें ताला पड़ा हुआ है । तमाम कर्मचारी बैठ करके वेतन ले रहे हैं और सरकार मात्र घोषणायें कर रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक औषधिशालायें हैं उनमें योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी हैं जो दवाओं के निर्माण में वर्षों से लगे हैं आप उन औषधिशालाओं को क्यों नहीं संचालित कराते हैं ? बाजार में नकली दवायें मिलती हैं, आप इन औषधिशालाओं से दवाओं का निर्माण कराकर इनमें भेजने का काम करें । मान्यवर, एक घोटाला इसीलिये हुआ कि दवायें आपने बाजार से खरीदीं । आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर आयोजनेत्तर व्यय है वह निरन्तर इतना ही रहा है लेकिन आयोजनागत व्यय में पैसा न देने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है । अभी माननीय सदस्य इन्द्रदेव जी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को नजरन्दाज करते चले जा रहे हैं जो हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है, जो हमें संस्कार में मिला है, वेदों में जिस चिकित्सा पद्धति का जिक्र है । मान्यवर, दुनियां के तमाम प्रगतिशील देशों

इस चिकित्सा पद्धति में विश्वास व्यक्त किया है । बड़ी-बड़ी बातें हिन्दी, हिन्दुत्व, भारतीयता, स्वदेशी की बात की जाती है लेकिन इनकी कथनी और करनी इस सदन के सामने उजागर हो गयी है । मान्यवर, 4 साल से भा०ज०पा० की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसने भारतीय चिकित्सा पद्धति को उपेक्षित किया है, इतना कभी नहीं हुआ था । सी०बी०आई० की जांच के नाम पर न तो जांच की कार्यवाही आगे बढ़ रही है और न ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो पा रही है । इस सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति में ताला लगाने का काम किया है, कुछ लोग दोषी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए पूरी व्यवस्था, प्रणाली को समाप्त किया जाये यह सरकार की एक साजिश है । आयुर्वेद, यूनानी और भारतीय चिकित्सा पद्धति की जो स्थिति है वह सभी जानते हैं आज सुदूर क्षेत्रों में न तो अस्पताल खुलता है न डाक्टर बैठते हैं, उनका कहना है कि जब देने के लिए एक टिकिया नहीं है तो अस्पताल खोलकर क्या करें ? सारे डाक्टर घर में बैठकर वेतन ले रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ घर बैठे प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं ।

इस प्रकार करोड़ों रुपया भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम पर वेतन पर व्यय कर रहे हैं परन्तु व्यबस्था की कमी के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति का लाभ किसी भी जनपद या शहर या गांव में नहीं मिल रहा है । पूरे संगठन को फिर से पुनर्गठित करें । जितने संसाधन हैं उतने अस्पतालों को संचालित करें शेष अस्पतालों को बन्द/समाप्त कर दें, डिरिकग्नाईज कर दें, जितने चलायें, व्यवस्थित ढंग से चलायें ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति का उपहास न हो । मान्यवर, दवाओं के अभाव में मरीज मर रहे हैं । जिले में एक ऐसा अस्पताल स्थापित करें जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और दवायें उपलब्ध हों इससे हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति मिलेगी । हमारी अपनी दवायें गुणवत्ता की होंगी, हमारी औषधिशालाओं की दवायें होंगी, उसके निर्यात के बहुत से मौके होंगे । मान्यवर, एलोपैथिक दवायें दुनियां भर में बनायी जाती हैं लेकिन जो भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवायें हैं उनका निर्माण कहीं दूसरी जगह नहीं होता । गुणवत्ता सुधार सके और विश्वसनीयता बढ़ा सकें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का दुनियां में प्रचार-प्रसार हो सकता है । यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों की भी यही स्थिति है । आज साजिश के तहत अर्न्तराष्ट्रीय के नाम पर विदेशी चिंकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं । जो सदियों और पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वेदों में वर्णित है उस चिकित्सा पद्धति को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं और चिकित्सा पद्धति पर आयुर्वेद के मद में जो बजट का प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है । इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार की भरपूर आलोचना करता हूं । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा के लिए । धन्यवाद ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने कुछ योजनाओं का जिक्र किया है मैं उसके लिये उनको साधुवाद देता हूं । मेरी यह अपेक्षा है कि अगर मंत्री जी कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दें और जिस तरह से प्रिवीपर्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बैंकों को रात्रि में देर तक खोलने और इतवार के दिन खोलने में दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया था उसी तरह से एक पूर्णकालिक विभागीय निदेशक होना चाहिये और वह तकनीकी होना चाहिये । यदि किसी कारणवश तकनीकी न हो सके कोई मजबूरी हो तो ऐसे व्यक्ति को बनायें जो पूर्णकालिक तौर पर निदेशालय में रह सकें । मैंने नियम–51 में सूचना दी थी फिर भी विभागीय निदेशक निदेशालय में नहीं बैठ रहे हैं और अन्य कामों में लगे रहते हैं न जाने क्या काम करते हैं ?

मान्यवर, जो न्यायालय से संबंधित मामले हैं उसके लिये एक अलग से उप निदेशक होना चाहिये । न्याय विभाग से प्रतिनियुक्ति पर उसे लें या ए०पी०पी०/ए०डी०जी०सी० का कोई अधिकारी ले लें । मान्यवर, सर्विस वादों के संबंध में लोक अदालत जैसी कोई पद्धति विकसित करें और सी०बी०आई० के आतंक से कार्यालय को मुक्त करायें । जिन्होंने छोटी-मोटी गल्तियां की हैं उनको आप निकाल नहीं सकते

हैं उनको छोटे दण्ड देकर जैसे वेतनवृद्धि रोककर चेतावनी देकर प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उनको सेवा में लें उनको आप निकाल नहीं सकते हैं और नयी नियुक्ति भी आप कर नहीं रहे हैं तो आपको इन्हीं कर्मचारियों से काम लेना होगा । आपने वरिष्ठता सूची जो प्रकाशित करायी है उसके लिये धन्यवाद । सरकार ने इस संबंध में वादा किया था कि पदोन्नति की जायेगी लेकिन 3 साल हो गये हैं आपत्तियों का निस्तारण करके डी०पी०सी० को तत्काल करें । भारतीय चिकित्सा परिषद् के सन् 60 से चुनाव कराने के संबंध में प्रतिनिहित विधायन समिति के सामने बात आयी थी सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि छः माह में चुनाव करा देंगे लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है और आप चुनाव नहीं करा रहे हैं जिनको करायें । पी०जी०आई० में थैलीमीमिया का गरीब मरीजों से खून के लिये 100 रुपया लिया जाता था अब 1000 रुपया लिया जाता है । इस तरफ आप ध्यान दें । पी०जी०आई० में सुरक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दिया गया है । वहां रहने वाले कर्मचारियों, डाक्टरों, नर्सों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हैं । इस तरफ ध्यान दें । इसी तरह से आर्टीफिर्शियल लिंब सेंटर खुद विकलांग होता जा रहा है और यह धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है और इसके उपकरण खत्म होते जा रहे हैं । इसको आप देखें ।

इसी तरह से उत्तरांचल में शेष बचे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के वापसी का निर्णय नहीं लिया गया है । पद विहीन चिकित्सालयों की परम्परा को समाप्त कर दीजिये और चिकित्सकों का इंतजाम करें । कर्मचारी संघों के साथ जो आपने निर्णय किये हैं उनको आप लागू नहीं कर पा रहे हैं इस पर गंभीरता से विचार करें । केन्द्र के पास कुबेर का खजाना है । सरकार प्रयास नहीं कर रही है कि वह उत्तर प्रदेश के लिये पैसा ला सके । आप अपना अंश भारत सरकार से नहीं ला सके हैं । केवल आप 311 करोड़ ला सके जबकि अन्य प्रदेश ज्यादा धन ले जाते हैं । आप 25 शैय्याओं के अस्पतालों को खत्म करके 4 शैय्या वाले कर रहे हैं । आपने जो पाले हैं उनकी हत्या करने जैसा यह कार्य आप कर रहे हैं । इस पर आप क्यों आमादा हैं । मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान ड्रग एक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं । लाइसेन्स अधिकारी की योग्यता अधिसूचना दिनांक 12-4-89 के अनुसार नियम–49–ए में निर्धारित है उसके अनुरूप ड्रग एक्ट का काम तकनीकी व्यक्ति को देना चाहिये ।

मान्यवर, आपने दवा का बजट बढ़ाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन पिछली बार बजट का पैसा लैप्स हुआ इन दोनों में क्या तालमेल है । यह मेरी समझ में नहीं आता है । सितम्बर, 1999 में 35 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था नवम्बर, 1999 में सचिव द्वारा बैठक की गई तथा 25-3-2000 से कोषागार बन्द रहा और 29-3-2000 को आपूर्ति का आदेश शाम 5-6 बजे हुआ जिसके कारण पैसा लैप्स हो गया । तो इसका क्या फायदा जब पैसा आहरित नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, अपनी फार्मेसियों में आप दवा क्यों नहीं बनवाते हैं । आप अलग की फार्मेसी में से आसव अरिस्ट रसतेल, चूर्ण, चटनी बनवाये । सरकारी फैक्ट्री रानीखेत से दवाई खरीदने में बिचौलियों को 25 परसेन्ट दलाली क्यों दी जा रही है । जब आप उत्तर भाषण दे तो इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा यह जो 25 परसेन्ट दलाली दी जा रही है इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है ।

मान्यवर, छात्रों के साथ समझौता पूर्व मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया था उसको लागू नहीं किया गया है । एस०एल०पी० वापस नहीं ली गई है । आयुर्वेदिक तथा यूनानी को आई०ए०एस० तथा पी०सी०एस० परीक्षा के विषय बनायें जायें । रिक्त पद भरे नहीं गये हैं जिसके लिए सरकार ने 4 माह का वादा किया था लेकिन अभी तक पद नहीं भरे गये हैं । एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को प्रारम्भ नहीं किया गया है । फार्मेसिस्टों के प्रकरण पर मैं कहना चाहता हूं कि निर्दोष क्लास–3 तथा क्लास–4 के कर्मचारियों को निकाल रहे हैं जो अन्यायपूर्ण है । स्वीकृत पदों के जितने भी फार्मेसिस्ट हैं उनका विनियमितीकरण किया जाय । मान्यवर, 1988-1992 में तदर्थ रूप से भरे गये चिकित्सकों के लिए 1986 में विनियमितीकरण के आदेश दिये गये थे लेकिन 1988 वालों को नियमित किया जा रहा है । तो

1992 वालों को क्यों नहीं नियमित कर रहे हैं, जितने पद स्वीकृत हैं इनके विनियमितीकरण से कोई आर्थिक बोझ नहीं आने वाला है । जो फर्जी चिकित्सक हैं और जो झोलाछाप डाक्टर हैं उनको दण्डित करने के संबंध में कार्यवाही की आवश्यकता है । आपने अपने बजट भाषण में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई जिक्र नहीं किया है । सोसायटी के संबंध में प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और एस०एल०पी० वापस ले लें । इसके कारण अराजकता बढ़ रही है । प्राइवेट मेडिकल कालेज जो हैं वह कुछ लोगों को लाभ देने की दृष्टि से स्थापित किये गये हैं इस प्रकार से 10 वर्षों में सब कुछ बर्बाद हो जायेगा और पूंजी भी खत्म हो जायेगी और इतिहास हमें माफ नहीं करेगा । यदि सोसाइटी अच्छी हो तो आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को आटोनामस बनाने में क्या दिक्कत है, लेकिन मेडिकल कालेज को आटोनामस कर रहे हैं, यह कुछ लोगों को लाभ देने की दृष्टि से कर रहे हैं ।

मान्यवर, धनवंतरि विश्वविद्यालय कहां चला गया है । इस सदन में बताया गया था कि 100 करोड़ रुपये की योजना थी और इसकी जरिया चिकित्सा मुहैया करने की बात थी मैंने मांग की थी लेकिन केवल 10 लाख रुपया दिया गया । वह 100 करोड़ का विश्वविद्यालय कहां चला गया इतना बड़ा मजाक इस भा०ज०पा० सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था । मेरा निवेदन है कि जो डेन्टल कालेज और प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं वह शोषण कर रहे हैं । यदि आयकर विभाग जांच करेगा तो परिवार के लोग जिन्होंने भारी रकमें देकर इनमें अपने बच्चों का दाखिला कराया है वह जेल चले जायेंगे और इनमें अगले साल प्रवेश लेने नहीं आयेंगे क्योंकि जिन लोगों के बच्चों ने यहां प्रवेश लिया है उन्होंने नम्बर दो के पैसा से प्रवेश के लिए दिया है । अल्पसंख्यक आधार पर इण्डियन मेडिसिन एक्ट की धारा–8 में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा अल्पसंख्यक आधार पर विद्यालय खोलने की अनुमति दे रखी है इससे सब स्टैण्डर्ड कालेज खुल रहे हैं । आयुर्वेदिक कालेजों में पद जुलाई से पूर्व भरे जायें और परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाय । सी०पी०एम०टी० द्वारा एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्रवेश दिया जाता है । इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है । हम कब तक जूठन खाते रहेंगे । आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों का स्तर गिर रहा है, इसको ठीक करने के लिये नयी प्रवेश परीक्षा पद्धति विकसित करनी चाहिए । पद्धति विकसित करें । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आप उत्तर भाषण दें तो मैंने जिन बिन्दुओं का जिक्र किया है उनका उत्तर दे, मैं जानना चाहता हूं कि एक एलोपैथिक स्नातक को तैयार करने में कितना व्यय आता है और आयुर्वेदिक तथा यूनानी के स्नातक को तैयार करने पर आप कितना व्यय कर रहे हैं ।

अन्तर जो है वह कब दूर करेंगे । यह भी जानना चाहता हूं । मुल्तान सिंह डेंटल कालेज जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने कहा दो तारीख व 11 तारीख को सदन में भी इस पर चर्चा हुई थी बच्चों के भविष्य का सवाल है डेंटल कालेज में भर्ती छात्रों का दूसरा वर्ष है जबकि उनके अन्य साथी जो दूसरी जगह मेडिकल कालेजों में पढ़ रहे हैं वह चौथा और पांचवां वर्ष उनका है । आप अपने सचिव स्तर के अधिकारी को डेंटल काउन्सिल आफ इण्डिया भेजिये वहां बताएं । मुल्तान सिंह डेंटल कालेज को जांच के बाद जो आख्या आई है उसके आधार पर बन्द कर दिया गया है उसकी सीटों को वहां के छात्रों के गृह जनपदों या नजदीक डेंटल कालेजों में समायोजित करें इसमें लिखा पढ़ी से काम नहीं चलेगा आप अपने सचिव को भेजकर तत्काल एक्शन लेकर छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए यह छात्रों के भविष्य का सवाल है । इलाहाबाद में पैथालाजी में 1982 से प्रवक्ता के पद का जिक्र करना चाहूंगा । 1989 के प्रवक्ता को तदर्थ प्रोन्नत कर प्रोफेसर बनाएं । सोसायटी व्यवस्था में इस बात का प्राविधान है कि दो वर्ष प्रोन्नत पद पर कार्य करें तो प्रोफेसर पद पर हो जाए लेकिन प्रोफेसर प्रोन्नति का प्रश्न आने पर फिर वापस । इससे कठिनाई हो गई है । सरकार ने डी०पी०सी० 1986 से नहीं निकाली । प्रोफेसर के पद 50 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जायेंगे डी०पी०सी० हुई नहीं प्रोन्नति से भरा नही तो कैसे पद भरे जायेंगे । यह विसंगति दूर होनी चाहिए । जिससे कि न्याय मिल सके ।

भगवान सिंह जो रीडर थे पीलीभीत में आयुर्वेदिक कालेज में वह प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तिब्बियां कालेज गए दिल्ली में गंभीर वित्तीय अनियमितता के कारण उनको निलम्बित किया गया उसमें जांच अधिकारी जे०पी० गुप्ता, श्री गोस्वामी व प्रभांश थे उनको चार्ज शीट दी गई जिसका उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया । पता नहीं किन कारणों से अचानक साढ़े तीन साल बाद उनको अचानक बहाल कर दिया गया और उनको शिक्षा प्रभारी बनाकर निदेशालय में सम्बद्ध कर दिया वह प्रधानाचार्य प्रोफेसर की पत्रावलियां देखेंगे अपने यहां रखेगा नतीजा क्या होगा । सी०सी०आई०एम० ने शासन से नाम मांगें शासन ने नाम भेजा सी०सी०आई०एम० ने यह भी कहा कि उससे चुनाव सम्पन्न होने से पूर्व इसे स्थानान्तरित नहीं करेंगे नाम भेजा गया । सी०सी०आई०एम० से स्वीकृति आ गई उस व्यक्ति का वहां से पैसा स्वीकृत हो गया व उसने 13 लाख रुपये के डाक टिकट ले चुका व 3 लाख रुपये अन्य खर्चों के लिए आहरित कर दिया गया उसका ट्रांसफर झांसी कर दिया गया भगवान सिंह को समायोजित करने के लिए इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि पांच अधिकारी छांटेंगे पांच अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी जो जड़ी बूटी ढूढेगी नीम, हल्दी आदि का पेटेंट कराने के संबंध में कार्य करेगी । लखनऊ में लैब भी खोली गई यह छांटते रहे और उधर चीन जापान अमेरिका ने पेटेंट करा लिया । इनको छांटने से नहीं मिलेगा । मंत्री जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया है जो सुविधाएं दी हैं वह लखनऊ के लिए दी हैं मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में और आगरा में भी मेडिकल कालेज हैं, झांसी में हैं, गोरखपुर में मेडिकल कालेज हैं उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ कार्य करें । लखनऊ में खर्चा हो लेकिन जो दूरदराज मेडिकल कालेज हैं वहां भी छात्र पढ़ते हैं वहां के लिए भी मंत्री जी ध्यान देते तो अच्छा होता । मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इनकी किताब में लिखी हैं इनकी उपलब्धियां 1998-99 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के भवन निर्माण हेतु रु० 28.46 लाख की स्वीकृतियां राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु० 31.66 लाख रुपये की स्वीकृति, वर्ष 99-2000 में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की गयी यह सब पदविहीन विश्वविद्यालय में 2000-2001 में आपको कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई । मैं केवल इतना पूंछता हूं कि तब से अब तक आपको क्या कोई भी धनराशि जो स्वीकृति हुई अवमुक्त हुई ? मंत्री जी आपके पास शक्ति है यूनानी आयुर्वेद विभाग को ठीक करें । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बांत समाप्त करता हूं ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं श्री अम्बिका चौधरी जी के कटौती के प्रस्ताव को बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे इस सरकार से बड़ी उमीद थी लेकिन आज अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है । मरीज भर्ती होने आता है तो 6 रुपये में पर्चा फिर डाक्टर को दिखाओ तो फीस दो, पैसा लिये बगैर नर्स इंजेक्शन नहीं लगाती यहां तक कि पैसा लिये बगैर स्वीपर झाड़ू नहीं लगाता । तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम और सरकारी अस्पताल में क्या फर्क रह गया ? यदि ऐसा ही रहा तो गरीब कहां जायगा क्योंकि पैसे के बगैर ना तो नर्सिंग होम में इलाज ना सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है । पीएसी में डाक्टर पहुंचते नहीं वहां वार्ड ब्वाय और स्वीपर इलाज करते हैं । जहां तक भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रश्न है इस सरकार के लिए तो वही बात है कि जिन्हें मसीहा समझा वही कातिल निकले, हमने सोचा कि यह सरकार बिगड़ी स्थिति पर नियंत्रण करेगी लेकिन कुछ नहीं स्थिति बद् से बद्तर करते जा रहे हैं इन आयुर्वेदिक कालेजों में अस्पतालों में दवायें नहीं है चिकित्सक नहीं है इस पद्धति की दुर्दशा होती जा रही है । इस पद्धति के जो डाक्टर होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता । हमें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगी वह भी टूट गई । आयुर्वेद के ग्रन्थों में जो सर्जरी की व्यवस्था थी, चरक जैसे विद्वान की पद्धति को कोई पूंछ नहीं रहा सारी जड़ी–बूटियां सब कहां गई सब

भुतनी हो गई क्या ? मुझे उम्मीद थी कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा, पर ऐसा नहीं हुआ । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं समर्थन करता हूं । चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु अपने उत्तर प्रदेश में संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान और अन्य के०जी० मेडिकल कालेज हैं । आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, लखनऊ में भी मेडिकल कालेज की व्यवस्था है लेकिन श्रीमन्, यह अपर्याप्त होने के कारण निजी क्षेत्र में मान्यता देने का प्राविधान भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार ने छात्रों को शिक्षा मिल सके इस उद्देश्य से 2000-2001 में 59 विद्यालयों को निजी क्षेत्र में मान्यता दी है । संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 2000-2001 में 290.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके वहां पर अन्य सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध हो सकें, व्यवस्था की है । इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । आर्युवेदिक एवं यूनानी पद्धति में उत्तर प्रदेश में 2210 चिकित्सालयों की स्थापना की है जिसमें से आयुर्वेद के 1965 और यूनानी के 245 हैं इनमें कुल शैय्याएं 10,017 हैं । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों उपकरणों की व्यवस्था करने का प्राविधान करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है । अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिये 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

पोइया जी यह चिकिस्ता शिक्षा का बजट है । इसमें भवनों को पूर्ण करने की बात कहां आ गई ?

श्री अजय कुमार पोइया–

होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक तीनों माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है तो मैं सभी में बोल रहा हूं । श्रीमन्, प्रधानमंत्री जी द्वारा यूनानी चिकित्सा के लिये 3.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने इस प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की सुविधा काफी लम्बे अरसे से समाप्त कर दी गई है । जो लोग पैतृक गुणों के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा करते थे, आम जनता को जिससे वे लोग लाभान्वित किया करते थे, सरकार के अधीन इसके बारे में प्रस्ताव भी आया हुआ है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी व्यवस्था करें । राज्य सरकार का चिकित्सा शिक्षा एम०बी०बी०एस० प्रदेश कोटा नहीं है । केन्द्र का कोटा हो सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार का कोटा क्यों नहीं है । मेडिकल कालेज हैं लेकिन वहां उपकरण जो होने चाहिए, उपलब्ध नहीं है । मरीज को वहां दिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं ले जा सकते । इसलिये सरकार इसका प्राविधान इस बजट में करे । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने का प्राविधान है, उसमें नियमों को शिथिल करके मान्यता देने का प्राविधान किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री आर्य राम सरन–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक जितने भी अस्पताल हैं हमारे जिले में कहीं दवा नहीं मिलती है, डाक्टर बैठे जरूर मिलते हैं दवा कहीं नहीं है । हमारे भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेदिक है उसे नष्ट किया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि वृंदावन गुरुकुल में जो आयुर्वेदिक स्कूल बनाया था वह बन्द कर दिया गया उसे शुरू कराया जाय । यह सबसे ज्यादा पुरानी पद्धति है इसलिए मैं इस पर बल देता हूं ।

* श्री केशो मेहरा–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को छोड़कर, 6 मेडिकल कालेज हैं इसमें हम लोग चिकित्सक तैयार करते हैं । एलोपैथिक के कुल मिलाकर 801 अस्पताल हैं लखनऊ के मिलाकर 814 अन्य मेडिकल कालेज 6 हैं । जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डाक्टर ऐसा होता है जो भगवान का रूप नजर आता है । अप्रैल 1998 से सोसायटी बनाने का निर्णय लिया । मंत्री जी ने भी बजट प्रस्तुत कर दिया है जिन लोगों ने सोसायटी अपना ली है वह सोसायटी में और जिन्होंने सोसायटी नहीं अपनाई है वह सरकारी सेवा में बने रहेंगे । मैं मंत्री जी का ध्यान इस प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज शिक्षा के लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गये वहां से सोसायटी के गठन का निर्णय लिया गया, सोसायटी के गठन के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय गई दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को निर्णय हुआ–इन द मीन ह्वाइल, देयर शैल बी स्टे आफ द इम्प्रूव्ड जजमेन्ट बट इट इज क्लीयरीफाइड दैट सो फार ऐज द एक्जस्टिंग टीचर्स एन्ड द अदर स्टाफ आफ द कालेजज इज कन्सर्नड दीयर स्टेटस ऐज गवर्नमेंन्ट सरवेन्ट सैल नाट बी एलटर्ड ।

श्री अधिष्ठाता–

अनुवाद कर दीजिएगा ।

श्री केशो मेहरा–

उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश सरकार जो उच्चतम न्यायालय में गई थी उसमें कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय को रोका जाता है लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि जितनी स्टाफ कालेजों की सेवा में हैं उनकी स्थिति सरकारी सेवक की रहेगी । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो वह बता देंगे । मेरी जानकारी में ऐसा आदेश नहीं है अपने बजट भाषण में लिखा जिन्होंने सोसायटी आप्ट की है उन्हें टिक्कू कमीशन का लाभ मिलेगा जिन्होंने सोसायटी आप्ट नहीं की है उनकी स्थिति भिन्न होगी । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की बात बैध नहीं मानी है । चाहे शिक्षक हों चाहे स्टाफ हो इस बात को स्पष्ट किया है सरकारी सेवक सेवा में बने रहेंगे ? उच्चतम न्यायालय का निर्णय है मेरी जानकारी है । एक्जिस्टिंग शब्द पर शासन ने स्पष्टीकरण उच्चतम न्यायालय को भेजा है । लेकिन स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी । जितने भी कालेजेज हैं उनके स्टाफ और शिक्षकों की स्थिति सरकारी सेवकों की बनी रहेगी । मान्यवर, इण्डिया टूडे का आखिरी अंक है उसमें दस टाप कालेजों के नाम अंकित किये हैं । जिसमें आल इण्डिया मेडिकल साइसेंज दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है । लोक सभा के द्वारा प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की मदद दी जाती है लेकिन जो हमारे प्रदेश के 6 मेडिकल कालेज हैं उनके साथ यह भेदभाव क्यों करते आये हैं यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं । लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध के०जी०एम०सी० है । उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय में कहा है कि शेष सभी कालेज जो इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर में हैं यह भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए है इसलिए उनकी भी स्थिति वही है । उनको यह अन्तर मानते हैं । इस बार जो बजट में व्यय की मदें दी हुई हैं उसके अनुसार नवीन रेजिडेन्स के लिए 6 मेडिकल कालेज को 54 करोड़, 60 लाख 60 हजार की धनराशि दी जा रही है । कहां दिल्ली का कालेज को 150 करोड़ रुपया और कहां हमारे

---

* वक्ता ने अपना भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां पर 6 मेडिकल कालेज को, जिसमें 600 छात्र हैं, जिसमें जूनियर डाक्टर्स के वेतन भी सम्मिलित हैं उनको 54 करोड़, 60 लाख 60 हजार दिया जा रहा है । आधुनिक संसाधन हम उपलब्ध करायेंगे यह अपने बजट भाषण में कहा । आपने यह कहा कि हम सिटी स्केन की मशीन उपलब्ध करा रहे हैं । मैं आभार व्यक्त करता हूं लेकिन यह मशीन उपलब्ध कराने से कुछ होने वाला नहीं है । इन्जीनियर कालेज की सोसाइटी बिल्कुल भिन्न है और मेडिकल कालेज की सोसाइटी बिल्कुल भिन्न है । मेडिकल कालेज में जितने ज्यादा उपकरण होंगे प्रगति होगी । छोटी सोसाइटी बनायेंगे उसके अध्यक्ष मंत्री बन जायेंगे, सचिव उसके उपाध्यक्ष हो जायेंगे और डाइरेक्टर उसके अधिकारी हो जायेंगे । यूजर्स चार्जेज की बात कही गयी । साढ़े तीन करोड़ रुपया आया है यह अनुमान बताया है । अगर इस अनुमान को मान भी लें तो 6 मेडिकल कालेज में यह ऊंट के मुंह में जीरा होगा । इसलिए अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इसमें बहुत अधिक की आवश्यकता है चाहे भारत सरकार को ले लें, विभिन्न प्रकार के निर्माण हैं, विश्व बैंक से लें, चाहे जापान से लें जिस प्रकार लखनऊ लाने की बात कही गयी है इसी प्रकार से सभी जगह लायें । मान्यवर, जो सोसाइटी बनी हैं उनका एक हश्र होगा जो नियुक्त का अधिकार लोक सेवा आयोग को है । कुछ अधिकारी बीच में आ जायेंगे । डेढ़ दो साल पहले सोसाइटी बनने की बात हुई थी, रोक हाई कोर्ट ने नहीं लगायी थी तो कुछ मेडिकल कालेज में सबकी जानकारी में है कि मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने गोरखपुर की मान्यता समाप्त कर दी । किसी प्रकार से रोका गया है ।

माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि 1/3 लगभग 273 वैकेंसी हैं नियुक्तियों के लिए धनराशि की चर्चायें शुरू हो गयी थीं एक-एक लेक्चरर के लिए 5-7 लाख रुपये । यद्यपि हमारा दोष नहीं है यह प्रिन्सिपल के या प्रवक्ताओं के पद बहुत सालों से रिक्त हैं । लोक सेवा आयोग को कुछ रिक्तियां भेजी गयी हैं नियुक्तियां हो रही हैं । यह बहुत पहले हो सकता था और यूजर चार्जेज सही हों न हों 50 प्रतिशत शासन को और 50 प्रतिशत मेडिकल कालेज को तो इसमें सोसाइटी बनेगी । आप सारे यूजर चार्जेज को मेडिकल कालेज को दे सकते हैं । अब यह आपका 10 मई, 2001 का आदेश हुआ है इससे विभिन्न प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है । मान्यवर, यह 10 मई का आदेश राजकीय मेडिकल कालेजों के स्वरूप में परिवर्तित करने के संबंध में है । मान्यवर, शिक्षक और कर्मचारी राजकीय सेवा में बने रहना चाहते हैं तथा जिन्होंने संबंधित कालेज चिकित्सालय समिति की सेवा में आने का विकल्प नहीं दिया है उनके पद कालेज समिति में सेवा में नहीं माने जायेंगे । मान्यवर, पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय का 16 अक्टूबर, 2000 का आदेश है, लेकिन मान्यवर यह जो 10 मई का शासनादेश है यह और कुछ नहीं भ्रम की स्थिति इसमें पैदा की जा रही है इससे माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना हो रही है । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि भ्रम की स्थिति पैदा न की जाये विभिन्न 6 मेडिकल कालेजों के जो शिक्षक और स्टाफ के सदस्य हैं उनको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत सरकारी सेवक बने रहने देना चाहिए । मान्यवर, यू०पी० मेडिकल एजूकेशन एसोसियेशन और स्टाफ की वार्ता आपको करानी चाहिये । हम और वह अलग-अलग इकाईयां नहीं हैं । सबके हित में शासन के हित में कल्याणकारी सरकार के हित में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके हित में उसकी चिकित्सा यह हम सबके हित में है । मान्यवर, आगरा एस०एन० मेडिकल कालेज में इमरजेंसी वर्षों से हो गयी थी, बिल्डिंग बनी है, वह शिफ्ट हो जाये । वहां कैंसर सिकाई हेतु एक कोबाल्ट यूनिट की स्थापना की जाये । इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कालेजों के सामने आ गई है क्योंकि मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया ने शायद उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कालेज बचा हो जिसको नोटिस न दिया हो । नोटिस में कहा है कि यदि आपने मानक के अनुरूप रिक्त पद नहीं भरे तो हम आपको डी रिकग्नाइज कर देंगे । उन्होंने गोरखपुर मेडिकल कालेज के एम०डी० कोर्स को डि रिक्गनाईज कर दिया है । इसी आधार पर सारे मेडिकल कालेज के छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने वाला है इस पर आपको मान्यवर, ध्यान देना होगा । के०जी०एम०सी० एक पुराना ऐतिहासिक मेडिकल कालेज है उसके साथ गांधी मेमोरियल चिकित्सालय भी सम्बद्ध है । मेरा आग्रह है कि लखनऊ में एक बर्न यूनिट नहीं है, हजारों लोग जल कर मर जाते हैं यहां एक बर्न यूनिट की स्थापना हो जाये तो शायद हम उनके जीवन को बचा सके । लखनऊ मेडिकल कालेज में बर्न यूनिट की अति आवश्यकता है । मान्यवर, के०जी०एम०सी० में इन्टेसिंव केयर यूनिट बच्चों के लिए प्रधानमंत्री जी की कृपा से बनी है, धन के अभाव में आज वह इंटेसिंव केयर यूनिट बन्द होने की स्थिति में है । यह मेडिकल कालेज मेरे क्षेत्र में पड़ता है । राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में प्रोफेसर, लेक्चरर, डिमांसट्रेटर के वेतन के संबंध में पूर्व मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि उनको यू०जी०सी० का वेतनमान दिया जायेगा ।

मान्यवर, आज वह लोग आशा लगाये बैठे हैं उनको वेतनमान नहीं दिया गया । मान्यवर, लखनऊ में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी है वहां रा मैटेरियल न मिलने के कारण वहां दवाएं नहीं बन पा रही हैं और दूसरी फार्मेसी से दवाएं खरीदी जाती हैं । माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देने का कष्ट करें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि होम्योपैथी में एम०डी० करने की सुविधा दी जायेगी किन्तु इस पुस्तिका में जो दी गई है यह लिखा हुआ है कि इसका प्रयास किया जा रहा है मेरी मांग है कि होम्योपैथी में एम०डी० करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये । मैं बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने चिकित्सा शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं –

स्वास्थ्य के प्रति सरकार हमारी सचेष्ट है ।
मेडिकल कालेजों में किया व्यवस्था बेस्ट है ।
शिक्षा, चिकित्सा शोध के ही साथ में श्रीमन्,
शरीर के हर अंग का भी हो रहा टेस्ट है ।
कुंभ मेले में व्यवस्था सारी हुई थी,
रोगों से लड़ने की पूरी तैयारी हुई थी,
थी भीड़ भारी, पूरा हिन्दुस्तान उमड़ा था,
फिर भी न किसी को कोई बीमारी हुई थी ।
बारह लाख एलोपैथी, यूनानी अठत्तर सौ सैंतालिस,
छाछठ सौ अठारह आयुर्वेदिक इलाज हुआ ।
सरसठ सौ छियालिस होम्योपैथिक के रोगी मिले,
सबको दवा मिला, नहीं किसी का अकाज हुआ ।

अठारह हजार पैथालाजी परीक्षण और,
सात सौ अठासी नेत्र लेंस से सुखी समाज हुआ,
ग्यारह सौ इ०सी०जी०, अठारह सौ अल्ट्रासाउण्ड,
छः सौ पचास हैपेटाइटिस की टीके से नाज हुआ ।
स्वच्छ वातावरण रहा एरिया नहीं गन्दी हुई,
सहज, सुलभ, सेवा मिली, कोई न पाबन्दी हुई,
स्वास्थ्य मेला लखनऊ में चार दिन के अन्दर श्रीमन्,
सात सौ महिला व एक सौ पन्द्रह पुरुष नसबन्दी हुई ।
रिटायर चिकित्सा शिक्षकों से बात किया जायेगा,
संविदा पर उनको अब तैनात किया जायेगा,
जितने भी हैं मेडिकल कालेज यहां यू०पी० में,
सब में सी०टी० स्केन मशीन दिया जायेगा ।
स्टैम सेल सेपरेटर संयंत्र हैं लगाया गया,
अस्थि सज्जा प्रत्यारोपित होगा जनता भलाई में,
बोन डेन्सिटीमीटर संयंत्र भी लगायेंगे हम,
काम आयेगा हड्डी कमजोरी की नपाई में,
बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट रक्त कैंसर के वास्ते है
न्युक्लियर कार्डियोलाजी आया हृदय की जंचाई में,
गुर्दे की पथरी तोड़े नई लिथोट्रिप्सी श्रीमन्,
अब कोई कमी न होगी एस०जी०पी०जी०आई० में ।
मेडिकल कालेज में उन्सठ सौ दौ शैय्या विस्तार किया,
अब तक आठ सौ चालीस लाख रोगी का उपचार किया,
उन्सठ मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र में भी खुलेंगे अब,
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत मेरी सरकार किया ।
मेरे यहां चिकित्सालयों के भवन ध्वस्त हैं,
होती सुलभ दवा नहीं, जनमानस त्रस्त हैं,
दुर्गागंज और मतेथू के आयुर्वेदिक अस्पताल,
निर्मित भवन हो जल्द, जनता कहती समस्त है ।
होम्योपैथिक अस्पताल स्वीकृत है पीपर गांव में,
वह चल रहा अन्यत्र कहीं किसी गांव में,
जनता में है आक्रोश शीघ्र वापस करायें,
काम भी न हो रहा है क्यों किसके प्रभाव में ।

मान्यवर, अम्बिका जी के लिए एक लाइन प्रस्तुत है–

आप जागरूक, भिज्ञ, असरदार हैं,
जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी खबरदार,
वापस लें विनय भाई अम्बिका चौधरी से है,
कटौती न करें आप काफी समझदार हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में मानीनय डा० इन्द्रदेव सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० कौशल किशोर, अजय कुमार पोइया, श्री आर्य राम शरण,, केशो मेहरा जी, भाई सुरेश जी और पंकज जी ने भाग लिया है, अपनी महत्वपूर्ण विचार और सुझाव रखे हैं, इसके लिये मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, बहुत संक्षेप में दो मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा । जो बातें इन माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । एक बात माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेजेज में जो आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दी है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लें । बाकी सारे अस्पतालों में जहां तक अनुमति देने का प्रश्न है, मेडिकल कालेज की स्थिति उससे भिन्न है । जहां तक विशेषज्ञों का प्रश्न है, वह सिर्फ मेडिकल कालेजों में रह गये हैं, उनको क्लीनिक, क्लासेज, वाईस इन सबके बाद किसी तरह का समय नहीं रहता और इनको प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ करके जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आपने काम किया है, इसके पीछे आपके ऊपर चाहे जितना दबाव हो, लेकिन आप इस अनुमति को वापस ले लें ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव है, पी० जी० आई० ऐसा संस्थान है, जो केवल हमारे प्रदेश का गौरव ही नहीं है, बल्कि वहां पूरे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के लोग भी आते हैं, वहां चिकित्सकों का पलायन हो रहा है, इसको आप रोकिये और कुछ कारगर उपाय कीजिये । अब यह कैसे रोकेंगे, यह आपका अपना तरीका है । एक और सुझाव माननीय मंत्री जी आपको देना चाहूंगा । जिला पंचायत के पहले के बने अस्पताल हैं, उनके अपने भवन हैं, आपके पास अस्पतालों हेतु भवनों का अभाव है, इस तरह के अस्पताल जिला पंचायतों के अनेक जनपदों में हैं और बहुत आसानी से इन भवनों में नये चिकित्सालयों को चलाया जा सकता है । आप पंचायती राज मंत्री से तालमेल न हो तो नये सिरे से बात कर लें ताकि इनका सम्यक इस्तेमाल हो जाय । ताकि जो आपको भवनों के अभाव से जूझना पड़ रहा है, वह समस्या हल हो जाय और उन भवनों का इस्तेमाल हो जाय और लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके ।

अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा । हम झोला छाप डाक्टरों की चर्चा करते हैं, उससे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के क्वालीफाइड डाक्टर्स हैं, उनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, देहात में वह भी इंजेक्शन लगाते हैं और एलोपैथी से इलाज करने का काम कर रहे हैं । आप अपने तंत्र को मजबूती से निर्देश करें कि जिनके पास होम्योपैथी की डिग्री है, वह होम्योपैथी इलाज करें, जिनके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, वह आयुर्वेद में इलाज करें और इसी के साथ, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में, जितने सदस्यों का मैंने पूर्व में नाम लिया, औपचारिकता के लिये भले ही उन्होंने समर्थन किया लेकिन पुरजोर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरीके से बजट प्रस्तावों की जिस तरह से आलोचना हो सकती थी, वह करने का काम किया है और मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन ही किया है, मैं एक बार पुनः उन सभी सदस्यों का अभार व्यक्त करता हूं।

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (सुश्री सीमा रिजवी)–

मान्यवर, आज जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये, सुझाव के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, हम उनके आभारी हैं। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय अम्बिका चौधरी और उनके साथ इन सम्मानित सदन के सदस्यों के लिये सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा मकसद स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और उसका विस्तार है लेकिन सच्चाई यह भी है और वित्तीय संसाधन कितने हैं हमारे पास यह भी जग विदित है और सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत भी हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि "पहले हर शय को हम आवाज किया जाता है, फिर कहीं जाकर नगमे का आगाज किया जाता है"। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया उन सुविधाओं को जिन सुविधाओं को जनता तक आम तौर से पहुंचाया जाय यह प्रयास हमने करके दिखाया है।

माननीय अम्बिका चौधरी जी ने एक बात कही थी जिसके उत्तर में कहना चाहती हूं कि गत वर्ष की धनराशि का बजट प्राविधान इसलिए तुलनात्मक रूप से अधिक है जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया मान्यवर, इसमें नियमति बजट प्राविधान के अतिरिक्त प्रथम और द्वितीय अनुदान में अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी हैं। माननीय चौधरी जी ने कई बार इसके लिए स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि आंकड़ों में उनसे कहीं न कहीं गलती हो सकती है, अच्छा होता कि माननीय अम्बिका चौधरी जी उदारतापूर्वक जो कुछ अच्छाईयां की गयी है, प्रयास किए गये हैं, उसे भी स्वीकार कर लेते तो और अच्छा रहता लेकिन वह बुनियादी तौर पर हल्ला बोल के इतने आदी हैं और ऐसा करना उनके स्वभाव के अनुरूप है। माननीय चौधरी जी, आपने यह तो परोक्ष रूप से स्वीकार कर ही लिया कि 8 करोड़ के बिजली के बजट का हमने 6 करोड़ पूरा कर दिया, केवल 2 करोड़ बाकी है लेकिन इससे यह जाहिर हो गया है, मैं आभारी हूं कि आपने सम्मानित सदस्यों के सामने यह स्वीकार किया कि हम एक वर्ष में 6 करोड़ का वह घाटा पूरा करने के काबिल हैं तो जाहिर है कि आगामी कुछ महीनों में हम 2 करोड़ जो बाकी है उसे पूरा करके दिखा देंगे और बजट के माध्यम से बिजली का जो अभाव है उसको पूरा करके, सुनिश्चित जानकारी के तौर पर कहती हूं जिसे आपने भी स्वीकार किया है, परोक्ष रूप से सही, खुलकर आप तारीफ नहीं कर सकते हैं यह आपकी मजबूरी भी है और इसे हम समझते भी हैं। आपने एक समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, डेण्टल कालेज के छात्रों के भविष्य को लेकर। मैं इस बात की जानकारी देना चाहती हूं कि डेण्टल कालेज के जो छात्र हैं उनके प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और छात्रों के भविष्य के बारे में दिशा–निर्देश के लिए हम बार-बार केन्द्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाए। ताकि इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक और आपने सुझाव दिया हम आभारी हैं, पंचायती राज मंत्री के लिए आपने कुछ दिशा-निर्देश दिए कि पंचायत भवनों में चिकित्सालयों का स्थानान्तरण हम कर दें।

एक बात मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं सभी सम्मानित सदस्यों के दिल में यह दर्द है कि चिकित्सालय भवन जर्जर है और यह सच्चाई भी है । कुछ समय पहले मैंने सभी सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन किया था कि जो विधायक निधि है, सब को मिलती है, अपने-अपने क्षेत्रों में किसी स्थान को इंगित करके हम स्वयं इस भवन का निर्माण कर सकते हैं और इससे सभी सम्मानित सदस्यों के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान भी काफी हद तक हो सकेगा । हमारे पास बहुत से भवन हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है क्योंकि भवनों को आपकी उस धनराशि की भी आवश्यकता है जो कि और कामों में लग रही है । अगर आपके अन्दर दर्द है तो इस दर्द को आप भी आज प्रस्ताव करके यह सुनिश्चित कर दें तो चिकित्सा शिक्षा विभाग आपका आभारी होगा । एक बात की ओर मैं इशारा करना चाहती हूं कुछ पदों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमने अधियाचन वापस कर लिया । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 500 पदों का सृजन किया गया था, उसका अधियाचन निकाला गया था उसको इस कारण से रोका गया कि जो तदर्थ रूप से कार्यरत हैं वह भी पूरी तरह से आ सके, उनका समायोजन किया जा सके, उनकी आयु सीमा बढ़ाने की दृष्टि से और एक संशोधन की दृष्टि से उस अधियाचन को रोका गया था और पुनः इसको निकाला गया । एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक तिहाई से ज्यादा पद हमारे इस विभाग में रिक्त हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही इस चीज को कह दिया था और यही वजह है कि डी०पी०सी० के माध्यम से प्रयास किया है कि जल्द से जल्द इसको भरा जा सके और माननीय सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत से जगह अधियाचन तैयार कर लिया है, कई जगह एडर्वटाइज हो गया है तो जल्द से नियुक्तियां की जा रही हैं ।

एक और महत्वपूर्ण कार्य इस विभाग में किया गया है जिस समय उत्तरांचल हमसे अलग हुआ, हमारी जड़ी–बूटियों का खजाना हमारे हाथ से चला गया । जड़ी–बूटियों के समन्वित विकास के लिए "हाई पावर कमेटी आन मेडिसिनल प्लांट" बनाया गया है, बैठक हो चुकी है और निकट भविष्य में काम करना शुरू कर देगी । जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया है, उनके दिशा-निर्देश लेकर अपने राज्य के इस अभाव को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे । अधिकतर माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद विभाग के ऊपर अपनी चिन्ता व्यक्त की है । मैं उन सबसे आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि इस विभाग में एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया गया है यहां के लम्बित वादों के निस्तारण के लिए, एक विशेष बेंच का गठन किया गया है । ये वाद ऐसे हैं जो इस विभाग को तरक्की करने में बहुत से रोड़े अटका रहे थे । दवाओं के बारे में माननीय बाजपेयी जी ने चिन्ता व्यक्त की, स्वभाविक है, उनकी इस चिन्ता का स्वागत करती हूं । हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस अभाव को पूरा किया जा सके । यह देखते हुये दवाओं के बजट को हमने लगभग 3 गुना कर दिया है फिर भी हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो जरूरत है उसका निस्तारण हो जायेगा और काफी हद तक स्वरूप बदला हुआ सामने आयेगा इस वित्तीय वर्ष में । चिकित्सकों और कर्मचारियों की न मौजूदगी के कारण जो शिकायत की है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम सबने मिलकर कैसी कार्यवाही की है और किस तरह से दंडित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । माननीय बाजपेयी जी ने एक बात और कही थी कि होम्योपैथिक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसे पूरा नहीं किया गया । एम० डी० कोर्स के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा गया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी लेकिन माननीय बाजपेयी जी मुझसे ही ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं कि केन्द्र सरकार से मिलकर जो योजनायें चलायी जाती हैं, या केन्द्र सरकार की मदद से या फिर केन्द्र

सरकार की इजाजत से जिन चीजों को हम लागू कर सकते हैं उसमें समयाभाव के कारण पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाये हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। होम्योपैथिक क्षेत्र में चिकित्साधिकारियों के 38 पदों को भरने के लिये डी० पी० सी० जल्द कराने का निर्णय लिया है साथ ही साथ छात्रावासों के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी। मान्यवर, छात्रावासों के भवनों का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। होम्योपैथिक छात्रों के लिये राज्य सरकार ने ऐसा करके दिखाया है जिसकी देश ही नहीं विदेशों में सराहना की गई है, होम्योपैथिक के तीन अन्य मेडिकल कालेजों की स्थापना की गई है जो अपने में कीर्तिमान है। इन छात्रावासों में बालकों और छात्राओं के लिये व्यवस्था है। अभी कुछ समय पहले मुख्य मंत्री जी ने वहां आकर गौरवान्वित किया था। होम्योपैथिक के जनक डा० हनीमैन के प्रपौत्र ने वहां उपस्थित होकर स्वीकार किया था कि इतना बड़ा होम्योपैथिक कालेज विश्व में मौजूद नहीं है। इसके ऊपर राज्य सरकार जितना गौरव करे वह कम है। मैं समझती हूं कि कटौती के प्रस्ताव लाने वाले सदस्य इस पर विचार करेंगे। माननीय डा० बाजपेई ने कहा कि सारी योजनाएं लखनऊ में केन्द्रित की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हमने अभी तो समस्याओं को निस्तारित करने का प्रयास शुरू किया है यह तो इफ्तदा-ए-इश्क है, आगे-आगे देखिये होता है क्या, आप हमें अवसर तो दीजिए। हम आप की ओर भी बढ़ेंगे।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अगर आप ऐसे ही ध्यान देंगी तो यह सारी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे।

डा० सीमा रिजवी–

मान्यवर, आगरा में कालेज की समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया, सोसायटी के बारे में कहा गया कि वहां कर्मचारी और चिकित्सकों में भ्रम की स्थिति है। यह भ्रम दूर किये जा रहे हैं, शासन ने निर्णय लिया है और विगत 10 तारीख को शासनादेश निकाल दिया गया है जिसके अन्तर्गत जो लोग सोसायटी में नहीं रहना चाहते थे वह राज्य कर्मचारी रहेंगे। शासन ने ऐसा निर्णय लेके अनिवार्य सेवाओं में शिथिलता नहीं आने दी है। माननीय सुरेश जी ने जिन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनके लिये आभारी हूं निकट भविष्य में जो फैसले किये जायेंगे उसमें इन सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा। शिक्षकों के वेतनमान इस समय बढ़ाये गये हैं और उनको रिवाइज्ड ग्रेड मिल रहा है, भ्रम की स्थिति दूर हो चुकी है। मैं पूर्णमासी पंकज जी की भी आभारी हूं जिन्होंने हमारी तमाम बातों का समाधान कर दिया। इस अवसर पर मैं सम्मानित सदस्यों से खासतौर पर मा० अम्बिका चौधरी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर हमें एक बार द्रुत गति से कार्य करने का अवसर देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी क्या इसको आपका उत्तर भाषण माना जाय।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारे कई माननीय सदस्यों ने चिकित्सा विभाग के संबंध में काफी अच्छे सुझाव दिये और कुछ चीजों पर चिन्ता व्यक्त की। शासन का पूरा प्रयास होना चाहिये मेडिकल कालेज हो, चाहे आयुर्वेदिक कालेज हो, चाहे यूनानी कालेज हो इनकी व्यवस्था ठीक करने के लिये हम लोग प्रयत्नशील हैं। आप सबके कोई भी सुझाव हों उनका हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, मैं पुनः अम्बिका जी से

अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और हमारा बजट पारित करने में हमारा सहयोग करें ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिन्होंने सोसायटी आप्ट नहीं किया है वह सरकारी सेवक रहेंगे । मैंने आपकी अनुमति से माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 का निर्णय सुनाया था । मान्यवर, ने उसके बारे में नहीं कहा, उसके बारे में बता दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बजट भाषण के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनके बारे में अपेक्षा की जाती है कि उनका उत्तर अपने उत्तर भाषण में देंगे । मान्यवर, मैंने धनवंतरि विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मांगी थी उसका जवाब नहीं आया । इसी तरह से निदेशालय की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था और सी०सी०आई०एम० रिटर्निंग अफसर के स्थानान्तरण की बात कही थी कि शासन से सी० सी० आई० एम० ने नाम मांगा था और स्थानान्तरण नहीं करने की बात कही थी उसका जवाब नहीं आया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव वापस कर लेता, वास्तव में मैं इस मनः स्थिति में आ गया था कि कटौती का प्रस्ताव वाप़स ले लिया जाना चाहिये । लेकिन मेरी कठिनाई है कि इसको मैं वापस नहीं ले सकता । क्योंकि हो गयी गालिब वलाएं सब तमाम, एक मर्जे नागहानी और है । जो सुन्दर प्रस्तुतीकरण राज्यमंत्री ने किया है और जो बातें सुन्दर, राज्यमंत्री जी ने कहीं हैं, माननीय मंत्री जी अगर उनको पहले से ज्यादा अधिकार दे दें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री के लिये और बूढों के लिये शिलाजीत जैसी कोई चीज और मंत्रीगणों के लिये कोई दूसरी चीज और खूबसूरत के लिये हर्बल कास्मेटिक जैसी कोई चीज भेजें और हम जैसों के लिये चूरन पुड़िया का इन्तजाम हो गया होता तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेता । चूंकि यह बात नहीं हो पाई है इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस न लेकर उस पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,24,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,43,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,80,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 18 मई, 2001 को विचारार्थ एवं मतदान हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किये गये अनुदानों के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

सदन को एक सूचना देनी है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18 मई, 2001 अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) 17 कृषि अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) तथा 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) से संबंधित मदें विचारार्थ एवं मतदान हेतु ली जानी थीं । उपर्युक्त समस्त विभागों के अनुदानों की मांगें दिनांक 18 मई, 2001 को लिये जाने के फलस्वरूप उन पर सम्यक् विचार हेतु माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होगा । अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 18 मई, 2001 को केवल सिंचाई विभाग (अनुदान संख्या–93 एवं 94) एवं कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (अनुदान संख्या–13) की विचारार्थ एवं मतदान हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किये जायें । 18 मई, 2001 के लिये निर्धारित शेष अन्य विभागों से संबंधित अनुदान किसी अनुवर्ती तिथि को लिये जायेंगे जिसकी सूचना अलग से दी जायेगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 17 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई :– पहली सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है जो जनपद–बांदा के मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा की जा रही है अनियमितताओं के कारण सिनेमाघरों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जो डा० भीमराव अम्बेदकर

विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध बी० एस० ए० कालेज मथुरा में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अधिक छात्रों को प्रवेश देकर अनियमितताएं किये जाने के संबंध में है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है, जो नवीन मंडी स्थल सहारनपुर को आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने हेतु किसानों एवं व्यापारियों की मांग के अनुरूप पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा रिक्त पड़ी भूमि को 25 वर्षों के लीज पर लेने का प्रस्ताव लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री रूप चौधरी की है जो प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस विभाग में बारी से पहले प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ नगर (हेल्दी सिटी) के रूप में अंगीकृत मिर्जापुर नगर को तत्संबंधी योजनाओं के विषय में प्रदेश सरकार द्वारा अग्रतर कार्यवाही किये जाने के संबंध में है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो मेरठ नगर निगम द्वारा नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री कैलाश यादव को जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां अन्तर्गत एकनईया नाले पर पुलिया का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की है जो जनपद जालौन में आगजनी की घटनाओं में फसलों के जल जाने से पीड़ित किसानों को राहत व अनुदान न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है जो बसेण्ट थियोसिफकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन के भुगतान के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है जो जनपद गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है जो राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमानीगंज, फैजाबाद के भवन विहीन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है जो प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित एवं मानक के विरुद्ध अध्यापकों की तैनातियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की है जो प्रदेश में "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त जू० हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौदहवीं सूचना श्री बिन्दु लाल की है जो जनपद बलरामपुर में जिला योजना व दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना में स्वीकृत मार्गों को पूरा कराये जाने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पन्द्रहवीं सूचना डा० वेद प्रकाश सिंह की है जो जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत बहमनशोरा ग्राम में हुई युवक की हत्या की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराकर वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सोलहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है जो जनपद बलिया में राजकीय इण्टर कालेज में वर्ष 2001 में हुई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन करने वाले अध्यापकों को

प्रधानाचार्य द्वारा अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । सत्रहवीं सूचना श्री वसीम अहमद की है जो जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कप्सा राजबहा की पटरी पर बेवता तक सड़क बनाएं जाने के संबंध में है इनको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । अठारहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है जो मत्स्य निगम लखनऊ में जलाशयों की नीलामी में अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । उन्नीसवीं सूचना श्री रामतेज यादव की है जो जनपद बहराइच के कैसरगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कार्यों का भुगतान तथा मरम्मत आदि का कार्य कराये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । बीसवीं सूचना श्री आर्य रामशरण की है जो जनपद हाथरस के मुख्यालय पर बिजली विभाग के कार्यालय की स्थापना के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचना अस्वीकृत हुई :–

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 2–श्री विजय पाल सिंह, 3–श्री तौफीक अहमद, 4–श्री दीप लाल भारती, 5–श्री छोटे लाल गंगवार, 6–श्री बाबू लाल कुरील ।

श्री अधिष्ठाता–

(मद संख्या–12, 13, 14, 15 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये हैं)

जनपद संत रविदास नगर भदोही मुख्यालय भवन के निर्माण में हो रही धांधली की जांच के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व राज्य मंत्री, श्री बहोरन लाल मौर्य–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही मुख्यालय भवन के निर्माण में हो रही धांधली की जांच कराने, निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है एवं मुख्यालय भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ।

2–जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु रु० 485.27 लाख से बनाया जाना है, जिसके सापेक्ष रु० 125.00 लाख की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की जा चुकी है । जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर भदोही की प्राप्त आख्या के अनुसार भवन के निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है । इस संबंध में निदेशक, उ० प्र० जल निगम को निर्देश दे दिये गये हैं कि भवन का निर्माण तत्परतापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र पूरा करायें ।

3–जहां तक मुख्यालय भवन के निर्माण में हो रही धांधली का प्रश्न है, इस संबंध में आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मिर्जापुर से आख्या प्राप्त हुई है । जिसके अनुसार भवन निर्माण में सरकारी धन के

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दुरुपयोग की सम्भावना व्यक्त की गयी है । आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी, सन्त रविदास नगर भदोही को निर्देशित किया गया कि वे तकनीकी टीम गठित करके सम्पूर्ण कार्यों की प्राथमिक जांच सुनिश्चित कर लें तथा उसकी रिपोर्ट मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायें । मण्डलायुक्त ने राज्य स्तर पर गठित टी० ए० सी० द्वारा उक्त निर्माणाधीन भवन की विस्तृत जांच कराने की भी संस्तुति की है ।

4-जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण की जांच श्री हरदेव सिंह, निदेशक, रेशम विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 24-4-2001 को की गयी थी । जिसकी जांच आख्या उन्होंने सबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी होगी । जिलाधिकारी, सन्त रविदास नगर भदोही से जिला स्तर पर गठित तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट तथा राज्य स्तरीय टीम की जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई । उक्त दोनों जांच आख्यायें प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।]

सहारनपुर नगर में ट्रांसपोर्टनगर योजना में लिये भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु तत्काल विज्ञप्ति जारी किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सहारनपुर नगर में लम्बे समय से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा–4 की विज्ञप्ति दिनांक 17-5-2000 को जारी हुए लगभग एक वर्ष होने के उपरान्त भी अधिनियम की धारा–6 की विज्ञप्ति जारी न होने से उत्पन्न हुई स्थिति में प्रश्नगत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना मा० सदस्य द्वारा दी गई है । सूचना में मा० सदस्य द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा–6(17) की विज्ञप्ति तुरन्त जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(1) सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4/17 की अधिसूचना दिनांक 17-5-2000 को जारी की गयी ।

(2) उक्त के परिप्रेक्ष्य में धारा–4/17 का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 7-6-2000 को कराया गया ।

(3) इसी संदर्भ में धारा–4/17 की शुद्धि पत्र की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 14-8-2000 को प्रकाशित किया गया ।

(4) इस प्रकार धारा–6/17 का प्रकाशन एक वर्ष के भीतर अर्थात् दिनांक 17-5-2001 के पूर्व किया जाना था ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(5) अतः सहारनपुर विकास प्राधिकरण हेतु ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में धारा–6/17 की अधिसूचना दिनांक 03 मई, 2001 को निर्गत की जा चुकी है, जो समयान्तर्गत जारी की गयी है ।

इस प्रकार मा० विधान सभा सदस्य द्वारा अपेक्षित कार्यवाही 03 मई, 2001 को ही की जा चुकी है ।]

वर्ष 1998-99 में नाबार्ड योजना फेज–4 के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में स्वीकृत मार्गों के अभी तक पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा दिनांक 10 मई 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित कार्यों एवं जनपद उन्नाव में आर०आई०डी०एफ० फेज–4 योजना में कुल स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति निम्नवत् है :–

1–हिलौली–संदाना मार्ग से बरदहा लिंक मार्ग :–

यह मार्ग वर्ष 1998-99 में आर० आई० डी० एफ०–4 योजना के अन्तर्गत 2.00 कि०मी० लम्बाई के लिए शून्य से लेपन स्तर तक रु० 14.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मार्च, 2001 तक 2.00 कि०मी० लम्बाई में मार्ग टापकोट स्तर तक पूर्ण हो चुका है । प्रथम व द्वितीय सतह लेपन का कार्य अवशेष है । कार्य की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

2–कांधा से मिरौंकला सम्पर्क मार्ग :–

यह मार्ग वर्ष 1998-99 में आर०आई०डी०एफ०फेज–4, योजना के अन्तर्गत 2.00 कि०मी० लम्बाई के लिए, शून्य से लेपन स्तर तक रु० 14.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मार्च, 2001 तक 2.00 कि०मी० लम्बाई में टाप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है । कार्य की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

3–कांधा से बीकामऊ सम्पर्क मार्ग :–

यह मार्ग वर्ष 1998-99 में आर०आई०डी०एफ०फेज–4, योजना के अन्तर्गत शून्य से लेपन स्तर तक रु० 14.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मार्च, 2001 तक 1.00 कि०मी० में टाप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण है । दूसरे कि०मी० में मिट्टी स्तर तक कार्य पूर्ण है । कार्य की लागत में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में आर०आई०डी०एफ०फेज–4, योजना के अन्तर्गत कुल 38 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनकी लम्बाई 75 कि०मी० तथा स्वीकृत लागत रु० 512.65 लाख है । इस 75 लम्बाई में से 43 कि०मी० लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है । जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्वीकृत 38 कार्यों में से शेष अपूर्ण कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर ही कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल सिंह, द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[ताज ट्रेपेजियम में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रु० 90 करोड़ की योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । इसके अतिरिक्त रुपये 48.20 करोड़ की अनुपूरक योजना पर कार्य प्रगति पर है । इन योजनाओं के पूर्ण होने पर ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यापक सुधार होने की सम्भावना है । इस क्षेत्र के शहरी इलाके को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है जबकि ग्रामीण इलाके में 10 घंटे विद्युत दी जाती है । स्थानीय दोषों के आने पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसको तत्परता से दूर कर, विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाने के प्रयास किये जाते हैं ।

जनपद आगरा के समशाबाद विकास खण्ड के ग्राम इनायतपुर व विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम बलिपुरा में नए 33/11 केवी उपकेन्द्र की संस्थापना के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री विजयपाल सिंह का अनुरोध प्राप्त हुआ है । सन्दर्भगत स्थल पर नये 33/11 केवी उपकेन्द्र के निर्माण की उपयोगिता का परीक्षण तथा क्षेत्रीय तकनीकी समिति से अनुमोदन कराकर अपनी सुस्पष्ट आख्या तथा वाइबिलिटी की गणना के साथ प्रस्ताव भेजने के लिए महाप्रबन्धक (वितरण), आगरा क्षेत्र को निर्देश दिये गये हैं ।

इस सन्दर्भ में उनकी आख्या प्राप्त होने पर यदि उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी दृष्टि से आवश्यक तथा लाभकारी होगा तो संसाधन की उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए, उपरोक्त उपकेन्द्रों के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

फतेहाबाद एवं समशाबाद विकास खण्ड के डार्क घोषित क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शनों हेतु आवेदन पत्र किसानों से मांगे जाने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (वितरण) आगरा क्षेत्र को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

मा० विधायक जी द्वारा प्रस्तावित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में सूचित करना है कि धनाभाव के कारण प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है । शासनादेश संख्या-1642 दिनांक 24-4-2001 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2000-2001 में माननीय विधायकों द्वारा चयनित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण विधायक निधि से धन उपलब्ध कराये जाने पर कराया जायेगा ।

वर्तमान में ताजमहल से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अविद्युतीकृत 357 ग्रामों को चयनित कर विद्युतीकरण कराया जा रहा है । इन 357 ग्रामों/मजरों में से लगभग 285 ग्रामों का माह 3/2001 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण यथाशीघ्र किया जा रहा है । ताजमहल से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के क्षेत्रों में आने वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों हेतु एक अन्य योजना रु० 78.90 करोड़ की योजना बनायी गयी है जो कि स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ के राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में संबिलीनीकृत किए जाने से प्रभावित दैनिक वेतन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा.....

श्री अधिष्ठाता–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री हुकुम सिंह–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा उ० प्र० होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 की धारा–6 तथा संशोधन अधिनियम 2001 के अन्तर्गत संविलयित राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के दैनिक वेतन/नियतवेतन/अंशकालिक कर्मचारियों को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में समायोजित किया जाना न्याय पूर्ण बताते हुए इनको समायोजित न करने के बारे में जानकारी चाही गयी है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ० प्र० होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 की धारा–4 में संशोधन अधिनियम 2001 की धारा–3(4) द्वारा निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया गया है :–

"राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि यह किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ या उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ख ख) के अधीन सम्मिलित या समायोजित महाविद्यालयों के अध्यापकों या खण्ड अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद को समाप्त करके, बिना भरे छोड़ दे या आस्थगित रखे और कोई व्यक्ति ऐसे पद पर किसी नियुक्ति का दावा हकदार नहीं होगा ।"

प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मूल अधिनियम 1981 तथा संशोधन अधिनियम 2001 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार संबिलयित/समामेलित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के पूर्ण कालिक एवं नियमित रूप से नियुक्त किसी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की गयी है । संविलयन की कार्यवाही के फलस्वरूप छात्रों की संख्या एवं शीट/शय्या में कोई कमी नहीं की गयी है । राज्य सरकार का यह निर्णय जनहित एवं छात्र हित तथा चिकित्सा शिक्षा के समुचित पठन-पाठन को दृष्टिगत रखते हुए इन चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया है ।]

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । कृपया संरक्षण प्रदान करें । इन्क्रीमेंट का मतलब मेरा कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था का है कृपया इसमें संशोधन किया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

[ ] **यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।**

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, प्राविडेन्ट फण्ड एवं वरिष्ठता आदि के निर्धारण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री उदयराज यादव व श्री सौलत अली, द्वारा दिनांक 10-05-2001 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री उदयराज यादव एवं श्री सौलत अली, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 10-5-2001 में नगर निगम गांधी स्मारक के कला प्रवक्ता पद पर अनियमित पदोन्नति डी० पी० एस० नगर निगम माध्यमिक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक को नियुक्ति तिथि से ही एल० टी० वेतन क्रम दिये जाने से विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वरिष्ठता प्रभावित होने, अध्यापकों के भविष्य निधि धनराशि कटौती करके खातों में न जमा किये जाने, शिक्षकों को लेखा पर्ची न दिये जाने एवं वरिष्ठता को ध्यान में न रखकर कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का बिन्दु उठाते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उ० प्र० शिक्षा अनुभाग–7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–मा०–470/पन्द्रह–7-21-70, दिनांक 30-6-76 द्वारा उ० प्र० नगर महापालिका शैक्षिक सेवायें (पदनाम, अर्हतायें, वेतनमान, सवारी भत्ता, भर्ती की रीति) आदेश 1973 में नगर महापालिका द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवक्ता कला की शैक्षिक अर्हता बी० ए० कला के साथ आई०जी०डी० बाम्बे है, जिसके अनुसार सम्बन्धित योग्यता धारी एल०टी० अध्यापक की पदोन्नति प्रवक्ता कला के पद पर वर्ष 1985 में की गयी थी । यह अर्हता उ० प्र० शिक्षा मैनुअल में तत्समय निर्धारित थी । तत्पश्चात राजाज्ञा दिनांक 28-2-90 में प्रवक्ता कला के पद की शैक्षिक अर्हता एम० ए० कला एवं पांच वर्ष की एल०टी० की मौलिक सेवा की गयी । प्रवक्ता कला पद पर पदोन्नति वर्ष 1985 में हुई थी ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कानपुर द्वारा व्यायाम शिक्षक को नियुक्ति तिथि से एल० टी०वेतन क्रम दिये जाने के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि राजाज्ञा संख्या–अर्द्ध(1)/20319/दो–313/74-75, दिनांक 04-12-74 के अनुसार सी०टी० से एल०टी० देय है । मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के पत्रांक–8745/83-84, दिनांक 08-12-83 के दृष्टांत के अनुसार यदि विद्यालय में एल०टी० वेतन क्रम में कला विषय की शैक्षिक योग्यता सम्पन्न कोई अध्यापिका नहीं है एवं विद्यालय को हाई स्कूल स्तर पर कला विषय में मान्यता प्राप्त है तो नियुक्ति उक्त विषय के शिक्षा की योग्यता सम्पन्न होने के कारण स्नातक वेतन क्रम में ही होनी चाहिए । अतएवं शासनादेश दिनांक 04-12-74 एवं मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के उक्त आदेश के अनुसार ही दिनांक 21-10-91 को सी० टी० ग्रेड में नियुक्त शैक्षिक अर्हतायुक्त शिक्षक (व्यायाम) को दिनांक 24-7-2000 से नियुक्ति तिथि से ही सी०टी० से एल०टी० वेतन क्रम दिया गया है, बाद में जिला विद्यालय निरीक्षण, कानपुर ने भी अपने पत्र दिनांक

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

17-01-2001 द्वारा सी०टी० ग्रेड झाइंग कैडर घोषित तिथि 1989 के पश्चात् नगर निगम द्वारा सी०टी० ग्रेड में की गयी नियुक्तियों को एल०टी० ग्रेड परिवर्तित करने के आदेश निर्गत कर दिया है।

वर्ष 1997 में प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर ही की गयी है।

नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भविष्य निधि कटौती एवं लेखा पर्ची न दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि कानपुर नगर निगम की विषम आर्थिक स्थिति के कारण भविष्य निधि मद में कटौती की गयी धनराशि को छोड़कर नियमित वेतन एवं पेंशन भुगतान में ही समस्यायें आती हैं। अतः भविष्य निधि में नियमित रूप से धनराशि जमा कर पाना सम्भव नहीं हो पाता किन्तु इसके पश्चात् भी समय-समय पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की मांग के अनुसार उनका भुगतान किया जाता है। बैंक में सभी खाते कम्प्यूटराइज्ड करा दिये गये हैं। अतएव बैंक द्वारा ही बैंक खाते की पासबुक तैयार की जाती है।]

लखनऊ महानगर में पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में व्याप्त अराजकता तथा कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध जांचों के लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दि० 10-5-2001 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री आर० पी० यादव, दैनिक श्रेणी लिपिक, लेसा, लखनऊ के विरुद्ध बिलों में कतिपय अनियमितता बरतने व हेराफेरी करने की शिकायतों की जांच में की गई संस्तुति के आधार पर श्री यादव को लेसा, लखनऊ से विद्युत पारेषण खण्ड, मैनपुरी में स्थानान्तरण किया गया था। श्री कैलाश सिंह राजपूत, विधायक की इस संस्तुति पर कि श्री यादव की पत्नी लखनऊ में ही पूर्वोत्तर रेलवे में तैनात हैं, इसलिए शासन की नीति के अनुसार श्री यादव का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जाय, मा० राज्य मंत्री ऊर्जा के आदेशानुसार श्री यादव का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया।

श्री आर० पी० यादव के विरुद्ध उक्त जांच में अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की भी संस्तुति की गई थी। उक्त कार्यवाही के चलने की दशा में श्री यादव के उक्त स्थानान्तरण आदेशों को पुनः प्रभावी किया गया था। इसके पश्चात् मा० राज्य मंत्री ऊर्जा द्वारा प्रकरण में दिनांक 15-4-99 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्री यादव के मैनपुरी को किये गये उक्त आदेशों को पुनः संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ क्षेत्र के अधीन तैनात किया गया। चूंकि मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र के अधीन दैनिक श्रेणी लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं था, जिसके कारण अन्ततः श्री यादव को मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), लखनऊ के कार्यालय में तैनात कर दिया गया, जहां पर सम्प्रति वह कार्यरत हैं। जांच के पश्चात् की गयी संस्तुति के आधार पर श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका परिषद् का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा दिनांक 10-05-2001 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय श्री रूप चौधरी, सदस्य विधान सभा ने नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया है कि विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा, जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत लोनी नगर पंचायत को भंग करके पावी सादिकपुर, सादुल्लाबाद, बेहटा, हाजीपुर, खानपुर एवं लोनी देहात ग्राम की पंचायतों एवं अनेक कालोनियों को मिलाकर नई नगर पालिका की घोषणा की गयी है । सरकार ने इस सम्बन्ध में परिसीमन व 33 वार्डों के गठन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली है । अतः इस क्षेत्र के मतदाताओं की सूची बनाकर चुनाव कराने की मांग की गयी है ।

2–इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में नगर पंचायत-लोनी को उच्चीकृत करते हुए शासन द्वारा नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्रदान करने के उपरान्त जन भावनाओं एवं स्थानीय प्रशासन की मांग तथा जिलाधिकारी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा बेहटा, ग्राम खरौटी खुर्द, ग्राम लोनी, ग्राम लोनी चकबन्दी बाहरी क्षेत्र, ग्राम लोनी चकबन्दी क्षेत्र, ग्राम सभा सादुल्लाबाद, ग्राम सभा पावी सादिकपुर को नगर पालिका परिषद लोनी की सीमा में सम्मिलित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना संख्या–1455/नौ–9–2001–1बी/96, दिनांक 7 अप्रैल, 2001 निर्गत करते हुए उस पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये । प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण कर नगरपालिका परिषद् लोनी की सीमा को अन्तिम रूप से निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या–1660/नौ–9–2001–1बी/96, दिनांक 15 मई, 2001 निर्गत कर दी गयी है । नगर पालिका परिषद् लोनी के चुनाव हेतु वार्डों के परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित कर शीघ्र ही चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे ।]

श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 10-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को समय से पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)––

[मा० सदस्य विधान सभा श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना में उल्लिखित 18 अम्बेडकर ग्राम यथा–1–रामपुर गोहनिया, 2–माझगांव, 3–भखौली, 4–बवां, 5–मोहम्मदपुर, 6–अमावा सूफी, 7–डिली सरैया, 8–मझनाई, 9–पाराताजपुर, 10–भुरेहटा, 11–निमड़ी, 12–घाटमपुर, 13–रेवना, 14–गोकुला, 15–तालढोली, 16–मिल्कीपुर, 17–देवरा, 18–नरेन्द्र भावा जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में आते हैं । इन ग्रामों में से वर्ष 95-96 में दो ग्राम, 97-98 में चार ग्राम व 98-99 में 12 अम्बेडकर ग्राम चयनित हुये हैं, जिनकी कुल लम्बाई 66.45 कि०मी० है, इसमें 28.95

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मानां गया ।

कि०मी० एस०सी०पी० के अन्तर्गत, 19.70 कि०मी० जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत, 3.10 कि०मी० नाबार्ड फेज–3 के अन्तर्गत, 12.70 कि०मी० नाबार्ड फेज–4 के अन्तर्गत तथा 2.00 कि०मी० नाबार्ड फेज–5 के अन्तर्गत स्वीकृत हैं । इसकी कुल स्वीकृत लागत रु० 414.63 लाख आंकलित की गयी थी । सम्पर्क मार्ग हेतु सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण अब अनुमानित लागत रु० 476.77 लाख आंकी गयी है । लोक निर्माण विभाग फैजाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार माह मार्च, 2001 तक रु० 276.22 लाख का आवंटन विगत तीन वर्षों में प्राप्त हुआ जिसके सापेक्षय 276.22 लाख रु० व्यय हो चुका है । उक्त 18 अम्बेडकर ग्रामों में से पाराताजपुर अम्बेडकर ग्राम के सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 17 अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य अधूरा है । इन ग्रामों के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वांछित सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण 200.55 लाख रु० की अभी और आवश्यकता बताई गई है । यह कार्य वांछित धनराशि प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा । वर्ष 98-99, 99-2000 व 2000-2001 में इन सम्पर्क मार्गों पर योजनावार किये गये व्यय का विवरण संलग्नक–1† पर तथा प्रारम्भ से मार्च, 2001 तक इन सम्पर्क मार्गों पर सम्पादित कार्य व किये गये व्यय का पूर्ण विवरण संलग्नक–2 पर प्रस्तुत है । संलग्नक–3 व 4 पर प्रस्तुत चार्ट से स्पष्ट है कि माननीय विधायक जी के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के कार्यों पर किया गया व्यय पूरे जनपद के कार्यों पर किये गये व्यय का 21.70 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि जनपद फैजाबाद में कुल पांच विधान सभा क्षेत्र अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, सोंहावल एवं रूदौली पूर्ण एवं दो विधान सभा क्षेत्र कटेहरी व सिद्धौर आंशिक रूप से पड़ते हैं । इस प्रकार इसमें किसी की लापरवाही एवं उदासीनता नहीं है अपितु सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में हुई वृद्धि के कारण बढ़े धन की प्राप्ति न हो पाने की स्थिति में सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ।

फैजाबाद की मिल्कीपुर विधान सभा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य पर्याप्त धनराशि के अभाव में अभी भी अवशेष है ! वर्तमान में सम्पर्क मार्ग निर्माण के अन्तर्गत 1000 से अधिक आबादी के वर्ष 97-98, 98-99 व 99-2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की प्रगति समीक्षा की जा रही है । वर्ष 97-98, 98-99 व 99-2000 के लिये चयनित अम्बेडकर ग्रामों में अब तक क्रमशः 69, 77 तथा 28 प्रतिशत अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त किया जा सका है । अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से ही वर्ष 2000-2001 में अम्बेडकर ग्रामों का चयन न करके अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया था । फैजाबाद मण्डल में सम्पर्क मार्ग निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 97-98, 98-99 व 99-2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में अब तक क्रमशः 52, 62 तथा 11 प्रतिशत ग्राम संतृप्त हुये हैं । जनपद फैजाबाद में सम्पर्क मार्ग निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 97-98, 98-99 व 99-2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में अब तक क्रमशः 66, 40 तथा 14 प्रतिशत अम्बेडकर ग्राम संतृप्त किये जा सके हैं । गत तीन वर्षों में एस०सी०पी० के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद हेतु अवमुक्त कुल 902.85 लाख के सापेक्षय रु० 860.33 व्यय किया गया है, जो अवमुक्त धनराशि का 95.30 प्रतिशत है । जनपद में टी०एस०पी० के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है । इस प्रकार की स्थिति केवल फैजाबाद अथवा मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं है । बल्कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है क्योंकि सम्पर्क मार्ग निर्माण में अधिकाधिक धनराशि की आवश्यकता होती है । प्रदेश के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु शासन प्रयासरत है । उल्लेखनीय है कि अब ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्थान पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जायेगा । प्रकरण से संबंधित अम्बेडकर ग्रामों में से कुल 13 ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है । जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है, शेष 5 ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण नाबार्ड फेज–3, 4 व 5 में प्राविधानित है,

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

† छापी नहीं गयी ।

संभावित लागत के अनुरूप अवशेष आवंटन उपलब्ध होने पर इन सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूरा किया जाएगा ।

राज्य योजना आयोग अनु०–2 के पत्र संख्या–93/35–आ–2/2000, दिनांक 16 नवम्बर, 2000 द्वारा वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजना की संरचना में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों को चिन्हांकित कार्यक्रमों से संतृप्त करने हेतु जिला योजनान्तर्गत पर्याप्त परिव्यय रखने के निर्देश प्रसारित हैं । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राईबल सब प्लान हेतु जिला योजना से 50 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर से 10 से 15 प्रतिशत अंश परिमात्रीकृत किया जाएगा ।

इसी प्रकार सचिव, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या–2249/ क०नि०प्र०/25-3-2000-20(92)/2000 दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्राम जिन कार्यक्रमों से संतृप्त नहीं हो पाऐं हैं उनसे अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने हेतु पर्याप्त परिव्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा जाए जिससे अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कराया जा सके । साथ ही यह भी निर्देश है कि अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिये 50 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से वहन की जायेगी । सड़क एवं पुल के जिला योजना का शत-प्रतिशत परिव्यय अम्बेडकर ग्रामों के लिये रखा जाएगा तभी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राईबल सब प्लान से जिला सेक्टर में 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध हो पायेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पत्र संख्या–2160/अ०ग्रा०–वि०वि०/2001, दिनांक 14 मई, 2001 से मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 98-99 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अवशेष कार्यों को आगामी 30 सितम्बर, 2001 तथा वर्ष 1999-2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अवशेष कार्यों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक पूर्ण कराया जाए । वर्ष 99-2000 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों एवं वर्ष 2001-2002 के लिये चयनित अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु अलग-अलग धनराशि इयरमार्क की जाए । इसके उपरान्त भी धनराशि की कमी रहे तो अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि से पूर्ण कराये । साथ ही स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ट्राईबल सब प्लान में उपलब्ध धनराशि का उपयोग फर्स्ट चार्ज पर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हेतु करने के निर्देश मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं ।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं कि अम्बेडकर ग्रामों को अन्य विकास कार्यों सहित सम्पर्क मार्ग निर्माण से संतृप्त किया जाए ।]

जनपद–संतरविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा में स्वीकृत कस्तूरीपुर से करियांवा मार्ग पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद–संतरविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड–सुरियांवा के अन्तर्गत कुल 6 मार्गों के लेपन स्तर तक के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत कुल रु० 84.16 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–संतरविदास नगर (भदोही) को दिनांक 28-10-98 को प्राप्त हुई थी, जिसमें कस्तूरीपुर से करियांवा मार्ग का लेपन स्तर का निर्माण भी सम्मिलित था । 5.00 कि० मी० लम्बाई के इस मार्ग पर लेपन स्तर तक कार्य कराने हेतु रु० 33.00 लाख का प्राक्कलन बनाया गया था, जिसके सापेक्ष इस कार्य हेतु रु० 23.40 लाख की स्वीकृत हुई और इतनी ही धनराशि प्राप्त हुई थी । धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् इस धनराशि में से रु० 10.27 लाख की धनराशि तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–संतरविदास नगर (भदोही)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा गबन कर ली गयी, जिसके लिए उनके विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल–वाराणसी के द्वारा दिनांक 16-3-99 को थाना–ज्ञानपुर, जनपद–संतरविदास नगर (भदोही) में प्रथम प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज करा दी गई है । इसके अतिरिक्त इस धनराशि के गबन/दुरुविनियोग के संबंध में श्री राधेश्याम पाण्डेय को शासन स्तर से दिनांक 26-5-99 को आरोप-पत्र भी दिया गया है । यहां उल्लेखनीय है कि श्री राधेश्याम पाण्डेय के विरुद्ध जनपद–बलिया के कार्यकाल में सिद्ध पाये गये विभिन्न आरोपों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 27-3-2001 द्वारा उनको सेवा से पदच्युत करने के साथ-साथ रु० 1,93,97,387.00 की वसूली का भी आदेश जारी किया गया है ।

2–कस्तूरीपुर से करियांवा मार्ग पर स्वीकृत कुल 23.40 लाख की धनराशि में से रु० 10.27 लाख की धनराशि श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–संतरविदास नगर (भदोही) द्वारा गबन कर लिये जाने के पश्चात् शेष बची धनराशि रु० 13.13 लाख के विरुद्ध 3.75 कि०मी० में मिट्टी एवं उस पर 40-63 एम०एम० गेज की गिट्टी की कुटाई तथा 00.00 कि०मी० से 1.45 कि०मी० लम्बाई में 25.50 एम०एम० गेज का टापकोट एवं 4 ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया गया है ।

3–स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने का मुख्य कारण तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–संतरविदास नगर (भदोही) श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा 10.27 लाख की धनराशि का गबन किया जाना है, जिनके विरुद्ध इस संबंध में कार्रवाई प्रचलित है ।]

प्रदेश के पुराने एवं प्रतिष्ठित बलरामपुर चिकित्सालय की पेयजल की गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाये जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य ने प्रदेश के पुराने एवं प्रतिष्ठित बलरामपुर चिकित्सालय में स्थापित एक ट्यूबवेल के जल स्तर गिर जाने तथा पम्प पुराना होने के कारण उसकी क्षमता कम होने तथा इसके बारह वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण कभी भी बैठ सकने के कारणों का उल्लेख किया गया है तथा इस ट्यूबवेल से बलरामपुर चिकित्सालय में पेयजल आपूर्ति न हो पाने के कारण वहां रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रोगियों को भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए उक्त चिकित्सालय में एक ट्यूबवेल लगवाने की स्वीकृति तथा इसका निर्माण कार्य तत्काल सुनिश्चित कराये जाने इत्यादि के संबंध में सूचना देते हुये चर्चा कराये जाने की मांग की थी । मा० अध्यक्ष द्वारा इस विषय पर दिनांक 17 मई, 2001 को वक्तव्य निर्धारित किया गया है ।

2–बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में पेयजल के संबंध में स्थिति यह है कि इस चिकित्सालय में पेयजल की व्यवस्था का रख-रखाव चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता है और यह चिकित्सा विभाग की योजना है । पेयजल में कुछ समस्याओं के कारण निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक बलरामपुर अस्पताल द्वारा ट्यूबवेल के निर्माण हेतु दिनांक 17-4-2001 के पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा (विद्युत/यांत्रिक), उ० प्र० जल निगम लखनऊ से अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् जल निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और अधीक्षण अभियन्ता, 23वां मण्डल, उ० प्र० जल निगम लखनऊ के पत्र दिनांक 25-4-2001 द्वारा रुपये 16.00 लाख का प्राक्कलन निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल को प्रेषित किया गया । इस प्राक्कलन के अन्तर्गत एक नलकूप का

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्माण एवं तत्संबंधी कार्यों का समावेश किया गया है । चिकित्सा विभाग से इस प्राक्कलन के सापेक्ष अभी तक धनावंटन नहीं हुआ है । धन प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य की कार्रवाई की जा सकेगी ।]

जनपद सीतापुर के थाना रेउसा अन्तर्गत ग्राम सुपौली के मजरा महादेवा में हुई अग्निकाण्ड की घटना में मृतकों के आश्रितों को समुचित सहायता दिये जाने तथा रेउसा अथवा तम्बौर में अग्नि शमन केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद सीतापुर के थाना रेउसा के ग्राम सुपौली के मजरा महादेवा में दिनांक 25-2-2001 को सायंकाल 8.30 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग से कुल 18 परिवार प्रभावित हुए थे । इस अग्निकाण्ड में सम्पत्ति के नुकसान के साथ-साथ तीन महिलाओं तथा छः बच्चों सहित कुल 09 (नौ) व्यक्तियों की जलकर मृत्यु हो गई थी । जांच के उपरान्त अग्निकाण्ड से प्रभावित 16 परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में रु० 1500/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 24,000/–तथा 15 परिवारों को रु० 600/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 9,000 की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गई । अग्निकाण्ड में 9 मृतकों के आश्रितों/वारिसानों को रु० 25,000/–प्रति व्यक्ति की दर से कुल रु० 2,25,000/–की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की गई । प्रभावित पशु स्वामियों को भी रु० 1000/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 4,000/–का अनुग्रह अनुदान वितरित कराया जा चुका है । इस प्रकार अग्निकाण्ड के 24 घन्टे के भीतर ही सभी प्रभावित परिवारों को राहत सहायता का वितरण किया जा चुका है । प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को जो राहत सहायता प्रदान की जाती है वह भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्धारित किये गये हैं । इस प्रकार दैवी आपदा पीड़ितों को तात्कालिक सहायता हेतु अहेतुक सहायता के रूप में अधिकतम रु० 1500/– प्रति परिवार तथा अनुग्रह अनुदान के रूप में रु० 25,000/– प्रति मृतक गैर कमाऊ सदस्य होने की दशा में) रु० 50,000/–प्रति मृतक (परिवार का कमाऊ सदस्य होने की दशा में) सहायता वितरित की जाती है । दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम रु० 600/–एवं अधिकतम रु० 7500/–की सहायता प्रदान की जाती है ।

रेउसा अथवा तम्बोर में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के संबंध में गृह विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा जा रहा है ।]

मण्डल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई मानकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रूप में लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को नियम–49 के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के संबंध में जारी चर्चा (जारी)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 10 मई की कार्यसूची के नत्थी (ग) ...

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चर्चा जारी-चर्चा जारी की आवाजें आ रही हैं । मेरा निवेदन है कि मद संख्या–24, 25 और 26 को स्थगित कर दिया जाय ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक दिनांक 1 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

तथा

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों के गतिविधियों से निपटने के लिए नया कानून बनाये जाने विषयक दिनांक 9 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मद संख्या–24, 25 और 26 को स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 17 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

विधान सभा सचिवालय

पी०एस०यू०पी०–एल० 282 विधान सभा (498)–19-11-2001–813 (डी०टी०पी०) ।